विज़न

निर्यात ऋण बीमा व व्यापार संबंधी बेहतरीन सेवाएँ प्रदान करना।

Vision

To excel in providing export credit insurance and trade related services.

मिशन

भारतीय निर्यात बाजार की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध स्त्रोतों का अनुकूल उपयोग करते हुए किफ़ायती बीमा एवं व्यापार संबंधी सेवाएँ प्रदान कर भारतीय निर्यात उद्योग की सहायता करना ।

Mission

To support the Indian Export Industry by providing cost effective insurance and trade related services to meet the growing needs of the Indian export market through the optimal utilisation of available resources.

ईसीजीसी ECGC

पंजीकृत कार्यालय : एक्स्प्रेस टावर्स, 10वीं मंज़िल , नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021
CIN: U74999MH1957GOI010918

REGISTERED OFFICE : Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021
CIN: U74999MH1957GOI010918

कंपनी सचिव	श्रीमती स्मिता पंडित
COMPANY SECRETARY	Ms. Smita V. Pandit
नियुक्त बीमांकिक	श्रीमती प्रिसिला सिन्हा
APPOINTED ACTUARY	Smt. Priscilla Sinha
संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक **JOINT STATUTORY AUDITORS**	मेसर्स आरएसवीए एंड कंपनी सनदी लेखाकर, मुंबई फ़र्म पंजीकरण सं. 110504W M/s. RSVA & Co., Chartered Accountants, Mumbai Firm Registration No. 110504W मेसर्स बंशी जैन एंड एसोसिएट्स सनदी लेखाकर, मुंबई फ़र्म पंजीकरण सं. 100990W M/s. Banshi Jain & Associates Chartered Accountants, Mumbai Firm Registration No. 100990W

बैंकर
BANKERS

कार्पोरेशन बैंक	आई डी बी आई बैंक
Corporation Bank	IDBI Bank

विषय वस्तु / CONTENTS

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	पृष्ठ संख्या Page No.
1	निदेशक मण्डल Board of Directors	04
2	वरिष्ठ प्रबंधन Senior Management	06
3	निष्पादन विशेषताएँ - पिछले दशक Performance Highlights – The Past Decade	07
4	अध्यक्ष का वक्तव्य Chairman's Statement	10
5	निदेशकों की रिपोर्ट Directors' Report	17
6	प्रबंधन परिचर्चा व परिचलनों की समीक्षा Management Discussion & Review of Operations	41
7	कंपनी शासन Corporate Governance	66
8	लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम Audited Financial Statements	
	राजस्व खाता, लाभ व हानि खाता व तुलन पत्र Revenue Account, Profit & Loss Account & Balance Sheet	85
	वित्तीय विवरणों की अनुसूची (अनुसूची 1 से 15) Schedules to Financial Statements (Schedule 1 to 15)	92
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ (अनुसूची 16) Significant Accounting Policies (Schedule 16)	108
	लेखों पर टिप्पणियाँ (अनुसूची 17) Notes to Accounts (Schedule 17)	119
	मुख्य विश्लेषणात्मक अनुपात Key Analytical Ratios	143
	प्राप्तियाँ व भुगतान खाता Receipts & Payments Account	152
9	वित्तीय विवरणों पर प्रबंधन रिपोर्ट Management Report on Financial Statements	156
10	लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट Auditors' Report	161
11	नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ Comments of CAG	172
12	सेवा तंत्र Service Network	173

निदेशक मण्डल / BOARD OF DIRECTORS

श्रीमती गीता मुरलीधर
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीजीसी

Ms. Geetha Muralidhar
Chairman-cum-Managing Director, ECGC

डॉ सौरभ गर्ग
संयुक्त सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

Dr. Saurabh Garg
Joint Secretary, Department of Economic Affairs, MOF, GOI

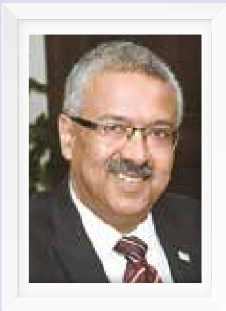

श्री यदुवेन्द्र माथुर
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय निर्यात आयात बैंक

Shri Yaduvendra Mathur
Chairman and Managing Director, Exim Bank of India

श्रीमती मीना हेमचन्द्र
कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
दि. 06.07.2015 से

Ms. Meena Hemachandra
Executive Director, RBI
From 06.07.2015

श्रीमती एलिस जी वैद्यन
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, जीआईसी
दि. 08.02.2016 से

Smt. Alice G. Vaidyan
Chairman-cum-Managing Director, GIC
From 08.02.2016

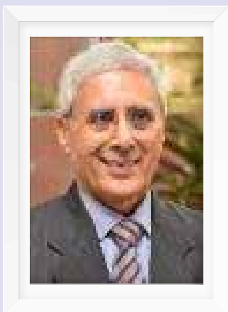

श्री एस. सी. रल्हन
अध्यक्ष, भारतीय निर्यातक संस्थाओं का महासंघ
दि. 16.06.2015 से

Shri S. C. Ralhan
President, Federation of Indian Export Organisations
From 16.06.2015

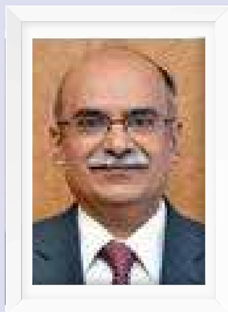

श्री एम संथिलनाथन
कार्यपालक निदेशक, ईसीजीसी
दि. 30.12.2015 से

Shri M. Senthilnathan
Executive Director, ECGC
From 30.12.2015

निदेशक मण्डल / BOARD OF DIRECTORS

श्री अरविंद मेहता
अपर सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
दि. 01.12.2015 तक

Shri Arvind Mehta
Additional Secretary,
Department of Commerce, MOC&I,GOI
Up to 01.12.2015

श्री गुरुप्रसाद मोहपात्रा
संयुक्त सचिव,
वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
दि. 01.12.2015 तक

Shri Guruprasad Mohapatra
Joint Secretary,
Department of Commerce, MOC&I,GOI
Up to 01.12.2015

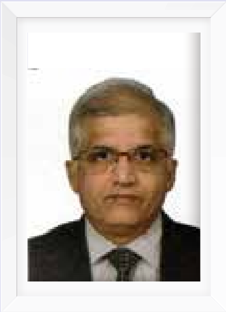

श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे
हेड-वित्त एवं लेखा और कानूनी और सचिवीय, टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड
दि. 30.09.2015 तक

Shri Ajay Murlidhar Ponkshe
Head-Finance & Accounts and Legal &
Secretarial, Tata International Ltd.
Up to 30.09.2015

श्री चंदन सिन्हा
कार्यकारी निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक
दि. 17.06.2015 तक

Shri Chandan Sinha
Executive Director, RBI
Up to 17.06.2015

श्री ए के रॉय
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक जीआईसी
दि. 31.07.2015 तक

Shri A. K. Roy,
Chairman-cum-Managing Director, GIC
Up to 31.07.2015

वरिष्ठ प्रबंधन / SENIOR MANAGEMENT

श्रीमती गीता मुरलीधर, अ. प्र. नि.
Ms. Geetha Muralidhar, CMD

श्री एम सेंथिलनाथन, कार्यपालक निदेशक
Shri. M Senthilnathan, Executive Director

महाप्रबंधक / GENERAL MANAGERS

1. श्री संदीप मुखर्जी
2. श्री मनोज कुमार
3. श्री धर्मराजन वी
4. श्रीमती पद्मावती आर
5. श्रीमती तापसी डे
6. श्री सी एन ए अन्बरसन
7. श्री सुनील जोशी

1. Shri Sandeep Mukherjee
2. Shri Manoj Kumar
3. Shri. Dharmarajan V
4. Smt. Padmavathy R
5. Smt. Tapasi De
6. Shri C N A Anbarasan
7. Shri Sunil Joshi

उप महाप्रबंधक / DEPUTY GENERAL MANAGERS

1. श्री पी एल ठाकुर
2. श्री दीपक पी तुंगारे
3. श्रीमती वसन्ता श्रीनिवास
4. श्री निर्दोष चोपड़ा
5. श्री बलबीर सिंह मान
6. श्री राजीव पी मानवी
7. श्री शिवाजी नार्वेकर
8. श्री उदय शेट्टी
9. श्रीमती स्मिता वी पंडित
10. श्री पी एस मुरली
11. श्री डी वी एस साईरमन
12. श्री ईशनाथ झा
13. श्री वी बी सावर्डेकर
14. श्रीमती ज्योति एस जोशी
15. श्री जयप्रकाश मेनन
16. श्री वी एल पाठक
17. श्री उत्तम मुखर्जी
18. श्री जे के महापात्रा
19. श्री एन सुब्रमणियन
20. श्री सृष्टिराज अंबस्था
21. श्री सुबीर कुमार दास

1. Shri P L Thakur
2. Shri Deepak P. Tungare
3. Smt. Vasantha Srinivas
4. Shri Nirdosh Chopra
5. Shri Balbir Singh Maan
6. Shri Rajiv P Manavi
7. Shri Shivaji Narvekar
8. Shri Uday Shetty
9. Smt. Smita V. Pandit
10. Shri P.S. Murali
11. Shri D V S Sai Raman
12. Shri Ishanath Jha
13. Shri V B Savardekar
14. Smt. Jyoti S. Joshi
15. Shri Jayaprakash Menon
16. Shri V L Pathak
17. Shri Uttam Mukherjee
18. Shri J K Mahapatra
19. Shri. N. Subramanian
20. Shri Sristiraj Ambastha
21. Shri Subir Kumar Das

निष्पादन विशेषताएँ-पिछला दशक / PERFORMANCE HIGHLIGHTS - PAST DECADE

(₹ करोड़) (₹ crores)

वर्ष / YEAR	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07
संरक्षित कारोबार का मूल्य VALUE OF BUSINESS COVERED										
अल्पावधि पॉलिसियाँ* Short Term Policies*	1,35,871.97	1,33,983.00	1,31,343.62	1,26,100.41	1,19,621.00	93,127.40	85,686.85	68,870.85	52,766.57	50,505.03
अल्पावधि ईसीआईबी** Short Term ECIB**	1,27,534.80	1,38,555.00	1,38,149.89	1,33,250.78	1,20,118.65	3,31,758.29	2,71,273.95	2,61,731.51	1,82,766.16	3,75,260.82
मध्यम और दीर्घावधि रक्षाएँ Medium & Long Term Covers	5,979.06	7,652.00	9,762.82	10,160.31	6,886.48	7,002.65	6,767.51	4,855.11	4,344.09	3,074.95
कुल / Total	**2,69,385.83**	**2,80,190.00**	**2,79,256.33**	**2,69,511.50**	**2,46,626.13**	**4,31,888.34**	**3,63,728.31**	**3,35,457.47**	**2,39,876.82**	**4,28,840.80**
प्रीमियम आय PREMIUM INCOME										
अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies	382.99	383.87	388.57	360.68	355.89	333.66	289.43	246.71	205.38	192.82
अल्पावधि ईसीआईबी Short Term ECIB	910.64	942.29	869.68	751.72	601.82	510.57	486.78	464.18	429.76	396.69
मध्यम और दीर्घावधि रक्षाएँ Medium & Long Term Covers	27.10	36.24	45.48	44.85	47.12	41.23	36.79	33.79	33.23	28.15
कुल / Total	**1,320.73**	**1,362.40**	**1,303.73**	**1,157.25**	**1,004.83**	**885.46**	**813.00**	**744.68**	**668.37**	**617.66**
प्रदत्त दावे CLAIMS PAID										
अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies	127.32	126.98	109.29	113.69	87.03	160.90	270.02	217.23	134.15	125.92
अल्पावधि ईसीआईबी Short Term ECIB	995.52	462.85	639.55	396.61	626.00	459.63	371.70	234.19	285.86	245.14
मध्यम और दीर्घावधि रक्षाएँ Medium & Long Term Covers	-	-	148.65	38.20	-	-	-	-	-	1.20
कुल / Total	**1,122.84**	**589.83**	**897.49**	**548.50**	**713.03**	**620.53**	**641.72**	**451.42**	**420.01**	**372.26**
की गई वसूलियाँ RECOVERIES MADE										
अल्पावधि पॉलिसियाँ Short Term Policies	7.80	9.61	5.76	7.40	6.31	9.27	16.33	56.97	8.46	5.11
अल्पावधि ईसीआईबी Short Term ECIB	106.06	142.52	144.53	104.71	152.59	110.65	110.87	151.29	133.88	151.72
मध्यम और दीर्घावधि रक्षाएँ Medium & Long Term Covers	0.18	8.02	8.02	8.42	9.74	16.14	6.40	0.32	14.71	53.37
कुल / Total	**114.04**	**160.15**	**158.31**	**120.53**	**168.64**	**136.06**	**133.60**	**208.58**	**157.05**	**210.20**

नोट / Note :

* घोषणा आधारित पॉलिसियों व जोखिम आधारित पॉलिसियों के अंतर्गत जोखिम शामिल हैं । वित्तीय वर्ष 2011-12 व उसके बाद के लिए जोखिम आधारित पॉलिसियों के अंतर्गत संरक्षित कारोबार का मूल्य प्रत्येक पॉलिसी के लिए निर्धारित कुल हानि सीमा पर अनुमानित मूल्य है तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 तक के लिए निर्यात व्यापार का अनुमान है।

* Comprises exposure under declaration based policies & exposure based policies. Value of business covered under exposure based policies for FY 2011-12 and onwards is the value estimated based on Aggregate Loss Limit fixed for each policy and that for years till FY 2010-11, the estimate of export turnovers.

** वित्तीय वर्ष 2011-12 व उसके बाद के लिए निगम द्वारा सुरक्षा प्राप्त बैंकों द्वारा स्वीकृत सीमाओं के अंतर्गत औसत बकाया दर्शाता है तथा यह सीमा 2010-11 तक स्वीकृत है।

** Represents average outstanding under the limits sanctioned by banks which are covered by the Corporation for the financial years 2011-12 and onwards and the limits sanctioned till FY 2010-11.

निष्पादन विशेषताएँ 2015 - 16 / PERFORMANCE HIGHLIGHTS 2015 - 16

उत्पाद समूह हिस्सेदारी / Product Group Contribution

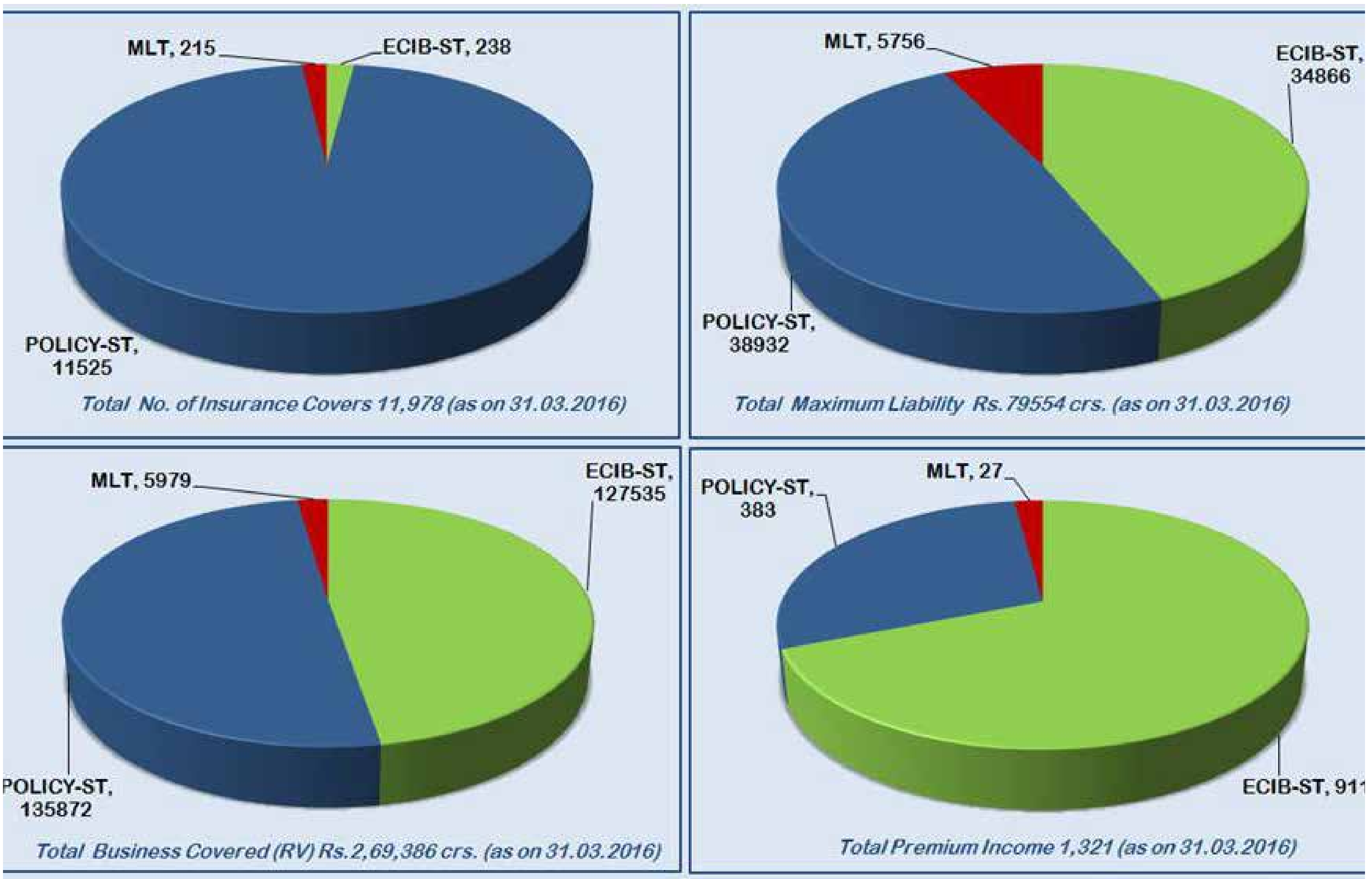

- म व दी अ - मध्यम तथा दीर्घावधि / MLT - Medium and long term
- ई सी आई बी अल्पावधि - बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा - अल्पावधि / ECIB-ST - Exprot Credit Insurance For Banks - Short Term
- पॉलिसी - अ व - पॉलिसी अल्पावधि / Policy - ST - Policy Short Term

दिनांक 14.09.2015 को भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी द्वारा निगम के अप्रनि को वर्ष 2014-15 के दौरान राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु गृह मंत्रालय के राजभाषा कीर्ति पुरस्कार- द्वितीय प्रदान किया गया।

Hon'ble President of India Shri Pranab Mukhajree presented the Rajbhasha Kirti Puraskar of Ministry of Home affairs for securing 2nd Place in Excellent Implementation of Official Language Policy during FY 2014-15 to CMD on 14.09.2015

अध्यक्ष का वक्तव्य
Chairman's Statement

विश्व व्यापार

अंतर्राष्ट्रीय सीमापार कारोबार में वस्तुओं के मूल्य में निरंतर गिरावट के चलते वैश्विक व्यापार को अवरोधों का सामना करना पड़ा है। हालांकि, वर्ष 2015 के दौरान वैश्विक वस्तु कारोबार की मात्रा में 2.7% की वृद्धि दर्ज की गई, चालू डॉलर मूल्य शर्तों में 13% की गिरावट का मुख्य कारण वस्तुओं के मूल्य में कमी तथा डॉलर मूल्य की मजबूती है।

सम्पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिए चिंता का विषयों में, वित्तीय संकट के नियमित प्रभाव के अतिरिक्त, विभिन्न क्षेत्रों में दुनिया भर में प्रतिकूल घटनाक्रम, क्षेत्रीय राजनीति की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। असुरक्षा एवं अनिश्चितताओं के होते हुए भी, आर्थिक प्रगति में देशों की एक दूसरे पर निर्भरता,

WORLD TRADE

World trade seems to have hit a plateau with the continuous fall in value of goods crossing the international borders. Though the volume of world merchandise trade grew by 2.7% in 2015, the value in current dollar terms was down by 13% mainly due to low commodity prices and a stronger dollar itself.

Amongst the areas of concern for all international businesses, the geopolitics, the array of adverse developments across the globe in various regions is significant apart from the lingering effects of the financial crisis. Despite the insecurities and unpredictabilities, the interdependence of countries in economic progress, is only getting reinforced.

The world is getting more challenging and complex to do business as the share of the emerging countries in the growth of world economy increases. In spite of the reported excessive financial leverage across regions leading to a high level of debt, only the engines of the emerging markets in Asia, Africa, etc., will drive the world economy.

The forecast for world trade is that it would follow the same trend of 2015. Exports of both developed and developing countries are expected to grow at almost the same rate. Asia is expected to record a faster growth than other regions. However, the Euro area's weak and unstable recovery with BREXIT, the threat of migrant refugees and GREXIT, augur an immediate and subdued future for world trade as Europe continues to be one of the largest export destinations for rest of the world.

INDIA'S EXPORTS

Consistent with the extent of decline in world trade, India's exports for April-March [15-16] too registered a decline of 15% with non -petroleum export being in line with the trend observed in major economies like USA, China, Japan etc. In fact the non - petroleum exports during the year declined only by 8.5%. Exports of goods and services in real terms dropped by only 5.2%. USA and Europe will continue to remain important destinations with a share of 40%, with fitful signs of recovery being noticed. Simultaneously, other diversified destinations are evolving based on the future sources of demand, together with the regional trade

सुदृढ़ होती रही।

उभरते हुए देशों की विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ती हुई हिस्सेदारी के चलते विश्व के लिए कारोबार करना अधिक चुनौतीपूर्ण एवं जटिल हो रहा है। क्षेत्रों के बीच अत्यधिक वित्तीय लिवरेज दर्ज करने के बावजूद , केवल एशिया, अफ्रीका आदि के उभरते हुए बाज़ार ही विश्व अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करेंगे।

विश्व व्यापार के लिए पूर्वानुमान यह हैं कि इसकी प्रवृत्ति वर्ष 2015 के अनुरूप ही रहेगी। विकसित एवं विकासशील दोनों देशों के निर्यातों में समान दर की वृद्धि संभावित है अन्य क्षेत्रों की तुलना में एशिया द्वारा तीव्र वृद्धि प्राप्त करने की उम्मीद है। तथापि, यूरोपीय देशों का शेष विश्व के लिए बड़ा निर्यातक गंतव्य होने के कारण, ब्रेक्जिट के साथ यूरो क्षेत्रों के कमजोर एवं अस्थिर सुधार, प्रवासी शरणार्थियों एवं ग्रेक्जिट का भय, वर्तमान एवं भावी विश्व कारोबार के लिए अशुभ संकेत हैं।

भारत के निर्यात

विश्व व्यापार में गिरावट की सीमा के अनुरूप, अप्रैल से मार्च (15-16) के दौरान गैर-पेट्रोलियम निर्यातों सहित भारत के निर्यातों में भी , प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं जैसे अमेरिका, चीन, जापान आदि की अनुरूप ही, 15% की गिरावट दर्ज की गई। वास्तव में, वर्ष के दौरान गैर पेट्रोलियम निर्यातों में मात्र 8.5% की गिरावट दर्ज की गई। वस्तुतः वस्तु एवं सेवाओं के निर्यातों में केवल 5.2% की गिरावट दर्ज की गई। 40% के हिस्सेदारी के साथ तथा सुधार के अस्थिर संकेतों के साथ अमेरिका एवं यूरोप महत्वपूर्ण गंतव्य स्थल बने रहे । साथ ही साथ , निरूपित किए जाने वाले क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के साथ मांग के भावी स्रोतों के आधार पर विविध गंतव्य स्थल भी उभर रहे हैं।
भारत के विविध वस्तु निर्यातों में मूल्य की दृष्टि से गिरावट दर्ज की गई परंतु अधिकतर क्षेत्रों में बाहर भेजे गए पोतलदानों की मात्रा में वृद्धि हुई। निर्यातों की गिरती प्रवृत्ति लगभग रुक गई है एवं सकारात्मक रुझान संभावित हैं । परंतु, उतार चढ़ाव, प्रतिस्पर्धा एवं विभिन्न संभावित जोखिमों की वजह से चुनौतियाँ बनी रहेंगी।

ईसीजीसी का योगदान

पिछले 59 वर्षों (परिचालन के 60वें वर्ष में प्रवेश करते समय) की तुलना में संकट की वर्तमान स्थिति के दौरान ईसीजीसी की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, जारी एवं नवीनीकृत अल्पावधि ऋण बीमा पॉलिसियों की संख्या पिछले वर्ष के 9160 की तुलना में 10516 रही। चालू अल्पावधि पॉलिसियों की कुल संख्या पिछले वर्ष के 11,236 की तुलना में 11,525 रही। कुल रक्षित कारोबार पिछले वर्ष के 1,33,983 करोड़ रु के की तुलना में 1,35,872 करोड़ रु रहा। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रक्षाओं की अधिक संख्या से निर्यातकों के लिए बीमित पोतलदानों के मूल्य में वृद्धि दर्ज गई।

agreements that are being formulated and pursued.

India's merchandise exports declined in value terms but the volume of out bound shipments did rise in most of the sectors. The downward spiral of exports has been almost checked and the trend is expected to turn positive. But the challenges remain on account of volatility, competition, and the multiple risks on the horizon.

ECGC'S CONTRIBUTION

ECGC's role for the last 59 years [while stepping into the 60th year of operations] cannot be more crucial and relevant in these testing times. During the financial year 2015-16, the total number of Short Term Export Credit Insurance policies issued and renewed were 10,516, as against 9160 during the previous year. The total number of Short Term Policies in force were 11,525 as against 11,236 of the previous year. Total business covered was Rs.1,35,872 crores as against Rs.1,33,983 crores of the previous year. Thus it can be concluded that the value of shipments insured for exporters did record a rise through more number of covers.

ECGC is privileged to support all government owned banks and 14 private banks in their export lending on whole turnover basis. The scenario as regards insurance for banks was not positive with the export credit outstandings covered having shrunk from Rs.1,38,555 to Rs.1,27,535 crores. Almost 1000 exporters were missing in the bank portfolio insured by us indicating the shrinkage in exports. The overall stress in the banking sector affected the export lending too. In fact the quick rise in NPAs was reflected in ECGC's claim outgo and provisioning too.

The medium and long term business also did not record a growth with the risk value covered going down by Rs.1670 crores to Rs.5979 crores only. The total number of covers went down to 111 from 129.

NEIA

The National Export Insurance Account (NEIA) is a trust managed by ECGC for supporting MLT exports to difficult countries over a long period of time. The primary objective is to ensure availability of credit risk cover for MLT high value projects which are desirable

ईसीजीसी को, सम्पूर्ण पण्यावर्त के आधार पर सरकार के स्वामित्व वाले सभी बैंकों एवं 14 निजी बैंकों को, उनके निर्यात ऋणों पर सहायता देने का विशेषाधिकार प्राप्त है। बैंकों के लिए बीमा के संबंध में परिदृश्य सकारात्मक नहीं था क्योंकि रक्षित निर्यात बकाया ऋण 1,27,535 करोड़ रु से घटकर 1,38,555 करोड़ रु हो गया। हमारे द्वारा बीमित बैंक पोर्टफोलियो में से लगभग 1000 निर्यातक गायब थे, जो निर्यातों में गिरावट को दर्शाता है। बैंकिंग क्षेत्र में समग्र तनाव ने निर्यात ऋण क्षेत्र को भी प्रभावित किया। एन पी ए में तीव्र वृद्धि ईसीजीसी के दावा व्यय एवं प्रावधानों में परिलक्षित हुई।

मध्यम एवं दीर्घावधि कारोबार भी में वृद्धि दर्ज नहीं गई जिसका रक्षित जोखिम मूल्य 1670 करोड़ रु की गिरावट के साथ केवल 5979 करोड़ रु रहा। कुल रक्षाओं की संख्या भी 129 से घटकर 111 रह गई ।

एन ई आई ए

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एन ई आई ए), संकटमय देशों में एम एल टी निर्यातों की सहायता के लिए एक ट्रस्ट है, जिसका प्रबंधन ईसीजीसी द्वारा लंबे समय से किया जाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य, ऐसी उच्च मूल्य की एम एल टी परियोजनाओं के लिए ऋण जोखिम रक्षा उपलब्ध करना है, जो राष्ट्रीय हित के लिए आवश्यक हैं। 31.03.2016 के अंत तक, सरकार के योगदान एवं अन्य आय जैसे प्रीमियम, ब्याज आदि सहित कुल कोष 2126.18 करोड़ रु था। सभी 44 रक्षाओं में, 7224.93 करोड़ रु की अधिकतम देयता (अदे) के साथ 31 परियोजनाएं लागू थीं जिनका सकल मूल्य 16,576.13 करोड़ रु था। ये परियोजनाएं विभिन्न देशों, अलजेरिया, रवांडा, इजिप्ट, ज़ाम्बिया, सेनेगल, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, इक्वाडोर, ब्राज़ील आदि में थीं। ईसीजीसी को, सरकार की रणनीति एवं प्राथमिकता के अनुरूप, ईरान में शुरू की गई चाबहार पोर्ट परियोजना का रक्षा प्रबंध करके इस प्रतिष्ठित पहल का हिस्सा बनने का गौरव प्राप्त है।

मुख्य विशेषताएँ

पिछले वर्ष के रिकॉर्ड 1122 करोड़ रु के लगभग दोगुने दावों का निपटान करना वर्ष का मुख्य बिन्दु रहा। बीमा कारोबार से लाभ 106.73 करोड़ रु रहा। निवेश आय सहित कर पश्चात लाभ 276.23 करोड़ रु रहा। सरकार द्वारा दिए गए 100 करोड़ रु की अतिरिक्त पूंजी एवं अतिरिक्त प्रारक्षितों सहित, कुल निवल मालियत बढ़कर 3279.35 करोड़ रु हो गई। निवेश कोष बढ़कर 7310 करोड़ रु. हो गया। श्री पी एम ए हकीम, भाप्रसे, भारत सरकार पूर्व सचिव एवं ईसीजीसी के पूर्व अप्रनि द्वारा निर्यात वृद्धि में ईसीजीसी की बढ़ती भूमिका पर अध्ययन रिपोर्ट वर्ष की मुख्य पहलों में से एक है। रिपोर्ट में वर्तमान उत्पादों परिष्कृत करने, नए कारोबार एवं सम्बद्ध कारोबार के नए अवसरों, चिंता के विभिन्न विषयों, सहायक कार्यों के लिए सिफ़ारिशें, कार्यनिष्पादन मॉनिरटिंग एवं भविष्य की योजनाएँ शामिल हैं।

from the point of national interest. As at the end of 31.03.2016, the total corpus was Rs. 2126.18 crores, consisting of the Government's contribution and other incomes like premium, interest, etc. In all 44 covers, with Maximum Liability (ML) of Rs. 7224.93 crores, were in force covering 31 projects with aggregate value of Rs. 16,576.13 crores. These projects were in various countries including Algeria, Rwanda, Egypt, Zambia, Senegal, Myanmar, Sri Lanka, Nepal Ecuador, Brazil, etc. ECGC is proud to be associated with the Chabahar port project by way of managing the cover for this prestigious initiative in Iran, in line with the government's strategy and priority.

HIGHLIGHTS

The highpoint of the year was record settlement of claims over Rs.1122 cr almost twice that of last year. The profit from insurance business was Rs.106.73 cr. The profit after tax after taking into account investment income was Rs.276.23 cr. After including the capital of Rs.100 cr provided by the Government and additional reserves, the total net-worth increased to Rs.3279.35 cr. The investment corpus climbed to Rs.7310 cr.

Notable among the initiatives of the year was the study report submitted by Mr.P.M.A.Hakeem, IAS, former Secretary to Government of India and former CMD of ECGC on enhancing the role of ECGC for enabling expansion of exports. The report covered refining of existing offerings, new lines of business and allied businesses, various issues of concern, recommendations for support functions, performance monitoring and the future plan. In all there were 33 recommendations with 81 actionable points. This report is the guiding manual for focussing on the mandate of export promotion and for ensuring a level playing field for Indian exporters.

The immediate outcomes have been the reduction in premium rates to the extent of an average of 17% for exporters, rationalisation of various discounts , liberalised procedure for claim settlements, IRDA's approval for 'use and file' procedure for new products and modifications in existing products etc.

In the international front ECGC has twice chaired the meeting of the regional co-operation group [RCG], the Asian agencies of Berne Union, an association

कुल मिलाकर 33 सिफ़ारिशों सहित 81 कार्रवाई किए जाने योग्य बिन्दु थे। यह रिपोर्ट निर्यात संवर्धन को अनिवार्य बनाते हुए भारतीय निर्यातकों को समान सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मार्गदर्शक मैनुअल है।

इसके त्वरित परिणामों में निर्यातकों के लिए प्रीमियम में औसत 17% तक की कमी, विभिन्न छूटों को युक्तिकरण, दावा प्रक्रिया को उदार बनाया गया, नए उत्पादों हेतु आई आर डी ए आई से "फ़ाइल और प्रयोग" प्रक्रिया का अनुमोदन, एवं वर्तमान उत्पादों में संशोधन शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईसीजीसी द्वारा दो बार क्षेत्रीय सहयोग संगठन समूह (आर सी जी), बर्न यूनियन की एशियन एजेंसी, जो कि 73 देशों की ऋण बीमा एवं निर्यात ऋण एजेंसियों का संगठन है, की बैठक की अध्यक्षता की गई है। ईसीजीसी बर्न यूनियन की प्रबंधन समिति का भी सदस्य बन गया है। ईसीजीसी को एस पी आई ई एफ (सेंट पीटरबर्ग इंटरनेशल इकनॉमिक फॉरम) में एक सेशन ब्रिक्स ई सी ए की भूमिका में पेनल सदस्य के रूप में भी आमंत्रित किया गया था। निर्यात ऋण बैठकों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्य समूह में भागीदारी से निर्यात ऋण मानकों में होने वाली वार्ता में परिवर्तनों पर नजर रखने में सहायता मिलती है। वर्ष के दौरान, तुर्की, जर्मनी एवं श्रीलंका में हमारे समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें एवं कार्यशाला आयोजित की गईं।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व [सी एस आर]

ईसीजीसी द्वारा, भारत सरकार के स्वच्छ भारत कोष के लिए 11 करोड़ रु एवं स्वच्छ गंगा कोष के लिए 50 लाख रु की राशि का योगदान दिया गया। कंपनी द्वारा मुंबई नगर निगम के एम वार्ड में सुविधा वंचित छात्रों के समग्र विकास हेतु 24.88 लाख रु की लागत से 5 सामुदायिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की गई। कंपनी द्वारा एम वार्ड मुंबई में 148 दिव्यांग छात्रों एवं 600 सुविधा वंचित छात्रों हेतु छात्रवृत्ति कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। इसके अतिरिक्त, साइंस एंड टेक्नालोजी पार्क (एस टी पी), पुणे की सहायता से दो परियोजनाएं शुरू की गईं, पहली नांदेड़ जिले के गाँवों में छात्रों को 78.61 लाख रु की लागत से सोलर लालटेन प्रदान करना एवं दूसरी पालघर जिले के गाँवों में 132.32 लाख रु की लागत से पीने योग्य स्वच्छ जल उपलब्ध करना है। कंपनी द्वारा स्वास्थ्य रक्षा एवं अन्य सामाजिक कार्यों में भी इस क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों की सहायता से 18.73 लाख रु की सहायता प्रदान की है।

राजभाषा

भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा कंपनी को राजभाषा कीर्ति द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कंपनी को यह पुरस्कार 19वीं बार प्राप्त हुआ है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा भी कंपनी को राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन

of credit insurers and export credit agencies from 73 countries. ECGC also became a member of the Management Committee of Berne Union. ECGC was also invited as a panel member in the BRICS ECAs' role in a session in SPIEF [St.Petersburg International Economic Forum]. The participation in the International Working Group on Export Credit meetings enables us to keep a close watch on the developments regarding the negotiations for export credit standards. During the year, bilateral meetings and workshops were held with our counterparts in Turkey, Germany and Sri Lanka.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY [CSR]

ECGC contributed Rs.11 crores to Swachh Bharat Kosh and Rs.50 lakhs to Clean Ganga Kosh of Government of India. The company has set up five community study centres in M Ward of Mumbai Municipal Corporation for the overall development of underprivileged students at a cost of Rs.24.88 lakhs. The company has also undertaken scholarship programme to support education of 148 differently abled and 600 underprivileged students in M Ward of Mumbai. Apart from this two projects in association with Science and Technology Park [STP], Pune have been taken up, one for providing solar lanterns for students in villages of Nanded district at a cost of Rs.79.61 lakhs and another for providing safe drinking water[Jal Dhoot] in the villages of Palghar district at a cost of Rs.132.32 lakhs. The Company has also supported health care and other social causes with the help of agencies working in this field at a cost of Rs.18.73 lakhs.

RAJBHASHA

The company has been honoured with the second prize of the Rajbhasha Kirti Puraskar by Honourable President of India. The company has been conferred this award for 19th time. The company has also been conferred the first prize for excellent implementation of Rajbhasha by the Ministry of Commerce and Industry and this award has been bagged by the company for 17th time. To accelerate the official use of Hindi, certain initiatives like "Rajbhasha Gaurav" and "Rajbhasha Utkarsh", various incentives are in vogue to encourage and motivate employees for furtherance of the use of Hindi in their daily official work.

हेतु प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कंपनी को यह पुरस्कार 17 वीं बार प्राप्त हुआ है। कार्यालय में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से "राजभाषा गौरव" एवं "राजभाषा उत्कर्ष" नामक योजनाएँ प्रारम्भ की गई हैं, साथ ही कार्यालय के दैनिक कार्यों में हिन्दी के प्रयोग हेतु कर्मचारियों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएँ प्रचलित हैं।

आभार प्रदर्शन

कंपनी, उन सभी निदेशकों जो निदेशक मण्डल में थे, के योगदान की आभारी है। श्री अरविंद मेहता, भाप्रसे, अपर सचिव, श्री चन्दन सिन्हा, कार्यपालक निदेशक, भारिबैं, श्री ए के रॉय, अप्रनि, जी आई सी एवं श्री मुरलीधर पोंक्षे, सी एफ ओ, टाटा इंटरनेशनल, जो निदेशक मण्डल में शामिल थे, एवं उनका कार्यकाल पूर्ण हो गया के सहयोग के लिए, आभारी है। श्रीमती मीना हेमचन्द्र, कार्यपालक निदेशक, भारिबैं, श्रीमती एलिस वैद्यन, अप्रनि, भा सा बी , ईसीजीसी के निदेशक मण्डल में शामिल हुए साथ ही श्री जी पी मोहपात्रा, भाप्रस, अपर सचिव शामिल हुए एवं पदोन्नति पर उन्होंने पद त्याग दिया। ईसीजीसी के निदेशक मण्डल में निदेशक के रूप में उनके मार्गदर्शन एवं सहायता सराहनीय है ।

हम अपने सभी निर्यातकों एवं बैंकर ग्राहकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिन्होंने जोखिम प्रबंधन से रक्षा हेतु एवं अपने कारोबार वृद्धि के लिए ईसीजीसी की सेवाएं प्राप्त की । हम, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय भारतीय रिजर्व बैंक एवं आई आर डी ए आई को विशेष धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमें निरंतर मार्गदर्शन एवं सहयोग दिया।

अपेक्षाएँ

ऐसा पाया गया है कि निर्यात संवर्धन के ईसीजीसी के मूल उद्देश्य के अनुपालन में कुछ नियम एवं विनियम अवरोध उत्पन्न करते हैं। मुख्य अवरोध मूल्य निर्धारण, उत्पाद प्रस्तुत करना, कार्यक्षेत्र में क्रॉस इमदाद, उत्पाद विशिष्ट अधिशेष, जोखिम मानदंड आदि से संबन्धित हैं। विभिन्न देशों में हमारे समकक्षों का क्षेत्र, केवल निर्यात को बढ़ावा, एस एम ई की सहायता एवं अपने निर्यातक ग्राहकों को प्रतियोगिता के समक्ष समान अवसर उपलब्ध करना ही है। वे आर्थिक चक्र से निरंतरता, स्थिरता एवं क्षमता भी सुनिश्चित करते हैं।

ईसीजीसी द्वारा भी अपने संरक्षक प्राधिकारियों के समक्ष इन सभी पहलुओं को उठाया गया है एवं बीमा विनियमों से, यदि पूर्णतया छूट नहीं तो, भी कुछ छूट की मांग की है। अपने हीरक जयंती वर्ष में, हम ईसीजीसीयंस, स्वयं को पुनःसमर्पित करते हैं एवं इसको महत्तम ऊंचाई तक ले जाने का संकल्प लेते हैं।

ACKNOWLEDGEMENTS

The company is grateful for the contributions of all the directors who had been on the board. The support extended by Shri Arvind Mehta, IAS, Additional Secretary, Shri.Chandan Sinha, Executive Director, RBI, Shri.A.K.Roy ,CMD,GIC and Shri. Ajay Murlidhar Ponkshe, CFO, Tata International are among the Directors whose terms concluded. Smt. Meena Hemachandra, Executive Director, RBI, Smt. Alice Vaidyan, CMD, GIC, have joined the board of ECGC. Shri. G.P. Mohapatra, IAS, Additional Secretary joined and also left on his elevation. His brief stint is appreciated for all the guidance and support extended as a Director on the Board of ECGC.

Our gratitude goes to all exporters and banker customers who used the services of ECGC in protecting themselves against the credit risks and in expanding their business. Our special thanks to the Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Ministry of External Affairs, Ministry of Finance, RBI and IRDAI for their continuous guidance and support.

FUTURE

It has been observed over time that certain regulations and compliances have constrained ECGC from carrying out its original mandate of export promotion. Major constraints are regarding pricing, product filing, cross subsidisation across verticals, product specific surplus, exposure norms,etc., In respect of our counterparts in various countries, the overall mandate is only to expand exports, support SMEs and level the playing field for their exporter clients as against competition. They also ensure consistency, stability and capacity through the economic cycle.

ECGC has also taken up with its guardian authorities all these aspects to seek forbearance, if not, full exemption from insurance regulations. In our diamond jubilee year, we ECGCeans re-dedicate ourselves and pledge to carry out our mandate to greater heights.

सहमति पत्र पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति श्री हसन रूहानी की उपस्थिति में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ईसीजीसी सुश्री गीता मुरलीधर और EGFI के सीईओ श्री सैयद कमल सैयद अली द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे

The MoU was signed by Chairman-cum-Managing Director of ECGC, Ms Geetha Muralidhar and Chairman and CEO of EGFI Mr. Seyed Kamal Seyed Ali in the presence of Indian Prime Minister Shri Narendra Modi and the Iranian President Shri Hassan Rouhani

निदेशकों की रिपोर्ट

Directors' Report

प्रिय सदस्यों,

ईसीजीसी लिमिटेड (ईसीजीसी) [पूर्व में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड] के निदेशक सहर्ष दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष (वि.व.) के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ कंपनी की 58 वीं रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं।

वित्तीय परिणाम

समीक्षाधीन अवधि के लिए आपकी कंपनी के वित्तीय परिणाम निम्नानुसार हैं :

(₹ लाख)

विवरण	2015-16	2014-15
पण्यावर्त	132072.97	136239.79
वित्तीय शुल्क, कर, मूल्यह्रास/परिशोधन पूर्व लाभ (पी बी आई टी डी ए)	39090.21	26240.78
घटाएँ : वित्तीय शुल्क	-	-
मूल्यह्रास/परिशोधन पूर्व लाभ (पी बी टी डी ए)	39090.21	26240.78
घटाएँ : मूल्यह्रास	354.23	724.40
कराधान पूर्व निवल लाभ (पी बी टी)	38735.98	25516.38
कराधान हेतु प्रावधान	11113.31	7506.82
कराधान के उपरांत लाभ/ (हानि) (पी ए टी)	27622.67	18009.56
प्रस्तावित लाभांश हेतु प्रावधान	6500.00	4800.00
लाभांश कर	1323.25	982.78

31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने सकल प्रीमियम में 3.06% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की। पिछले वर्ष के दौरान ₹1,362.40 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी ने ₹1,320.73 करोड़ का सकल प्रीमियम अर्जित किया। पुनर्बीमा अर्पण तथा असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधियों के समायोजन के उपरांत वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए अर्जित प्रीमियम (निवल) के आंकड़े गत वर्ष के ₹1019.27 करोड़ की तुलना में गिरावट दर्ज करते हुए ₹978.94 करोड़ (-3.96% की वृद्धि) रहे ।

Dear Members,

The Directors of ECGC Limited (ECGC) [formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.] are pleased to present the 58th Annual Report of the Company, together with the audited financial statements, for the Financial Year (FY) ended on March 31, 2016.

FINANCIAL HIGHLIGHTS

Your Company's financial highlights for the period under review are given below:

(Rupees in Lakhs)

Particulars	2015-16	2014-15
Turnover	132072.97	136239.79
Profit Before Finance Charges, Tax, Depreciation/ Amortization (PBITDA)	39090.21	26240.78
Less : Finance Charges	-	-
Profit before Depreciation/ Amortization (PBTDA)	39090.21	26240.78
Less : Depreciation	354.23	724.40
Net Profit Before Taxation (PBT)	38735.98	25516.38
Provision for Taxation	11113.31	7506.82
Profit/(Loss) After Taxation (PAT)	27622.67	18009.56
Provision for Proposed Dividend	6500.00	4800.00
Dividend Tax	1323.25	982.78

The performance of the Company during the FY ended March 31, 2016, registered a negative growth of 3.06% in Gross Premium. The Gross Premium earned by the Company during the FY 2015-16 was ₹1,320.73 Crore against ₹1,362.40 Crore during the previous FY. Post adjustment of Reinsurance Cession and Reserve for un-expired risks, the premium earned (Net) for the FY 2015-16, decreased to ₹978.94 Crore, against ₹1019.27 Crore for the previous FY (-3.96% growth).

खंडवार प्राप्त सकल प्रीमियम (₹ करोड़)
Segment-wise Gross Premium Recieved (₹ crores)

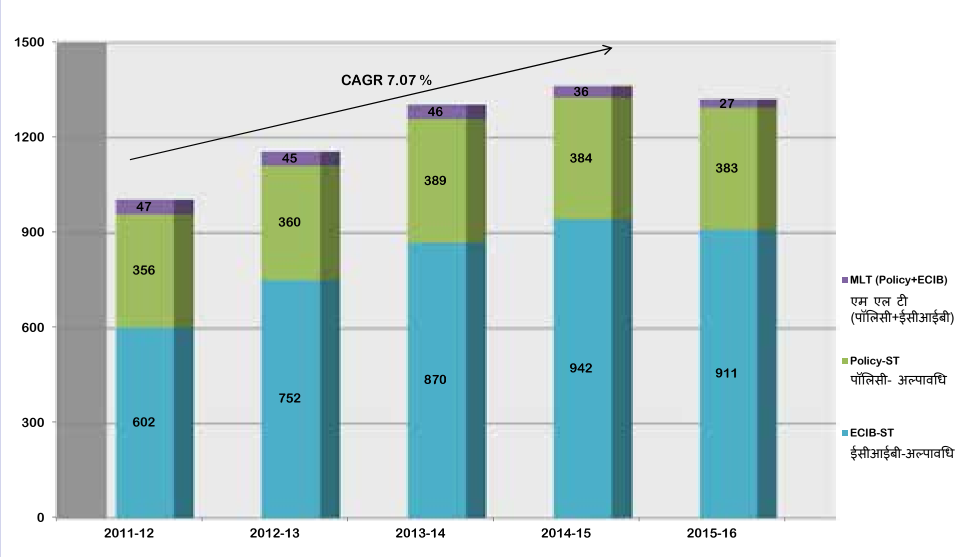

* सी ए जी आर : संचयी वार्षिक वृद्धि दर; एम एल टी : मध्यम एवं दीर्घावधि; ईसीआईबी : बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा; एस टी : अल्पावधि

* CAGR : Compounded Annual Growth Rate; MLT : Medium and Long Term; ECIB : Export Credit Insurance for Banks; ST : Short Term

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी द्वारा अदा किए गए कुल दावे ₹589.83 करोड़ से बढ़कर ₹1122.84 करोड़ हुए। पुनर्बीमाकर्ताओं की हिस्सेदारी, वसूलियों और प्रावधानों के समायोजन के उपरांत वहन किए गए दावों में पिछले वर्ष के दौरान ₹1163.50 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹1000.62 करोड़ की गिरावट हुई । निवेश और अन्य आय पिछले वित्तीय वर्ष के ₹546.38 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 में 16.60%. की वृद्धि करते हुए ₹637.10 करोड़ हो गई।

लाभ और विनियोजन

प्रचालनों से कुल आय पिछले वित्तीय वर्ष के ₹1316.84 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 में 1.41% बढ़कर ₹1335.36 करोड़ हो गई । कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, पिछले वर्ष के ₹5.66 करोड़ के प्रचालन लाभ की तुलना में ₹106.73 करोड़ का प्रचालन लाभ अर्जित किया। पिछले वर्ष के ₹255.16 करोड़ के कर पूर्व लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान रु ₹387.36 करोड़ का कर पूर्व लाभ (पी बी टी) हुआ । वर्ष के दौरान ₹119.02 करोड़ रु के आय कर और पूर्व अवधि समायोजन का प्रावधान करने के बाद पिछले वित्तीय वर्ष के ₹180.10 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 में विनियोजन के लिए करोत्तर लाभ (पी ए टी) ₹276.23 करोड़ उपलब्ध रहा।

लाभांश

निदेशन मण्डल प्रत्येक रु 100 के बारह इक्विटी शेयरों पर प्रति इक्विटी शेयर रु 5/- के पूर्ण और अंतिम लाभांश की सहर्ष सिफ़ारिश करता है, जो ₹65 करोड़ होता है। कुल लाभांश उस पर लाभांश वितरण कर के साथ ₹78.23 करोड़ होगा जो ₹276.19 करोड़ के करोत्तर लाभ (पी ए टी) का 28.32% का पे आउट अनुपात निरूपित करता है।

During the FY 2015-16, the total claims paid by the Company increased from ₹589.83 Crore to ₹1122.84 Crore. After adjusting for reinsurers' share, recoveries and provisions, the incurred claim decreased for the FY 2015-16 to ₹1000.62 Crore against ₹1163.50 Crore for the previous FY. Investment and other income have increased to ₹637.10 Crore in FY 2015-16 up from ₹546.38 Crore in the previous FY by 16.60%.

PROFITS AND APPROPRIATIONS

During the FY 2015-16, total income from operations grew by 1.41% to ₹1335.36 Crore from ₹1316.84 Crore in the previous FY. During the FY 2015-16, the Company posted an Operating Profit of ₹106.73 Crore compared to an Operating Profit of ₹5.66 Crore during the previous FY. During the FY 2015-16, Profit Before Tax (PBT) was ₹387.36 Crore, against ₹255.16 Crore in the previous FY. After providing ₹119.02 Crore towards income tax and prior period adjustments, Profit After Tax (PAT) available for appropriation in the FY 2015-16 was ₹276.23 Crore, against ₹180.10 Crore in the previous FY.

DIVIDEND

The Board of Directors are pleased to recommend a full and final dividend of ₹5 per Equity Share on the Thirteen Crore Equity Shares of ₹100 each, amounting to ₹65 Crore. The total dividend, along with the dividend distribution tax thereon, amounts to ₹78.23 Crore, representing a pay-out ratio of 28.32% of the PAT of ₹276.19 Crore.

दिनांक 16.08.2016 को वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) माननीया श्रीमती निर्मला सीतारमन को लाभांश के रूप में 65 करोड़ रु का चेक प्रदान करते हुए कार्यपालक निदेशक साथ में सुश्री रीता तेवतिया, भाप्रसे, वाणिज्य सचिव, श्री जे के दादू, भाप्रसे अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, श्री सुनील कुमार, भाप्रसे, वाणिज्य विभाग भी उपस्थित थे।

ED Presenting the Divident Cheque of 65 crore for FY 2015-16 to Ms Nirmala Sitaraman, Hon'ble Minister of state for Commerce & Industries (independed charge) on 16.08.2016.Ms Rita Teotia, IAS, Commerce Secretary, Shri J K Dadoo, IAS Additional Secretary and Finance Advisor, Shri Sunil Kumar, IAS, JS/DOC were also present.

प्रारक्षित निधियाँ

दिनांक 18 मई 2016 को सम्पन्न बोर्ड ने अपनी 403 वीं बैठक में ₹190.39 करोड़ सामान्य प्रारक्षित निधि रखना प्रस्तावित किया है।

अदावी लाभांश को निवेशक शिक्षण व संरक्षण निधि में अंतिरित करना

चूंकि पिछले वर्ष कोई अदत्त/अदावी लाभांश घोषित व अदा नहीं किया गया, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के उपबंध लागू नहीं होते ।

शेयर पूंजी

31 मार्च 2016 को कंपनी का निवल मालियत 3279.35 करोड़ रु (31 मार्च 2015 को 2988.95 करोड़) है जिसमें 1300 करोड़ रु (वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान केंद्र सरकार से पूँजी में नवीनतम वृद्धि के रूप में प्राप्त 100 करोड़ रु सहित) की चुकता पूँजी व् 1979.35 करोड़ रु मूल्य की प्रारक्षित निधियां एवंम अधिशेष शामिल हैं।

RESERVES

The Board, at its 403rd Meeting, held on May 18, 2016, proposes to carry ₹190.39 Crore to General Reserve.

TRANSFER OF UNCLAIMED DIVIDEND TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND

Since there was no unpaid/unclaimed Dividend declared and paid last year, the provisions of Section 125 of the Companies Act, 2013 do not apply.

SHARE CAPITAL

As of March 31, 2016 the Company's Net Worth, comprising Paid-up Capital of ₹1,300 Crore (including ₹100 Crore received from the Central Government by way of fresh infusion of capital during FY 2015-16) and Reserves and Surplus of ₹1979.35 Crore, is ₹3279.35 Crore (₹2,988.95 Crore as on March 31, 2015).

श्री ए शक्तिवेल, तिरुपुर निर्यातक संघ के तत्कालीन अध्यक्ष चेन्नई दक्षिण शाखा का उदघाटन करते हुए
Shri A Sakthivel the then president of Tirupur Exporter Association inaugurating the Chennai south Branch.

क. प्रतिभूतियों की वापसी खरीद :

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी किसी भी प्रतिभूति की वापसी खरीद नहीं की है ।

ख. स्वेट इक्विटी

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई स्वेट इक्विटी शेयर जारी नहीं किया है ।

ग. बोनस शेयर्स

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई बोनस शेयर जारी नहीं किए हैं ।

घ. कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना

कंपनी ने अपने कर्मचारियों को कोई स्टॉक विकल्प योजना प्रदान नहीं की है ।

कंपनी के बहिर्नियम

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कंपनी के बहिर्नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया।

शोधन-क्षमता मार्जिन

31 मार्च 2016 को शोधन-क्षमता अनुपात, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई) के 1.5 गुना के मानदंड की तुलना में 9.79 गुना है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

विवरण	31.03.2016	31.03.2015
विनियमन के अंतर्गत अपेक्षित शोधन-क्षमता मार्जिन (आर एस एम) (करोड़ रु)	300.19	404.08
उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन (ए एस एम) (करोड़ रु)	2937.55	2672.46
शोधन-क्षमता अनुपात (कुल ए एस एम/आर एस एम)(गुना)	9.79	6.61

a. BUY BACK OF SECURITIES

The Company has not bought back any of its securities during the year under review.

b. SWEAT EQUITY

The Company has not issued any Sweat Equity Shares during the year under review.

c. BONUS SHARES

No Bonus Shares were issued during the year under review.

d. EMPLOYEES STOCK OPTION PLAN

The Company has not provided any Stock Option Scheme to the employees.

MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY

During the FY 2015-16 there was no change in the Memorandum of Association of the Company.

SOLVENCY MARGIN

The Solvency Ratio as on March 31, 2016, is 9.79 times, against the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDAI) norm of 1.5 times. The details are as under:

Particulars	31.03.2016	31.03.2015
Required Solvency Margin (RSM) under Regulations (₹Crore)	300.19	404.08
Available Solvency Margin (ASM) (₹ in Crore)	2937.55	2672.46
Solvency Ratio (Total ASM / RSM) (Times)	9.79	6.61

MAXIMUM LIABILITY

The Maximum Liability (ML) that the Company can underwrite at any point of time, as approved by the Government of India under Article 72(b) of the Articles of Association of the Company, remains unchanged at ₹1,00,000 Crore as of March 31, 2016. The ML as on March 31, 2016 was ₹79,553.83 Crore.

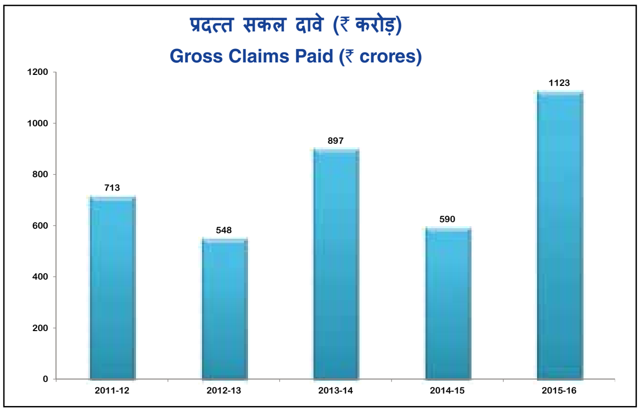

अधिकतम देयता

किसी भी समय कंपनी द्वारा बीमांकित की जा सकने वाली अधिकतम देयता (अ.दे.) भारत सरकार द्वारा कंपनी के संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 72(ख) के अंतर्गत अनुमोदित, 31 मार्च 2016 को रु 1,00,000 करोड़ अपरिवर्तनीय है । दिनांक 31 मार्च 2016 को अ.दे. ₹79,553.83 करोड़ थी।

निवेश

कंपनी के निवेश आई आर डी ए आई के विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं ।

प्रबंधन व्यय

संबन्धित नियमों के साथ पढ़े जाने वाले बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40 ग के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा वहन किए गए प्रबंधन व्यय, आई आर डी ए आई के 20.01% के मानदंड की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015-16 में सकल प्रीमियम आय के रूप में 14.46% (पिछले वर्ष 15.32%)रहा ।

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता ट्रस्ट (एन ई आई ए)

एन ई आई ए ट्रस्ट की स्थापना राष्ट्रीय हित के उद्देश्य से मध्यम एवं दीर्घावधि व उच्च मूल्य की परियोजनाओं को ऋण जोखिम सुरक्षा की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है । 31 मार्च 2016 तक विभिन्न परियोजना निर्यातकों के द्वारा, इक्वाडोर, अल्जीरिया, म्यांमार, ओमान, इथियोपिया, रवांडा, श्रीलंका, इजिप्त, मोज़ाम्बिक, जिम्बाब्वे ज़ाम्बिया, नेपाल, ब्राज़ील, तंजानिया, एवं सेनेगल आदि जैसे बाज़ारों में ₹16,576.13 करोड़ मूल्य के साथ 32 परियोजनाओं के लिए ₹7,224.93, की अधिकतम देयता के साथ 44 परियोजनाएं प्रभावी थी । 31 मार्च 2016 को ट्रस्ट के पास ₹2126.18 करोड़ की राशि थी, जिसे बैंकों में सावधि जमा में निवेश किया गया है ।

निदेशक मण्डल

कंपनी भारत सरकार की 100% के स्वामित्व वाली कंपनी है। कंपनी के संचालन , प्रबंधन व निदेशन के सभी अधिकार अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में निदेशक मण्डल के पास हैं । अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक

क्षेत्रीय प्रबन्धक , द क्षेत्र - II द्वारा , मक्का सी फूड इंडस्ट्रीज प्रा लि, मंगलूर को ₹ 7.71 करोड़ रु का पॉलिसी दावा चेक प्रदान करते हुए।
Regional Manager SR-II handing over Policy Claim cheque for Rs.7.71 crores to M/s. Mukka Sea Food Industries P Ltd, Mangalore.

INVESTMENT

The investments of the Company have been in conformity with the guidelines of the IRDAI.

MANAGEMENT EXPENSES

As per the Provisions under Section 40C of the Insurance Act, 1938 read with the relevant Rules, the management expenses incurred by the Company, as a percentage of the Gross Premium Income during the FY 2015-16, stand at 14.46% (previous FY 15.32%) against the IRDA norm of 20.01%.

NATIONAL EXPORT INSURANCE ACCOUNT TRUST (NEIA)

The NEIA Trust has been established with the objective of ensuring availability of credit risk cover for medium and long-term and high-value projects which are desirable from the point of view of national interest. As on March 31, 2016, 44 covers with a value of ₹7224.93 crores were in force covering 31 projects with aggregate value of ₹16576.13 crores, undertaken by various project exporters in markets such as Ecuador, Algeria, Myanmar, Oman, Ethiopia, Rwanda, Sri Lanka, Egypt, Mozambique, Zimbabwe, Zambia, Nepal, Brazil, Tanzania and Senegal etc. The Trust has a corpus of ₹2126.18 crores as of March 31, 2016, which has been invested in Term Deposits placed with banks.

BOARD OF DIRECTORS

The Company is 100% owned by the Government of India. The general powers of superintendence, direction and management of the affairs and business of the Company are vested in the Board of Directors, presided over by the Chairman-cum-Managing Director. All the Directors on the Board, other than the Chairman-cum-Managing Director and Executive Director, are

के अलावा निदेशक मण्डल के सभी निदेशक गैर कार्यपालक निदेशक होते हैं। अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक तथा कार्यपालक निदेशक सहित निदेशक मण्डल के सभी निदेशक भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान भारत सरकार द्वारा दो पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति की गयी थी, श्रीमती गीता मुरलीधर , कार्यपालक निदेशक / अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) ई सी जी सी लिमिटेड को दिनांक 23.06.2015 से अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया तथा श्री एम सैंथिलनाथन , महाप्रबंधक को दिनांक 30.12.2015 से कार्यपालक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान चार अंशकालिक निदेशकों यथा श्री अरविंद मेहता, अतिरिक्त सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, श्री चन्दन सिन्हा, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, श्री ए के रॉय, अ प्र नि, भारतीय सा बी नि तथा श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे, प्रमुख - वित्त व लेखा तथा विधि व सचिवालय, टाटा इंटरनैशनल लिमिटेड, का कंपनी के निदेशक के रूप में कार्यकाल समाप्त हुआ। चार अंशकालिक निदेशक यथा डॉ गुरूप्रसाद मोहपात्रा, संयुक्त सचिव, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, श्रीमती मीना हेमचन्द्र, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, श्रीमती एलिस जी वैद्यन, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, भा सा बी नि, तथा श्री एस सी रल्हन , अध्यक्ष भारतीय निर्यातक संगठन महासंघ को मण्डल में निदेशकों के रूप में शामिल किया गया।

इस रिपोर्ट की तारीख तक मण्डल के तेरह में से सात पद रिक्त हैं। इस रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा की जा रही है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी भी निदेशक का पुनर्चयन / पुनर्नियुक्ति नहीं की गयी।

निदेशकों की नियुक्ति , पारिश्रमिक भुगतान तथा उनके दायित्वों के निर्वाह से संबन्धित कंपनी की नीति

नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति के संविधान से संबन्धित धारा 178(1) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं अतः कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178(3) के अधीन प्रावधानों के अनुसार कंपनी द्वारा निदेशकों की नियुक्ति, प्रबंधकीय पारिश्रमिक के भुगतान, निदेशकों की योग्यता, सकारात्मक गुणों , निदेशकों की स्वतन्त्रता तथा अन्य संबन्धित मामलों के लिए किसी भी प्रकार की नीति का निरूपण नहीं किया गया है। मण्डल के सभी निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

वार्षिक विवरण

कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 92 के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक विवरण के उद्धरण इस रिपोर्ट के साथ अनुबंध के रूप में संलग्न हैं। (अनुबंध I)

Non-Executive Directors. All members of the Board, including the Chairman-cum-Managing Director and Executive Director are appointed by the President of India.

During the FY 2015-16, two Whole-Time Directors were appointed by the Government of India, Smt. Geetha Muralidhar, Executive Director/ Chairman-cum-Managing Director (Additional Charge), ECGC Limited was appointed as Chairman-cum-Managing Director w.e.f 23.06.2015, and Shri M. Senthilnathan, General Manager, was appointed as Executive Director w.e.f 30.12.2015.

During the FY 2015-16, four Part Time Directors viz., Shri Arvind Mehta, Additional Secretary, Department of Commerce, MOC&I, Shri Chandan Sinha, Executive Director, Reserve Bank of India, Shri A. K. Roy, CMD, GIC of India, and Shri Ajay Murlidhar Ponkshe, Head-Finance & Accounts and Legal & Secretarial, Tata International Ltd., ceased to be Directors of the Company. Four part-time Directors viz., Dr. Guruprasad Mohapatra, Joint Secretary MOC&I, Smt. Meena Hemchandra, Executive Director, Reserve Bank of India, Smt. Alice G. Vaidyan, Chairman-cum-Managing Director, GIC, and Shri S. C. Ralhan, President, Federation of Indian Export Organisation have been inducted on the Board.

As on the date of this Report, seven of the thirteen positions for Part-Time Directors on the Board remain vacant. The process of filling up these vacancies is being pursued with the Government of India.

There was no Director who got re-elected /re-appointed during the year under review.

COMPANY'S POLICY RELATING TO DIRECTORS APPOINTMENT, PAYMENT OF REMUNERATION AND DISCHARGE OF THEIR DUTIES

The provisions of Section 178(1) relating to constitution of Nomination and Remuneration Committee are not applicable to the Company and hence the Company has not devised any policy relating to appointment of Directors, payment of Managerial remuneration, Directors qualifications, positive attributes, independence of Directors and other related matters as provided under Section 178(3) of the Companies Act, 2013. All the Directors on the Board of the Company are appointed by the President of India.

स्वतंत्र निदेशकों की घोषणाएँ

जैसे कि हमारी कंपनी सूचीबद्ध / सार्वजनिक कंपनी नहीं है अतः स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबन्धित धारा 149 के प्रावधान इस कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आयोजित निदेशक मण्डल की बैठकों

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी के मण्डल की छः बैठकों का आयोजन किया गया।

लेखापरीक्षा समिति के विन्यास का प्रकटन तथा सतर्कता तंत्र का प्रावधान

लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :-

क्रसं	निदेशकों के नाम
1	**डॉ गुरूप्रसाद मोहपात्रा (11.02.2016 से सदस्य के रूप में नियुक्त)**
2	डॉ सौरभ गर्ग (10.11.2014 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
3	श्रीमती मीना हेमचन्द्र (15.07.2015 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
4	श्री यदुवेन्द्र माथुर (13.05.2014 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
5	श्रीमती एलिस जी वैद्यन (11.02.2016 से सदस्य के रूप में नियुक्त)
6	श्री एस सी रल्हन (11.02.2016 से सदस्य के रूप में नियुक्त)

उक्त लेखा परीक्षा समिति में स्वतंत्र निदेशकों यथा श्रीमती हेमा हेमचन्द्र, श्री यदुवेन्द्र माथुर, श्रीमती एलिस जी वैद्यन, तथा श्री एस सी रल्हन का बहुमत है।

कंपनी ने सतर्कता तंत्र स्थापित किया है तथा कर्मचारियों व अन्य निदेशकों द्वारा जताई गयी वास्तविक शंकाओं का लेखा परीक्षा समिति द्वारा समाधान किया जाता है

शंका जताने वाले कर्मचारियों तथा निदेशकों की उत्पीड़न से रक्षा हेतु कंपनी द्वारा उचित उपाय किए गए हैं। कंपनी ने, सह कर्मचारियों तथा कंपनी के हितों से संबन्धित मामलों की रिपोर्टिंग पर लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष से सीधे संपर्क का प्रावधान किया है।

ANNUAL RETURN

The extracts of Annual Return pursuant to the provisions of Section 92 read with Rule 12 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 is furnished in Annexure attached to this report (Annexure I).

DECLARATION OF INDEPENDENT DIRECTORS

The provisions of Section 149 pertaining to the appointment of Independent Directors do not apply to our Company as it is not a listed/ public Company.

NUMBER OF BOARD MEETINGS CONDUCTED DURING THE YEAR UNDER REVIEW

The Company had six Board meetings during the financial year under review.

DISCLOSURE OF COMPOSITION OF AUDIT COMMITTEE AND PROVIDING VIGIL MECHANISM

The Audit Committee consists of the following members

Sr. No.	Name of the Directors
1	Dr. Guruprasad Mohapatra (appointed as a Member since 11.02.2016)
2	Dr. Saurabh Garg (appointed as a Member since 10.11.2014)
3	Smt. Meena Hemchandra (appointed as a Member since 15.07.2015)
4	Shri Yaduvendra Mathur (appointed as a Member since 13.05.2014)
5	Smt. Alice G. Vaidyan (appointed as a Member since 11.02.2016)
6	Shri S. C. Ralhan (appointed as a Member since 11.02.2016)

The above composition of the Audit Committee consists of independent Directors viz., Smt. Meena Hemchandra, Shri Yaduvendra Mathur, Smt. Alice G. Vaidyan, and Shri S. C. Ralhan who form the majority.

The Company has established a vigil mechanism and oversees through the Audit Committee, the genuine concerns expressed by the employees and other Directors. The Company has also provided adequate safeguards against victimization of employees and Directors who express their concerns. The Company has also provided direct access to the Chairman of the

सहायक कंपनियाँ , संयुक्त उपक्रम अथवा सहयोगी कंपनियाँ

कंपनी की कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उपक्रम अथवा सहयोगी कंपनी नहीं है।

जमा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी प्रकार का जमा न तो स्वीकार किया है न ही नवीकृत किया है।

भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक वर्ष, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के साथ कंपनी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करती है। विभिन्न वित्तीय एवं गैर वित्तीय मापदण्डों के आधार पर पिछले तीन वर्षों में कंपनी का निष्पादन "उत्कृष्ट/ बहुत अच्छा/ अच्छा" की श्रेणी में रहा। ऐसी आशा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी का निष्पादन "बहुत अच्छा" दर्ज किया जाएगा।

संसद के समक्ष वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2014-15 की ईसीजीसी लिमिटेड (पूर्व में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड), मुंबई की वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षित लेखों तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ लोकसभा एवं राज्यसभा में क्रमशः 21 दिसंबर 2015 एवं 16 दिसंबर 2015 को प्रस्तुत की गई थी ।

कर्मचारियों का विवरण

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं परिलब्धियाँ) नियम, 2014 के नियम 5(2) व (3) के अंतर्गत कर्मचारियों का आवश्यक विवरण निम्न हैं :

(i) नाम : श्रीमती प्रिसिला सिन्हा

(ii) पद : महाप्रबंधक (नियुक्त बीमांकिक)

(iii) प्राप्त परिलब्धियाँ: 10.08.2015 से 31.03.2016 तक के लिए 38,61,643.84 रु (वार्षिक वेतन 60 लाख रु)

(iv) सेवा की प्रकृति : संविदा

(v) पात्रता एवं अनुभव : पात्रता: बी एस सी (सांख्यिकी), एम एस सी(सांख्यिकी), बीमांकिक तकनीकी में डिप्लोमा, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चूरीज़, यू के, फ़ेलो, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चूरीज़ ऑफ इंडिया अनुभव: पात्रता के बाद 10 साल का अनुभव

Audit Committee on reporting issues concerning the interests of co-employees and the Company.

SUBSIDIARIES, JOINT VENTURES AND ASSOCIATE COMPANIES

The Company does not have any Subsidiary, Joint venture or Associate Company.

DEPOSITS

The Company has neither accepted nor renewed any deposit during the year under review.

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU) WITH THE GOVERNMENT OF INDIA (GOI)

As per the guidelines issued by the Department of Public Enterprises every year, a Memorandum of Understanding (MOU) is signed with Department of Commerce and Industry, Government of India. Based on the assessment of various financial and non-financial parameters, the Company's performance has been rated as "Excellent/Very Good/Good" in the previous three years. The performance of the Company is expected to be rated "Very Good" for the FY 2015-16.

PLACING OF ANNUAL REPORT BEFORE THE PARLIAMENT

Annual Report of the ECGC Ltd (formerly 'Export Credit Guarantee Corporation of India Limited'), Mumbai, for the year 2014-15, along with Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon, was placed before the Lok Sabha and the Rajya Sabha on December 21, 2015, and December 16, 2015, respectively, in compliance with the requirements under Section 394 of the Companies Act, 2013.

PARTICULARS OF EMPLOYEES

Please find the details of employees as required under Rule 5(2) & (3) of Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014:

(i) Name: Smt. Priscilla Sinha

(ii) Designation : General Manager (Appointed Actuary)

(iii) Remuneration Received : ₹38,61,643.84 for 10.08.2015 to 31.03.2016 (Annual Compensation ₹60 Lakhs)

(iv) Nature of Employment : Contractual

(v) Qualification and experience: Qualification:

(vi) कार्य प्रारम्भ करने की तारीख : 10.08.2015

(vii) उम्र : 49 years

(viii) ऐसे कर्मचारियों द्वारा कंपनी में कार्यग्रहण करने से पूर्व नियोजन: नियुक्त बीमांकक , मैग्मा एच डी आई जनरल इन्श्‍ुरेंस कंपनी लिमिटेड

(ix) धारित इक्विटी शेयरों का प्रतिशत : कुछ नहीं

(x) क्या ऐसे कोई कर्मचारी कंपनी के निदेशक अथवा प्रबन्धक के रिश्तेदार हैं, यदि हाँ, उन निदेशक अथवा प्रबन्धक का नाम : नहीं

ग्राहक हित रक्षा तंत्र

कंपनी ने अपने ग्राहकों की शिकायत निवारण के लिए महाप्रबंधक के नेतृत्व में मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय में ग्राहक देख रेख कक्ष की स्थापना की है। कंपनी की शिकायत निवारण नीति कंपनी की वैबसाइट पर उपलब्ध है । नीति के अनुसार, अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय पर उच्च अधिकारी द्वारा पुनरीक्षण किया जाता है तथा शिकायत पर विभिन्न अधिकारियों/समितियों द्वारा चार बार विचार किया जा सकता है। कंपनी के प्रधान कार्यालय में वरिष्ठ कार्यपालकों की एक सर्वोच्च ग्राहक शिकायत समिति (ए सी जी सी) स्थापित की गई है, जो कि कंपनी में किसी ग्राहक की शिकायत के लिए अंतिम आंतरिक अपील-प्राधिकारी है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान समिति की सात बैठक हुई जिसमें 26 मामलों को निपटाया गया । वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान, तीन सदस्यीय स्वतंत्र समीक्षा समिति का गठन किया गया, जिसमें न्यायिक, बैंकिंग, तथा ऋण बीमा क्षेत्र के बाहरी विशेषज्ञ शामिल जिनकी वित्तीय वर्ष 2015-16 में तीन बैठके हुई व 10 आवेदनों को निपटाया गया।

कंपनी आई आर डी ए आई के केंद्रीयकृत संघटित शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सी आई जी एम एस) से जुड़ी है जिसमें ग्राहक सीधे लॉग ऑन कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं । ग्राहकों के पास आई जी एम एस अथवा कंपनी की वैबसाइट के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करने का विकल्प भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त कंपनी कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार एवं लोक्षिकायत विभाग द्वारा शिकायत पोर्टल के माध्यम अर्थात केंद्रीय लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सी पी जी आर ए एम एस) द्वारा प्रचालित शिकायत निवारण प्रणाली का भी एक हिस्सा है ।

वित्तीय वर्ष 2015-16 में कंपनी को 239 शिकायतें मिली और 177 आवेदन निपटाए गए व 31 मार्च 2016 तक 62 शिकायतें लंबित थी।

B.Sc. (Statistics), M. Sc. (Statistics), Diploma in Actuarial Techniques, Institute of Actuaries, UK, Fellow, Institute of Actuaries of India. Experience : 10 years post qualification experience

(vi) Date of Commencement of employment : 10.08.2015

(vii) Age : 49 years

(viii) The last employment held by such employee before joining the Company: Appointed Actuary, Magma HDI General Insurance Company Limited.

(ix) Percentage of equity share held : Nil

(x) Whether any such employee is a relative of any director or manager of the Company and if so, name of such director or manager: No

CUSTOMER CARE MECHANISM

The Company has set up a Customer Care Cell, situated at the Head Office at Mumbai and headed by a General Manager, for redressing grievances of its customers. The Customer Grievance Redressal Policy of the Company is placed on the Company's website. As per the Policy, the decisions taken by an official would be reviewed by a higher authority and the complaint can be dealt with four times by different officials / Committees. An Apex Customer Grievance Committee (ACGC), consisting of senior executives at Head Office, is the ultimate in-house Appellate Authority for any customer complaint in the Company. The Committee has met seven times and disposed of 26 cases during the FY 2015-16. A three-member Independent Review Committee has also been constituted during the FY 2013-14, consisting of external experts in the field of Judiciary, Banking and Credit Insurance, which met three times during FY 2015-16 and disposed of 10 applications.

The Company is linked to the Centralised Integrated Grievance Management System (CIGMS) of the IRDAI, which customers can directly log on to and lodge their complaints. Policyholders now have the option of registering their respective complaints either at the IGMS or through the Company₹s website. In addition, the Company is a part of the grievance redressal system operated by the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Administrative Reforms and Public Grievances, through a Grievance portal viz., the Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System (CPGRAMS).

ऊर्जा संरक्षण व प्रौद्योगिकी विलयन का विवरण

कंपनी(लेखा) नियमों के नियम 8(3) के साथ पढ़ी जाने वाली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के अनुसरण में सूचना, कंपनी के व्यवसाय के स्वरूप को देखते हुए, कंपनी द्वारा दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी का विदेशी मुद्रा अर्जन 0.15 करोड़ रु (पिछले वर्ष 12.21 करोड़ रु) था, जबकि इसी अवधि में मुख्यतः विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं को प्रीमियम का भुगतान करने के कारण विदेशी मुद्रा व्यय रु 146.60 करोड़ रु (पिछले वर्ष 107.99 करोड़ रु) था।

नियुक्त बीमांकिक

कंपनी ने आई आर डी ए आई के विधिवत अनुमोदन से परामर्श आधार पर नियुक्त बीमांकिक (ए ए) अनुबंधित किया है। सामान्य बीमा व्यापार के लिए नियुक्त बीमांकिक (ए ए) के कर्तव्य एवं दायित्व आई आर डी ए आई (नियुक्त बीमांकिक) के विनियमन 2000 के खंड (ख) विनियमन 8 के अंतर्गत यथा निर्धारित हैं । वित्तीय वर्ष 2012-13 में एक अलग "बीमांकन विभाग" का भी गठन किया गया जो, उपगत परंतु रिपोर्ट नहीं किए गए (आई बी एन आर)/ उपगत परंतु पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए (आई बी एन ई आर) अनुमानों, आस्ति देयता प्रबंधन, अपेक्षित दावा लागत अनुमान, वित्तीय स्थिति रिपोर्ट, आर्थिक पूंजी परिकलन, उत्पाद मूल्य पुनरीक्षण और पुनर्बीमा तनाव परीक्षण करने में नियुक्त बीमांकिकों की सहायता करता है।

सांविधिक लेखा परीक्षक

वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी के लेखों की लेखा परीक्षा हेतु भारतीय नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक (सी एंड ए जी) द्वारा उनके दिनांक 29 जुलाई 2015 के पत्र के जरिये संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा शाखाओं के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की गयी, जिसे दिनांक 10 नवंबर 2015 को सम्पन्न निदेशक मण्डल की बैठक में दर्ज किया गया तथा लेखा परीक्षा समिति द्वारा सिफ़ारिश किए गए अनुसार सी एंड ए जी द्वारा नियुक्त प्रत्येक लेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा शुल्क को निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया। चूंकि प्रधान कार्यालय के एक संयुक्त लेखा परीक्षक द्वारा दो बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षा होने के कारण नियुक्ति स्वीकार नहीं की गई, अतः उनके स्थान पर मे. बंशी जैन एंड एसोसिएट्स को प्रधान कार्यालय के संयुक्त लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

During the FY 2015-16, the Company received 239 complaints and disposed of 177 grievance applications, and 62 complaints were pending at various levels as on March 31, 2016.

PARTICULARS OF CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION

Information pursuant to Section 134(3) (m) of the Companies Act, 2013, read with the Rule 8(3) of the Companies (Accounts) Rules, 2014 is not required to be given by the Company in view of the nature of the business of the Company.

FOREIGN EXCHANGE EARNINGS & OUTGO

The Foreign exchange earnings of the Company during the Financial Year under review was ₹0.15 Crore (₹12.21 Crore in the previous Financial Year) while Foreign Exchange outgo during the same period was ₹146.60 Crore (₹107.99 Crore in the previous Financial Year) mainly due to Premium paid to foreign reinsurers.

APPOINTED ACTUARY

The Company has engaged an Appointed Actuary (AA), on full-time basis, with due approval of the IRDAI. The duties and obligations of the AA for General Insurance business are as per Clause (b) Regulation 8 of the IRDAI (Appointed Actuary) Regulations, 2000. A separate 'Actuarial Department' had also been set up in the FY 2012-13, which provides support to the AA in the Actuarial functions such as preparation of Incurred But Not Reported (IBNR) / Incurred But Not Enough Reported (IBNER) Claims estimation, Asset Liability Management Report, Expected Claim Costs Estimation, Financial Condition Assessment Report, Economic Capital Computation, Product pricing & review etc. The reports and observations of the AA contribute towards the overall risk management strategies of the Company.

STATUTORY AUDITORS

The Joint Statutory Auditors and the Branch Auditors were appointed by the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) for Audit of Accounts of the Company for the Financial Year (FY) 2015-16 vide their letter dated. July 29, 2015, the same was taken on record by the Board at its meeting held on November 10, 2015, and the audit fees for each of the appointed auditors by C&G were approved by the Board as was recommended by the Audit Committee. Since one of the Joint Statutory

दिनांक 11 जून 2015 को सम्पन्न 57 वीं वार्षिक साधारण बैठक में पारित संकल्प के जरिये निदेशक मण्डल ने अपने शेयरधारकों को प्राधिकृत किया है कि वे , वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी के प्रधान कार्यालय तथा शाखा कार्यालयों के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) के अधीन भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के परिश्रमिक निर्धारित करें व अनुमोदित करें तथा वित्त वर्ष 2015-16 के लिए संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों से कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 141 के अधीन आवश्यक प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया गया है।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी का अपना लेखा परीक्षा तंत्र है जिसमें संगामी लेखा परीक्षा, आंतरिक लेखा परीक्षा और निवेश संव्यवहारों की लेखा परीक्षा संबन्धित प्रणालियाँ शामिल हैं, जो व्यवसाय के स्वरूप और इसके प्रचालनों के आकार के अनुरूप हैं । लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में प्रधान कार्यालय व कंपनी की विभिन्न शाखाओं की प्रक्रियाओं के साथ साथ संव्यवहार भी शामिल हैं ।लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों की निदेशक मण्डल की लेखा परीक्षा समिति द्वारा समय समय पर समीक्षा की जाती है । मेसर्स आर एस वी ए एंड कंपनी, सनदी लेखकर, मुंबई फ़र्म संख्या 110504 डब्ल्यू और मेसर्स बंशी जैन एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, मुंबई फर्म संख्या 100990 डब्ल्यू भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के वित्तीय वर्ष 2015-16 के प्रधान कार्यालय के लेखों एवं समेकित लेखों की लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक हैं । शेयरधारकों को लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के साथ संलग्न है।

भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षकों (सी ए जी) की कंपनी के लेखों पर टिप्पणी

सी ए जी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रति निदेशक मण्डल की अगली बैठक में प्रस्तुत की जाएगी । यह निदेशक मण्डल की रिपोर्ट के साथ संलग्न की जाएगी।

कंपनी शासन

कंपनी सभी संबन्धित सांविधिक एवं विनियामक निधारणों का समय पर अनुपालन करती है तथा सघन कंपनी शासन प्रचलनों का निर्माण और उसका कड़ाई से अनुपालन भी करती है। विस्तृत कंपनी शासन रिपोर्ट इसके साथ संलग्न है जो इस वार्षिक रिपोर्ट का अभिन्न अंग है (अनुबंध II)

Auditors of Head Office did not accept the appointment in view of having Audit of two Insurance Companies, M/s Banshi Jain & Associates were appointed in their place as Joint Statutory Auditors for Head Office. The Board was authorized by the Shareholders vide its resolution passed at the 57th AGM held on June 11, 2015 to fix and approve the remuneration of the Joint Statutory Auditors to be appointed by the Comptroller & Auditor General of India under Section 139(5) of the Companies Act, 2013, for the Head Office and Branch Offices of the Company for the Financial Year 2015-16 and necessary certificate from the Joint Statutory Auditors for FY 2015-16 has been obtained as required under Section 141 of the Companies Act, 2013.

AUDITORS' REPORT

The Company has in place an audit mechanism comprising Concurrent Audit, Internal Audit and Audit of Investment transactions and related Systems, which is in line with the nature of its business and the size of its operations. The Auditors' Reports cover the processes as well as transactions at the Head Office and across various branches of the Company. The audit comments are periodically reviewed by the Audit Committee of the Board of Directors. M/s. RSVA & Co., Chartered Accountants, Mumbai, Firm Registration No. 110504W and M/s. Banshi Jain & Associates, Chartered Accountants, Mumbai, Firm Registration No. 100990W, are the Joint Statutory Auditors appointed by the Comptroller & Auditor General of India, to audit the Head Office Accounts and the consolidated accounts of the Company for the FY 2015-16. The Report of the Auditors to Shareholders is appended to the Audited Financial Statements.

COMMENTS OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA (CAG) ON THE ACCOUNTS OF THE COMPANY

A copy of the certificate issued by CAG would be provided at the next Board Meeting. It shall be forming part of the Directors‘ Report as an addendum to the same.

CORPORATE GOVERNANCE

The Corporate Governance philosophy of the Company is to comply with all the relevant statutory and regulatory prescriptions on time, as also to formulate and adhere to sound Corporate Governance Practices. A detailed Corporate Governance Report is annexed to and forms an integral part of this Directors' Report **(Annexure II)**.

इस वित्तीय विवरण के वित्तीय वर्ष के अंत तक तथा इस रिपोर्ट की तारीख के बीच , कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन तथा प्रतिबद्धता

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन व प्रतिबद्धताएं घटित हुई हैं -

I अंधेरी संपत्ति का अद्यतन

1. मेसर्स यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड (यूआईएल), परियोजना ठेकेदार के साथ किए गए ठेके को दिनांक 21.04.2015 को रद्द कर दिया गया है, तथा अब केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग (सी पी डब्ल्यू डी) से इस अपूर्ण कार्य की जांच करने हेतु सलाह लेने तथा उन्हें यह कार्य (पैकेजेस आई व II) पूरा करने हेतु ठेका प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। एक बार सभी प्रकार के चित्रों को सी पी डब्ल्यू डी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के उपरांत अनुमानित लागत के विषय में वे हमें जानकारी देंगे। जैसा कि बातचीत अभी आरंभिक अवस्था में है परियोजना की कुल लागत का निर्धारण कठिन हैं। दिनांक 11 फरवरी 2015 को, निदेशक मण्डल की बैठक में दिए गए सुझावों के अनुसार, कंपनी द्वारा केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग (सी पी डब्ल्यू डी) द्वारा टर्न की आधार पर, शेष सभी अनुमोदन प्राप्त करने एवं सभी प्राप्त अनुमोदन को समाप्त हो गए हैं या होने वाले हैं को पुनः वैध करने सहित इस अपूर्ण संविदा (पैकेजेस I व II) को पूरा करने की संभावनाओं की जांच की गई। केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग द्वारा दिनांक 02 जून 2015 के पत्र द्वारा कार्यालय के भवन का निर्माण करने की सहमति व्यक्त की गई क्यूंकि प्लीन्थ स्तर तक का प्रमाण पत्र पहले से प्राप्त है। कुल कार्यालय भवन के लिएसी पी डब्ल्यू डी द्वारा 112.20 करोड़ रु की अनुमानत लागत प्रस्तुत की गई है।
2. दिनांक 07 जुलाई 2015 को, माननीय न्यायाधीश (सेवानिवृत) श्री वी सी डागा, सोल आर्बिट्रेटर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कंपनी द्वारा आई सी आई सी आई बैंक द्वारा जारी 4,40,98,369 रु (चार करोड़ चालीस लाख, अंठानवे हजार तीन सौ उनहत्तर रु की निष्पादन सुरक्षा बैंक गारंटी लागू कर दी गई है। आई सी आई सी आई द्वारा दिनांक 14 जुलाई 2016 को हमें 4,40,98,369 रु अंतरित कर दिए गए हैं। कंपनी द्वारा 50 लाख रु कुल की अग्रिम एवं सुरक्षा राशि जब्त कर ली गई है।
3. जबकि मेसर्स यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड, परियोजना संविदाकार ने दिनांक 30 जून 2015 को हमारे पास

MATERIAL CHANGES AND COMMITMENT, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY OCCURRED BETWEEN THE END OF THE FINANCIAL YEAR TO WHICH THIS FINANCIAL STATEMENTS RELATE AND THE DATE OF THE REPORT

The following material changes and commitment occurred during the year under review affecting the financial position of the Company-

I Update of Andheri Property

1. As advised by the Board at its meeting held on February 11, 2015, the Company explored a possibility of awarding an incomplete contract (Package I & II), on turnkey basis to Central Public Works Department (CPWD), including procuring all balance approvals and revalidating already expired approvals/approvals due to expire. CPWD vide its letter dated June 02, 2015, has expressed their willingness to carry out the construction of the Office Building first as Commencement Certificate up to Plinth level for the same has already been in place. The estimated cost submitted by CPWD is ₹112.20 Crore for total Office Building.
2. As per order issued by Honorable Justice (Retd.) Shri V.C. Daga, Sole Arbitrator on July 07, 2015, the Company invoked Performance Security Bank Guarantee of ₹4,40,98,369 (Rupees Four Crore Forty Lakhs Ninety Eight Thousand Three Hundred Sixty Nine only), issued by ICICI Bank. ICICI Bank has remitted ₹4,40,98,369Lakhs to us on July 14, 2015. The Company has also forfeited Earnest Money & Security Deposit totaling to ₹50 Lakhs.
3. While M/s. Unity Infraprojects Limited, Project Contractor have submitted a claim on us to the tune of ₹23,02,81,857 (Rupees Twenty Three Crore Two Lakhs Eighty One Thousand Eighty Hundred Fifty Seven only), on June 30, 2015, ECGC has claimed a compensation of ₹31,63,42,930 (Rupees Thirty One Crore Sixty Three Lakhs Forty Two Thousand Nine Hundred Thirty only).
4. As on date, total four hearings have taken place before Honorable Justice (Retd.) Shri V.C. Daga, Sole Arbitrator. The next hearing is scheduled on June 28, 2016.

₹23,02,81,857 करोड़ (तेईस करोड़ दो लाख इक्यासी हज़ार आठ सौ सत्तावन रु मात्र) का दावा दायर किया है, ई सी जी सी ने ₹31,63,42,930 (इककत्तीस करोड़ तिरसठ लाख बयालीस हज़ार नौ सौ तीस रु मात्र) की प्रतिपूर्ति का दावा किया है।

4. आज दिनांक तक, कुल माननीय न्यायाधीश (सेवानिवृत) श्री वी सी डागा, सोल आर्बिट्रेटर के समक्ष चार सुनवाई प्रस्तुत की गई हैं। अगली सुनवाई दिनांक 28 जून 2016 को की जानी है।

II सूचना प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन योजना पर अद्यतन

1. मेसर्स एच सी एल टेक्नोलॉजीस लिमिटेड, जो कि नियुक्त सिस्टम्स इंटीग्रेटर (एस आई) हैं, सू प्रौ परियोजना की सामयिक सुपुर्दगी करने में असमर्थ रहे हैं तथा दिनांक 11 फरवरी 2016 को कुल ₹25.96 करोड़ की , ₹12.98 करोड़ प्रत्येक की दो अग्रिम भुगतान गारंटियाँ इनवोक की गयी तथा दिनांक 17 फरवरी 2016 को प्राप्तियाँ प्राप्त हो गयी।

2. कानूनी सलाहकार के सलाह के अनुसार मेसर्स एच सी एल टेक्नोलॉजीस लिमिटेड की संविदा पर, संविदा के अधीन दिनांक 13 अप्रैल 2016 को निष्पादन गारंटी इनवोक की गयी तथा उसी दिन ₹12,44,10,000 की प्राप्तियाँ प्राप्त हो गयी। वर्तमान कानूनी सलाह के अनुसार कथित संविदा को समाप्त करने की प्रक्रिया जारी है।

III अप्रैल 2016 को भारत सरकार द्वारा ₹8.33 करोड़ की पूंजी प्रदान की गयी, तथा इसके साथ कंपनी की चुकता पूंजी बढ़ कर ₹1308.33 करोड़ हो गयी।

कंपनी के विकास और जोखिम प्रबंधन पॉलिसी के विषय में वक्तव्य:

कंपनी निर्यात ऋण जोखिम बीमा व्यापार के क्षेत्र में है तथा एक गैर-जीवन बीमा कंपनी के रूप में आईआरडीएआई में पंजीकृत है। निर्यात ऋण जोखिम का समुच्चयन व्यापार की प्रकृति में अंतर्निहित है । जोखिम प्रबंधन के भाग के रूप में कंपनी व्यापार की सभी क्षेत्र में विवेकपूर्ण सीमाओं हेतु जोखिम मानदंडों के कार्यान्वयन के साथ साथ पर्याप्त पुनर्बीमा / भारत सरकार की सहायता प्राप्त करने हेतु भी प्रयासरत है। बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) विवेकपूर्ण सीमा और विकास के लिए निवेश मानदंडों, जो कंपनी के व्यापार के जोखिम प्रोफ़ाइल को प्रभावित करता है, के कार्यान्वन पर निगरानी रखती है। कंपनी निवेश पोर्टफोलियो का प्रबंधन करती है जो अंशधारको

II Update of Information Technology Implementation Program

1. M/s HCL Technologies Ltd., the appointed Systems Integrator (SI) failed to deliver the IT project, and the two Advance Payment Guarantees of ₹12.98 Crore each, totaling ₹25.96 Crore were invoked on February 11, 2016, and the proceeds received on February 17, 2016.

2. As per legal counsel's advice on the contract with M/s HCL Technologies Ltd., the Performance Guarantee under the contract was invoked on April 13, 2016, and the proceeds of ₹12,44,10,000 were received on the same day. The process of termination of the said contract continues as per ongoing legal advice.

   GOI has provided capital of ₹50 crores in the month of June, 2015, with this the total paid up share capital of the Company stands enhanced to ₹1250 crores as of date.

III GOI has provided capital of ₹8.33 Crore in the month of April, 2016, with this the total paid up share capital of the Company stands enhanced to ₹1308.33 Crore as of date.

STATEMENT CONCERNING DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT POLICY OF THE COMPANY

The Company is in the export credit risk insurance business and is registered as a non-life insurance company with IRDAI. Aggregation of export credit risks is inherent in the nature of business. As part of risk management the Company endeavours to obtain adequate reinsurance / support from the Government of India in addition to implementing exposure norms for prudential limits in all the lines of business. The Risk Management Committee of Board (RMC) monitors the implementation of exposure norms for prudential limits and developments that affect the risk profile of the business of the Company. The Company manages an investment portfolio that comprises shareholders and policyholders funds. The investment risks are managed by investing across industry and securities, in such a way that ensures liquidity risks are minimized with optimum return on the investment. It is monitored by Investment Committee of the Board. The Company follows the Board approved Asset Liability Management (ALM) policy. The ALM position is reported to the RMC

और पॉलिसी धारकों की निधियों से मिलकर बना है। निवेश जोखिम का प्रबंधन उद्योगों और प्रतिभूतियों मे निवेश द्वारा किया जाता है तथा निवेश इस प्रकार से किया जाता है जिससे न्यूनतम तरलता जोखिम व निवेश पर उचित लाभ के साथ प्राप्त किया जा सके। बोर्ड की निवेश समिति द्वारा इसकी निगरानी की जाती है। कंपनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित आस्ति देयता प्रबंधन (ए एल एम) पॉलिसी का अनुपालन करती है। प्रत्येक तिमाही में, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति को देयता प्रबंधन स्थिति की रिपोर्ट की जाती है ।

कंपनी के कार्पोरेट सामाजिक दायित्व पहल पर बनी पॉलिसी और उसके कार्यान्वन का विवरण:

अनुलग्नक III में संकलित

कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी अथवा किए गए निवेशों का ब्यौरा

शून्य

संबन्धित पक्ष के साथ किए गए समझौते अथवा संविदा का ब्यौरा

अनुलग्नक IV में दर्ज़ है।

निदेशक का दायित्व वक्तव्य

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार निदेशकगण निदेशक के दायित्व वक्तव्य का समर्थन करते है और ये सुनिश्चित करते हैं कि :-

(क) कंपनी नें वार्षिक लेखा विवरण तैयार करते समय उपयुक्त लेखांकन मानदंडों का प्रयोग किया है साथ ही यदि कोई सामग्री निकासी हुई है तो उसके संबंध में उपयुक्त स्पष्टीकरण प्रदान किए हैं।

(ख) दिनांक 31 मार्च 2016 को कंपनी के प्रबंधन की स्थिति तथा समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ की स्थिति का पर्याप्त व उचित मूल्यांकन हेतु निदेशको नें लेखांकन पॉलिसी का चुनाव किया है और उन्हे लगातार लागू किया गया है तथा ऐसे निर्णय लिए गए हैं और अनुमान लगाए हैं जो तार्किक और विवेकपूर्ण है।

(ग) निदेशको नें कंपनी अधिनियम 1956 और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों के बचाव तथा किसी तरह के धोखे अथवा अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए, लेखांकन रिकॉर्ड तैयार करने में उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती है।

(घ) निदेशकों ने 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 'लाभकारी कारोबार वाले संस्थान' आधार पर लेखे तैयार किए हैं।

of the Board on a quarterly basis.

DETAILS OF POLICY DEVELOPED AND IMPLEMENTED BY THE COMPANY ON ITS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES

Placed at **Annexure III**

PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS MADE UNDER SECTION 186 OF THE COMPANIES ACT, 2013

Nil

PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS MADE WITH RELATED PARTIES

Placed at **Annexure IV**

DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT

Pursuant to Section 134(5) of the Companies Act, 2013, the Directors subscribe to the Directors' Responsibility Statement and confirm that :

(a) The Company had, in the preparation of the annual accounts, followed the applicable accounting standards, along with the proper explanations relating to material departures, if any;

(b) The Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company as at March 31, 2016 and of the profit of the Company for the FY ended March 31, 2016;

(c) the Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records, in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956, and the provisions of Companies Act, 2013 (to the extent notified and applicable), for safeguarding the assets of the Company and preventing and detecting fraud and other irregularities;

(d) the Directors had prepared the accounts for the FY ended March 31, 2016, on a 'going concern' basis;

(e) the Directors, had laid down internal financial controls to be followed by the Company and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively; and

(ङ) निदेशकों ने कंपनी के अनुपालन हेतु आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का निर्धारण किया है जो कि यथोचित है और प्रभावी रूप से काम कर रहा है।

(च) निदेशको ने सभी संगत कानूनों के अनुपालन हेतु एक समुचित तंत्र की रचना की है तथा यह तंत्र यथोचित है और प्रभावी रूप से काम कर रहा है।

आभार

निदेशक मण्डल, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग तथा वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, बाहय मामलों का मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण(आईआरडीएआई), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारतीय रिज़र्व बैंक और विभिन्न देशों में स्थित भारतीय उच्चायोग कार्यालय का, कंपनी के सतत सहयोग और मार्गदर्शन हेतु तथा कंपनी के मामलों और विकास मे विशेष रुचि दिखने के लिये आभार व्यक्त करता है। निदेशक मण्डल निर्यातकों, बैकों और पुनर्बीमा कंपनियों के भी आभारी हैं जिन्होंने कंपनी पर अपना सतत विश्वास बनाए रखा। निदेशक मण्डल रेटिंग एजेंसियों और ऋण वसूलीकर्ताओं को भी धन्यवाद देता है जिन्होंने क्रमशः कंपनी के बीमांकन तथा वसूली के कार्य में कंपनी की सहायता की। साथ ही निदेशक मण्डल फियो, विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों, औधोगिक संस्थानों, व्यापार मंडलों, व्यापारिक संस्थाओं तथा बीमा ब्रोकरों के प्रति उनके समर्थन और फीडबैक के लिए आभार व्यक्त करता है। निदेशक मण्डल लिखित रूप से, लेखापरीक्षकों को समय समय पर उनके द्वारा दी गयी सलाहों और समर्थन के लिए, धन्यवाद ज्ञापित करता है। निदेशक मण्डल सभी कर्मचारी तथा अधिकारियों के भी आभारी हैं जिन्होंने सतत निष्ठा और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया और कंपनी को उसके व्यापार में अग्रणी स्थान पर बने रहने के लिए सक्षम बनाया।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

गीता मुरलीधर

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 18 मई, 2016

(f) the Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

ACKNOWLEDGEMENTS

The Board of Directors places on record its gratitude to the Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Department of Economic Affairs and Department of Financial Services, Ministry of Finance, Ministry of External Affairs, Government of India, Insurance Regulatory & Development Authority of India (IRDAI), the Comptroller & Auditor General of India, Reserve Bank of India and offices of the Indian High Commission in various countries, for their continued support and guidance to the Company and the keen interest exhibited in the affairs and growth of the Company. The Directors are thankful to the Exporters, Banks and Reinsurers for their continued trust reposed in the Company. The Directors thank the rating agencies & debt collection agents who have contributed to the Company's underwriting and recovery efforts respectively. The Directors also, thankfully place on record, the feedback and support received from the FIEO, various Export Promotion Councils, and Industrial Organisations, Chambers of Commerce and Trade Organisation and insurance brokers. The Directors place on record, their thanks for the valuable advice and support received from time to time, from the Auditors. The Directors express their deep sense of appreciation to all the Employees and Officers who continue to display outstanding dedication and commitment, enabling the Company to retain market leadership in its business operations.

For and on behalf of the Board of Directors

Geetha Muralidhar

Chairman-cum-Managing Director

Place : New Delhi

Date : May 18, 2016

अनुबंध I / Annexure I

फॉर्म संख्या. एम जी टी -9 / Form No. MGT-9
वार्षिक विवरणी के उद्धरण / EXTRACT OF ANNUAL RETURN
31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष / as on the financial year ended on 31st March 2016

[*कंपनी अधिनियम, 2013* की धारा 92(3) एवं कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुपालन में]
[Pursuant to section 92(3) of *the Companies Act, 2013* and rule 12(1) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण:

i. सी आई एन: यू74999एमएच1957जीओआई010918

ii. पंजीकरण की तारीख़: 30.07.1957

iii. कंपनी का नाम : ईसीजीसी लिमिटेड (पूर्व में भारतीय निर्यात ऋण गारेंटी निगम लिमिटेड)

iv. कंपनी की श्रेणी/उप-श्रेणी: सरकारी कंपनी/ निजी कंपनी

v. पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण: 10 वीं मंजिल, एक्सप्रेस टावर्स, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400021

vi. क्या कंपनी सूचीबद्ध है हाँ/नहीं: नहीं

vii. रजिस्ट्रार एवं अंतरण अभिकर्ता का नाम, पता एवं संपर्क विवरण यदि कोई हो तो: ला.न.

II. कंपनी की मुख्य कारोबार गतिविधियां

कंपनी के कुल पण्यावर्त में 10 % से अधिक योगदान देने वाली कारोबार गतिविधियां निम्नलिखित हैं :-

क्रम सं	मुख्य उत्पादों/सेवाओ का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार में प्रतिशत
1	निर्यात ऋण बीमा	65110	100%

III. स्वामित्व,अनुषंगी एवं सहयोगी कंपनियों का विवरण

क्रम सं	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/ ज़ीआई	स्वामित्व/ अनुषंगी / सहयोगी	धारक शेयरों का %	लागू अनुभाग
1	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

i) CIN: U74999MH1957GOI010918

ii) Registration Date: 30.07.1957

iii) Name of the Company: ECGC Limited (formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Limited)

iv) Category / Sub-Category of the Company: Government Company/Private Limited

v) Address of the Registered office and contact details: 10th Floor, Express Towers, Nariman Point, Mumbai 400 021.

vi) Whether listed Company Yes / No: No

vii) Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any: N.A

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the Business activities contributing 10 % or more of the total turnover of the Company are:-

Sr. No.	Name and Description of main products / services	NIC Code of the Product/ service	% to total turnover the company
1	Export Credit Insurance	65110	100%

III. Particulars of holding, subsidiary and associate companies

Sr. No.	Name and Address of the company	CIN/GLN	Holding / Subsidi-ary / Associate	% of shares held	Applicable section
1	NA	NA	NA	NA	NA

IV. शेयर धारिता पद्धति(कुल एक्विटी केप्रतिशत के रूप में एक्विटी शेयर पूंजी विवरण)
Shareholding pattern (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i) श्रेणीवार शेयर धारिता / Category-wise Shareholding

शेयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders	वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या No. of Shares held at the beginning of the year				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या No. of Shares held at the end of the year				वर्ष के दौरान परिवर्तन % % Change during the year
	डीमेट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Shares	डीमेट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Shares	
क. प्रवर्तक A. Promoters									
(1) भारतीय Indian	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
क) व्यक्तिगत/एच यू एफ a) Individual / HUF	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
ख) केंद्र सरकार b) Central Govt. I) भारत के राष्ट्रपति President of India	**ला.न. NA**	119999992	119999992	100		129999992	129999992	100	0
II) भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित Nominee of the President of India		8	8			8	8		0
ग) राज्य सरकार c) State Govt(s)	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
घ) अन्य निकाय . d) Bodies Corp.	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
ङ) बैंक /वि.सं. e) Banks / FI	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
च)अन्य कोई f) Any Other	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
उप-कुल (क) (1):- Sub-total (A) (1) :-	**ला.न. NA**	120000000	120000000	100	**ला.न. NA**	130000000	130000000	100	**0**
(2) विदेश Foreign									
क) प्र.भा. - व्यक्तिगत a) NRIs -Individuals	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
ख) अन्य व्यक्तिगत b) Other Individuals	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
c) अन्य निकाय. c) Bodies Corp.	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
ङ) बैंक /वि.सं. d) Banks / FI	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
च) अन्य कोई e) Any Other	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
उप-कुल (क) (2):- Sub-total (A) (2):-	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
प्रवर्तकों की शेयर धारिता (क) = (क) (1) + (क) (2) Total shareholding of Promoter (A) = (A) (1) + (A) (2)	ला.न. NA	120000000	120000000	100	ला.न. NA	130000000	130000000	100	0
ख. सार्वजनिक शेयरधारिता B. Public Shareholding									
1. संस्थान Institutions	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
क) म्यूचल फंड a) Mutual Funds	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
ख) बैंक /वि.सं	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.

शेयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders	वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या No. of Shares held at the beginning of the year				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या No. of Shares held at the end of the year				वर्ष के दौरान परिवर्तन % % Change during the year
	डीमेट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Shares	डीमेट Demat	भौतिक Physical	कुल Total	कुल शेयरों का % % of Total Shares	
b) Banks / FI	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ग) केंद्र सरकार c) Central Govt	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
घ) राज्य सरकार(रें) d) State Govt(s)	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
ड़) उद्यम पूंजी निधि e) Venture Capital Funds	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
च) बीमा कंपनियाँ f) Insurance Companies	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
छ) एफ आई आई g) FIIs	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधि h) Foreign Venture Capital Funds	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
झ) अन्य (विवरण दें) i) Others (specify)	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
उप-कुल (ख) (1):- **Sub-total (B)(1):-**	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
2. असंस्थागत **2. Non - Institutions**	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
a) अन्य निकाय Bodies Corp.	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
i) भारतीय Indian	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
ii) विदेशी Overseas	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
ख) व्यक्तिगत b) Individuals	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
i) ₹1 लाख तक की नामांकित शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक Individual shareholders holding nominal share capital upto ₹ 1 lakh	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
ii) ₹1 लाख से अधिक की नामांकित शेयर पूंजी धारक व्यक्तिगत शेयरधारक Individual shareholders holding nominal share capital in excess of Rs 1 lakh	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
ग) अन्य (विवरण दें) **उप-कुल (ख) (2) :-** c) Others (specify) **Sub-total (B) (2) :-**	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ख) = (ख) (1) + (ख)(2) Total Public Shareholding (B) = (B) (1) + (B) (2)	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
ग.जी डी आर व ए डी आर के लिए संरक्षकों द्वारा धारित शेयर **c) Shares held by Custodian for GDRs & ADRs**	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA	ला.न. NA
महा योग (क+ख+ग) **Grand Total (A+B+C)**	**ला.न.** NA	120000000	120000000	100	**ला.न.** NA	130000000	130000000	100	0

ii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता / Shareholding of Promoters

क्रम सं Sr. No.	शेयरधारक का नाम Shareholder's Name	वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या Shareholding at the beginning of the year			वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या Shareholding at the end of the year			
		शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the company	कुल शेयरों के मुक़ाबले गिरवी रखे गए / ऋणग्रस्त शेयरों का प्रतिशत % of Shares Pledged / encumbered to total shares	शेयरों की संख्या No. of Shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the company	कुल शेयरों के मुक़ाबले गिरवी रखे गए / ऋणग्रस्त शेयरों का प्रतिशत % of Shares Pledged / encumbered to total shares	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन % % change in shareholding during the year
1	भारत के राष्ट्रपति President of India	119999992	100	0	129999992	100	0	0
2	भारत के राष्ट्रपति के नामित Nominees of the President of India	8			8			
	कुल Total	120000000	100	0	130000000	100	0	0

iii) प्रवर्तकों की शेयरधारिता में परिवर्तन (यदि कोई परिवर्तन न हो तो, उल्लिखित करें)
Change in Promoters' Shareholding (please specify, if there is no change)

क्रम सं Sr. No.		वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता Cumulative Shareholding during the year	
		शेयरों की संख्या No. of shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total shares of the Company	शेयरों की संख्या No. of shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total shares of the Company
1	वर्ष के प्रारम्भ में At the beginning of the year	120000000	100	130000000	100
2	वर्ष के दौरान प्रबर्तकों की शेयर धारिता में वृद्धि / गिरावट - वृद्धि / गिरावट के कारण सहित तारीखवार विवरण (जैसे आबंटन /हस्तांतरण /बोनस/ स्वेट इक्विटी आदि) : Date wise Increase / Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer /bonus/ sweat equity etc):			1) 13.08.2014 (33,33,333) को आबंटित अतिरिक्त शेयर Additional Shares allotted on 10.06.2015 (50,00,000) 2) 10.11.2014 (66,66,667) को आबंटित अतिरिक्त शेयर Additional Shares allotted on 11.02.2016 (50,00,000)	
	वर्ष के अंत में At the end of the year	120000000	100	130000000	100

iv) शीर्ष दस शेयरधारकों की शेयरधारिता पद्धति (निदेशक, प्रवर्तक, जीडीआर व ए डी आर धारकों को छोडकर): Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

क्रम सं Sr. No.	प्रत्येक शीर्ष 10 शेयरधारकों के लिए For Each of the Top 10 Shareholders	वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता Cumulative Shareholding during the year	
		शेयरों की संख्या No. of shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total shares of the Company	शेयरों की संख्या No. of shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total shares of the Company
1	वर्ष के प्रारंभ में At the beginning of the year	ला.न NA	ला.न NA	ला.न NA	ला.न NA
2	वर्ष के दौरान प्रबर्तकों की शेयर धारिता में वृद्धि / गिरावट - वृद्धि / गिरावट के कारण सहित तारीखवार विवरण (जैसे आबंटन / हस्तांतरण /बोनस/ स्वेट इक्विटीआदि) : Date wise Increase / Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus / sweat equity etc):	ला.न NA	ला.न NA	ला.न NA	ला.न NA
	वर्ष के अंत में (या अलग होने की तारीख तक, यदि वर्ष के दौरान अलग हो गए हो तो) At the End of the year (or on the date of separation, if separated during the year)	ला.न NA	ला.न NA	ला.न NA	ला.न NA

v) निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय अधिकारियों की शेयरधारिता : Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel :

क्रम सं Sr. No.	प्रत्येक निदेशक एवं के एम पी के लिए For Each of the Directors and KMP	वर्ष के प्रारम्भ में धारित शेयरों की संख्या Shareholding at the beginning of the year		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता Cumulative Shareholding during the year	
		शेयरों की संख्या No. of shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total shares of the company	शेयरों की संख्या No. of shares	कंपनी के कुल शेयरों का % % of total shares of the Company
1	वर्ष के प्रारंभ में At the beginning of the year	ला.न NA	ला.न NA	ला.न NA	ला.न NA
2	वर्ष के दौरान प्रबर्तकों की शेयर धारिता में वृद्धि / गिरावट - वृद्धि / गिरावट के कारण सहित तारीखवार विवरण (जैसे आबंटन / हस्तांतरण /बोनस/ स्वेट इक्विटीआदि) : Date wise Increase / Decrease in Shareholding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc) :	ला.न NA	ला.न NA	ला.न NA	ला.न NA
	वर्ष के अंत में At the End of the year	ला.न NA	ला.न NA	ला.न NA	ला.न NA

(भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्तियों के रूप में एक शेयर श्रीमती गीता मुरलीधर अ.प्र.नि. धारण करती हैं, दो शेयर निदेशक डॉ. गुरुप्रसाद मोहापात्रा धारण करते हैं और एक शेयर निदेशक डॉ. सौरभ गर्ग धारण करते है)

(One share held by Smt Geetha Muralidhar, CMD, Two shares held by Dr. Guruprasad Mohapatra, Director, and One share held by Dr. Saurabh Garg, Director, as nominee of the President of India.)

V. ऋणग्रस्तता / Indebtedness

बकाया/अर्जित ब्याज लेकिन जो भुगतान के लिए शेष नहीं है सहित कंपनी की ऋणग्रस्तता Indebtedness of the Company including interest outstanding/accrued but not due for payments

	जमाओं को छोडकर प्रतिभूति ऋण Secured Loans excluding deposits	गैरजमानती ऋण Unsecured Loans	जमाएं Deposits	कुल ऋणग्रस्तता Total Indebtedness
वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ऋणग्रस्तता Indebtedness at the beginning of the financial year	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil

	जमाओं को छोडकर प्रतिभूति ऋण Secured Loans excluding deposits	गैरजमानती ऋण Unsecured Loans	जमाएं Deposits	कुल ऋणग्रस्तता Total Indebtedness
i) मूलधन राशि Principal Amount	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
ii) बकाया ब्याज जिसका भुगतान नहीं किया गया है Interest due but not paid	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
iii) अर्जित ब्याज लेकिन जो बकाया नहीं है Interest accrued but not due	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
कुल (i+ii+iii) **Total (i+ii+iii)**	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन **Change in Indebtedness during the financial year** • वृद्धि Addition • कमी Reduction	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
निवल परिवर्तन **Net Change**	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता **Indebtedness at the end of the financial year**	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
i) मूलधन राशि Principal Amount	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
ii) बकाया ब्याज जिसका भुगतान नहीं किया गया है Interest due but not paid	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
iii) अर्जित ब्याज लेकिन जो बकाया नहीं है Interest accrued but not due	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil
कुल (i+ii+iii) **Total (i+ii+iii)**	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil	कुछ नहीं Nil

VI. निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधकीय अधिकारियों की परिलब्धियाँ
Remuneration of Directors and Key Managerial Personnel

क) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिकों निदेशकों एवं/या प्रबंधकों की परिलब्धियाँ:
A) Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager :

(₹)

क्रम सं Sr. No.	परिलब्धियों का विवरण Particulars of Remuneration	प्रनि/पूकानि/प्र का नाम Name of MD/WTD/ Manager श्रीमती गीता मुरलीधर Smt. Geetha Muralidhar	श्री एम. सेंथिलनाथन Shri. M. Senthilnathan (30/12/2015 to 31/03/2016)	कुल राशि Total Amount
1	सकल वेतन (₹) / Gross salary (₹)	1795683	412128	2207811
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income tax Act, 1961	1795683	412128	2207811
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य (b) Value of perquisites u/s 17(2) Income-tax Act, 1961	448402	117210	565612
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के स्थान पर फायदे (c) Profits in lieu of salary under section 17(3) Income-tax Act, 1961	-	-	-
2	स्टॉक विकल्प / Stock Option	-	-	-
3	स्वेट इक्विटी / Sweat Equity	-	-	-
4	कमीशन / Commission - मुनाफे के % में / as % of profit - अन्य, विवरण दें / others, specify	-	-	-
5	अन्य, कृपया विवरण दें / Others, please specify	-	-	-

क्रम सं Sr. No.	परिलब्धियों का विवरण Particulars of Remuneration	प्रनि/पूकानि/प्र का नाम Name of MD/WTD/ Manager		कुल राशि Total Amount
		श्रीमती गीता मुरलीधर Smt. Geetha Muralidhar	श्री एम. सेंथिलनाथन Shri. M. Senthilnathan (30/12/2015 to 31/03/2016)	
	कुल (क) / Total (A)	2244085	529338	2773423
	अधिनियम के अनुसार उच्चतम सीमा Ceiling as per the Act	ईसीजीसी पर लागू नहीं क्यों कि ईसीजीसी लिमिटेड पूर्ण रूप से सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी है Not applicable to ECGC Limited as it is wholly owned Government Company		

ख) अन्य निदेशकों की परिलब्धियाँ :
B) Remuneration to other Directors:

(₹)

परिलब्धियों का विवरण Particulars of Remuneration	निदेशकों के नाम Name of Directors श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे Shri Ajay Murlidhar Ponkshe	कुल राशि Total Amount
1. निदेशक मण्डल/समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु स्वतंत्र निदेशक शुल्क, कमीशन, अन्य, कृपया विवरण दें Independent Directors Fee for attending board / committee meetings Commission Others, please specify	85000	85000
कुल (1) / Total (1)	85000	85000
2. निदेशक मण्डल / समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु अन्य गैर कार्यापालक निदेशक शुल्क, कमीशन, अन्य, कृपया विवरण दें Other Non-Executive Directors Fee for attending board / committee meetings Commission Others, please specify	-	-
कुल (2) / Total (2)	-	-
कुल (ख) = (1 + 2) / Total (B) = (1 + 2)	85000	85000
कुल प्रबंधकीय परिलब्धियाँ Total Managerial Remuneration	-	-
अधिनियम के अनुसार समग्र उच्चतम सीमा Overall Ceiling as per the Act	ईसीजीसी पर लागू नहीं क्यों कि ई सी जी सी लिमिटेड पूर्ण रूप से सरकार की स्वामित्व वाली कंपनी है Not applicable to ECGC Limited as it is wholly owned Government Company	

ग) प्रनि/प्रबंधक/पूकानि को छोडकर मुख्य प्रबंधकीय अधिकारियों की परिलब्धियाँ
C) Remuneration to Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD

(₹)

क्रम सं Sr. No.	परिलब्धियों का विवरण Particulars of Remuneration	मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी Key Managerial Personnel				
		मुख्य वित्त अधिकारी (एम. सेंथिलनाथन) Chief Finance Officer (M Senthilna-than) (from 01.04.2015 to 20.07.2015)	मुख्य वित्त अधिकारी (रोहित पाण्ड्या) Chief Finance Officer (Rohit Pandya) (from 21.07.2015 to 12.10.2015)	मुख्य वित्त अधिकारी (सीएनए अंबरसन Chief Finance Officer (C N A Anbarasan) (from 13.10.2015 to 31.03.2016)	कंपनी सचिव (स्मिता वी पंडित Company Secretary (Smita V Pandit) (from 21.07.2015 to 12.10.2015)	कुल राशि Total Amount
1	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सकल वेतन Gross salary Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961	474156	704845.10	661880.00	1518911	3359792.10
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलब्धियों का मूल्य आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के स्थान पर फायदे Value of perquisites u/s17(2) Income-tax Act, 1961 Profits in lieu of salary under section 17(3) Income tax Act, 1961	119977	86199.42	214605.00	363156	783937.42
2	स्टॉक विकल्प / Stock Option	-			-	-

क्रम सं Sr. No.	परिलब्धियों का विवरण Particulars of Remuneration	मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी Key Managerial Personnel				
		मुख्य वित्त अधिकारी (एम. सेंथिलनाथन) Chief Finance Officer (M Senthilna-than) (from 01.04.2015 to 20.07.2015)	मुख्य वित्त अधिकारी (रोहित पाण्ड्या) Chief Finance Officer (Rohit Pandya) (from 21.07.2015 to 12.10.2015)	मुख्य वित्त अधिकारी (सीएनए अंबरसन Chief Finance Officer (C N A Anbarasan) (from 13.10.2015 to 31.03.2016)	कंपनी सचिव (स्मिता वी पंडित Company Secretary (Smita V Pandit) (from 21.07.2015 to 12.10.2015)	कुल राशि Total Amount
3	स्वेट इक्विटी / Sweat Equity	-			-	-
4	कमीशन / Commission - मुनाफे के % रूप में / as % of profit - अन्य, विवरण दें / others, specify.	-			-	-
5	अन्य, कृपया विवरण दें / Others, please specify					
	कुल / Total	594133	791044.52	876485.00	1882067	4143729.52

VII. अपराधों के लिए जुर्माना/सजा/समझौता
Penalties / Punishment/ Compounding of offences

प्रकार Type	कंपनी अधिनियम की धारा Section of the Companies Act	संक्षिप्त विवरण Brief Description	अधिरोपित जुर्माना/ सजा समझौता शुल्क का विवरण Details of Penalty/ Punishment/ Compounding fees imposed	प्राधिकारण [आर डी / एन सी एल टी /न्यायालय] Authority [RD / NCLT/ COURT]	की गई अपील, यदि कोई हो, (विवरण दें) Appeal made, if any (give Details)
जुर्माना / Penalty	-	-	-	-	-
सजा / Punishment	-	-	-	-	-
समझौता / Compounding	-	-	-	-	-
अन्य अधिकारियों द्वारा चूक / Other officers in default					
जुर्माना / Penalty	-	-	-	-	-
सजा / Punishment	-	-	-	-	-
समझौता / Compounding	-	-	-	-	-

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

गीता मुरलीधर
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

For and on behalf of the Board of Directors

Geetha Muralidhar
Chairman-cum-Managing Director

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 मई, 2016

Place : New Delhi
Date : 18th May, 2016

प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण

Management Discussion and Analysis

वैश्विक अर्थव्यवस्था एवं व्यापार

वर्ष 2015 में, विश्व व्यापार लगभग 41.57 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पर स्थिर रहा। वाणिज्यिक सेवाएं (9.25 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) एवं वस्तु व्यापार (32.32 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर) भी काफी हद तक अपरवर्तित रहे।

वर्ष 2015 वैश्विक वृद्धि के लिहाज से निराशाजनक रहा। ऐसा प्राकलित किया गया कि पिछले वर्ष की तुलना में, वर्ष 2015 की अंतिम तिमाही में वैश्विक अर्थव्यवस्था 2.5% बढ़ी। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगातार पांचवीं तिमाही में गिरावट दर्ज की गई एवं वर्ष 2013 की शुरुआत से यह अपने निचले स्तर है। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में धीमी वृद्धि हुई। वृद्धि में उभरते हुए बाज़ारों का योगदान वर्ष 2013 की तीसरी तिमाही के 2.6 प्रतिशत पॉइंट्स से गिरकर 1.8 प्रतिशत पॉइंट्स हो गया ।

केंद्रीय बैंक द्वारा नकदी का प्रवाह जारी रखने, तेल की कीमतों में फिर गिरावट एवं महंगाई दर के सामान्य रहने के वावजूद मुखर निष्पादन नहीं हुआ तथापि यह वर्ष विभिन्न निष्पादकों का वर्ष रहा जहां वस्तुओं की कीमतों में गिरावट ने ब्राज़ील एवं रशिया जैसे बड़े उभरते हुए बाज़ारों में दबाव डाला वहीं इसके विपरीत, अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं जैसे भारत एवं वियतनाम ने आश्चर्यचकित किया।

विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, अमेरिका, ब्रिटेन एवं जापान में वर्ष 2015 के तीसरी एवं चौथी तिमाही में वार्षिक वृद्धि दर धीमी रही। मंदी के वावजूद यूरोक्षेत्र की वृद्धि सामान्य रही।

अर्थव्यवस्था धीमी होने की वजह से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं से निर्यात कमजोर रहे, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश में कमी आई एवं गिरती हुई मुद्रास्फीति दर्ज की गई। तथापि, यह सब नकारात्मक लग रहा था, हाल ही में वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसके विपरीत संकेत देखे गए। ज़्यादातर यह सुधार विकसित अर्थव्यवस्थाओं में देखे गए एवं विश्व के विभिन्न हिस्सों किए गए कारोबार सर्वेक्षणों में भी आंशिक सुधार परिलक्षित हुआ।

अप्रनि, ईसीजीसी द्वारा भारत सरकार के स्वच्छ गंगा कोष में सी एस आर में भागीदारी के रूप में 50 लाख रु का चेक श्री शशि शेखर, सचिव जल संसाधन एवं स्वच्छ गंगा कोष को प्रदान किया गया।
CMD,ECGC handing over cheque of Rs 50 lakhs to shri Shashi Shekhar, Secretary, Ministry of Water resources, Clean Ganga Fund (CGF) as contribution to CGF of GOI under CSR

GLOBAL ECONOMY AND TRADE

World trade remained stagnated around USD 41.57 trillion, in the year 2015. The share of commercial services (USD 9.25 trillion) and merchandise trade (USD 32.32 trillion) also largely remained unchanged.

2015 was a disappointing year for global growth. It is estimated that the world economy grew by 2.5% in the last quarter of 2015 compared with a year earlier. Global GDP growth has declined for five consecutive quarters and is at its lowest since the beginning of 2013. Growth in the emerging economies has slowed. Emerging markets' contribution to growth has fallen from 2.6 percentage points in the third quarter of 2013 to 1.8 percentage points.

The muted performance came even as central banks continued to pump in liquidity, oil prices plunged again and inflation was moderate. 2015, however, was also a year of divergent performers. While commodity prices declined, putting pressure on big emerging markets such as Russia and Brazil, other emerging economies like India and Vietnam surprised on the upside.

In the advanced economies, the annual growth rate in America, Britain and Japan slowed between the third and fourth quarters of 2015. Euro-area growth has been moderate since the recession.

The slowdown is attributed to weaker exports to the emerging markets, decline in investment in energy sectors and due to falling inflation. However, just when it all seemed very bleak, the global economy has shown some signs of a rebound in recent past. Much of this recovery has occurred in the advanced economies and this has been accompanied by a partial recovery in business surveys in many parts of the world.

OUTLOOK

As per the WTO estimates, Growth in the volume of world trade is expected to remain sluggish in 2016 at 2.8%. World GDP is expected to grow at 2.4% during 2016. Exports of developed and developing countries are expected to grow at around the same rate in 2016, 2.9% in the former and 2.8% in the latter. Meanwhile, imports of developed economies are expected to outpace those of developing countries in 2016, with a 3.3% rise in the former compared to a 1.8% increase in the latter.

परिदृश्य

विश्व व्यापार संगठन के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2016 में, विश्व व्यापार की मात्रा में 2.8% की धीमी वृद्धि रहने की संभावना है। वर्ष 2016 के दौरान वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद बढ़कर 2.4% होना संभावित है। वर्ष 2016 में, विकसित एवं विकासशील देशों के निर्यातों में क्रमशः 2.9% व 2.8% की वृद्धि होने की संभावना है। इस दौरान, वर्ष 2016 में, विकसित अर्थव्यवस्थाओं के आयात विकासशील देशों के आयातों में क्रमशः 3.3% व 1.8% की वृद्धि की संभावना है।

अमेरिका एवं चीन में आर्थिक गतिविधियों में सकारात्मक गतिविधियां परिलक्षित हुई हैं साथ ही, जापान एवं यू के सहित विभिन्न मुख्य अर्थव्यवस्थाओं में निरंतर कमजोरी के लक्षण दिखाई देते हैं। इस वर्ष एशिया द्वारा किसी भी क्षेत्र की तुलना में तीव्र वृद्धि दर्ज करने की संभावना हैं एवं इसके बाद उत्तरी अमेरिका एवं यूरोप का स्थान है। दक्षिण और मध्य अमेरिका व अन्य क्षेत्रों से पीछे रहने की संभावना है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, मामूली एवं समान सुधार जारी रहने की संभावना है। बढ़ते हुए बाज़ारों एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में परिदृश्य विविध एवं बहुत स्थानों पर चुनौतीपूर्ण है।

वैश्विक परिदृश्य का नकारात्मक रहने का जोखिम है एवं उभरते हुए बाजारों की अर्थव्यवस्थाओं, चीन का पुन: संतुलन, वस्तुओं की कीमतों में कमी आदि जैसे वैश्विक आर्थिक सुधारों हेतु जारी समायोजनों पर निर्भर है।

भारत के निर्यात

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान भारत का निर्यात, वर्ष 2014-15 के 310 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 16% गिरकर 261 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। इसी अवधि के दौरान,भारत के आयत में 15% की गिरावट के साथ 379 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहे, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार घाटा 118 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

कंपनी के प्रचालनों की समीक्षा

अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियाँ

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, जारी तथा नवीकृत अल्पावधि (एस टी) निर्यात ऋण बीमा पॉलिसियाँ पिछले वर्ष 2014-15 की तुलना में जारी तथा नवीकृत 9160 पॉलिसियों की तुलना में 10516 रहीं। 31 मार्च 2016 को प्रभावी पॉलिसियों की संख्या, 31 मार्च 2015 के 11236 की तुलना में 11525 रहीं। वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंत में 323 प्रस्ताव नवीनीकरण हेतु लंबित थे। वित्तीय वर्ष 2015-16 के अंत तक, घोषणा आधारित सम्पूर्ण पण्यावर्त पोतलदान पॉलिसियां जैसे पोतलदान व्यापक जोखिम पॉलिसी (एस सी आर), निर्यात पण्यावर्त पॉलिसी (ई टी पी) और लघु निर्यातक पॉलिसी (एस ई पी) का प्रतिशत 58% रहा । 31 मार्च 2016 तक, जोखिम आधारित पॉलिसियों जैसे

Economic activity has shown positive development in the US and China, but this was offset by continued weakness in several key economies, including Japan and the UK. Asia is expected to record the fastest export growth of any region this year followed by North America and Europe. South and Central America and Other regions are expected to lag behind. In advanced economies, a modest and uneven recovery is expected to continue. The outlook for emerging market and developing economies is diverse but in many cases challenging.

अ प्र नि , ई सी जी सी द्वारा सी एस आर पहल के अधीन अंशदान के रूप में , वाणिज्य सचिव व संयुक्त सचिव , वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय तथा प्रशासक स्वच्छ भारत कोष की उपस्थिती में , वित्त सचिव व सचिव (निर्यात / पूर्व) को 10.50 करोड़ रु का चेक प्रदान करते हुए।
CMD, ECGC handed over a cheque of Rs.10.50 crores as contribution to Swacch Bharat Kosh under CSR initiative to Finance Secretary & Secretary (Exp) in the presence of Commerce Secretary & Jt. Secretary, MOC&I and Administrator Swacch Bharat Kosh.

Risks to the global outlook remain tilted to the downside and relate to ongoing adjustments in the global economy namely a generalized slowdown in emerging market economies, China's rebalancing, lower commodity prices etc.

INDIA'S EXPORTS

During FY 2015-16, India's exports declined by 16% to reach $261 bn in comparison to $310 bn during 2014-15. During the same period, Indian imports declined by 15% to reach $ 379 bn, resulting in trade deficit of $118 bn.

OVERVIEW OF COMPANY'S OPERATIONS

SHORT TERM EXPORT CREDIT INSURANCE POLICIES

During the FY 2015-16, the total number of Short Term (ST) Export Credit Insurance Policies issued and renewed were 10516, as against 9160 issued during previous FY 2014-15. The number of ST Policies in force as on 31st March, 2016 was 11525 as against 11236 as on 31st March, 2015. 323 proposals were

बहुखरीदार पॉलिसी (एम.बी.ई.पी.), और एकल खरीदार पॉलिसी (एस ई बी पी) की संख्या , 31 मार्च 2015 के 3899 तुलना में 4293 रही। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अल्पावधि पॉलिसियों के अधीन संरक्षित कुल कारोबार पिछले वर्ष के ₹1,33,983 करोड़ की तुलना में 1.41% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹1,35,872 रहा। अल्पावधि पॉलिसियों के अंतर्गत कुल प्रीमियम आय, पिछले वर्ष के ₹383.87 करोड़ की तुलना में (-) 0.47% की ऋणात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए ₹382.08 रही । वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, अल्पावधि पॉलिसियों के अधीन प्रदत्त कुल दावा राशि, पिछले वर्ष के ₹126.98करोड़ की तुलना में 0.35% वृद्धि दर्ज करते हुए ₹127.42 रही। अल्पावधि पॉलिसियों के अधीन वसूलियाँ, पिछले वर्ष के ₹9.61 करोड़ की तुलना में (-) 18.73% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए ₹7.81 करोड़ रही।

ग्राहक विशिष्ट रक्षा

ईसीजीसी, द्वारा भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई) के अनुमोदन से पॉलिसीधारकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ग्राहक विशिष्ट रक्षाएँ (सी एस सी) प्रारम्भ की जो कि वर्तमान उत्पादों के ग्राहकों के अनुकूल न होने पर विशेष रूप से डिजाइन की जाती हैं। सी एस सी पॉलिसियाँ आई आर डी ए आई द्वारा अनुमोदित दो अथवा अधिक मानक उत्पादों की निश्चित विशेषताओं को मिलाकर तैयार की जाती हैं। जिसमें किसी एक उत्पाद के विशेष लक्षणों की प्रधानता होती हैं जिसे "आधार" पॉलिसी माना जाता है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, पिछले वर्ष के 84 पॉलिसियों जिनकी अधिकतम देयता/सकल हानि सीमा (एम एल/ए एल एल) ₹2567.91 करोड़ की तुलना में कुल 94 सी एस सी पॉलिसियाँ जारी की गई जिनकी अधिकतम देयता/सकल हानि सीमा (एम एल/ए एल एल) ₹3301.20 करोड़ थीं। 31 मार्च 2016 तक, पिछले वर्ष के 79 सी एस सी पॉलिसियों जिनका एम एल/ए एल एल ₹2200 करोड़ था की तुलना में 86 पॉलिसियाँ, प्रभावी थीं जिनका एम एल/ए एल एल ₹2986 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, सी एस सी पॉलिसियों के अंतर्गत वार्षिक प्रीमियम आय पिछले वर्ष के ₹43.42 करोड़ की तुलना में ₹57.61 करोड़ रही। अप्रैल 2015 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान, पिछले वर्ष के ₹15.08 करोड़ रु की तुलना में कुल

अल्पावधि रक्षाओं के अधीन खंडवार जोखिम मूल्य (₹ करोड़)

Segment-wise Risk Value under Short Term (ST) Cover (₹ crores)

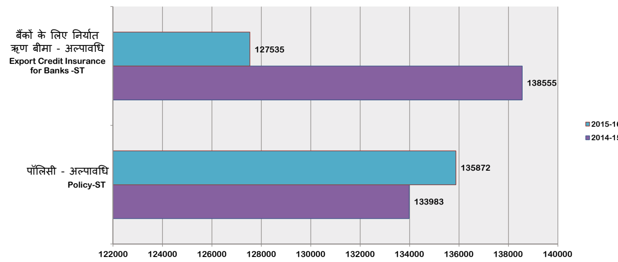

pending for renewal as at the end of FY 2015-16. Declaration based Whole Turnover Shipment policies viz. the Shipment Comprehensive Risk (SCR) Policy, the Export Turnover Policy (ETP) and Small Exporters Policy (SEP) continued to maintain the share at 58% of the policies in force as at the end of FY 2015-16. The total number of exposure based shipment policies in force as on 31st March, 2016 viz. the Multi Buyer Exposure Policy (MBEP) and the Single Buyer Exposure Policy (SBEP) was 4293 as against 3899 as on March 31, 2015. Total business covered under the ST Policies during the FY 2015-16 was ₹1,35,872 Crore as against ₹1,33,983 Crore during the previous year, thereby registering a growth of 1.41%. The premium income during the FY 2015-16 under ST Policies was ₹382.08 Crore as against ₹383.87 Crore in the previous FY, registering a negative growth of (-)0.47%. Total claims paid under ST Policies during FY 2015-16 was ₹127.42 Crores as against ₹126.98 Crore during the previous FY 2014-15 showing a growth of 0.35%. Recovery under ST Policy during the FY 2015-16 was ₹7.81 Crore as against ₹9.61 Crore during the previous year, showing a negative growth of (-) 18.73%.

CUSTOMER SPECIFIC COVERS

ECGC, with the approval of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has introduced Customer Specific Covers (CSC) which are tailor made to suit specific requirements of policy holders where none of the existing standard products are found suitable. The CSC Policies are structured by combining certain features of two or more standard products approved by the IRDAI, while having predominant features of one product which is considered to be the base policy.

During the FY 2015-16, 94 CSC policies were issued with total Maximum Liability/ Aggregate Loss Limit (ML/ALL) of ₹3301.20 Crore as against 87 CSC policies issued with total Maximum Liability/ Aggregate Loss Limit (ML/ALL) of ₹2567.91 Crore during the previous year. As on March 31, 2016, 86 CSC policies were in force with a total ML/ALL of ₹2986 Crore as against 79 CSC policies in force with ML/ALL of ₹2200 Crore as on 31 March, 2015. Yearly premium income under CSC policies during FY 2015-16 was ₹57.61 Crore as against ₹43.42 Crore during the previous year. During the period April to March 2016, total claims paid was ₹16.70 Crore as against ₹15.08 Crore during the previous year.

दिनांक 23 मार्च 2016 को मुंबई में 12 बैंकों को ई सी आई बी के अधीन ₹ 294.71 करोड़ रु के दावे की अदायगी की गयी।
An Aggregate claim amount of Rs.294.71 crores under ECIB being handed over to 12 Banks in Mumbai on 23rd March, 2016.

श्री अरविंद मेहता , अतिरिक्त सचिव , वाणिज्य विभाग, मुख्य अतिथि , द्वारा ई सी जी सी के स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में सभा को संबोधित करते हुए, साथ में हैं श्री पी एम ए हकीम भा प्र से (सेवा निवृत्त) , पूर्व अप्रनि , ई सी जी सी व मुंबई डब्बावाला के अध्यक्ष
Shri Arvind Mehta, Add. Secretary, DOC, Chief Guest of ECGC foundation day celebrations, delivering his address. Shri P M A Hakeem, IAS(Retd), Ex-CMD, ECGC & President of Mumbai Dabawala were also present.

₹16.70 करोड़ के दावों का भुगतान किया गया।

बैंकों के लिए अल्पावधि निर्यात ऋण बीमा (ई सी आई बी) रक्षाएं

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में 3.35% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए कुल ₹910.67 करोड़ (₹942.30 करोड़) का प्रीमियम अर्जित किया। यह सभी क्षेत्रों से वर्ष के दौरान अर्जित कुल प्रीमियम का 69% है । वर्ष के दौरान बैंकों को कुल रु ₹995.52 करोड़ (₹462.85 करोड़) के दावों का भुगतान किया गया। वर्ष के दौरान ₹106.46 करोड़ (₹142.52 करोड़) की राशि की वसूली की गई जो कि ई सी आई बी रक्षाओं के अधीन क्षतिपूर्ति की गई हानियों से संबन्धित खातों पर निर्यातकों से वसूल की गई राशियों में कंपनी का हिस्सा थी। जारी की गई विभिन्न ई सी आई बी रक्षाओं के अधीन कंपनी द्वारा रक्षित कुल जोखिम मूल्य, जिसकी गणना सम्पूर्ण पण्यावर्त (डब्ल्यू टी) के लिए औसत दैनिक उत्पाद तथा एक रक्षाओं के लिए उच्चतम बकाया राशि के आधार पर की जाती है, कुल ₹1,27,534.80 करोड़ (₹1,38,555.45 करोड़) रही।

संपूर्ण पण्यावर्त ई सी आई बी रक्षाओं के अधीन प्रीमियम दरों को 3 वर्षीय दावा प्रीमियम अनुपात के आधार पर तथा रक्षा के प्रतिशत को 6 वर्षीय दावा प्रीमियम अनुपात के आधार पर निश्चित किया गया।

वर्ष के दौरान ई सी आई बी रक्षाओं के लिए जोखिम मानदंडों को संशोधित किया गया। बैंकों एवं ई सी जी सी के हितों की

वर्ष 2015-16 के दौरान संरक्षित जोखिम मूल्य

Value of Risk Covered during 2015-16

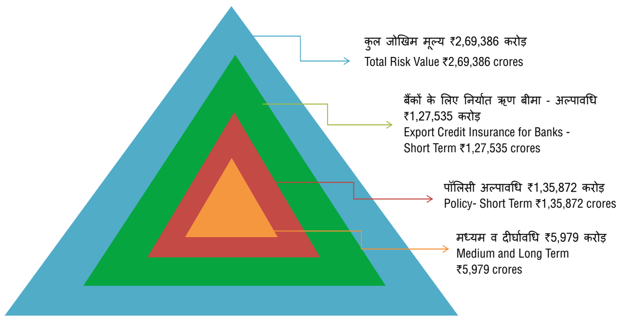

रक्षा के उद्देश्य से, रत्न, आभूषण एवं हीरे (जी जे डी) जैसे उच्च दावा अनुपात वाले क्षेत्रों के संबंध में जोखिम कम करने वाले उपाए जारी रखे गए।

मध्यम एवं दीर्घावधि कारोबार समीक्षा

वर्ष 2015-16 के दौरान मध्यम एवं दीर्घावधि (एम एल टी)

SHORT TERM EXPORT CREDIT INSURANCE FOR BANKS (ECIB) COVERS

The premium earned for the FY 2015-16 was ₹910.67 Crore (₹942.30 Crore), registering a negative growth of 3.35% over the previous year. This accounted for 69% of the aggregate premium for the FY 2015-16, from all sectors. The value of the claims paid to banks during the FY 2015-16 was ₹995.52 Crore (₹462.85 Crore). An amount of ₹106.46 Crore was recovered (₹142.52 Crore) during the FY 2015-16, being the Company's share in the amounts recovered from exporters against accounts in respect of which losses had been indemnified by the Company under the ECIB covers. The total Risk Value covered by the Company under the various ECIB covers issued, taken as the Average Daily Products for the Whole turnover (WT) covers and the Highest Amount Outstanding under individual covers, reported by banks to ECGC, aggregated to ₹1,27,534.80 Crore (₹1,38,555.45 Crore).

The premium rates under Whole Turnover (WT) ECIB covers were fixed based on the three year claim premium ratio and percentages of cover were determined on the six year claim premium ratio. Exposure norms for the cover under ECIBs were revised during the year. Appropriate risk mitigation measures were continued in respect of sectors with high claim ratios namely, Gems, Jewellery and Diamond sectors with an objective of protecting the interest of ECGC as well as that of banks.

MEDIUM AND LONG TERM BUSINESS REVIEW

The premium income from the Medium and Long Term (MLT) business for the FY 2015-16 stood at ₹27.04 Crore as against ₹36.23 Crore in the previous year. No claims were paid under ECIB and Policy during the FY 2015-16. During the FY 2015-16, there was a recovery of ₹17.29 lakh under ECIB. The top five countries in which the Company has underwritten major business during the FY 2015-16 are Vietnam, Cambodia, Nepal, Brazil and Algeria.

During the FY 2015-16, 19 Credit Insurance Policies were issued to MLT project exporters as against 21 in the FY 2014-15, covering political/comprehensive risks on various projects undertaken by them. Major sectors covered were - infrastructure including water supply, hydro power supply, engineering equipment etc. The number of covers issued under Export Credit Insurance to Banks (ECIB) during the FY 2015-16 was 92 as against 108 in the previous year. During the FY 2015-

कारोबार से अर्जित प्रीमियम आय पिछले वर्ष के ₹36.23 करोड़ की तुलना में ₹27.04 करोड़ रही। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ई सी आई बी एवं पॉलिसियों के अंतर्गत किसी दावे का भुगतान नहीं किया गया। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, ई सी आई बी के अंतर्गत ₹17.29 करोड़ की वसूली हुई। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, शीर्ष 5 देश जिसके संबंध में निगम ने प्रमुख कारोबार बीमा रक्षा प्रदान की है, उनमें वियतनाम, कंबोडिया, नेपाल, ब्राज़ील, एवं अल्जेरिया हैं।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, एम एल टी परियोजना निर्यातकों को उनके द्वारा ली गई विभिन्न परियोजनाओं पर राजनैतिक/व्यापक जोखिमों पर रक्षा प्रदान करते हुए, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, वित्तीय वर्ष 2014-15 के 21 की तुलना में कुल 19 ऋण बीमा पॉलिसियां जारी की गई। रक्षा प्रदान किए प्रमुख क्षेत्रों में जल विद्युत आपूर्ति, अभियांत्रिकी उपकरण आदि सहित बुनियादी सुविधा क्षेत्र शामिल हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान, बैंकों (ई सी आई बी) को निर्यात ऋण बीमा के अंतर्गत जारी रक्षाओं की संख्या पिछले वर्ष के 108 की तुलना में 92 रही। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, निगम ने विदेशी निवेश बीमा के अंतर्गत एल एंड डी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चेन्नई को श्रीलंका में निवेश के लिए जारी एक रक्षा का नवीकरण किया।

राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एन ई आई ए)

एन ई आई ए ट्रस्ट की स्थापना राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए मध्यम एवं दीर्घावधि तथा उच्च मूल्य के परियोजनाओं के लिए ऋण जोखिम रक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य की गई है। 31 मार्च 2016 तक, विभिन्न परियोजना निर्यातकों को इक्वाडोर, अल्जीरिया, म्यांमार, ओमान, इथियोपिया, रवांडा, श्रीलंका, इजिप्त, मोजांबिक, जिम्बाव्वे, ज़ाम्बिया, नेपाल, ब्राज़ील, तंजानिया एवं सेनेगल आदि जैसे बाज़ारों में विभिन्न परियोजनों निर्यातकों द्वारा ली गई कुल ₹16,576.13 करोड़ मूल्य की 31 परियोजनाओं के लिए ₹7,224.93 करोड़ मूल्य की 44 रक्षाएं प्रभावी थीं। 31 मार्च 2016 तक ट्रस्ट के पास कुल ₹2126.18 करोड़ का एकमुश्त राशि थी जिसे बैंकों में सावधि जमा के रूप में निवेश किया गया।

खरीदार ऋण रक्षा

कंपनी ने भारतीय निर्यात आयात बैंक के सहयोग से वित्तीय वर्ष 2010-11 में, कुछ विकासशील देशों को परियोजना निर्यातों तथा आस्थगित भुगतान शर्तों पर फोकस मार्केटों में पूंजीगत माल के निर्यातों के संवर्धन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा गठित एक ट्रस्ट, राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एन ई आई ए) के अंतर्गत 'खरीदार ऋण रक्षा' जैसे उत्पाद को विकसित किया।

31 मार्च 2016 तक, श्रीलंका, ज़ाम्बिया, मोज़ाम्बिक, जिम्बाव्वे तंजानिया एवं सेनेगल के उधारकर्ताओं पर कुल रु ₹3,925.92

16, the Company has renewed one Overseas Investment Insurance (OII) cover issued to L&T Infrastructure Development, Chennai for its investments in Sri Lanka.

NATIONAL EXPORT INSURANCE ACCOUNT (NEIA)

The NEIA Trust has been established with the objective of ensuring availability of credit risk cover for medium and long-term high value projects which are desirable from the point of view of national interest. As on March 31, 2016, 44 covers with a Maximum Liability of ₹7,224.93 Crore were in-force covering 31 projects with aggregate value of ₹16,576.13 Crore, undertaken by various project exporters in markets such as Ecuador, Algeria, Myanmar, Oman, Ethiopia, Rwanda, Sri Lanka, Egypt, Mozambique, Zimbabwe, Zambia, Nepal, Brazil, Tanzania and Senegal etc. The Trust has a corpus of ₹2126.18 Crore as of March 31, 2016, which has been invested in Term Deposits placed with banks.

BUYER'S CREDIT COVER

The Company, in association with Exim Bank of India, introduced in the FY 2010-11, a new product viz. 'Buyer's Credit' cover under National Export Insurance Account (NEIA), a Trust set up by the Government of India, with a view to promoting project exports to certain developing countries and export of capital goods to focus markets on deferred payment terms. As of March 31, 2016, eight Buyer's Credit covers with aggregate Maximum Liability of ₹3,925.92 Crore were in force on borrowers from Sri Lanka, Zambia, Mozambique, Zimbabwe, Tanzania and Senegal. The Trust has also given in-principle approvals for 13 projects amounting to ₹19,306.31 Crore as of March 31, 2016.

INVESTMENTS

As at March 31, 2016, the Investment Portfolio comprising investments in Government Securities, Corporate Bonds, Equity Shares, Fixed Deposits etc. stood at ₹7184.63 Crore as against ₹6718.48 Crore as at March 31, 2015, showing an increase of ₹466.15 Crore, i.e. increase of 6.94%. The growth in Investment Portfolio was on account of infusion of additional capital and surplus generated from operations/investments.

The Company has complied with all regulatory requirements in respect of investments and investment under mandatory category stood at 75.46% as against 45% prescribed by IRDAI.

करोड़ मूल्य की अधिकतम देयता के साथ आठ खरीदार ऋण रक्षाएं प्रभावी थीं। 31 मार्च 2016 तक, ट्रस्ट ने कुल ₹19,306.31 करोड़ राशि की 13 परियोजनाओं को सैद्धांतिक अनुमोदन भी दिया।

निवेश

31 मार्च, 2016 तक, निवेश पोर्टफोलियो में, 31 मार्च 2015 को ₹6718.48 करोड़ की तुलना में, ₹466.15 करोड़ यथा 6.94%. की वृद्धि दर्ज करते हुए, सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट बांडों, इक्विटी शेयरों, मियादी जमा आदि में कुल ₹7184.63 करोड़ के निवेश रहे। निवेश पोर्टफोलियो में, अतिरिक्त पूंजी निवेश, परिचालनों/निवेशों से निर्मित अधिशेष के कारण वृद्धि दर्ज की गई। कंपनी ने, निवेश संबंधी सभी विनियामक आवश्यकताओं का पालन किया है तथा आई आर डी ए आई द्वारा अनिवार्य श्रेणी के लिए निर्धारित 45% के मानदंड की तुलना में 75.46% का निवेश किया।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, निवेश प्रचालनों से प्राप्त आय (निवेशों की बिक्री पर लाभ सहित) वित्तीय वर्ष 2014-15 के रु ₹525.70 करोड़ की तुलना में ₹71.14 करोड़ के साथ 13.53% की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹596.84 करोड़ हो गई। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, निवेश परिचालनों से प्राप्त आय पिछले वर्ष के 8.65% की तुलना में 8.40% रही। कंपनी के निवेश परिचालन मुख्यतः दावा भुगतान को पूरा करने, पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करने तथा जोखिम एवं आय के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए किए गए।

खरीदार बीमा

प्रधान कार्यालय में खरीदार बीमा विभाग (बी यू डी) का कार्य विभिन्न बीमा मानदंडों के आधार पर समग्र साख सीमा का निर्धारण करते हुए ख़रीदारों पर उपयुक्त बीमा निर्णय लेना होता है। यह विभिन्न व्यवसाय सूचना एजेंसियों से अद्यतित व्यवसाय सूचना रिपोर्ट प्राप्त करता है और उनका विश्लेषण करता है, विदेशी ख़रीदारों पर निर्धारित समग्र साख सीमाओं के आधार पर सिस्टम निर्मित आंकड़ों पर आधारित ख़रीदारों के संव्यवहार व्यवहारों की समीक्षा करता है।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, विभिन्न व्यावसायिक सूचना एजेंसियों से ख़रीदारों पर प्राप्त रिपोर्टों को डिजिटलाईज्ड भी किया गया है ताकि सभी संबंधित अधिकारी इसे सिस्टम में देख सकें।

दिनांक 01.07.2014 से प्रत्येक ख़रीदार की रेटिंग एवं समग्र सीमाओं के निर्धारण के लिए खरीदार स्कोर कार्ड प्रणाली को पूर्ण रूप से कार्यान्वयित किया गया। ख़रीदारों का मूल्यांकन चार मानदंडों जैसे कारोबार क्षमता, संव्यवहार गतिविधि, वित्तीय क्षमता और उद्योग का परिदृश्य के आधार पर किया जाता है।

प्रदत्त सकल दावों में रुझान - पॉलिसी अल्पावधि (₹ करोड़)

Trend in Gross Claims Paid - Policy Short Term (₹ crores)

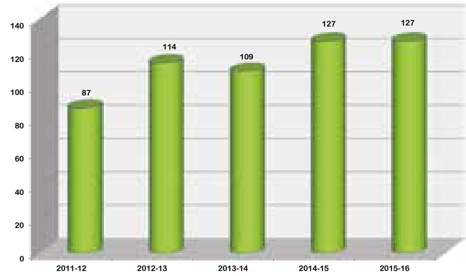

Income generated from Investment Operations (including profit on sale of investments) increased to ₹596.84 Crore in 2015-16 from ₹525.70 Crore in 2014-15, recording an increase of ₹71.14 Crore i.e. increase of 13.53%. The yield on investment operations for the year 2015-16 was 8.40% as against 8.65% for the previous year. The Company's investment operations are conducted mainly to ensure adequate liquidity to meet claim payments and to strike a trade-off between risk and return.

BUYER UNDERWRITING

The role of Buyer Underwriting Department (BUD) at Head Office is to make sound underwriting decisions on buyers by fixing overall credit limits on the basis of various underwriting parameters. It obtains and analyses latest business information reports from various Business Information Agencies, reviews the transactional behaviour of buyers on the basis of system generated data, based on which overall credit limits are fixed on overseas buyers.

Reports received on buyers from different Business Information Agencies, as mentioned above, are also digitalized to make it accessible to all related officials in system.

Full-fledged Buyer Score Card system has been implemented from July 01, 2014 for rating and determining of Overall Limits (OL) for each buyer. The buyers are evaluated on the basis of four parameters viz. Business Ability, Transactional behaviour, Financials and Industry Outlook. The Score Card developed to fix OL on the buyer has strengthened the Company's ability in underwriting and risk management. Based on availability of information/ data (financials and non-financials) from the reports received from different agencies, assessment on the buyer is made based on Model of Score Card Ranging from 1 to 3. During the year, to bring new business Score Card – Model

स्कोर कार्ड को खरीदार पर समग्र सीमा के निर्धारण के लिए विकसित किया गया है ताकि बीमा तथा जोखिम प्रबंधन में कंपनी की क्षमता को मजबूत किया जा सके। विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्टों से सूचना/आंकड़े (वित्तीय और गैर-वित्तीय) की उपलब्धता के आधार पर मॉडल स्कोर कार्ड, जिसमें 1 से 3 की श्रेणी के आधार पर खरीदार का मूल्यांकन किया जाता है। वर्ष के दौरान, स्कोर कार्ड-मॉडल 4 शुरू किया गया जिससे रु 1000 करोड़ या उससे अधिक निर्यात पण्यावर्त अथवा सुरक्षा के लिए प्रस्तुत पण्यावर्त 500 करोड़ रु से अधिक है एवं 1 करोड़ व उससे अधिक की प्रीमियम अदायगी वाले शीर्ष निर्यातकों तथा बड़े ख़रीदारों के संयोजन जैसे अपवादात्मक मामलों को शामिल किया जा सके। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान निदेशक मण्डल ने प्रधान कार्यालय बीमांकन समिति (एच यू सी) को, बिना अथवा आंशिक वित्तीय स्थिति की जानकारी वाले खरीदारों पर, उसकी मूल कंपनी की वित्तीय स्थिति अथवा समूह की समेकित वित्तीय स्थिति के आधार पर समग्र सीमा पर निर्णय लेने एवं निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया है। यह भी निर्णय लिया गया कि नकारात्मक निवल मालियत वाले ख़रीदारों पर समग्र सीमा पर निर्णय एच यू सी द्वारा लिया जाएगा।

ईसीजीसी द्वारा यूको बैंक के जरिए भारतीय रुपए के वोस्ट्रो खातों के जरिए ईरान के साथ किए जाने वाले निर्यात संव्यवहारों के लिए रक्षा प्रदान की रही है। वर्ष के दौरान, साख पत्र संव्यवहारों के लिए, जहाँ पूर्व में केवल पाँच ईरानी बैंक अनुमोदित थे, की संख्या को वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, बढ़ाकर नौ कर दिया गया है।

हरित बी यू डी पहल के अंतर्गत विभाग को पेपर रहित और पूर्ण रूप से डिजिटलाईज्ड करने का निर्णय लिया गया और इसे कार्यान्वयित किया गया। टर्न अराउंड टाइम (टी ए टी) को कम करने तथा नामित से रिपोर्ट मंगाने की प्रक्रिया को किफ़ायती बनाने के लिए एजेंसी वितरण सूची तैयार की गई है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, प्राप्त साख सीमा आवेदन पत्रों की संख्या पिछले वर्ष के 33,104 की तुलना में 33,264 रही। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी द्वारा विदेशी ख़रीदारों पर समग्र सीमा के निर्धारण के जरिए बीमित औसत जोखिम राशि पिछले वर्ष ₹36,250 करोड़ की तुलना में ₹33,512 करोड़ रही। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी के डेटाबेस में शामिल नए ख़रीदारों की संख्या पिछले वर्ष के 16,784 की तुलना में 18,278 रही।

देश बीमा

देश बीमा विभाग (सी यू डी) देशों पर बीमा पॉलिसी के लिए उत्तरदायी है। कंपनी ने देशों के जोखिम प्रोफ़ाइल को सात स्तरीय वर्गीकरण के आधार पर निर्धारित करने हेतु

डॉ गुरूप्रसाद मोहपात्रा , भा प्र से , सं सचिव , वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 16 नवंबर 2015 को ई सी जी सी लिमिटेड द्वारा दिल्ली में आयोजित ग्राहक परामर्श बैठक में श्रोताओं को संबोधित करते हुए।
Dr. Guruprasad Mohapatra, IAS, Jt. Secretary, MOC & I addressing the audience in the Customer Consultation Meeting organized by ECGC Ltd in Delhi on 16th November,2015.

4 was launched to accommodate exceptional cases on top notch buyers combined with elite exporters where export turnover is not less than ₹1000 Crore or export turnover offered for cover is not less than ₹500 Crore and Premium commitment is not less than ₹1 Crore, in FY 2015-16. During the FY 2015-16 Board empowered Head Office Underwriting Committee (HUC) to decide and fix Overall Limits on buyers with no or partial financial information based on the parent company's financials or group's consolidated financials. It was also decided that Overall Limits will be decided by HUC on buyers having negative net worth.

ECGC cover is extended for Iranian export transactions through INR VOSTRO accounts routed through UCO Bank. For LC transactions, earlier five Iranian Banks were approved which has increased to nine Banks, during the FY 2015-16.

Under Green BUD initiative, it has been decided and implemented to make the Department paperless and fully digitalized. Agency distribution list is prepared to reduce Turn Around Time (TAT) and make it cost effective for calling reports from empanelled agencies.

The number of Credit Limit Applications received in FY 2015-16 was 33,264 as against 33,104 in the previous year. During the FY 2015-16, the aggregate exposure underwritten by the Company through fixing Overall Limits on foreign buyers was ₹33,512 Crore as against ₹36,250 Crore in the previous year. The number of new buyers added to the Company's database during FY 2014-15 was 18,278 as against 16,784 in the previous year.

COUNTRY UNDERWRITING

Country Underwriting Department (CUD) is responsible for the underwriting policy on countries. The Company

देश मूल्यांकन विषयपरक स्कोरिंग प्रणाली विकसित की है। उस देश के साथ भारत के संबंध, ईसीजीसी का अनुभव एवं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ क्रेडिट एंड इनवेस्टमेंट इन्शुरर्स (बर्न यूनियन) का दृष्टिकोण सहित विभिन्न मानदंडो पर आधारित देशों में व्याप्त आर्थिक तथा राजनैतिक स्थितियों का विश्लेषण किया जाता है। यह रक्षा के प्रकार व रक्षा की शर्तों तथा प्रीमियम गणना के उद्देश्यों के निर्धारण में भी सहायक होता है। विगत वर्षों में विभिन्न देशों के जोखिम मूल्यांकन के स्वतंत्र उद्देश्य पर कोई समझौता किए बिना कंपनी तथा पॉलिसीधारकों के अनुभव के आधार पर उदार बीमा नीति स्थापित करने का प्रयास किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान सभी देशों की समीक्षा की गई और 6 मई 2015 से वर्गीकरण की संशोधित सूची कार्यान्वयित की गई। बीमा की एक गतिशील प्रणाली शुरू की जा रही है और देशों के दावा-जोखिम मूल्य अनुपात, बर्न यूनियन संदर्भ, भारत से किए जाने वाले निर्यातों एवं राजनैतिक तथा आर्थिक स्थिति में परिवर्तन पर आधारित तिमाही आधार पर सभी देशों की समीक्षा की जाती है। देशों की मध्यावधि समीक्षा भी की गई एवं कुछ देशों की रेटिंग में परिवर्तन आया।

31.03.2016 को देश के वर्गीकरण का संक्षिप्त विवरण रेटिंग निम्नानुसार है, जिसमें 'गौण जोखिम' को ए 1 रेटिंग और 'अत्यधिक जोखिम' डी में परिभाषित किया गया है ;

वर्गीकरण सूची के कुल 237 देशों में से 214 देशों को 'खुली रक्षा' की श्रेणी जबकि 18 देशों को 'प्रतिबंधित रक्षा' श्रेणी-I (जहां अनुमोदित आवर्ती सीमाएं एक वर्ष के लिए वैध होती हैं) और 5 देशों को 'प्रतिबंधित रक्षा' श्रेणी-II (जहां मामला दर मामला पर विशिष्ट अनुमोदन दिया जाता है) में रखा गया।

देशों की क्रेडिट रेटिंग, हानि एवं चूक/अधिकतम हानि स्थिति/हानि की बारंबारता के आधार पर सभी 216 देशों ('रेट न किए गए' 21 देशों को छोड़कर) की देश जोखिम सीमाएं (सी ई एल) निर्धारित की गई।

पुनर्बीमा

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए, कंपनी ने अल्पावधि पॉलिसी के लिए भारतीय तथा विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ 25% (स्विस आर ई 8%, ए सी आर 4%, एस सी ओ आर 4%, जी आई सी आर ई 6%, पार्टनर री 1.5%, एमलीन ए जी 1% और क्यू आर ई 0.5%) समानुपाती (कोटा शेयर-क्यू एस) पुनर्बीमा संधि की। साथ ही एम एल टी रक्षा सहित संपूर्ण कारोबार के लिए जी आई सी आर ई के साथ अनिवार्य 5% पुनर्बीमा (क्यू एस) रक्षा सहित पुनर्बीमा संधि की। इसके अतिरिक्त उन्हीं पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ अल्पावधि पॉलिसी एवं ई सी आई बी रक्षा के अधीन बड़े जोखिमों के लिए अतिरिक्त हानि रक्षाओं के लिए पुनर्बीमा संधि की गई।

has in place an objective scoring methodology for Country evaluation devised to rate the risk profile of countries in a seven fold classification. An analysis is made of the economic, political situation in countries based on the various parameters including India's relationship with the country, ECGC's experience and the approach of International Union of Credit and Investment Insurers (Berne Union). It also helps in determining type and terms of cover and serves the purpose of premium calculation. Over the years efforts have been made to have a liberal underwriting policy based on the experience of the Company and the policy-holders, without compromising on the independent, objective risk assessment of various countries.

During the FY 2015-16, a review of all countries was carried out and the revised list of classification was implemented w.e.f, May 06, 2015. A dynamic system of underwriting is being introduced and review of all countries were carried out on a half yearly basis based on their Claim-Risk Value ratio, Berne Union reference, Exports from India and changes in political and economic situation. Mid term reviews of the countries were also carried out in between and some of the countries ratings were changed.

The summary of country classification as on March 31, 2016 with 'A1' rating defined as 'Insignificant Risk' and 'D' defined as 'Very High Risk' was as follows:

Out of the 237 countries in the classification list, 214 countries were placed in 'Open Cover' Category while 18 countries were in 'Restricted Cover' Category – I (where revolving limits are approved normally valid for one year) and 5 countries in 'Restricted Cover' Category – II (where specific approval is given on a case to case basis). 21 countries were not rated due to lack of information.

The Country Exposure Limits (CEL) of all 216 countries (excluding 21 'Not Rated' countries) were fixed based on the business volume, experience and anticipated business.

REINSURANCE

For the FY 2015-16 the Company had a proportional (quota share –QS) Reinsurance treaty to the extent of 25% (Swiss Re 8%, ACR 4%, SCOR 4%, GIC Re 6%, Partner Re 1.5%, Amlin AG 1% and Q Re 0.5%) from Indian and Foreign Reinsurers for Short Term Policy and Short Term ECIB along with Obligatory 5% reinsurance

जोखिम प्रबंधन

कंपनी ने 2011 से विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन मानदंड लागू किए हैं एवं किसी एकल निर्यातक, निर्यातक समूह, खरीदार, उद्योग और देश के लिए जोखिम सीमाएं निर्धारित कीं। किसी पोर्टफोलियो के जोखिम संकेन्द्रण का प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है। वित्तीय वर्ष 2015-16, के दौरान, सम्पूर्ण पण्यावर्त रक्षाओं के अधीन रत्न, आभूषण तथा हीरा (जी जे डी) क्षेत्र के निर्यातों के संबंध में नए जोखिमों को अस्थायी तौर पर स्थगित किए गए एवं देश जोखिम सीमाओं निश्चित करने के मानदंड अपनाने जैसे संशोधन किए गए है।

इन मानदंडों के अतिरिक्त, वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान, कंपनी द्वारा अल्पावधि पॉलिसी के अंतर्गत खरीदार/सा.प. खोलने वाली बैंक पर, अल्पावधि ईसीआईबी योजना के अंतर्गत एकल निर्यातक/समूह निर्यातक पर, उद्योग क्षेत्र के लिए जोखिम मानदंडों एवं मध्यम व दीर्घावधि निर्यात संव्यवहारों पर विवेकपूर्ण मानदंडों को पुनः संशोधित किया गया ।

वसूलीयां

ईसीआईबी: वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, भुगतान किए गए एवं वसूली के लिए बकाया दावों से पिछले वर्ष में समान अवधि के लिए ₹142.52 करोड़ की तुलना में ₹106.47 करोड़ की वसूली की गई।

पॉलिसी : वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, भुगतान किए गए एवं वसूली के लिए बकाया दावों से पिछले वर्ष में समान अवधि के लिए अल्पावधि पॉलिसियों के अंतर्गत ₹9.61 करोड़ की तुलना में ₹7.82 करोड़ की वसूली की गई।

सूचना प्रौद्योगिकी (आई. टी.)

कंपनी ने कस्टमाइजेशन एवं इंटीग्रेशन ऑफ एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर कम्पोनेंट, हार्डवेयर के प्रावधान, सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइसेन्स प्राप्त करने, को होस्टेड वाणिज्यिक डाटा केन्द्रों पर डेटा केंद्र स्थापित करने, कार्यान्वयन उपरांत सहायता हेतु नए सूचना प्रौद्योगिकी संरचना के प्रबंधन सहित आरंभ से अंत तक सूचना प्रौद्योगिकी समाधान हेतु सिस्टम इंटीग्रेटर (एस आई) की नियुक्ति की ।

सिस्टम इंटीग्रेटर कंपनी की कारोबार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तृतीय पक्ष सॉफ्टवेयर विक्रेता द्वारा कस्टमाइज्ड कोर बीमा सॉफ्टवेयर प्राप्त करने की उसकी असमर्थता के कारण परियोजना समय पर नहीं सौंप सका । अतः सिस्टम इंटीग्रेटर ने कंपनी के लिए बिना किसी अतिरिक्त लागत के सॉफ्टवेयर बेस्पोक विकसित करने का प्रस्ताव रखा। तथापि एस आई द्वारा बार बार आश्वासन दिए गए, परंतु परियोजना के समय में प्रगति नहीं होने एवं इसका कार्यक्षेत्र सीमित होने जैसे मामलों के कारण कंपनी द्वारा एस आई संविदा के अधीन निष्पादन गारंटी को लागू किया गया ।

(QS) cover from GIC Re for the entire business including MLT covers. Additionally, Excess of Loss covers for large risks under Short Term Policy and ECIB covers were also arranged with the same reinsurers.

RISK MANAGEMENT

The Company introduced prudential risk management norms since 2011 and has fixed limits for exposure for a single exporter, an exporter group, a buyer, an industry and a country. Managing the concentration risk of a portfolio is a continuous process. During FY 2014-15 the exposure norms were modified by introducing temporary suspension of fresh exposure to Gems, Jewellery and Diamond Sector under WT covers and introduced criteria for fixing Country Exposure Limits. In addition to these norms, during FY 2015-16, Company has further modified the prudential norms for Exposure Limits on buyer / LC opening banks under short term policies, individual exporter / group exporter under short term ECIB Schemes, exposure norms for Industry Sector and Medium and Long Term export transactions.

RECOVERIES

ECIB: During the FY 2015-16, a sum of ₹106.47 Crore was recovered against claims paid and pending for recovery, against an amount of ₹142.52 Crore, for the same period, in the previous FY.

Policy: A sum of ₹7.82 Crore has been recovered from claims paid and pending for recovery under short term policies during FY2015-16 as against an amount of ₹9.61 Crore in the same period in previous FY.

INFORMATION TECHNOLOGY (IT)

The Company had appointed a System Integrator (SI) to provide an end-to-end IT solution, including customization and integration of application software components, provisioning of hardware, procuring of systems software licenses, setting up Data Centres at the co-hosted Commercial Data Centres as also management of the new IT infrastructure for the post-implementation support.

The SI could not deliver the project in time reportedly due to their inability to get the core insurance software duly customized by the third party software vendor to meet Company's business requirements. Hence the SI had offered to develop the software bespoke at no extra

वित्त वर्ष 2015-16 के लिए अल्पावधिक पॉलिसियों के अधीन प्रदत्त सकल दावों का प्रमुख देशवार मूल्य (% हिस्सा)
Major Country-wise Value of Gross Claims Paid under Short Term Policies for FY 2015-16 (% share)

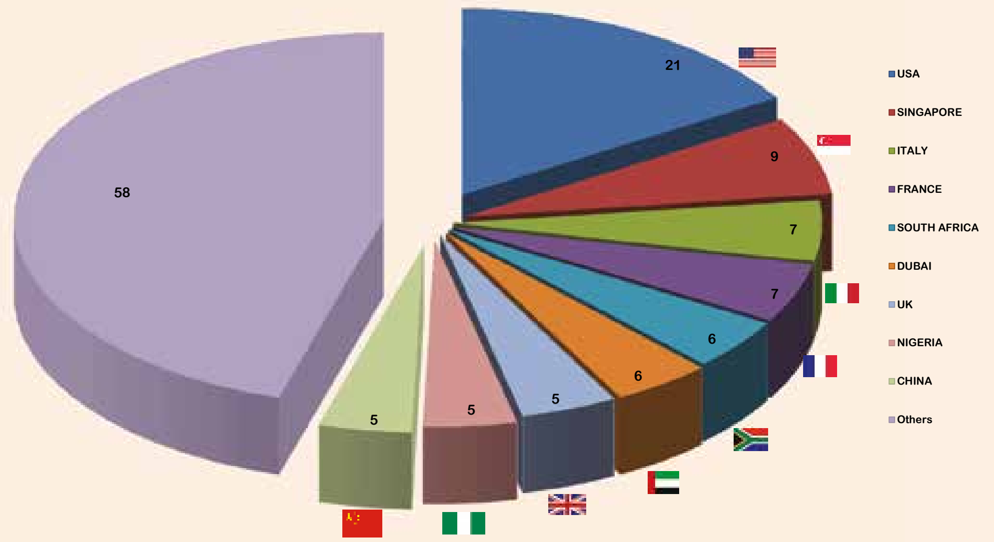

कंपनी द्वारा, तकनीकी सलाहकार समिति, जिसमें सूप्रौ विशेषज्ञ शामिल हैं के अधीन वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली (सूप्रौ) को उन्नत करने एवं मजबूत बनाने के लिए पहल की गई है, जो कि ईसीजीसी के वरिष्ठ प्रबंधन निगरानी में है एवं जिसके रिपोर्ट निदेशक मण्डल को दी गई । कंपनी आशा करती है कि बहुत जल्दी ही प्रारंभिक पहल परिलक्षित होंगी, उसके बाद ईसीजीसी द्वारा , दीर्घकालिक उद्देश्य से सूप्रौ के परिवर्तन के लिए पहल की जाएगी जिससे, ग्राहक इंटरफेस, सेवा सुपुर्दगी एवं परिचालन क्षमता विकसित होगी।

विपणन एवं प्रचार

राष्ट्रीय विपणन प्रभाग (राविप्र) कंपनी की विपणन, विज्ञापन एवं प्रचार गतिविधियों एवं संबंधित गतिविधियों संभालता है। यह, लक्ष्य निर्धारित करने, सेवा सुपुर्दगी, ग्राहकों/संभावित ग्राहकों के साथ बैठक आदि के निर्धारण के लिए पाँच क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ मिलकर कार्य करता है।

पूरे देश में स्थित 58 शाखा कार्यालयों के सहयोग से विभिन्न निर्यात केन्द्रों पर कई बीमा शिक्षा/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, गैर पॉलिसीधारकों के साथ विशेष बैठक को छोडकर, बैंकों एवं निर्यातकों दोनों के लिए लगभग 29 ग्राहक परामर्श बैठकों का आयोजन किया। क्षेत्रीय कार्यालयों एवं शाखाओं के कारोबार निष्पादन की समीक्षा एवं अगले वित्त वर्ष के लिए लक्ष्यों पर चर्चा एवं निर्णय लेने के लिए वार्षिक क्षेत्रीय एवं शाखा प्रबन्धक सम्मेलन का आयोजन किया गया।

राविप्र द्वारा पूरे वर्ष कारोबार निष्पादन की निगरानी की जाती है एवं अपने ग्राहकों को पर्याप्त एवं प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए प्रबन्धन द्वारा जहां भी आवश्यक हैं, सुधारात्मक उपाए अपनाए जाते हैं। प्रतिष्ठित मार्केट शोध एजेंसी द्वारा

cost to the Company. However, the SI despite repeated assurance repeatedly raised issues to restrict the scope and could not deliver progress in the project in time, and the Company has invoked the Performance Guarantee under the SI Contract.

The Company has initiated steps to upgrade and strengthen the existing Information Technology (IT) Systems, under the expert advice of a Technical Advisory Committee consisting of renowned IT experts, which are being closely monitored by ECGC Senior Management and reported to the Board of Directors. The Company expects the initial steps to come to fruition within a very short time-frame, after which ECGC would take further steps aiming at IT transformation from a long-term perspective which will further improve customer interface, service delivery and operational efficiency.

MARKETING AND PUBLICITY

The National Marketing Division (NMD) handles the Marketing, Advertising and Publicity activities of the Company. It works in close co-ordination with the five Regional offices in setting business targets, service deliveries, Customer/potential Customer Meets etc. A number of Insurance education/awareness initiatives are undertaken in several export centres with the co-operation of fifty eight branch offices spread across the country. As part of this initiative, during FY 2015-16, around 29 Customer Consultation Meetings for both exporters and banks were organised apart from exclusive Meet for non-policyholders. An annual

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान व्यापार निष्पादन की समीक्षा हेतु आयोजित क्षेत्रीय एवं शाखा प्रबन्धकों सम्मेलन
Regional & Branch Manager's Conference was held to review the business performance for FY 2015-16

सकल वसूली की तुलना में सकल दावे (₹ करोड़)
Trend of Gross Recovery vs Gross Claims Paid (₹ crores)

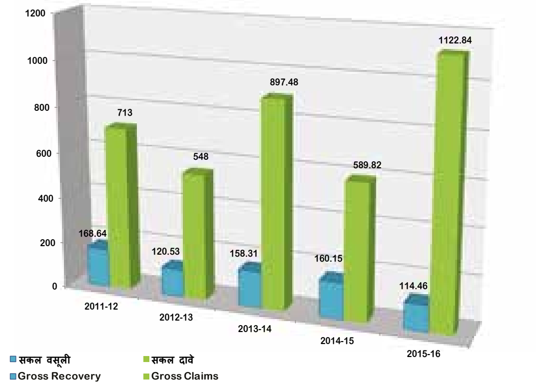

एक ग्राहक संतुष्टि सर्वे का आयोजन किया जाता है, उसके परिणामों को चिन्हित क्षेत्रों में सुधार के लिए अपनाया जाता है। राविप्र द्वारा विशेष अवसरों जैसे ईसीजीसी का स्थापना दिवस, महिला दिवस, हिन्दी दिवस, गणतन्त्र दिवस आदि पर ब्रांड छवि निर्माण हेतु कॉर्पोरेट विज्ञापन दिए जाते हैं।

एन एम डी, निर्यात संवर्धन के उद्देश्य से विभिन्न निर्यात संवर्धन

मार्च 2016 के दौरान लंदन में जी- 12 देशों के निर्यात ऋण एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक का आयोजन किया गया।
Participants of G-12 Nation ECA Heads meeting held in London during March, 2016.

निकायों जैसे फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्स्पोर्टर्स ऑर्गेनाईजेशन (फियो), फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स (फिक्की), कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सी आई आई) एवं अन्य निर्यात संवर्धन परिषदों के साथ भी समन्वय से कार्य करता है।

कॉर्पोरेट योजना

कंपनी, अपने कारोबार निष्पादन की समीक्षा करती हैं एवं पाँच वर्ष की अवधि के लिए कॉर्पोरेट योजना तैयार करती है तदनुसार, वर्ष 2015-2020 की अवधि के लिए कॉर्पोरेट प्लान तैयार किया गया है जिसे निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है। योजना में वर्ष 2020 तक अपने क्षेत्र को राष्ट्रीय निर्यात के 10% तक करने की परिकल्पना की गई है। योजना में कंपनी का स्वोट विश्लेषण, कारोबार प्रवृत्ति, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार परिदृश्य, भारत के निर्यात एवं वार्षिक आधार पर कारोबार अनुमान शामिल किए गए हैं। कंपनी ने अगले पाँच वर्षों में, हामीदारी क्षमता को बढ़ाकर, अपने जोखिम प्रबंधन/ विवेकपूर्ण मानदंडों को सुदृड़ बनाकर, अपने बीमा उत्पादों संशोधित/विकसित कर, विपणन प्रयासों को अधिक मजबूत

प्रदत्त सकल दावों में रुझान-बैंकों के लिए निर्यात ऋण बीमा अल्पावधि (₹ करोड़)
Trend in Gross Claims Paid - Export Credit Insurance for Banks Short Term (₹ crores)

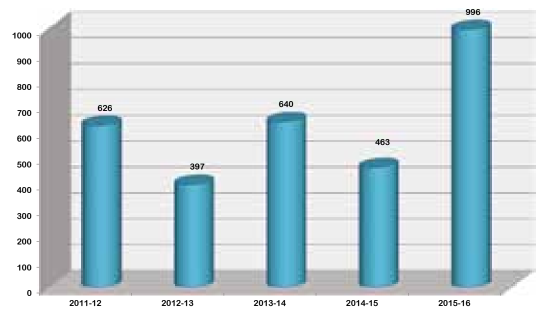

regional and branch managers conference is held to review the business performance of the branches and regions and also to discuss and decide on the targets for the next financial year. NMD monitors the business performance all through the year and where found necessary corrective measures are taken by the management to ensure efficient and effective services for our customers. A Customer Satisfaction Survey was conducted through a reputed Market Research agency and the findings have been used to focus on identified areas for improvement. NMD releases Corporate advertisements to commemorate important occasions like, ECGC Foundation Day, Women's Day, Hindi Diwas, Republic Day etc. in its brand building efforts.

It is also the responsibility of NMD to work closely with trade bodies like Federation of Indian Exporters Organisation (FIEO), Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI), Confederation of Indian Industry (CII) and several export promotion councils to serve the objective of export promotion.

CORPORATE PLAN

The Company reviews its business performance and prepares a Corporate Plan for a period of five years and accordingly the Corporate Plan for the period 2015 – 2020 has been prepared and is approved by the Board. The Plan envisages increasing of its coverage of national exports to 10% by 2020. The Plan gives a SWOT analysis of the Company, business trends, international business scenario, India's exports and provides business projections on a year-on-year basis. The Company has chalked out strategy to achieve the business projected in the next five years by augmenting its underwriting capacity, reinforcing its risk management / prudential norms, developing/modifying its insurance products, strengthening its marketing efforts and laying emphasis on recovery measures and providing quality service to its customers.

बनाकर व वसूली उपायों को प्रभावी बनाकर तथा अपने ग्राहकों को गुणवत्तापूर्वक सेवा प्रदान करने के जरिए कारोबार के लक्ष्यों को प्राप्त करने की रणनीति तैयार की गई है।

वैकल्पिक विपणन एवं वितरण माध्यम

बीमा उत्पादों के विपणन और वितरण को सशक्त करने के लिए तथा भारत में क्रेडिट बीमा के क्षेत्र मे पहुँच बढ़ाने के लिए एन॰एम॰डी॰ ने 31 मार्च 2016 को 103 ब्रोकरों को सूचीबद्ध किया है। साथ ही कंपनी द्वारा 26 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको के साथ बैंकाश्योरेंस की व्यवस्था स्थापित की है। यद्यपि, आई॰आर॰डी॰ए॰आई॰ के नए दिशानिर्देशों के अनुसार बीमा उत्पाद बेचने के लिए बीमा कंपनियों को बैंकों के साथ एक नया अनुबंध करना होगा वो भी तब जब बैंकों द्वारा आईआरडीएआई के पास पंजीकरण के नए प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन कर रखा हो। एनएमडी बैंकाश्योरेंस के अनुबंधों को हस्ताक्षरित करने को प्रक्रिया को पुनः प्रारम्भ कर चुका है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान बैकों द्वारा प्राप्त व्यापार 2.38 करोड़ तथा ब्रोकरों द्वारा प्राप्त व्यापार से अर्जित प्रीमियम 27.85 करोड़ था जो कि 382 करोड़ की अल्प अवधि पॉलिसी प्रीमियम आय का क्रमशः 0.63% और 7.29% है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) पहल एवं दीर्घकालिक विकास (एस डी)

ईसीजीसी की बोर्ड से अनुमोदित सीएसआर नीति(पॉलिसी) है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान शिक्षा, सूखा प्रभावित गावों में स्वच्छ जल, स्वास्थ्य, वृद्ध-आश्रम की सुविधा, सफाई आदि की सुविधा जैसे कई सामाजिक क्षेत्रों मे कंपनी ने काम किया है।इन

ALTERNATE MARKETING & DISTRIBUTION CHANNELS

In order to strengthen the marketing and distribution of insurance products and increase the penetration of credit insurance in India, NMD has empanelled 103 brokers as on March 31, 2016. The Company had also entered into bancassurance arrangement with 26 public sector banks. However, as per IRDAI's recent guidelines, all Insurance companies have been directed to enter into fresh agreements with banks to sell insurance products only after the banks have applied to IRDAI and obtained a new Certificate of Registration. NMD is in the process of redoing the exercise of signing bancassurance agreements.

During FY 2015-16, the premium earned from business procured through the banks amounted to ₹2.38 Crore and the premium earned under the business placed by the brokers was ₹27.85 Crore which constitutes 0.63 % and 7.29 % respectively of the Short Term policy premium income of ₹382 Crore.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) INITIATIVES AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (SD)

ECGC has a Board approved CSR Policy. A number of CSR initiatives have been undertaken during FY 2015-16 in the field of education, providing safe drinking water in drought prone villages, health care, providing facilities to old age homes, sanitation etc. The implementation partners for CSR activities are TATA Institute of Social

पॉलिसियों के अधीन संरक्षित प्रमुख देशवार जोखिम मूल्य (% हिस्सा)
Major Country-wise Risk Value Covered under Policies (% share)

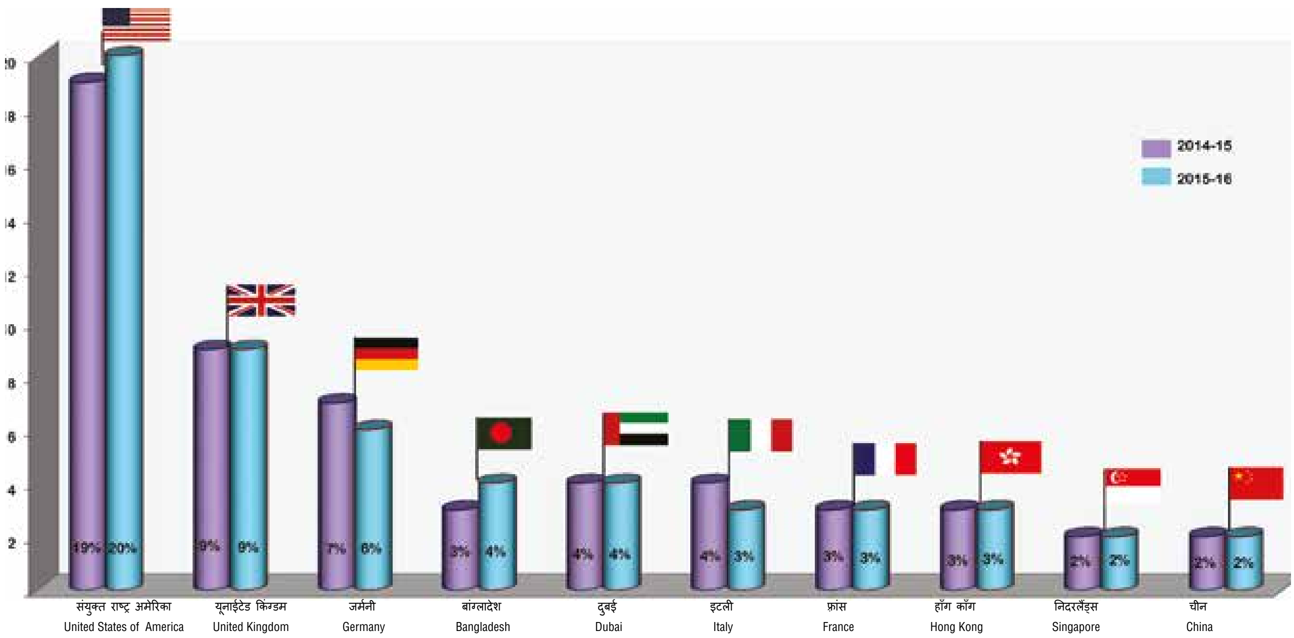

सीएसआर उपक्रम के कार्यों मे कंपनी के परिपालन सहयोगी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान(टीआईएसएस) और विज्ञान और प्रौधोगिकी पार्क(एसटीपी) पुणे हैं।भारत सरकार के स्वच्छ भारत कोश में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए योगदान किया गया है और साथ ही स्वच्छ गंगा फंड मे भी योगदान किया गया है। ईसीजीसी, टीआईएसएस के माध्यम से पाँच सामुदायिक अध्ययन केंद्रों, जो बृहन्मुंबई महानगरपालिका के एम-वार्ड मे स्थित है, के संचालन मे सहयोग कर रहा है। सुरक्षित पेयजल परियोजना में भी प्रगति हुई है और अब 'जलदूतों' की संख्या दो से छः हो गयी है। ईसीजीसी समाज और समुदाय में धारणीय वृद्धि को प्रोत्साहित करने तथा सामाजिक रूप से जिम्मेदार कॉर्पोरेट इकाई होने की भूमिका निभाने हेतु कटिबद्ध है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

ईसीजीसी लिमिटेड में भारत सरकार की राजभाषा नीति का गंभीरता से कार्यान्वयन किया जाता है। निगम ने गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित सभी लक्ष्यों प्राप्ति की है। निगम को वर्ष 2014-15 के दौरान "ख" क्षेत्र में राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए 14 सितंबर 2015 को आयोजित "राजभाषा पुरस्कार" समारोह में भारत के माननीय राष्ट्रपति " श्री प्रणब मुखर्जी " द्वारा इन्दिरा गांधी राजभाषा के "द्वितीय पुरस्कार " से सम्मानित किया गया। निगम को यह पुरस्कार 19वीं बार प्राप्त हुआ है। निगम को वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए वाणिज्य मंत्रालय के राजभाषा विभाग से भी प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा यह 17वीं बार पुरस्कृत किया गया है।

निगम की, भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में लगातार प्रगति हो रही है। ईसीजीसी लिमिटेड की शाखा व क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा दिनांक 12 सितंबर 2015 से 26 सितंबर 2015 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। हिन्दी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें प्रत्येक स्तर के अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। दिनांक 20 अक्तूबर 2015 को सम्पन्न हिन्दी दिवस समारोह के दौरान आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में विजेता अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया तथा हिन्दी दिवस समारोह में श्रीमती सूर्यबाला सिंह, सुप्रसिद्ध हिन्दी साहित्यकार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थीं।

वर्ष के दौरान अल्लेपी, केरल में क्षेत्रीय कार्यालयों / शाखा कार्यालयों / प्र का के विभागों के हिन्दी अधिकारियों की उपलब्धियों व समस्याओं के निवारण के लिए अखिल भारत हिन्दी अधिकारियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें

Sciences (TISS), and Science & Technology Park (STP), Pune. Contribution to Swachh Bharat Kosh of the government of India to promote sanitation has been made and also to Swachh Ganga Fund. ECGC has supported the running of five Community study centres in M-ward area of Municipal Corporation of Greater Mumbai through TISS. The safe drinking water project has also been scaled up from two to six "Jaldoots". ECGC is committed to promote sustained growth for the society and community in fulfilment of its role as a socially responsible corporate entity.

IMPLEMENTATION OF OFFICIAL LANGUAGE POLICY

ECGC Ltd. is very active in the implementation of Official Language Policy of Government of India. The Company has achieved all the targets laid down in the annual Rajbhasha programme for the FY 2015-16 by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India. The Company has been honoured with the Second prize of The Rajbhasha Kirti Puraskar, in the "Rajbhasha Puraskar Samaroh" organized on 14th September, 2015 for the FY 2014-15 in the "B" Region, by the Hon'ble President of India "Shri Pranab Mukherjee". The Company has been conferred this award for 19th time. The Company has also been conferred the First Prize for excellent implementation of Rajbhasha for the FY 2014-15 by the Ministry of Commerce and Industry. Ministry of Commerce has conferred its award for 17 times to the Company for the excellent implementation of official language policy.

The Company continued its progress in implementation of the Official Language Policy of the Government of India. The branch and regional offices of ECGC Ltd. celebrated the Hindi Fortnight from 14th to 28th September, 2015. During the Hindi Fortnight, various competitions were held and officers at every level participated enthusiastically. The winners were awarded cash prizes during the prize distribution function that was organized during the Hindi Day held on October 20, 2015 and Ms Suryabala Singh, renowned Hindi literature was present as a Chief Guest.

An All India Hindi Officers Conference was organized to discuss the achievements and problems faced by Hindi Officers at Regional/Branch/ HO(Dept) level in Alleppey, Kerala in which Hindi Officers of various regional and branch offices and Departments of Head Offices of ECGC Ltd. have participated. Solutions were suggested by the senior officials.

निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों, शाखा कार्यालयों व प्रधान कार्यालय के विभागों के हिन्दी अधिकारियों ने भाग लिया। जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा समस्याओं के समाधान दिए गए।

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान निगम में राजभाषा कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से "राजभाषा गौरव" और "राजभाषा उत्कृष्ट" पुरस्कार योजना आरंभ की गई है। निगम के अधिकारियों द्वारा अपने दैनिक कार्यों में हिन्दी के उपयोग को और अधिक बढ़ावा देने के लिए निगम में नकद पुरस्कारों सहित विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएँ जारी हैं। कर्मचारियों को अपने दैनिक कार्यों में हिन्दी के अधिकाधिक उपयोग और अपने कार्यालयों और विभागों में राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए शाखा कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय के विभागों की प्रत्येक वर्ष " अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक राजभाषा पुरस्कार " के लिए आपस में एक दूसरे की साथ प्रतिस्पर्धा हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

निगम का अपने ग्राहकों के साथ किए जाने वाले हिन्दी पत्राचार में निरंतर प्रगति हो रही है। अब निगम के सभी अधिकारियों के कम्प्यूटरों में यूनिकोड उपलब्ध करवा दिये जाने के फलस्वरूप अपने निर्यातक और बैंकर ग्राहकों को हिन्दी में ई मेल भी भेजे जा रहे है। निगम की वेबसाइट द्विभाषी में उपलब्ध है। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान निगम में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें मिली जुली भाषा में प्रशिक्षण दिये गए। निगम द्वारा आयोजित प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में 2 घंटे की हिन्दी कार्यशाला भी आयोजित की गई ।

निगम के सभी शाखा कार्यालयों , क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय के विभागों में नियमित रूप से राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें आयोजित की जातीं हैं जिसमें संबन्धित तिमाही के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

कंपनी बर्न यूनियन ,जो कि निर्यात क्रेडिट और और निवेश बीमाकर्ताओं की एक अग्रणी अंतरराष्ट्रीय संस्था है, की इसके प्रारम्भ से ही सदस्य है।बर्न यूनियन का उद्देश्य वैश्विक व्यापार और निवेश में सहयोग और वृद्धि को प्रोत्साहित करना है। वर्ष 2015 मे बर्न यूनियन के सदस्यों नें यू एस $1.9 ट्रिलियन कीमत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बीमा रक्षण प्रदान किया है जो कुल वैश्विक सीमापारीय व्यापार का 11% है। ईसीजीसी 'बर्न यूनियन प्रबंधन समिति' का, अक्तूबर 2015 से अक्तूबर 2017 तक दो वर्षों के लिए, आवर्ती सदस्य बन गया है । बर्न यूनियन से प्राप्त अनुभव ईसीजीसी द्वारा देशों का मूल्यांकन करने में सहायक होता है ,जैसा कि यह ईसीजीसी की देश जोखिम मूल्यांकन प्रणाली का एक मुख्य सूचकांक है। बर्न यूनियन के

To accelerate the official use of Hindi, certain schemes i.e "Rajbhasha Gaurav and Rajbhasha Utkarsh" promoting use of Hindi, during the FY 2015-16, various incentives, including cash prizes, are in vogue in the Company, to encourage and motivate the employees, for furtherance of the use of Hindi, in their daily office work. To encourage employees to use Hindi in their day to day official work, employees at the Branch Offices, Regional Offices and Head Office departments are encouraged to compete every year for the "Chairman and Managing Director's Official Language Award" for

19 जून 2015 को सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच द्वारा आयोजित "निर्यात ऋण एजेंसियां, ब्रिक्स : व्यापार और आर्थिक विस्तार " पैनल पर चर्चा में ईसीजीसी की अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, श्रीमती गीता मुरलीधर अन्य प्रतिभागियों के साथ।
Mrs. Geeta Muralidhar CMD, (ECGC) in the panel discussion with other participants at the International Economic Forum at St. Petersburg organized on June 19, 2015 on the topic "Export Credit Agencies, BRICS trade and economic expansion".

the excellent implementation of the official language in their respective offices.

The Company's correspondence in Hindi, with its customers, is showing steady progress. With the installation of Unicode software in all the computers of the Company, branches have started sending Hindi mails to Exporters and Bankers. The Website of the Company is available in bilingual form.

During the FY 2015-16, various training programs, including a training program for the substaff, were conducted by the Company, in which training was provided bilingually. A two hour workshop related to the Official Language Policy was a part of all the training programs conducted by the Company.

Quarterly Review meetings of the Official Language Implementation Committee were held regularly in all the Branches, Regional Offices and Head Office of the Company wherein detailed discussions held with regard to implementation of official language during the quarter.

अल्पावधि पॉलिसियों के अधीन प्रमुख पण्यवार जोखिम मूल्य (% हिस्सा)
Major Commodity-wise Risk Value under Short Term Polices (% share)

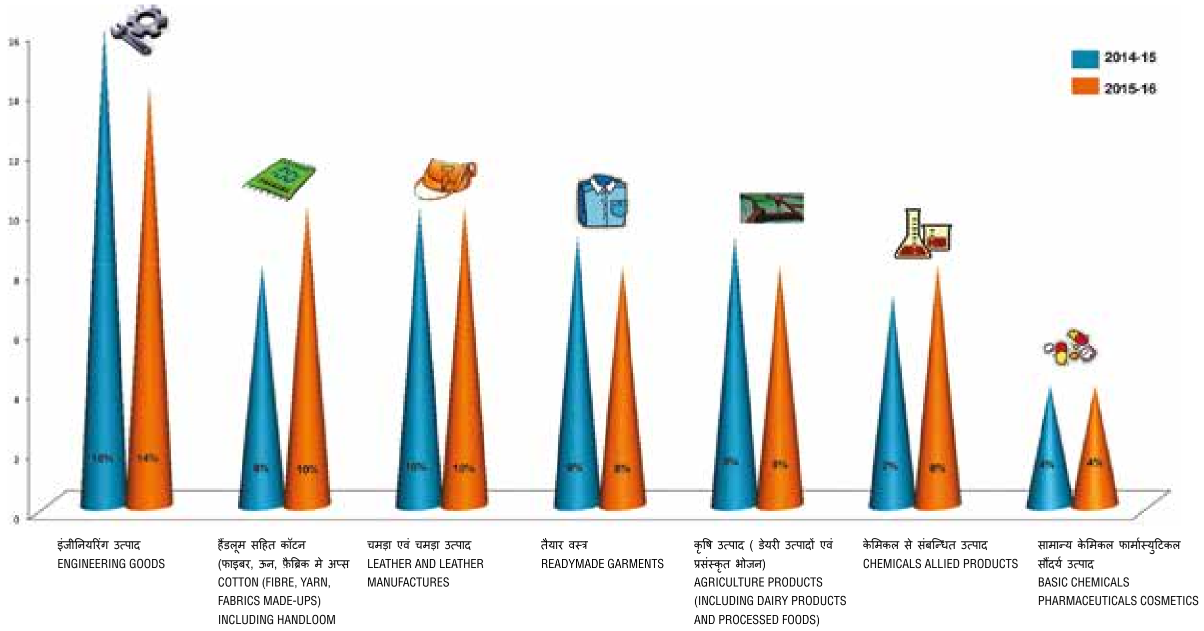

सदस्यों से संपर्क और उनका रुख़/ दृष्टिकोण भी उनकी नज़र मे जोखिम के अनुभवों को समझने तथा उसके अनुसार किसी देश विशेष के जोखिम अंकन मे सामंजस्य स्थापित करने में, जहां भी इसकी आवश्यकता हो, ईसीजीसी के लिए सहायक सिद्ध होता है।

ईसीजीसी नें वर्ष 2015 मई माह में इटली के फ्लोरेंस में हुई बैठक तथा नवंबर 2015 में चीन के शंघाई में हुई वार्षिक सामान्य बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया । जिसने क्रेडिट बीमा के क्षेत्र में देश के प्रति दृष्टिकोण,बीमा अंकन की विधियों तथा वसूली के उपाय संबंधी सूचनाओं और अनुभवों का आदान प्रदान करने का मंच उपलब्ध कराया।

बर्न यूनियन (बीयू) व्यापार के विकास और प्रोत्साहन हेतु प्रयासरत है। इन प्रयासों के अंतर्गत बीयू बर्न यूनियन निर्यात क्रेडिट एजेंसी तथा अग्रणी बाह्य संस्थानों को मिलाकर कार्यकारी समूहों का निर्माण कर रहा है । ईसीजीसी इस प्रकार के दो समूहों का सदस्य है जिनमें प्रोजेक्ट वित्तीय पर आईसीसी तथा निर्यात वित्तीय पर आईसीसी शामिल है। इन कार्यकारी समूहों का आगे विश्व बैंक / आईएफ़सी और आईसीसी के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गठन किया गया है।

ईसीजीसी बर्न यूनियन के क्षेत्रीय समूह का भी सदस्य है जिसमें एशियाई क्रेडिट बीमाकर्ता सम्मिलित है। वर्ष 2015 में ईसीजीसी नें 61वें और 62वें क्षेत्रीय सहयोग संगठन की मेजबानी और अध्यक्षता क्रमशः मई माह में फ्लोरेंस, इटली में तथा नवम्बर

INTERNATIONAL RELATIONS

The Company has been a member of the Berne Union (International Union of Credit and Investment Insurers), a leading International Association for the export credit and investment insurers, since inception. The aim of the Berne Union is to promote co-operation, growth in global trade and investments. During the year 2015, Berne Union members insured US$ 1.9 trillion worth of international business, which was almost 11% of the world's total cross-border trade. ECGC became a Rotating Member of Berne Union Management Committee for two years i.e. from October 2015 to October 2017. The experience of Berne Union helps ECGC in rating of countries as it is one of the parameters of ECGC's country risk rating system. The interaction with Berne Union members and their attitude also helps ECGC in understanding risk perception from their perspective, which helps us tuning our underwriting on a particular country, wherever required.

ECGC actively participated in the Berne Union Meetings held at Florence, Italy in May, 2015 and the Annual General Meeting held at Shanghai, China in November, 2015. This facilitated exchange of information and experience in the field of credit insurance which included country approach, underwriting techniques and recovery measures.

Berne Union (BU) has been taking initiatives to develop

माह में शंघाई, चीन में की। इन बैठकों में 11 भिन्न एशियाई देशों के सदस्यों नें भाग लिया।

ईसीजीसी, निर्यात क्रेडिट एजेंसीयों के जी-12 समूह का भी सदस्य है। जी-12 ईसीए समूह के ओईसीडी सदस्य कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, द॰ कोरिया, यूएसए, यूके तथा गैर-ओईसीडी सदस्य ब्राज़ील, चीन, भारत, और रूस हैं । ये सभी कार्यकारी बैठकें हैं जिनमें द्विपक्षीय विचार-विमर्श का मौका मिलता है। ईसीजीसी का प्रतिनिधित्व इसके अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक ने किया ।

ईसीजीसी ब्रिक्स ईसीए समूह का सदस्य है। इसका गठन ब्रिक्स देशों के ईसीए नामतः एबीजीएफ़, ईएक्सआईएआर, ईसीजीसी, एसआईएनओएसयूआरई और ईसीआईसी एसए के मध्य, ब्रिक्स देशों में व्यापार सहयोग और सरलीकरण पर साझा विचार-विमर्श स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है। कंपनी ने जून 2015 में सेंट पीटर्सबर्ग में सम्पन्न हुई ब्रिक्स ईसीए की वार्षिक बैठक में भाग लिया था। इसके अलावा ब्रिक्स व्यापार परिषद और ब्रिक्स प्रोधोगिकी कार्यशाला जो मास्को, रूस में क्रमशः जुलाई 2015 और मार्च 2016 में सम्पन्न हुई, में भाग लिया था। अब भारत वर्ष 2016 में ब्रिक्स देशों का अध्यक्ष और मेजबान है। अगली ब्रिक्स के ईसीए के शीर्षो की बैठक और प्रौधोगिकी कार्यशाला की मेजबानी और अध्यक्षता भारत में ईसीजीसी करेगा। ईसीजीसी ने अंतः ब्रिक्स व्यापार के लिए कदम उठाए हैं और ब्रिक्स सदस्यों के ईसीए के मध्य क्रियाशील क्षेत्रों पर एक एमओयू का प्रस्ताव रखा है।

कंपनी के अधिकारियों ने अंतर-राष्ट्रीय कार्यकारी समूह की निर्यात क्रेडिट पर हुई 8वी तथा 9वीं बैठक, जो क्रमशः ब्राज़ील और वाशिंगटन मे हुई, मे भाग लिया । साथ ही कंपनी के अधिकारियों ने वर्ष के दौरान हुई अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान की बैठकों में भी भाग लिया ।

ईसीजीसी अंतर्राष्ट्रीय ईसीए संस्थाओं के साथ द्विपक्षीय बैठकों और कार्यशालाओं मे शामिल रहा है। इसका उद्देश्य व्यापार प्रतिदर्श उत्पादों और जोखिम अंकन विधियों को समझना है। ये क्रिया-कलाप ईसीजीसी को आवश्यक बदलाव करने और इसके अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय ईसीए संस्थाओं की क्रियाविधि से अवगत होने का मौका मिलता है। वर्ष 2015 में ईसीजीसी के अधिकारियों नें अंतर्राष्ट्रीय ईसीए सस्थाओं यथा जर्मनी की अर्ल हेरमेस और हाँग काँग की एचकेईसी का अध्यन हेतु दौरा किया। ईसीजीसी नें टर्की के टर्क एक्सिम बैंक के अधिकारियों के लिए एक संवादमूलक बैठक का आयोजन किया। ईसीजीसी के अधिकारियों नें द्विपक्षीय पहल के रूप में, श्रीलंका की आधिकारिक निर्यात क्रेडिट एजेंसी एसएलईसीसीआई के अधिकारियों के लिए, एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन

and promote trade. Under the initiatives, BU forms Working Groups involving Berne Union Export Credit Agencies (ECAs) and leading external organisations. ECGC is a member of two such Working Groups involving ICC on project finance and ICC on export Finance. These Working Groups are set up with an objective of further Co-operation with the World Bank/ IFC and ICC to support international trade.

ECGC is also a member of Berne Union Regional Co-operation Group consisting of Asian Credit Insurers. During the year 2015, ECGC hosted and chaired the 61st and 62nd Regional Co-operation Group in Florence, Italy in May 2015 and Shanghai, China in November, 2015. Members from 11 different Asian countries participated in these meetings.

ECGC is a member of G12 Heads of Export Credit Agencies. The OECD members are Canada, France, Germany, Italy, Japan, S. Korea, USA, UK and non OECD members are Brazil, China, India, Russia which form the G-12 ECA Group. These are working meetings with opportunities for bilateral discussions. ECGC has been represented by its CMD.

ECGC is a member of BRICS ECA Group. It is set up with an objective of joint discussion for trade co-operation and facilitation amongst BRICS countries through enhanced dialogue between the BRICS ECAs, namely ABGF, EXIAR, ECGC, SINOSURE and ECIC SA. The Company participated in the BRICS ECA Annual meetings held in St. Petersburg in June 2015. Apart from this ECGC also participated in BRICS Business council and BRICS technical Workshop held at Moscow Russia in July 2015 and March 2016 respectively. Now India is host and chair for BRICS for the year 2016. Next BRICS Heads of ECA meeting and the technical Workshop will be hosted and chaired by ECGC in India. ECGC has taken initiatives to develop the Intra-BRICS trade and proposed a MOU proposal between BRICS member ECAs on operational areas.

The Company's officials participated in the 8th and 9th Meeting of the International Working Group (IWG) on Export Credits held at Brazil and Washington respectively. The Company officials also participated in the International Institute of Finance (IIF) meetings held during the year.

ECGC has been engaged in bilateral meetings and workshops involving international ECAs. The objective is to understand the business model products and underwriting techniques. These activities help ECGC to make necessary

किया।

ईसीजीसी के अधिकारियों नें विश्वप्रसिद्ध सम्मेलनों जैसे कि मार्च 2016 मे लंदन मे हुई 26वीं वार्षिक निर्यात क्रेडिट राजनैतिक जोखिम सम्मेलन, जून 2015 में रूस मे हुई सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक फोरम तथा फरवरी 2016 मे मुंबई में हुई जीटीआर भारत व्यापार और निर्यात वित्त सम्मेलन में पैनल विचार-विमर्श में वक्ता के रूप में भाग लिया।

ईसीजीसी द्वारा नांदेड़ जिले की किनवात तहसील के चार स्कूलों के छात्रों को सौर लालटेन वितरित की गईं। चित्र में सुश्री वसन्ता श्रीनिवास, क्षेप्र, पश्चिम क्षेत्र के साथ श्री राम अय्यर, समूह निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पार्क पुणे ।

ECGC distributed solar lanterns to students from Four Schools of Kinwat Tehsil of Nanded District under the CSR initiative to Promote education. Ms Vasantha Srinivas, RM, WRO along with Mr Ram Iyer, Group Director Science and Technology Park Pune are seen in the Picture.

मानव संसाधन एवं औद्योगिक संबंध

31 मार्च 2016 तक कंपनी की स्वीकृत कर्मचारी संख्या 655 थी। यदपि केवल 587 कर्मचारी ही कार्यरत थे। जनवरी से दिसम्बर 2015 के दौरान आईबीपीएस के माध्यम से 18 रिक्तियों को अधिकारियों की नियुक्ति द्वारा भरा गया। आईआरडीएआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंपनी के व्यापार में जोखिम की समीक्षा हेतु एक नियुक्त एस्चुरी की नियुक्ति अनुबंध पर की गई है। इस वर्ष में 66 कर्मचारियों की पदो-उन्नति विभिन्न संवर्ग में रिक्तियों के आधार पर हुई । कंपनी की आवश्यकताओं तथा सतर्कता विभाग के दिशा-निर्देशों के आधार पर 165 अधिकारियों का चक्रण ब्रांच कार्यालयो/ विभागों में किया गया है। नियुक्ति और पदो-उन्नति के प्रक्रम में सभी सांविधिक प्रावधानों का पालन किया गया है।

कर्मचारी हितों से संबन्धित नियम यथा वाहन ऋण, स्थानांतरण भत्ते आदि में संशोधन एलआईसी के आधार पर किया गया। शिकायत निवारण तंत्र के लिए मानक परिचालन क्रियाविधि बनाई गयी थी। कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ तिमाही बैठकों का आयोजन किया गया था।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन-उत्पीड़न(निवारण, निषेध और निदान) अधिनियम,2013, आंतरिक शिकायत समिति(आईसीसी) उन सभी ब्रांच/ कार्यालयों में सक्रिय है जहां कम से कम 10 कर्मचारी नियुक्त हैं। एक आईसीसी प्र.का. मे सक्रिय है जो प्र.का. के सभी विभागों और विशेष शाखाओं जिनकी कर्मचारी संख्या 10 से कम है, के लिए है। वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान इस अधिनियम के अधीन दायर किए गए वादों की संख्या शून्य है।

changes and also let its officers exposed to working of International ECAs. During 2015, ECGC officials visited

प्रदत्त सकल दावों की तुलना में अर्जित सकल प्रीमियम (₹ करोड़)
Trend of Gross Claims Paid vs Gross Premium Received (₹ crores)

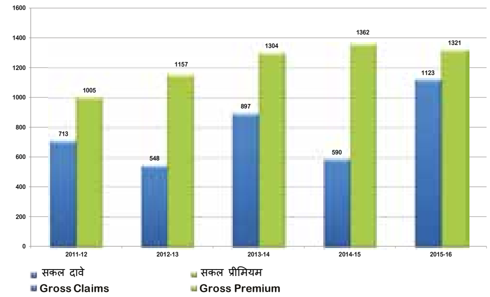

international ECAs such as Euler Hermes in Germany and HKEC in Hong Kong for study purpose. ECGC conducted an interactive meeting for the officials of Turk Exim bank, Turkey. ECGC officials, as part of bilateral initiative, also conducted Capacity Building Programme for officials of SLECIC, an official export credit agency in Sri Lanka.

ECGC officials participated as speaker in the panel discussions in the world renowned conferences such as 26th Annual Export Credit Political Risk conference held at London in March 2016, St. Petersburg International Economic Forum held at Russia in June 2015 and GTR India trade and Export Finance Conference at Mumbai in February 2016.

HUMAN RESOURCES & INDUSTRIAL RELATIONS

As on March 31, 2016, the sanctioned employee strength of the Company was 655. However, only 587 employees were on the rolls. 18 vacancies were filled up through recruitment of officers in the period January to December 2015 through IBPS. In accordance with the guidelines of IRDAI, Appointed Actuary was appointed on contract basis to evaluate the risk involved in the business of the Company. Sixty six employees were promoted during the year in different cadres based on the vacancies available. Based on the requirement of the Company and in compliance with the vigilance guidelines 165 officers were rotated among Branch Offices/Departments. All statutory provisions were complied with in the recruitment & promotion process.

The rules related to employee benefits such as vehicle loan, Transfer allowances etc. were revised in line with LIC. Standard Operating Procedure for grievance redressal mechanism was framed. Quarterly meetings with employee's representatives were conducted.

In accordance with the "The Sexual Harassment at Work

प्रदत्त पूंजी तथा प्रारक्षित निधियाँ (निवल मालियत) (₹ करोड़)
Paid-up Capital and Reserves (Net Worth) (₹ crores)

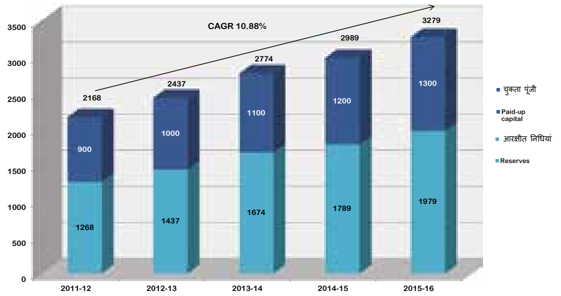

* सी ए जी आर - चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर / CAGR : Compounded Annual Growth Rate

प्रशिक्षण:

अपने कर्मचारियों के ज्ञान और कौशल को लगातार बढ़ाने के हमारे प्रयासों के अंतर्गत वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों को कौशल विकास के लिए विस्तृत श्रेणी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भेजा गया। एक प्रशिक्षिण कार्यक्रम "प्रतिस्पर्धात्मक समय में दबाव वाली परिसंपत्तियों का प्रबंधन एवं कठिन समय में प्रबंधन" नामक विषय पर शीर्ष प्रबंधन अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया था। इस/आलोच्य वित्त वर्ष के दौरान नव-नियुक्त पर्यवेक्षाधीन अधिकारियों के लिए आरंभिक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कनिष्ठ

सी एस आर पहल के अधीन टिस्स के जरिये ई सी जी सी द्वारा प्रायोजित पाँच सामुदायिक अध्ययन केन्द्रों में से एक केंद्र में अध्ययनरत बच्चे
Children seen at one of the five Community Study Centre's sponsored by ECGC through TISS under CSR initiative.

अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम वरिष्ठ अधिकारियों के लिए गहन तकनीकी पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया गया। भारत भर में क्षेत्र अधिकारियों को समेकित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया। वरिष्ठ स्तर के कार्यपालकों यथा उ.म.प्र., स.म.प्र. और व.प्र. को प्रबंधन विकास कार्यक्रमों के लिए नामित किया गया है जो कि नेतृत्व क्षमता जैसे कौशलों के विकास हेतु था तथा जिसका आयोजन प्रसिद्ध संस्थाओं जैसे आईआईएम द्वारा किया गया था । कर्मचारियों को उनके कार्यो के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों मे भेजा जाता है। समूह सी एवं डी के कर्मचारियों को कौशल विकास और व्यवहार विज्ञान का प्रशिक्षण दिया गया है । सभी स्तरों पर, गृह और बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी के कारण कंपनी कर्मचारी प्रशिक्षण के अपने लक्ष्य को, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में अंकित था, प्राप्त कर लिया है। महिला कर्मचारियों को सार्वजनिक क्षेत्र के महिला फोरम की राष्ट्रीय संगोष्ठी, जो बिलासपुर और चेन्नई मे सम्पन्न हुई, में भाग लेने हेतु नामित किया गया था।

Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013", Internal Complaints Committees (ICC) are functioning in all the branches/offices, employed at least 10 employees. One ICC is functioning at HO which includes all the Departments at HO, special branches wherever employee strength is less than 10. During the financial year 2015-16, the number of cases filed under this Act is Nil.

TRAINING

In our endeavour to continuously upgrade the knowledge and skills of its employees, during the FY 2015-16, officers at various levels were sponsored for a wide range of training programme for upgradation of skills. A Training Program on the subject of "Managing Stress Assets in Challenging Time & Managing through Difficult Time" was organised for top management. Induction course was organized for newly recruited Probationary Officers during the financial year under review. Refresher course for junior officers and intensive technical course for senior officers were also arranged. A comprehensive training was provided to Field Officers all over India. The senior level executives i.e. DGMs, AGMs, and SMs were nominated for Management Development Programmes and upgradation of skills like leadership etc. conducted by reputed institutes like IIMs. Employees were sponsored for the trainings as per their functional area of work. Training on skill upgradation and behavioural science was given to Group C and D employees. With active participation of employees at all levels in various in-house and external training programmes, the Company achieved the target for employee training set under MOU signed with the Ministry of Commerce & Industry. Women employees were nominated to attend National meet of Forum of Women in Public Sector (WIPS) held at Bilaspur and Chennai.

REPRESENTATION OF PERSONS WITH DISABILITY

The Company endeavours to provide employment to Persons with disabilities. As of March 31, 2016, the Company has 13 employees on its rolls belonging to the category of Persons with Disabilities. Details of Representation of SCs and STs in the total manpower of the Company in various cadres as on March 31, 2016 and of Representation of Persons with Disabilities in the Service of Company, in pursuance of the relevant provisions under Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995 are furnished in Annexure I and Annexure II respectively.

दिव्यांगों का प्रतिनिधित्व :

कंपनी दिव्यांगों को रोजगार उपलब्ध करने हेतु प्रयासरत है। दिनांक 31 मार्च, 2016 तक कंपनी में 13 दिव्यांग कर्मचारी कार्यरत हैं । कुल जनशक्ति में अ.जा. और अ.ज.जा. का 31 मार्च,2016 तक कंपनी के विभिन्न संवर्गों में प्रतिनिधित्व तथा विकलांग व्यक्ति(समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भीगीदारी) अधिनियम 1995 के अधीन प्रावधानों का पालन करते हुए कंपनी की सेवा में कार्यरत दिव्यांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व का विवरण क्रमशः अनुलग्नक I तथा अनुलग्नक II में है।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व:

कंपनी में अ.जा./अ.ज.जा. की नियुक्ति तथा आंतरिक पदोन्नति में आरक्षण से संबन्धित सभी नियमों का सख्ती से पालन किया जाता है। भारत सरकार की ओर से प्राप्त संबन्धित निर्देशों के अनुसार कंपनी ने 'पद-आधारित रोस्टर तंत्र' अपनाया है । सीधी भर्ती द्वारा और पदोन्नति द्वारा भरी गयी आरक्षित रिक्तियों की रिपोर्ट क्रमशः अनुलग्नक III और अनुलग्नक IV में अंकित है।

सामान्य प्रशासन

कंपनी का राजस्व और पूंजी व्यय निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित वार्षिक बजट से नियंत्रित और संचालित होता है।

सभी शाखा कार्यालयों/ क्षेत्रीय कार्यालयों को भारत सरकार की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) से खरीद की पॉलिसी को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये गए हैं। भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद पॉलिसी जो अप्रैल,2012 में समस्त एमएसएमई के लिए बनाई गयी कहती है कि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वस्तुओं और सेवाओं की वार्षिक आवश्यकता के 20% की खरीद 3 वर्षों में, सूक्ष्म और लघु उद्योगों (एमएसई) से करना आवश्यक है। सरकार ने इस 20% में अ.जा. और अ.ज.जा. के स्वामित्व वाली एमएसई के लिए 4% का उप-लक्ष्य निर्धारित किया है।

कंपनी द्वारा वस्तुओं की एक सूची बनाई गयी है जो आवश्यकता पड़ने पर एमएसई से खरीदीं जा सकती हैं। वित्तीय वर्ष 2015-16 में कंपनी नें कुल 4.26% वस्तुओं और सेवाओं की खरीद एमएसई से की जिसमें से 0.5% की खरीद अ.जा. और अ.ज.जा. स्वामित्व वाली एमएसई से की गयी। एमएसई को भुगतान में देरी की कोई भी सूचना नहीं है।

कंपनी नें ई-प्रकाशन पॉलिसी का भी अनुपालन किया है जो कि भारत सरकार की ई-अधिप्राप्ति पॉलिसी 2012 का एक भाग है।

भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन:

भारतीय लेखांकन मानक जो कि भारत में आईएफ़आरएस का अभिमुखी लेखांकन मानक है, बीमा क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2018-19 से एक वर्ष के सतुल्यों के साथ लागू होगा । आईआरडीएआई ने भारतीय लेखांकन मानक के आधार पर कच्चा वित्तीय विवरण उन्हे

अ प्र नि व का नि द्वारा प्रेस में वित्त वर्ष 2015-16 के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा करते हुए ।
CMD & ED addressing the press to announce financial results for FY 2015-16.

REPRESENTATION OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASSES

The Company strictly adheres to relevant Rules relating to Reservation of SCs/STs in recruitment and in internal promotions. In terms of the relevant instructions from the Government of India, the Company adopted a 'Post-based Roster system'. Details of 'Reserved vacancies filled in by direct recruitment and by Promotions' under report are furnished in Annexure III & Annexure IV respectively.

GENERAL ADMINISTRATION

Revenue and Capital Expenditure of the Company properly controlled and incurred within the Annual Budget approved by the Board of Directors.

All the Branch Office/Regional offices have been advised to take necessary steps to implement Government of India's Policy regarding procurement through Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). The Government of India's Public Procurement Policy framed in April, 2012, for all MSMEs mandates that 20% of procurement of annual requirement of goods and services by Public Sector Undertaking will be from Micro and Small Enterprise (MSEs) in a period of 3 years. Government has also prescribed a sub-target of 4% procurement of goods and service out of the 20% from MSEs owned by SC/ST enterprises.

The Company has indentified a list of items which may be procured from MSEs as and when need arises. In FY 2015-16, the Company procured 4.26% of goods and services from MSEs (including MSEs owned by SC/ST Entrepreneurs) and out of which 0.5% from MSEs owned by SC/ST Entrepreneurs. There have been no reported cases of delayed payment to MSMEs.

The Company has also complied with e-publishing policy

दिनांक 29.12.2015 को मुंबई में ईसीजीसी लिमिटेड द्वारा आयोजित ग्राहक परामर्श बैठक के दौरान सुश्री रीता तेवतिया, भाप्रसे, वाणिज्य सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय संबोधित करते हुए।
Smt Rita Teotia, IAS, Commerce Secretary, MOC& I, addressing the audience at the customer consultation meeting organized by ECGC Ltd in Mumbai on 29.12.2015

31 दिसंबर, 2016 तक भेजना है और बोर्ड को तिमाही आधार पर सूचित करना है। इस कार्य के लिए हमने कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में सात अन्य सदस्यों की एक संचालन समिति का गठन मार्च, 2016 में किया है जो कि हमारी कंपनी में भारतीय लेखांकन मानकों के उचित अनुपालन हेतु है। निदेशक मण्डल को यह सूचना दे दी गयी है।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

स्थान : नई दिल्ली — **गीता मुरलीधर**
दिनांक:18 मई 2016 — अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक

अनुबंध I

दिनांक 31.03.2016 तक कंपनी में कार्यरत कंपनी की जनशक्ति में अ.जा., अ.ज.जा. तथा अन्य पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व

समूह	कुल कार्यबल का प्रतिशत		
	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.जा.
क	15.20	4.76	12.38
ख	18.13	6.72	19.88
ग	40	12	4
घ	30	Nil	Nil
कुल%	**18.35**	**6.13**	**16.18**

अनुबंध II

दिनांक 31.03.2016 तक कंपनी कि सेवा में कार्यरत दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

समूह	कुल जनशक्ति का प्रतिशत			कुल
	नेत्रहीन विकलांग	श्रवणहीन विकलांग	विकलांग	ने.वि.+श्र.वि.+विकलांग
क	0	0	1	1
ख	4	2	5	11
ग	0	0	0	0
घ	1	0	0	1
कुल%	**5**	**2**	**6**	**13**

ने.वि. - नेत्रहीन विकलांग
श्र.वि. - श्रवणहीन विकलांग
विकलांग - विकलांग

which is a part of e-procurement policy of 2012 of Govt. of India.

IMPLEMENTATION OF INDIAN ACCOUNTING STANDARDS

Ind AS which is converged standards of IFRS in India will be applicable to Insurance sector from FY 2018-19 with one year comparatives. IRDAI has advised to prepare the proforma financial statement as per Ind AS and send it to them effective December 31, 2016 and report the progress to the Board on quarterly basis. For this purpose we have set up a Steering committee in March, 2016 for proper implementation of Ind AS in our Company, headed by Executive Director with seven other members. The same has been also informed to the Board of Directors.

For and on behalf of the Board of Directors

Place: New Delhi — **Geetha Muralidhar**
Date: May 18, 2016 — Chairman-cum-Managing Director

Annexure - I

REPRESENTATION OF SCs/ STs/ OBCs IN THE SERVICES OF THE COMPANY'S WORKFORCE AS ON 31.03.2016

Group	Percentage of Total Workforce		
	SCs	STs	OBCs
A	15.20	4.76	12.38
B	18.13	6.72	19.88
C	40	12	4
D	30	Nil	Nil
Total %	**18.35**	**6.13**	**16.18**

Annexure - II

REPRESENTAION OF PERSONS WITH DISABILITIES IN THE SERVICES OF THE COMPANY AS ON 31.03.2016

Group	Percentage of Total Workforce			Total
	VH	HH	OH	VH+HI+OH
A	0	0	1	1
B	4	2	5	11
C	0	0	0	0
D	1	0	0	1
Total %	**5**	**2**	**6**	**13**

VH - Visually Handicapped
HH - Hearing Handicapped
OH - Orthopaedically Handicapped

वर्ष 01.01.2015 से 31.12.2015 के दौरान अनुसूचित जाति, अनु जन जाति, तथा अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों से भरी गई आरक्षित रिक्तियाँ दर्शाते हुए विवरण

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF RESERVED VACANCIES FILLED BY MEMBERS OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASS DURING THE YEAR 01.01.2015 TO 31.12.2015

अनुबंध III / Annexure III

(ख) सीधी भर्ती से भरे गए पद / (A) Posts filled by direct recruitment

पद की श्रेणी / Class of Post	रिक्तियों की कुल संख्या / Total No. of Vacancies				आरक्षित रिक्तियों संख्या / No. of vacancies reserved						नियुक्त अजा/अजजा/अपिव की संख्या / No.of SC/ST/OBC candidates appointed			पिछले वर्ष से आगे लाए गए अजा/अजजा/अपिव की रिक्तियों की संख्या (ऐसे मामले जहाँ अपारक्षण स्वीकृत है) / No. of SC/ST/OBC vacancies carried forward from previous years(in such cases where dereservation is permitted)			कथित आगे लाए गए वर्ष के दौरान अजा के आरक्षण में निरयुक्त अजजा के उम्मीदवार तथा अजजा के आरक्षण में नियुक्त अजा के उम्मीदवारों की संख्या (ऐसे मामले जहाँ अपारक्षण स्वीकृत है) / No. of ST candidates appointed against SC reservation & No.of SC candidates appointed against ST reservation in the said year of carry forward (in such cases where dereservation is permitted)			तीन भर्ती वर्षों के लिए आगे लाए जाने के बाद व्यपगत आरक्षण(ऐसे मामले जहाँ अपारक्षण स्वीकृत है) / No. of reservations lapsed after carrying forward for 3 recruitment years (in such cases where dereservation is permitted)			पदों की कुल संख्या जिन्हें अगले वर्ष के न भरे गए आरक्षित रिक्तियों के रूप में आगे लाया गया / No.of reserved vacancies carried forward as backlog to next year		
	बैकलॉग रिक्तियाँ / Backlog Vacancies		वर्तमान रिक्तियाँ / Current Vacancies		कॉलम (4) में से / Out of Col. (4)			कॉलम (5) में से / Out of Col. (5)																	
	अधिसू-चित	भरी गई	अधिसू-चित	भरी गई	अजा	अजजा	अपिव	अजा	अजजा	अपिव	अजा	अजजा	अपिव	अजा	अजजा	अपिव	अजा	अजजा	अपिव	अजा	अजजा	अपिव	अजा	अजजा	अपिव
	Notified	Filled	Notified	Filled	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
श्रेणी I समूह (क) CLASS I Group (A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
श्रेणी II समूह (ख) CLASS II Group (B)	0	0	21	18	2	1	6	2	1	5	2	1	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
श्रेणी III समूह (ग) CLASS III Group (C)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
श्रेणी IV समूह (घ) CLASS IV Group (D)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* इसके अतिरिक्त, 2 अजा के उम्मीदवार मेरिट पर नियुक्त किए गए

* In addition, 2 SC candidates were appointed on merit

$ इसके अतिरिक्त, 2 अपिव के उम्मीदवार मेरिट पर नियुक्त किए गए

$ In addition, 2 OBC candidates were appointed on merit

वर्ष 01.01.2015 से 31.12.2015 के दौरान अनुसूचित जाति, अनु जन जाति, तथा अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों से भरी गई आरक्षित रिक्तियाँ दर्शाते हुए विवरण

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF RESERVED VACANCIES FILLED BY MEMBERS OF SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND OTHER BACKWARD CLASS DURING THE YEAR 01.01.2015 TO 31.12.2015

अनुबंध IV / Annexure IV

(ख) पदोन्नति से भरे गए पद / (B) Posts filled by promotion

पद की श्रेणी	रिक्तियों की कुल संख्या		रिक्तियों की संख्या कॉलम (2) में से		अजा / अजजा के लिए आरक्षित कॉलम (3) में से		अजा / अजजा के पदोन्नत उम्मीदवारों की संख्या		पिछले वर्ष से आगे लाई गई अजा/अजजा की रिक्तियों की संख्या		आगे लाए जाने के तीसरे वर्ष में अजा के लिए आरक्षित रिक्तियों के स्थान पर पदोन्नत अजजा की संख्या व इसके विपरीत		तीन वर्षों तक आगे लाए जाने के बाद व्यपगत रिक्तियों की संख्या		अगले वर्ष के लिए आगे लाई जाने वाली रिक्तियों की संख्या	
Class of Posts	Total Number of Vacancies		No.of Vacancies Out of Col. (2)		Reserved for SC/ST Out of Col.(3)		No.of SC/ST Candidates promoted		No.of SC/STs vacancies carried forward from the previous years		No.of STs promoted against vacancies reserved for SCs in the third year of carry forward and vice versa		No.of reservations lapsed after carrying forward for 3 years		No.of vacancies carried forward to next year	
	अधिसूचित	भरी गई	अजा	अजजा	अजा	अजजा	अजा	अजजा	अजा	अजजा	अजा	अजजा	अजा	अजजा	अजा	अजजा
	Notified	Filled	SC	ST	SC	ST	SC	ST	SC	ST	SC	ST	SC	ST	SC	ST
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
श्रेणी I समूह (क) CLASS I Group (A)	15	15	2	1	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
श्रेणी II समूह (ख) CLASS II Group (B)	18	18	5	0	5	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
श्रेणी III समूह (ग) CLASS III Group (C)	4	4	2	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
श्रेणी IV समूह (घ) CLASS IV Group (D)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

कंपनी शासन
Corporate Governance

अनुलग्नक II

कंपनी शासन पर ईसीजीसी का तत्वज्ञान

कंपनी सम्प्रेषण में पारदर्शिता एवं ईमानदारी तथा सभी हितधारकों के लिए पूर्ण, सही एवं स्पष्ट सूचना की उपलब्धता सुनिश्चित करती है। कंपनी भारत सरकार के स्वामित्व वाली संस्थाओं के लिए संगत तथा अंतरराष्ट्रीय मानकों एवं कंपनी शासन की श्रेष्ठ पद्धतियों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु प्रयासरत और प्रतिबद्ध है।

कंपनी स्वयं को अपने हितधारकों का ट्रस्टी मानती है तथा हितधारकों की संपत्ति के सृजन, उसकी सुरक्षा तथा हितों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करती है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निगम कंपनी नीतियों, विशिष्ट कारोबार योजनाओं, हामीदारी पॉलिसी/ प्रक्रियाओं, विवेकशील जोखिम प्रबंधन पॉलिसियों/ प्रथाओं तथा लेखा पॉलिसियों को बनाते एवं कार्यान्वित करते हुए अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रही है। सभी पॉलिसियाँ/ प्रक्रियाएं वैधानिक व नीतिगत दायित्वों का पालन करते हुए बनाई गयी हैं।

निदेशक मण्डल

कंपनी के निदेशक मण्डल का गठन कंपनी के अंतर्नियम के अनुच्छेद 63 के साथ पढ़े जाने वाले अनुछेद 57 द्वारा नियंत्रित होता है। अनुच्छेद 57 एवं 63 यह प्रावधान करता है कि निदेशक मण्डल में एक अध्यक्ष एवं एक प्रबंध निदेशक अथवा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक(जहां अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक का पद एक ही व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया जाता हो और वहाँ वही व्यक्ति हो), एक कार्यपालक निदेशक तथा कम से कम तीन एवं अधिकतम 13 निदेशक हों व जिसमें भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय आयात निर्यात बैंक, भारतीय साधारण बीमा निगम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारतीय निर्यात संगठन महासंघ, निर्यात संवर्धन परिषद तथा निर्यात से जुड़े लोग शामिल होते हैं। आज की तारीख़ तक बोर्ड के अंशकालिक निदेशकों के तेरह स्थानों में से सात स्थान रिक्त हैं । इन रिक्तियों को भरने कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 31 मार्च 2016 तक निदेशक मण्डल में शामिल निदेशकों के नाम, उनकी शैक्षणिक योग्यता, नियुक्ति की तारीख़ तथा श्रेणियाँ जिनके आधार पर उन्हे नियुक्त किया गया, का विवरण सारणी 1 में निम्नलिखित है:

Annexure II

ECGC'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE

The Company ensures transparency and integrity in communication and makes complete, accurate and precise information available to all its stakeholders. The Company is committed to and is continuously striving to ensure compliance with international standards and best practices of Corporate Governance, as relevant to Government of India owned entities.

The Company considers itself as a Trustee of its stakeholders and acknowledges its responsibility towards them, for creation and safeguarding the stakeholders' wealth and interests. During the year under review, the Company continued its pursuit of achieving its objectives through formulation and execution of corporate strategies, specific business plans, underwriting policies/procedures, prudent risk management policies/practices and accounting policies. All policies/procedures are framed conforming to legal and to ethical responsibilities.

BOARD OF DIRECTORS

The composition of the Board of Directors of the Company is governed by Article 57 read with Article 63 of the Articles of Association of the Company. Articles 57 and 63 provide that the Board of Directors shall consist of a Chairman, a Managing Director or a Chairman-cum-Managing Director (where the office is held by one and the same person), an Executive Director and not less than three and not more than thirteen other directors representing the Government of India, Reserve Bank of India, Export Import Bank of India, General Insurance Corporation of India, Public Sector Banks, Federation of Indian Export Organizations, Export Promotion Councils and Individuals connected with exports. As on date, seven of the thirteen positions for Part-Time Directors on the Board remain vacant. The process of filling up these vacancies has already been initiated. The names of Directors on the Board as on 31st March, 2016 along with their qualification, dates of appointment and categories under which they were appointed, are furnished in **Table 1** below:

सारणी 1 / Table 1

क्र सं Sr. No.	निदेशक का नाम Name of the Directors	शैक्षणिक योग्यता Qualification	बोर्ड में नियुक्ति की तारीख Date of Appointment	संवर्ग Category
1.	श्रीमती गीता मुरलीधर Ms. Geetha Muralidhar	बी.एस.सी., एम कॉम (बैंकिंग एवं इन्शुरेंस),पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट तथा इंटरनेशनल बिज़नेस ऑपरेशन्स B. Sc., M.Com. (Banking and Insurance, PG Diploma in Human Resource Management and International Business Operations.)	23.06.2015 (24.11.2014 से 22.06.2015 तक अप्रनि का अतरिक्त प्रभार) 23.06.2015 (was holding additional charge of CMD w.e.f. 24.11.2014 to 22.06.2015)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक Chairman-cum-Managing Director
2.	डॉ. गुरुप्रसाद मोहपात्रा Dr. Guruprasad Mohapatra	एम.ए (राजनीति विज्ञान), एम. फिल., एमबीए(लोक नीति), पीएच.डी. M.A. (Political Science), M. Phil, MBA(Public Policy), Ph.D	01.12.2015	गैर-कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) Non-Executive Part-Time Government Director (Ministry of Commerce & Industry, GOI)
3.	डॉ. सौरभ गर्ग Dr. Saurabh Garg	बी.टेक, एम.बी.ए., पी.एच.डी. B.Tech., MBA, Ph.D.	03.11.2014	गैर कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक (वित्त मंत्रालय, भारत सरकार) Non-Executive Part-Time Government Director (Ministry of Finance, GOI)
4.	श्रीमती मीना हेमचंद्र Smt. Meena Hemchandra	एम.ए.(अर्थशास्त्र), सी.एफ.ए M.A. (Economics), CFA	06.07.2015	गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Non-Executive Part-Time Non-Government Director
5.	श्री यदुवेन्द्र माथुर Shri Yaduvendra Mathur	बी.ए., एम.बी.ए.(वित्त) B.A., MBA (Finance)	13.05.2014	पदेन गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक Ex-Officio Non-Government Part-Time Director
6.	श्रीमती एलिस जी. वैद्यन Smt. Alice G. Vaidyan	एम.ए. (अँग्रेजी साहित्य.), एफ़.आई.आई.आई M.A. (Engl. Lit.), FIII	08.02.2016	पदेन अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Ex-Officio Non-Government Part-Time Director
7.	श्री एस.सी. रल्हन Shri S. C. Ralhan	बी.ए., मैकेनिकल इंजीनियरिंग B.A., Mechanical Engineering	16.06.2015	पदेन अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Ex-Officio Non-Government Part-Time Director
8.	श्री एम. सैंथिलनाथन Shri M. Senthilnathan	बी.एससी., एम.बी.ए B.Sc., MBA	30.12.2015	कार्यपालक निदेशक Executive Director
9.	श्री अरविंद मेहता Shri Arvind Mehta	एमए(अर्थशास्त्र) M.A. (Economics)	05.05.2010 (दिनांक01.12.2015 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 05.05.2010 (Ceased to be a Director w.e.f. 01.12.2015)	गैर-कार्यपालक अंशकालिक सरकारी निदेशक (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) Non-Executive Part-Time Government Director (Ministry of Commerce & Industry, GOI)
10.	श्री चन्दन सिन्हा Shri Chandan Sinha	एम.एससी.(भौतिकी), एमबीए (वित्त), सीएआईआईबी M.Sc.(Physics), MBA (Finance), CAIIB	09.07.2014 (दिनांक 17.06.2015 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 09.07.2014 (Ceased to be a Director w.e.f. 17.06.2015)	गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Non-Executive Part-Time Non-Government Director
11.	श्री ए.के. रॉय Shri A. K. Roy	बी.टेक.(आनर्स), एफ़आईआईआई B. Tech. (Hons), FIII	30.04.2012 (दिनांक 31.07.2015 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 30.04.2012 (Ceased to be a Director w.e.f. 31.07.2015)	पदेन गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक Ex-Officio Non-Government Part-Time Director
12.	श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे Shri Ajay Murlidhar Ponkshe	बी.कॉम. ए.सी.ए. ए.सी.एस B. Com., ACA, ACS	01.10.2013 (दिनांक 30.09.2015 से निदेशक के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) 01.10.2013 (Ceased to be a Director w.e.f. 30.09.2015)	गैर-कार्यपालक अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक Non-Executive Part-Time Non-Government Director

निदेशक मण्डल की बैठकों का विवरण तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए उपस्थिति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मण्डल को वर्ष में कम से कम चार बार इस प्रकार मिलना आवश्यक है कि दो बैठकों के मध्य 120 दिन से अधिक का अंतराल न हो । वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान छः बैठकों का आयोजन किया गया । वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान हुई निदेशक मण्डल की बैठकों का विवरण तथा प्रत्येक निदेशक कि उन बैठकों मे उपस्थिति का ब्योरा सारणी 2 में अंकित है :

सारणी 2

क्रसं	बैठक संख्या	बैठकों की तारीख	मण्डल बल	उपस्थित निदेशकों की संख्या
1.	396	06.05.2015	7	5
2.	397	10.06.2015	7	5
3.	398	15.07.2015	8	6
4.	399	12.08.2015	7	6
5.	400	10.11.2015	6	4
6.	401	11.02.2016	8	5

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान हुई बैठको में निदेशकों की उपस्थिति का व्यक्तिवार ब्योरा सारणी 3 में दर्शाया गया है:

सारणी 3

क्र. सं.	निदेशक का नाम	बैठकों मे उपस्थिति की संख्या / उनके कार्यकाल में सम्पन्न कुल बैठकों की संख्या
1.	श्रीमती गीता मुरलीधर	6/6
2.	डॉ गुरुप्रसाद मोहपात्रा	1/1
3.	डॉ. सौरभ गर्ग	3/6
4.	श्रीमती मीना हेमचन्द्र	4/4
5.	श्री यदुवेन्द्र माथुर	5/6
6.	श्रीमती एलिस जी. वैद्यन	0/1
7.	श्री एस.सी. रल्हन	2/4
8.	श्री एम. सैंथिलनाथन	1/1
9.	श्री अरविंद मेहता	5/5
10.	श्री चन्दन सिन्हा	1/2
11.	श्री ए.के. रॉय	0/3
12.	श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे	3/4

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 184(1) के अधीन वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए प्राप्त फॉर्म सं एम बी पी -1 के प्रकटीकरण के अनुसार निदेशकों द्वारा अन्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के निदेशक प्रभार का विवरण निम्नलिखित सारणी 4 में दर्शाया गया है

DETAILS OF THE MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND ATTENDANCE FOR FY 2015-16

The Board of Directors is required to meet at least four times every year in such a manner that not more than 120 days shall intervene between two consecutive meetings of the Board, as per the provisions of Section 173 of the Companies Act, 2013. There were six meetings held during the FY 2015-16. Details of the meetings of the Board of Directors held during the FY 2015-16 and attendance of individual Directors in those meetings are furnished below in Table 2:

Table 2

Sr. No.	Meeting Number	Date of Meetings	Board Strength	No. of Directors present
1.	396	06.05.2015	7	5
2.	397	10.06.2015	7	5
3.	398	15.07.2015	8	6
4.	399	12.08.2015	7	6
5.	400	10.11.2015	6	4
6.	401	11.02.2016	8	5

Attendance of Individual Directors in the meetings held during the FY 2015-16 are furnished below in Table 3:

Table 3

Sr. No.	Name of Directors	No. of meetings attended/ Total no. of meetings held during his/ her tenure
1.	Smt. Geetha Muralidhar	6/6
2.	Dr. Guruprasad Mohapatra	1/1
3.	Dr. Saurabh Garg	3/6
4.	Smt. Meena Hemchandra	4/4
5.	Shri Yaduvendra Mathur	5/6
6.	Smt. Alice G. Vaidyan	0/1
7.	Shri S. C. Ralhan	2/4
8.	Shri M. Senthilnathan	1/1
9.	Shri Arvind Mehta	5/5
10.	Shri Chandan Sinha	1/2
11.	Shri A. K. Roy	0/3
12.	Shri Ajay Murlidhar Ponkshe	3/4

Details of holding other Directorships by Directors on the Board as per disclosure u/s 184(1) of the Companies Act, 2013 in the Form MBP-1 received during the FY 2015-16 are furnished below in Table 4:

सारणी 4

क्र. सं.	निदेशकों के नाम जिनके पास निदेशन का अतरिक्त प्रभार है	निदेशन प्रभार की संख्या
1.	श्रीमती गीता मुरलीधर	1
2.	डॉ. गुरुप्रसाद मोहपात्रा	0
3.	डॉ.सौरभ गर्ग	1
4.	श्रीमती मीना हेमचन्द्र	0
5.	श्री यादवेन्द्र माथुर	4
6.	श्रीमती ऐलिस जी. वैद्यन	2
7.	श्री एस.सी. रल्हन	6
8.	श्री एम. सेंथिलनाथन	0
9.	श्री अरविंद मेहता	0
10.	श्री चन्दन सिन्हा	0
11.	श्री ए. के. रॉय	10
12.	श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे	19

लेखा-परीक्षा समिति- संगठन और उपस्थिति

कंपनी की लेखा-परीक्षा समिति का वित्तीय वर्ष 2015-16 मे, 15जुलाई' 2015 और 11फरवरी 2016 को पुनर्गठन किया गया । 31.03.2016 तक कंपनी की लेखा-परीक्षा समिति मे छः गैर-कार्यपालक निदेशक हैं। श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 12.08.2015 तक हुई लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों के अध्यक्ष थे।श्री यादवेन्द्र माथुर वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 12.08.2015 के बाद हुई लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों के अध्यक्ष थे।लेखा-परीक्षा समिति का संगठन 'कंपनी अधिनियम 2013' की धारा 177 की शर्तों को पूरा करता है।श्रीमती स्मिता वी. पंडित, कंपनी की कंपनी-सचिव,लेखा-परीक्षा समिति की भी सचिव हैं। लेखा-परीक्षा समिति 'कंपनी अधिनियम, 2013' की धारा 177 में उल्लिखित प्रावधानों के आधार पर कार्य करती है।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान लेखा-परीक्षा समिति की बैठकें दिनांक 06.05.2015, 10.06.2015, 15.07.2015, 12.08.2015, 10.11.2015 और 11.02.2016 को सम्पन्न हुईं।लेखा-परीक्षा समिति की बैठकों मे सदस्यों की उपस्थिति से संबन्धित विवरण सारणी 5 मे निम्नलिखित है:

Table 4

Sr. No.	Name of the Directors holding other directorships	No. of other directorships
1.	Smt. Geetha Muralidhar	1
2.	Dr. Guruprasad Mohapatra	0
3.	Dr. Saurabh Garg	1
4.	Smt. Meena Hemchandra	0
5.	Shri Yaduvendra Mathur	4
6.	Smt. Alice G. Vaidyan	2
7.	Shri S. C. Ralhan	6
8.	Shri M. Senthilnathan	0
9.	Shri Arvind Mehta	0
10.	Shri Chandan Sinha	0
11.	Shri A. K. Roy	10
12.	Shri Ajay Murlidhar Ponkshe	19

AUDIT COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The Audit Committee of the Company has been re-constituted on July 15, 2015 and February 11, 2016 during the FY 2015-16. As on 31.03.2016, the Audit Committee of the Company comprises of six non-executive Directors. Shri Ajay Murlidhar Ponkshe was the Chairman of the Audit Committee during the FY 2015-16 for the meetings held till 12.08.2015. Shri Yaduvendra Mathur was the Chairman of the Audit Committee during the FY 2015-16 for the meetings held after 12.08.2015. The constitution of the Audit Committee meets with the requirements of Section 177 of the Companies Act, 2013. Smt Smita V. Pandit, Company Secretary of the Company is the Secretary of the Audit Committee. The Audit Committee has discharged such roles as envisaged under the provisions of Section 177 of the Companies Act, 2013.

The Audit Committee met six times, on 06.05.2015, 10.06.2015, 15.07.2015, 12.08.2015, 10.11.2015 and 11.02.2016 during the FY 2015-16. The details of the attendance of the Members at the Audit Committee meetings are furnished below in Table 5:

सारणी 5

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	सदस्य रूप मे नियुक्ति की तारीख	बैठकों की संख्या जिनमें शामिल हुए / उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की कुल संख्या
1.	डॉ. गुरुप्रसाद मोहपात्रा	11.02.2016	0/0
2.	डॉ. सुभाष गर्ग	10.11.2014	3/6
3.	श्रीमती मीना हेमचन्द्र	15.07.2015	¾
4.	श्री यदुवेन्द्र माथुर	13.05.2014	5/6
5.	श्रीमती एलिस जी. वैद्यन	11.02.2016	0/0
6.	श्री एस.सी. रल्हन	11.02.2016	0/0
7.	श्री अरविंद मेहता	04.06.2010 (01.12.2015 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	5/5
8.	श्री चन्दन सिन्हा	13.08.2014 (17.06.2015 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	½
9.	श्री ए.के. रॉय	10.08.2012 (31.07.2015 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	0/3
10.	श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे	11.11.2013 (30.09.2015 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	¾

निवेश समिति - संगठन और उपस्थिति

कंपनी की निवेश समिति का पुनर्गठन, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान , 15 जुलाई 2015 और 11 फरवरी 2016 को किया गया ।वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान दिनांक 06.05.2015, 12.08.2015, 10.11.2015 और 11.02.2016 पर निवेश समिति की कुल चार बैठकें सम्पन्न हुईं।निवेश समिति की बैठकों मे सदस्यों की उपस्थिति से संबंधित विवरण सारणी 6 मे निम्नलिखित है:

Table 5

Sr. No.	Name of the Directors	Date of appointment as Member	No. of meetings attended/ Total no. of meetings held during his/her tenure
1.	Dr. Guruprasad Mohapatra	11.02.2016	0/0
2.	Dr Saurabh Garg	10.11.2014	3/6
3.	Smt. Meena Hemchandra	15.07.2015	3/4
4.	Shri Yaduvendra Mathur	13.05.2014	5/6
5.	Smt. Alice G. Vaidyan	11.02.2016	0/0
6.	Shri S. C. Ralhan	11.02.2016	0/0
7.	Shri Arvind Mehta	04.06.2010 (ceased to be a Member w.e.f. 01.12.2015)	5/5
8.	Shri Chandan Sinha	13.08.2014 (ceased to be a Member w.e.f. 17.06.2015)	1/2
9.	Shri A. K. Roy	10.08.2012 (ceased to be a Member w.e.f. 31.07.2015)	0/3
10.	Shri Ajay Murlidhar Ponkshe	11.11.2013 (ceased to be a Member w.e.f. 30.09.2015)	3/4

INVESTMENT COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The Investment Committee of the Company has been re-constituted on July 15, 2015 and February 11, 2016, during the FY 2015-16. The Investment Committee met four times, on 06.05.2015, 12.08.2015, 10.11.2015 and 11.02.2016 during the FY 2015-16. The details of the attendance of the Members of the Investment Committee Meetings are furnished below in Table 6:

सारणी 6

क्र. सं.	निदेशकों / सदस्यों के नाम	सदस्य रूप में नियुक्ति की तारीख	बैठकों की संख्या जिनमें शामिल हुए / उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की कुल संख्या
1.	श्रीमती गीता मुरलीधर	i) कार्यपालक निदेशक के रूप में दिनांक19.07.2010 से 22.06.2015 तक (दिनांक24.11.2014 से 22.06.2015तक का.नि. के रूप में अ.प्र.नि. का अतरिक्त प्रभार); ii)दिनांक23.06.2015 से अ.प्र.नि. के रूप में कार्यरत	4/4
2.	डॉ. गुरूप्रसाद मोहपात्रा	11.02.2016	0/0
3.	डॉ. सौरभ गर्ग	10.11.2014	1/4
4.	श्रीमती मीना हेमचन्द्र	15.07.2015	2/3
5.	श्री यदुवेन्द्र माथुर	13.05.2014	3/4
6.	श्रीमती एलिस जी. वैद्यन	11.02.2016	0/0
7.	श्री अरविंद मेहता	04.06.2010 (दिनांक 01.12.2015 से सदस्य रूप मे कार्यकाल की समाप्ति)	3/3
8.	श्री चन्दन सिन्हा	13.08.2014 (दिनांक17.06.2015 से सदस्य रूप मे कार्यकाल की समाप्ति)	1/1
9.	श्री ए. के. रॉय	10.08.2012 (दिनांक31.07.2015 से सदस्य रूप मे कार्यकाल की समाप्ति)	0/1
10.	श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे	11.11.2013 (दिनांक30.09.2015 से सदस्य रूप मे कार्यकाल की समाप्ति)	2/2
11.	श्री एम. सेंथिलनाथन	i) 01.07.2011 से सी एफ ओ के रूप में (21.07.2015 से सी एफ ओ व सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति) ii) 11.02.2016 से कानि के रूप में	1/1
12.	श्री संदीप मुखर्जी	21.07.2015 से मुख्य निवेश अधिकारी के रूप में	3/3
13	श्री सी.एन.ए. अंबरसन	13.10.2015 से सी एफ ओ के रूप में	2/2
14	श्री रोहित पाण्ड्या	21.07.2015 से सी एफ ओ के रूप में (13.10.2015 से सी एफ ओ व सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति	1/1

Table 6

Sr. No.	Name of the Directors/ Members	Date of appointment as Member	No. of meetings attended/ Total no. of meetings held during his/her tenure
1.	Smt. Geetha Muralidhar	i) As ED from 19.07.2010 to 22.06.2015 (As ED holding additional charge of CMD from 24.11.2014 to 22.06.2015); ii) as CMD w.e.f. 23.06.2015	4/4
2.	Dr. Guruprasad Mohapatra	11.02.2016	0/0
3.	Dr Saurabh Garg	10.11.2014	1/4
4.	Smt. Meena Hemchandra	15.07.2015	2/3
5.	Shri Yaduvendra Mathur	13.05.2014	3/4
6.	Smt. Alice G. Vaidyan	11.02.2016	0/0
7.	Shri Arvind Mehta	04.06.2010 (ceased to be a Member w.e.f. 01.12.2015)	3/3
8	Shri Chandan Sinha	13.08.2014 (ceased to be a Member w.e.f. 17.06.2015)	1/1
9.	Shri A. K. Roy	10.08.2012 (ceased to be a Member w.e.f. 31.07.2015)	0/1
10.	Shri Ajay Murlidhar Ponkshe	11.11.2013 (ceased to be a Member w.e.f. 30.09.2015)	2/2
11.	Shri M. Senthilnathan	i) As CFO w.e.f. 01.07.2011 (ceased to be CFO & Member w.e.f. 21.07.2015) ii) As ED w.e.f. 11.02.2016	1/1
12.	Shri Sandeep Mukherjee	As Chief Investment Officer w.e.f. 21.07.2015	3/3
13.	Shri C N A Anbarasan	As CFO w.e.f. 13.10.2015	2/2
14.	Shri Rohit Pandya	As CFO w.e.f. 21.07.2015 (ceased to be a CFO & Member w.e.f. 13.10.2015)	1/1

क्र. सं.	निदेशकों / सदस्यों के नाम	सदस्य रूप में नियुक्ति की तारीख	बैठकों की संख्या जिनमें शामिल हुए / उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की कुल संख्या
15.	श्रीमती आर. पद्मावती	01.06.2013 से सी एफ ओ व सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति (दिनांक. 21.07.2015 से सदस्य रूप मे कार्यकाल की समाप्ति)	1/1
16.	श्रीमती प्रिसिला सिन्हा	10.08.2015 से नियुक्त बीमांकक के रूप में	2/2
17.	श्री मयूर अंकोलेकर	15.05.2012 से नियुक्त बीमांकक के रूप में (दिनांक 15.08.2015 से सदस्य रूप मे कार्यकाल की समाप्ति)	2/2

पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति - संरचना और उपस्थिति

कंपनी की पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति का पुनर्गठन, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 15जुलाई' 2015 और 11फरवरी' 2016 को किया गया ।वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति की बैठकें चार बार दिनांक 06.05.2015, 12.08.2015, 10.11.2015 और 11.02.2016 को हुई। पॉलिसीधारकों के हितों की सुरक्षा समिति के सदस्यों की बैठकों के दौरान उपस्थिति संबंधी विवरण सारणी 7 में निम्नलिखित है:

सारणी 7

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	सदस्य रूप में नियुक्ति की तारीख	बैठक में उपस्थिति की संख्या/ कुल बैठकों की संख्या
1.	श्रीमती गीता मुरलीधर	i) कार्यपालक निदेशक के रूप में 24.11.2014 से 22.06.2015 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतरिक्त प्रभार ; ii)दिनांक 23.06.2015 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	4/4
2.	डॉ. गुरुप्रसाद मोहपात्रा	11.02.2016	0/0
3.	श्रीमती मीना हेमचन्द्र	15.07.2015	2/3
4.	श्री यदुवेन्द्र माथुर	13.05.2014	3/4
5.	श्रीमती एलिस जी.वैद्यन	11.02.2016	0/0

Sr. No.	Name of the Directors/ Members	Date of appointment as Member	No. of meetings attended/ Total no. of meetings held during his/her tenure
15.	Smt R Padmavathy	As Chief Investment Officer w.e.f. 01.06.2013 (ceased to be a Member w.e.f. 21.07.2015)	1/1
16.	Smt Priscilla Sinha	As Appointed Actuary w.e.f. 10.08.2015	2/2
17.	Shri Mayur Ankolekar	As Appointed Actuary w.e.f. 15.05.2012 (ceased to be a Member w.e.f. 15.08.2015)	2/2

POLICYHOLDERS' INTEREST PROTECTION COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The Policyholders' Interest Protection Committee of the Company has been re-constituted on July 15, 2015 and February 11, 2016, during the FY 2015-16. The Policyholders' Interest Protection Committee met four times, on 06.05.2015, 12.08.2015, 10.11.2015, and 11.02.2016, during the FY 2015-16. The details of the attendance of the Members at the Policyholders' Interest Protection Committee Meetings are furnished below in Table 7:

Table 7

Sr. No.	Name of the Directors	Date of appointment as Member	No. of meetings attended/ Total no. of meetings held during his/ her tenure
1.	Smt. Geetha Muralidhar	i) As ED holding additional charge of CMD from 24.11.2014 to 22.06.2015; ii) As CMD w.e.f. 23.06.2015	4/4
2.	Dr. Guruprasad Mohapatra	11.02.2016	0/0
3.	Smt. Meena Hemchandra	15.07.2015	2/3
4.	Shri Yaduvendra Mathur	13.05.2014	3/4
5.	Smt. Alice G. Vaidyan	11.02.2016	0/0

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	सदस्य रूप में नियुक्ति की तारीख	बैठक में उपस्थिति की संख्या/ कुल बैठकों की संख्या
6.	श्री एस.सी. रल्हन	15.07.2015	1/3
7.	श्री अरविंद मेहता	13.08.2014 (दिनांक 01.12.2015 से सदस्य रूप मे कार्यकाल की समाप्ति)	3/3
8.	श्री चन्दन सिन्हा	13.08.2014 (दिनांक 01.12.2015 से सदस्य रूप मे कार्यकाल की समाप्ति)	1/1
9.	श्री ए. के. रॉय	10.08.2012 (दिनांक 31.07.2015 से सदस्य रूप मे कार्यकाल की समाप्ति)	0/1
10.	श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे	11.11.2013 (दिनांक 30.09.2015 से सदस्य रूप मे कार्यकाल की समाप्ति)	2/2

जोखिम प्रबंधन समिति- संरचना और उपस्थिति

कंपनी की जोखिम प्रबंधन समिति का पुनर्गठन, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान 15 जुलाई 2015 और 11फरवरी 2016 कों किया गया। वित्तीय वर्ष 2015-16 में जोखिम प्रबंधन समिति की पाँच बैठकें 06.05.2015, 15.07.2015, 12.08.2015, 10.11.2015 और 11.02.2016 को हुई। जोखिम प्रबंधन समिति की बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति संबंधी विवरण सारणी 8 में निम्नलिखित है:

सारणी 8

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	सदस्य रूप में नियुक्ति की तारीख	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए / कार्यकाल मे आयोजित बैठकों की कुल संख्या
1.	श्रीमती गीता मुरलीधर	i) का.नि. के रूप मे दिनांक 24.11.2014 से 22.06.2015 तक अ.प्र.नि. का अतरिक्त प्रभार; ii) दिनांक 23.06.2015 से अ.प्र.नि. के रूप मे कार्यरत	5/5
2.	डॉ. गुरूप्रसाद मोहपात्रा	11.02.2016	0/0
3.	डॉ. सौरभ गर्ग	10.11.2014	2/5

Sr. No.	Name of the Directors	Date of appointment as Member	No. of meetings attended/ Total no. of meetings held during his/ her tenure
6.	Shri S. C. Ralhan	15.07.2015	1/3
7.	Shri Arvind Mehta	13.08.2014 (ceased to be a Member w.e.f. 01.12.2015)	3/3
8.	Shri Chandan Sinha	13.08.2014 (ceased to be a Member w.e.f. 17.06.2015)	1/1
9.	Shri A. K. Roy	10.08.2012 (ceased to be a Member w.e.f. 31.07.2015)	0/1
10.	Shri Ajay Murlidhar Ponkshe	11.11.2013 (ceased to be a Member w.e.f. 30.09.2015)	2/2

RISK MANAGEMENT COMMITTEE - COMPOSITION AND ATTENDANCE

The Risk Management Committee of the Company has been re-constituted on July 15, 2015 and February 11, 2016, during the FY 2015-16. The Risk Management Committee met five times, on 06.05.2015, 15.07.2015, 12.08.2015, 10.11.2015, and 11.02.2016, during the FY 2015-16. The details of the attendance of the Members at Risk Management Committee meetings are furnished below in Table 8:

Table 8

Sr. No.	Name of the Directors	Date of appointment as Member	No. of meetings attended/ Total no. of meetings held during his/ her tenure
1	Smt. Geetha Muralidhar	i) As ED holding additional charge of CMD from 24.11.2014 to 22.06.2015; ii) As CMD w.e.f. 23.06.2015	5/5
2	Dr. Guruprasad Mohapatra	11.02.2016	0/0
3	Dr Saurabh Garg	10.11.2014	2/5

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	सदस्य रूप में नियुक्ति की तारीख	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए / कार्यकाल मे आयोजित बैठकों की कुल संख्या
4.	श्रीमती मीना हेमचन्द्र	15.07.2015	3/4
5.	श्री यदुवेन्द्र माथुर	13.05.2014	4/5
6.	श्रीमती एलिस जी॰ वैद्यन	11.02.2016	0/0
7.	श्री अरविंद मेहता	13.08.2014 (दिनांक 01.12.2015 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	4/4
8.	श्री चन्दन सिन्हा	13.08.2014 (दिनांक 17.06.2015 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	1/1
9.	श्री ए॰के॰रॉय	01.09.2012 (दिनांक 31.07.2015 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	0/2
10.	श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे	11.11.2013 (दिनांक 30.09.2015 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)	2/3

नामांकन व पारिश्रमिक समिति :

कंपनी की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एन.आर.सी.) का पुनर्गठन, वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान दिनांक 15 जुलाई 2015 और 11 फरवरी 2016 कों किया गया। एन.आर.सी. की कोई भी बैठक वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान आयोजित नही की गयी। एन.आर.सी. के सदस्यों का विवरण सारणी 9 में निम्नलिखित है:

सारणी 9

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	सदस्य रूप मे नियुक्ति का दिवस
1.	डॉ॰ गुरुप्रसाद मोहपात्रा	11.02.2016
2.	श्रीमती मीना हेमचन्द्र	15.07.2015
3.	श्री यदुवेन्द्र माथुर	13.05.2014
4.	श्रीमती एलिस जी॰ वैद्यन	11.02.2016
5.	श्री अरविंद मेहता	10.05.2013 (दिनांक01.12.2015 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)
6.	श्री चन्दन सिन्हा	13.08.2014 (दिनांक17.06.2015 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)
7.	श्री ए॰के॰रॉय	10.05.2013 (दिनांक31.07.2015 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)
8.	श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे	11.11.2013 (दिनांक 30.09.2015 से सदस्य के रूप में कार्यकाल की समाप्ति)

Sr. No.	Name of the Directors	Date of appointment as Member	No. of meetings attended/ Total no. of meetings held during his/ her tenure
4	Smt. Meena Hemchandra	15.07.2015	3/4
5	Shri Yaduvendra Mathur	13.05.2014	4/5
6	Smt. Alice G. Vaidyan	11.02.2016	0/0
7	Shri Arvind Mehta	13.08.2014 (ceased to be a Member w.e.f. 01.12.2015)	4/4
8	Shri Chandan Sinha	13.08.2014 (ceased to be a Member w.e.f. 17.06.2015)	1/1
9	Shri A. K. Roy	01.09.2012 (ceased to be a Member w.e.f. 31.07.2015)	0/2
10	Shri Ajay Murlidhar Ponkshe	11.11.2013 (ceased to be a Member w.e.f. 30.09.2015)	2/3

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE:

The Nomination and Remuneration Committee (NRC) of the Company has been re-constituted on July 15, 2015 and February 11, 2016, during the FY 2015-16. No meeting of the NRC was held during the Financial Year 2015-16. The details of the Members of the NRC are furnished below in Table 9.

Table 9.

Sr. No.	Name of the Directors	Date of appointment as Member
1.	Dr. Guruprasad Mohapatra	11.02.2016
2.	Smt. Meena Hemchandra	15.07.2015
3.	Shri Yaduvendra Mathur	13.05.2014
4.	Smt. Alice G. Vaidyan	11.02.2016
5.	Shri Arvind Mehta	10.05.2013 (ceased to be a Member w.e.f. 01.12.2015)
6.	Shri Chandan Sinha	13.08.2014 (ceased to be a Member w.e.f. 17.06.2015
7.	Shri A. K. Roy	10.05.2013 (ceased to be a Member w.e.f. 31.07.2015)
8.	Shri Ajay Murlidhar Ponkshe	11.11.2013 (ceased to be a Member w.e.f. 30.09.2015)

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सी॰ एस॰आर॰) एवं धारणीय विकास(एस॰डी) परियोजनाओं पर बोर्ड की समिति:

कंपनी द्वारा सी॰ एस॰ आर॰ और एस॰ डी॰ परियोजना गतिविधियों की मॉनिटरिंग के लिए सी॰एस॰आर॰ और एस॰डी॰ हेतु एक समिति का गठन किया गया। वित्तीय वर्ष 2015-16 में, दिनांक 15 जुलाई 2015 और 11 फरवरी 2016 को इस समिति का पुनर्गठन किया गया । वित्तीय वर्ष 2015-16 में सी॰ एस॰ आर॰ और एस॰ डी॰ पर समिति के अध्यक्ष पद पर 12.08.2015 तक श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे थे। सी॰ एस॰ आर॰ और एस॰ डी॰ पर समिति की दिनांक 10.11.2015 को हुई बैठक की अध्यक्षता श्री यदुवेन्द्र माथुर ने की। श्रीमती मीना हेमचन्द्र ने सी॰ एस॰ आर॰ और एस॰ डी॰ पर समिति की दिनांक 11.02.2016 को हुई बैठक की अध्यक्षता की।

वित्तीय वर्ष 2015-16 मे सी॰ एस॰ आर॰ और एस॰ डी॰ पर समिति की पाँच बैठकें दिनांक 06.05.2015, 15.07.2015, 12.08.2015, 10.11.2015, और 11.02.2016 को सम्पन्न हुई। सी॰ एस॰ आर॰ और एस॰ डी॰ पर समिति की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति से संबन्धित विवरण सारणी 10 में निम्नलिखित है:

सारणी 10

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	सदस्य रूप मे नियुक्ति की तारीख	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित हुए / उनके कार्यकाल मे आयोजित बैठकों की कुल संख्या
1	श्रीमती गीता मुरलीधर	15.07.2015	3/3
2	डॉ॰ गुरुप्रसाद मोहपात्रा	11.02.2016	0/0
3	श्रीमती मीना हेमचन्द्र	15.07.2015	4/4
4	श्री यदुवेन्द्र माथुर	13.05.2014	4/5
5	श्रीमती एलिस जी वैद्यन	11.02.2016	0/0
6	श्री एस॰ सी॰ रल्हन	15.07.2015	2/4
7	श्री अरविंद मेहता	10.08.2012 (दिनांक 01.12.2015 से सदस्य के रूप मे कार्यकाल समाप्त)	4/4
8	श्री चन्दन सिन्हा	13.08.2014 (दिनांक 17.06.2015 से सदस्य रूप मे कार्यकाल समाप्त)	4/4
9	श्री ए॰ के॰ रॉय	10.08.2012 (दिनांक 31.07.2015 से सदस्य रूप मे कार्यकाल समाप्त)	0/2
10	श्री अजय मुरलीधर पोंक्षे	11.11.2013 (दिनांक 30.09.2015 से सदस्य रूप मे कार्यकाल समाप्त)	2/3

COMMITTEE OF BOARD ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT (SD) PROJECTS:

A Committee on CSR & SD of the Company has been constituted for monitoring the Company's CSR & SD Projects/Activities. It was re-constituted on July 15, 2015 and February 11, 2016, during the FY 2015-16. Shri Ajay Murlidhar Ponkshe was the Chairman of Committee on CSR & SD for the FY 2015-16 for the meetings held till 12.08.2015. Shri Yaduvendra Mathur was the Chairman of Committee on CSR & SD for the meeting held on 10.11.2015. Smt. Meena Hemchandra was the Chairman of Committee on CSR & SD for the meeting held on 11.02.2016.

The Committee on CSR & SD met five times, on 06.05.2015, 15.07.2015, 12.08.2015, 10.11.2015, and 11.02.2016, during the FY 2015-16. The details of the attendance of the Directors at the Meetings of the Committee on CSR & SD are furnished below in Table 10.

Table 10

Sr. No.	Name of the Directors	Date of appointment as Member	No. of meetings attended/ Total no. of meetings held during his/her tenure
1	Smt. Geetha Muralidhar	15.07.2015	3/3
2	Dr. Guruprasad Mohapatra	11.02.2016	0/0
3	Smt. Meena Hemchandra	15.07.2015	4/4
4	Shri Yaduvendra Mathur	13.05.2014	4/5
5	Smt. Alice G. Vaidyan	11.02.2016	0/0
6	Shri S. C. Ralhan	15.07.2015	2/4
7	Shri Arvind Mehta	10.08.2012 (ceased to be a Member w.e.f. 01.12.2015)	4/4
8	Shri Chandan Sinha	13.08.2014 (ceased to be a Member w.e.f. 17.06.2015)	1/1
9	Shri A. K. Roy	10.08.2012 (ceased to be a Member w.e.f. 31.07.2015)	0/2
10	Shri Ajay Murlidhar Ponkshe	11.11.2013 (ceased to be a Member w.e.f. 30.09.2015)	2/3

वार्षिक साधारण बैठकें:

पिछले तीन सालों मे सम्पन्न हुई वार्षिक साधारण बैठकों का विवरण सारणी 11 मे निम्नलिखित है:

सारणी 11

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	दिनांक और समय	स्थान	पारित विशेष संकल्पों की संख्या, यदि कोई हो
1	2012-13	08 जुलाई 2013 1530 बजे	उद्योग भवन, नई दिल्ली	3
2	2013-14	27 जून 2014 1500 बजे	उद्योग भवन, नई दिल्ली	2
3	2014-15	16 जनवरी 2015 1000 बजे	एक्सप्रेस टावर मुंबई	2
4	2014-15	11 जून 2015 1145 बजे	उद्योग भवन, नई दिल्ली	कुछ नहीं

कारोबार आचार संहिता और नीति

निदेशक मण्डल ने बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए कारोबार आचरण संहिता और नीति बनाई है जो कंपनी की वेबसाइट (www.ecgc.in) पर उपलब्ध है।

प्रकटन

सामान्य कारोबारी लेनदेन के अलावा, किसी ऐसी निजी फर्म, कंपनियों अथवा संस्थाओ को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा जिसमें कंपनी के निदेशकों का हित निहित हो।

कंपनी ने जोखिम के मूल्यांकन और उसे कम करने के बारे में बोर्ड के सदस्यों को सूचित करने के लिए प्रक्रियाओं का निर्धारण किया है, जिनका बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा समय-समय पर मूल्यांकन होता है ताकि प्रबंधन द्वारा प्रभावी जोखिम नियन्त्रण सुनिश्चित किया जा सके।

कंपनी द्वारा व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी को अंगीकृत किया गया है जिससे कंपनी के किसी कर्मचारी के सज्ञान में किसी भी स्तर पर अस्वीकार्य / अनैतिक /अथवा कदाचार का कोई कार्य आए तो वह कर्मचारी बिना किसी परिणामी भय के उस विषय मे सूचना देते हुए सुरक्षित महसूस करे।

पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भी सांविधिक अथवा नियामक प्राधिकरण द्वारा देश की विभिन्न संविधि से संबंधित किसी मामले में, केवल एक मामले को छोड़कर जिसमें स्टाम्प कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य ने यूनिटी इंफ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड के साथ दिनांक 07.04.2012 को निर्माण संविदा करार हेतु 7,20,500 रुपए के देय स्टैम्प शुल्क का भुगतान ना करने के

GENERAL MEETINGS

The details of the General Meetings held during the last three years are furnished below in Table 11:

Table 11

Sr. No.	Financial Year	Date & Time	Venue	No. of Special Resolutions passed, if any
1	2012-13	July 08, 2013 1530 Hours	Udyog Bhawan, New Delhi	3
2	2013-14	June 27, 2014 1500 Hours	Udyog Bhawan, New Delhi	2
3	2014-15	January 16, 2015 1000 Hours	Express Towers Mumbai	2
4	2014-15	June 11, 2015 1145 Hours	Udyog Bhawan, New Delhi	NIL

CODE OF BUSINESS CONDUCT AND ETHICS

The Board of Directors has laid down a Code of Business Conduct and Ethics for all the Board Members and Senior Management Personnel of the Company, which has been posted on the website of the Company (www.ecgc.in).

DISCLOSURE

There are no payments made to individual firms, companies and organizations in which Directors of the Company are interested, except transactions carried out in the ordinary course of business.

The Company has laid down procedures to inform Board members about the risk assessment and its minimization, which is periodically reviewed by the Risk Management Committee of the Board, to ensure that effective risk control is exercised by the Management.

The Company has adopted a Whistle Blower Policy enabling each employee to feel safe in raising concerns about any unacceptable/unethical practice and/or any event of misconduct, at any level, that comes to his/her notice, without fear of consequences thereof.

No penalty was imposed on the Company, by any statutory or regulatory authority, on any matter related to various statutes of the land, during the last three years, except for a penalty of ₹4,46,710 (Rupees Four Lakhs Forty Six Thousand Seven Hundred Ten Only), imposed by Stamp Office, Maharashtra State, vide its

कारण दिनांक 06.01.2015 के पत्र के तहत 4,46,710 रुपए का दंड लगाया था, कोई दंड आरोपित नहीं किया गया है।

तथपि, दिनांक 22.01.2015 को उप महानिरीक्षक पंजीकरण के समक्ष हमने दंड हटाने के लिए अपना पक्ष प्रस्तुत किया है और जल्दी फैसला प्राप्त करने के लिए संबंधित प्राधिकारी से लगातार संपर्क किया जा रहा है। अभी तक हमे सुनवाई का कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है।

क्योकि कंपनी के 100% इक्विटी शेयर भारत सरकार की ओर से भारत के राष्ट्रपति और सात अन्य नामित व्यक्तियों द्वारा धारण किए जाते हैं अतः इस संबंध में सांविधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित लेखों को संसद के दोनों सदनों में पटल पर रखा जाता है।

शेयरधारकों की जानकारी

(अ) वार्षिक साधारण बैठक: 58 वीं वार्षिक साधारण बैठक दिनांक 16 अगस्त 2016 को दोपहर 14.15 बजे नई दिल्ली मे होना नियत है।

(ब) 31 मार्च 2016 को शेयर धारण का स्वरूप: कंपनी का पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है।भारत के राष्ट्रपति 100 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से 13,00,00,000 शेयर भारत सरकार की ओर से धारण करते हैं इनमे कंपनी के वह शेयर भी संयुक्त हैं जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित आठ अन्य व्यक्तियों द्वारा धारण किए जाते हैं।

(स) पत्राचार का पता:श्रीमती स्मिता वी॰ पंडित, कंपनी सचिव, ईसीजीसी लिमिटेड(पूर्व मे भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड) एक्सप्रेस टावर, 10 वीं मंजिल, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021. ईमेल - cs@ecgc.in.

संपर्क के माध्यम

- वेबसाइट: कंपनी की वेबसाइट www.ecgc.in पर 'हमारे बारे मे' खंड के अंतर्गत वित्तीय परिणाम पर एक सेक्शन है। पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट वेबसाइट पर भी यूज़र फ्रेंडली और डाउनलोड हो सके इस रूप मे उपलब्ध है।
- वित्तीय परिणाम: वार्षिक, अर्धवार्षिक और तिमाही परिणाम नियमित रूप से कंपनी की वेबसाइटwww.ecgc.in पर पोस्ट किए जाते हैं।

letter dated 06.01.2015, for non-payment of stamp duty of ₹7,20,500 payable on the construction contract agreement entered with Project Contractor, M/s. Unity Infraprojects Limited on 07.04.2012.

However, we have represented our case on 22.01.2015 to The Dy. Inspector General of Registration for waiver of penalty and the matter is being continuously followed up with the respective authority for early decision. We have not yet received any notice for hearing.

The audited accounts of the Company are being tabled before both the Houses of Parliament, in compliance with the statutory requirements in that regard, as 100% Equity Shares are held by the President of India and seven other nominees, on behalf of Government of India.

SHAREHOLDERS' INFORMATION

(a) Annual General Meeting: The 58th Annual General Meeting is scheduled to be held on August 16, 2016 at 1415 hours at New Delhi.

(b) Shareholding Pattern as on March 31, 2016: The Company is fully owned by the Government of India. The President of India holds the entire lot of 13,00,00,000 Equity Shares of ₹100 each fully paid up, issued by the Company including eight of those shares which are held by the nominees of the President of India, on behalf of the Government of India.

(c) Address for Correspondence: Smt. Smita V. Pandit, Company Secretary, ECGC Limited (formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.), Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai-400021. Email-cs@ecgc.in.

MEANS OF COMMUNICATION

- Website: The Company's website viz., www.ecgc.in contains a separate dedicated section on financial results under Section "About Us". The full Annual Report is also available on the website in user friendly and downloadable form.
- Financial Results: The annual, half yearly and quarterly results are regularly posted by the Company on its website www.ecgc.in.

- वार्षिक रिपोर्ट: वार्षिक रिपोर्ट में सदा लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं जो सदस्यों तथा अन्य प्राधिकृत लोगों मे वितरित होती है। प्रबंधन परिचर्चा एवं विश्लेषण(एम॰डी॰एवं ए॰) रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट का एक भाग है।

कृते एवं निदेशक मण्डल की ओर से

गीता मुरलीधर
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 मई 2016

- Annual Report: The Annual Report, containing inter alia Audited Annual Accounts, Directors' Report, Auditors' Report, and other important information, is circulated to the Members and others entitled thereto. The Management's Discussion and Analysis (MD&A) Report forms part of the Directors' Report.

For and on behalf of the Board of Directors

Geetha Muralidhar
Chairman-cum-Managing Director

Place: New Delhi
Date: May 18, 2016

कंपनी शासन दिशानिर्देशों का अनुपालन प्रमाणपत्र

मै स्मिता वी॰ पंडित एतदद्वारा प्रमाणित करती हूँ कि कंपनी ने सामान्य रूप से बीमा कंपनियों के लिए लागू तथा समय-समय पर संशोधित कंपनी शासन दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है तथा कुछ भी छुपाया अथवा गुप्त नहीं रखा है।

स्मिता वी. पंडित
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 मई 2016

अनुलग्नक III

कंपनी द्वारा अपने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व अभिक्रमों पर विकसित एवं कार्यान्वित नीति का विवरण

1. आरम्भ की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों की समीक्षा सहित एवं सीएसआर नीति तथा परियोजनाओं के संदर्भ मे कंपनी के सीएसआर नीति कि संक्षिप्त रूपरेखा ।

कंपनी ने लोक उद्यम विभाग(डी पी ई)के सीएसआर पर संशोधित दिशानिर्देशों को 2014 मे अपनाया है और कंपनी की बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर नीति है। कंपनी मे सीएसआर गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए बोर्ड की एक सीएसआर समिति का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में कंपनी की सीएसआर गतिविधियों पर लगभग 14,26,11,559 रु का व्यय किया गया।

कंपनी द्वारा टी आई एस एस के सहयोग से पाँच सामुदायिक अध्ययन केंद्र की स्थापना एम-वार्ड, वाशी नाका और माहुल गाँव मे की गई है। टी आई एस एस का लक्ष्य वंचित वर्ग के छात्रों को पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा उपलब्ध करने के साथ-साथ उनके सम्पूर्ण विकास के लिए पाठ्येतर गतिविधियों भी 24,88,000 रु की लागत मे उपलब्ध करा रहा है। बोर्ड ने 150 दिव्यांगों तथा 600 वंचित वर्ग के हाईस्कूल छात्रों के लिए छात्रवृत्तियों को भी मंजूरी दी है। कंपनी द्वारा 148 दिव्यांग छात्रों के लिए 10000रु प्रति छात्र की दर से 14.80 लाख रुपये की धनराशि दी गयी है। दो अन्य प्रोजेक्ट यथा जिला नांदेड़ के गाँवों में छात्रों को ऊर्जा संरक्षी यंत्र(सोलर लालटेन) उपलब्ध कराना और जिला पालघर, महाराष्ट्र के गाँव मे स्वच्छ पेयजल(जल दूत) को उपलब्ध करने का कार्य ईसीजीसी ने विज्ञान और प्रौधोगिकी पार्क(एसटीपी) पुणे के सहयोग से अपने हाथ मे लिया है।एसटीपी पुणे इसमे प्रोजेक्ट लीडर

CERTIFICATE OF COMPLIANCE OF THE CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES

I, Smita V. Pandit hereby certify that the Company has generally complied with the Corporate Governance Guidelines for Insurance Company as amended from time to time and nothing has been concealed or suppressed.

Smita V. Pandit
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: May 18, 2016

Annexure III

DETAILS OF POLICY DEVEOLPED AND IMPLEMENTED BY THE COMPANY ON ITS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES

1. A BRIEF OUTLINE OF THE COMPANY'S CSR POLICY, INCLUDING OVERVIEW OF PROJECTS OR PROGRAMS PROPOSED TO BE UNDERTAKEN AND A REFERENCE TO THE WEB-LINK TO THE CSR POLICY AND PROJECTS OR PROGRAMS.

Company has adopted Department of Public Enterprises (DPE) revised guideline on CSR in 2014 and has a Board approved CSR policy. A CSR Committee of Board has been constituted to monitor the CSR activities of the Company. An aggregate amount of ₹14,26,11,559 was spent on CSR activities of the Company during FY 2015-16.

The Company has set up five Community Study Centers in M-Ward, Vashi Naka, Mahul village, through TISS aimed at providing curriculum based education as well as extra curricular activities for the overall development of the underprivileged students at a cost of ₹24,88,000. The board has approved distribution of scholarship to 150 differently abled students and 600 underprivileged high school students. The Company released an amount of ₹14.80 lakhs, towards scholarship for 148 differently abled students @ ₹10,000 per student per annum. Two projects viz., providing Energy Saving Devices (Solar lantern) to students in villages of Nanded Dist., and providing Safe drinking water (Jal Dhoot) in the villages of Palghar Dist. Maharashtra have been undertaken by ECGC with Science & Technology Park (STP) Pune as Project Leader, which have been scaled up. Under

के रूप मे कार्यरत है और ये कार्य प्रगति पर है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कंपनी ने 6,09,704 रु रामकृष्ण मठ, मलयापोर,चेन्नई को चिकित्सकीय यंत्रों की खरीद के लिए दिये जिससे वे गरीबों और जरूरतमंदों को मुफ्त स्वास्थ सेवाएँ उपलब्ध करा सकें।

ईसीजीसी ने भारत सरकार के स्वच्छ भारत कोश मे 11 करोड़ तथा स्वच्छ गंगा कोश में 50 लाख रुपए का योगदान दिया है।

2. सी एस आर समिति की संरचना।

बोर्ड की सीएसआर समिति में डॉ॰ गुरूप्रसाद मोहपात्रा, सं स वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय; श्रीमती मीना हेमचन्द्र, का नि, आर.बी.आई; श्री यदुवेन्द्र माथुर, अप्रनि, एक्सिम बैंक; श्रीमती एलिस जी॰ वैद्यन, अप्रनि, जी.आई.सी; श्री एस॰सी॰ रल्हन, अध्यक्ष, एफ़.आई.ई.ओ; श्रीमती गीता मुरलीधर, अप्रनि, ई.सी.जी.सी और श्री एम॰ सैंथिलनाथन, का नि, ई.सी.जी.सी सदस्य रूप में डीपीई के 01.04.2014 से प्रभावी दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी की गतिविधियों पर नज़र रखते हैं। सी.एस.आर. पॉलिसी के तहत वरिष्ठ कार्यपालकों की एक आंतरिक समिति का भी गठन किया गया है।

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षो का कंपनी का औसत निवल लाभ।

वित्तीय वर्ष	निवल लाभ (करोड़ रूपए में)
2012-13	324.69
2013-14	517.21
2014-15	386.15

4. निर्धारित सी एस आर व्यय (उपर्युक्त मद 3 में यथा प्रदत्ते राशि का दो प्रतिशत)

वित्तीय वर्ष	बजट का आबंटन (करोड़ रूपए में)
2012-13	4.99*
2013-14	6.00*
2014-15	7.72
2015-16	7.60

* डी पी ई (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम विभाग) नीति के अनुसार पूर्व में सी एस आर का आबंटन पिछले वर्ष के निवल लाभ के 2% था।

5. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किए गए सी एस आर का विवरण।

(क) वित्तीय वर्ष मे कुल खर्च की जाने वाली राशि वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान खर्च की जाने वाली राशि 7.60 करोड़

(ख) खर्च न की गयी राशि, यदि कोई हो; वित्तीय वर्ष 2015-16 में खर्च न की गयी राशि 2.44 करोड़

health care, the Company released ₹6,09,704 to Ram Krishna Mutt Malyapore, Chennai ,for procurement of medical equipment to provide free medical care to the poor and needy.

ECGC contributed ₹11.00 Crore to Swachh Bharat Kosh & ₹50 lakhs to Clean Ganga Kosh of Government of India.

2. THE COMPOSITION OF CSR COMMITTEE :

CSR Committee of Board comprising of Dr. Guruprasad Mohapatra, JS, MOC&I; Smt. Meena Hemchandra, ED, RBI; Shri Yaduvendra Mathur, CMD, EXIM Bank; Smt. Alice G. Vaidyan, CMD, GIC; Shri. S. C. Ralhan, President, FIEO; Smt. Geetha Muralidhar, CMD, ECGC and Shri. M. Senthilnathan, ED, ECGC as Members for monitoring of Company's activities / initiatives as per DPE's revised guidelines effective from 01.04.2014. As per the CSR Policy a Committee consisting of Internal Senior Executives, had been formed and is in place.

3. AVERAGE NET PROFIT OF THE COMPANY FOR LAST THREE FINANCIAL YEARS.

Financial Year	Net Profit (in crores) ₹
2012-13	324.69
2013-14	517.21
2014-15	386.15

4. PRESCRIBED CSR EXPENDITURE (two per cent of the amount as in item 3 above)

Financial Year	Allocation of Budget (in crores) ₹
2012-13	4.99*
2013-14	6.00*
2014-15	7.72
2015-16	7.60

* As per DPE (Department of Public Enterprises) policy followed earlier CSR was allocated as 2% of previous year Net Profit.

5. DETAILS OF CSR SPENT DURING THE FINANCIAL YEAR.

(a) Total amount to be spent for the financial year; Amount to be spent for FY 2015-16 ₹7.60 Crore.

(b) Amount unspent, if any; Amount unspent up to FY 2015-16 ₹2.44 Crore.

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान किस प्रकार राशि खर्च की गयी उसका विवरण निम्नलिखित है
(C) MANNER IN WHICH THE AMOUNT SPENT DURING THE FINANCIAL YEAR IS DETAILED BELOW.

(लाख ₹ में / in ₹ Lacs)

क्रम सं Sr. No.	चिन्हित सी एस आर परियोजना या गतिविधि CSR project or activity identified	क्षेत्र जिसमें परियोजना रक्षित हो Sector in which the Project is covered	परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) Projects or programs (1) Local area or other (2)	राशि का परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रम-वार Amount outlay (budget) project or programs wise	परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि उप शीर्ष : (1) परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय (2)ओवरहेड (₹लाख मे) Amount spent on the projects or programs Sub-heads: (1) Direct expenditure on projects or programs (2) Overheads (₹ in lakhs)	रिपोर्ट की अवधि तक संचयी व्यय Cumulative expenditure upto to the reporting period (₹ in lakhs)	खर्च की गई राशि: प्रत्यक्ष या क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से Amount spent: Direct or through implementing agency
1	वंचित वर्ग के छात्रों को छात्रों Scholarship to underprivileged students	परियोजना रूप में Project Mode	एम-वार्ड जिला मुंबई, महाराष्ट्र M-Ward Dist. Mumbai, Maharashtra	₹10000 प्रति दिव्यांग छात्र को और ₹6000 प्रति छात्र/ प्रति वर्ष, वित्त वर्ष 2015-16 हेतु ₹10000 per differently abled student and ₹6000 per student/ p.a for F Y 2015-16	20.74	81.54	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान के जरिए Through : Tata Institute of Social Sciences
2	सामुदायिक अध्यन केंद्र को सहायता Support to Community Study Centers	परियोजना रूप में Project Mode	एम॰ वार्ड, जिला मुंबई, महाराष्ट्र M-Ward Dist. Mumbai, Maharashtra		24.88	32.58	टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान के जरिए Through : Tata Institute of Social Sciences
3	कन्याओं हेतु वित्तीय सहायता Financial Help for Girl Child	गैर परियोजना रूप में Non Project Mode	भटिंडा, पंजाब Bhatinda , Punjab		0.22	0.40	कॉलेज को भुगतान किया गया Paid to the College
4	स्वच्छ पेय जल सुविधा Safe drinking water facility	परियोजना रूप में Project Mode	जिला पालघर Distt. Palghar		132.32	132.32	विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क,पुणे Science & Technology Park, Pune
5	छात्रों को सौर लालटेन का वितरण Distribution of Solar Lantern to Students	परियोजना रूप में Project Mode	जिला नांदेड़ Distt. Nanded		79.61	79.61	विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्क,पुणे Science & Tech Park, Pune
6	अन्नाई वृद्धाश्रम Annai Old Age Home	गैर परियोजना रूप में Non Project Mode	करूर, तमिलनाडू Karur, Tamilnadu		8.08	8.08	सीधे Direct
7	रामकृष्ण मठ Rama Krishna Mutt	गैर परियोजना रूप में Non Project Mode	चेन्नई, तमिलनाडू Chennai, Tamilnadu		6.10	6.10	सीधे Direct
8	दिव्यांगों हेतु संस्था Society for Disabilities	गैर परियोजना रूप में Non Project mode	जवाहरलाल नेहरू विश्व विद्यालय, दिल्ली Jawahar Lal University, Delhi		4.15	4.15	सीधे Direct
9	स्वच्छ भारत मिशन Swachh Bharat Mission	गैर परियोजना रूप में Non Project Mode	भारत सरकार Government of India		1100	1100	सीधे Direct
10	स्वच्छ गंगा कोष Swachh Ganga Kosh	गैर परियोजना रूप में Non project Mode	भारत सरकार Government of India		50	50	सीधे Direct

(मुख्य कार्यपालक अधिकारी)
(Chief Executive Officer)

(अध्यक्ष सी एस आर समिति)
(Chairman CSR Committee)

अनुलग्नक IV

फार्म सं ए ओ सी - 2

(अधिनियम की धारा 134 की उप धारा (3) के खंड (ज) एवं कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

1. 'हाथ की दूरी' नियम के आधार पर संविदा अथवा व्यवस्था अथवा विनिमय का विवरण :

1.1

क)	संबन्धित पक्ष के नाम और संबंध की प्रकृति:	श्री अरविंद मेहता, निदेशक
ख)	संविदा/व्यवस्था/संव्यवहार का स्वरूप :	शिमला में एक संपत्ति(जिसपर निदेशक सह श्रीमती गीता स्वरूप मेहता का संयुक्त स्वामित्व है) जो कि ईसीजीसी अधिकारियों हेतु अतिथि गृह/ हॉलिडे गृह के रूप में प्रयुक्त होगी को लीज़ पर लिया गया है ।
ग)	संविदा/व्यवस्था/संव्यवहार का समय :	3 वर्ष अर्थात 01.02.2014 से 31.01.2017 तक
घ)	संविदा अथवा व्यवस्था अथवा संव्यवहार की प्रमुख शर्तें मूल्य सहित,यदि कोई हो;	संपत्ति लीज़ पर ली गयी है जिसका मासिक किराया 49,200 रु. है। वास्तविक लीज़ की अवधि 3 वर्ष है जिसे समान शर्तों पर एक बार और बढ़ाया जा सकता है।
ङ)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख,यदि कोई हो;	ए-3 मद के अधीन 27 जून 2014 को हुई बोर्ड की बैठक के दौरान बोर्ड को यह सूचित किया गया।
च)	अग्रिम के रूप में दी गयी राशि , यदि कोई:	ब्याजमुक्त प्रत्यापर्णीय ज़मानत जमा के रूप में 2,95,200 रुपये डिपॉजिट छः माह के लीज़ किराए के रूप में अदा किया गया।

1.2

क)	संबंधित पक्ष का नाम	एन ई आई ए ट्रस्ट
ख)	संबंध का नाम	हाथ की दूरी
ग)	संविदा/ व्यवस्था/ संव्यवहार की प्रकृति	भारत सरकार द्वारा गठित पब्लिक ट्रस्ट के प्रशासन के लिए ईसीजीसी को प्रबंधन ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया गया है । कानि, ईसीजीसी प्रबंधन ट्रस्टी के रूप में नामित किया गया है।
घ)	संविदा/ व्यवस्था/ संव्यवहार की अवधि	ईसीजीसी ट्रस्ट की प्रशासनिक एजेंसी है
ङ)	संविदा अथवा व्यवस्था अथवा संव्यवहार की प्रमुख शर्तें मूल्य सहित,यदि कोई हो;	का नि के प्रबंध ट्रस्टी है और अप्रनि ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और का नि, ईसीजीसी निदेशकों की समिति के सदस्य हैं। ईसीजीसी प्रशासनिक व्यय को पूरा करने के लिए प्रीमियम आय का 5% के लिए हकदार है।
च)	बोर्ड से अनुमोदन की तारीख	17 मार्च 2006
छ)	संव्यवहार की प्रस्तावित तारीख	हम वर्ष 2006 से इस ट्रस्ट का प्रबंधन कर रहे हैं।

गीता मुरलीधर

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

Annexure IV

Form No. AOC - 2

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)

1. Details of contracts or arrangements or transactions at arm's length basis:

1.1

a)	Name(s) of the related party and nature of relationship :	Shri Arvind Mehta, Director
b)	Nature of Contracts/ arrangements/ Transactions:	Property at Shimla (jointly owned by Director with Smt. Geeta Swarup Mehta) is taken on lease for Guest House/Holiday Home for ECGC Officials
c)	Duration of the Contracts/ arrangements / Transactions:	3 years i.e. 01.02.2014 to 31.01.2017
d)	Salient terms of the Contracts or arrangements or transactions including the value, if any;	Property on lease basis with monthly lease rent of ₹49,200. The original lease period is of three years, having provision of one more renewal with the same terms & conditions.
e)	Date(s) of approval by the Board, if any	This arrangement was reported to Board Meeting held on 27th June, 2014 under Item – A-3.
f)	Amount paid as advances, if any:	Deposit amount paid ₹2,95,200 equal to six months lease rent, as interest free refundable security deposit

1.2

a)	Name of Related Party	NEIA TRUST
b)	Name of Relationship	Arms Length
c)	Nature of Contract/ Transaction/Arrangement	Public Trust Formed By Govt of India ECGC is asked to administer the Trust as through Managing Trustee, ED, ECGC is nominated as Managing Trustee
d)	Duration of the Contracts/ arrangement/Transaction	ECGC is the administrating agency of the Trust.
e)	Salient Terms of the Contracts or arrangements or transactions including the value, if any	ED is the managing Trustee and CMD is the Chairman of the Trust. CMD and ED, ECGC are Members of the Committee of Directors. ECGC is entitled for 5% of Premium Income to meet administrative expenditure.
f)	Date(s) of approval by the Board	17th March 2006
g)	Proposed Date of Transaction	we are managing this Trust since 2006

Geetha Muralidhar

Chairman Cum-Managing Director

वित्तीय विवरण

Financial Statements

फॉर्म बी-आर ए / FORM B-RA

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Ltd.

(पूर्व में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड) / (formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.)

सीआईएन: यू74999एम एच1957जी ओ आई 010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए राजस्व खाता

REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2016

पंजीकरण संख्या 124 | **पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर 2002**

Registration No. 124 | **Date of Registration : 27th September,2002**

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	अनुसूची / Schedule	वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
1	अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Premiums earned (Net)	1	9,789,381.14	10,192,727.40
2	निवेश की बिक्री / शोधन से लाभ Profit on Sale/Redemption of Investment		10,514.95	21,024.35
3	निवेश की बिक्री / शोधन से हानि Loss on Sale / Redemption of Investment		-	-419.08
4	अन्य / Others			
	- शुल्क / Fee		13,085.42	13,046.79
	- दावों एवं प्रीमियम पर ब्याज / Interest on Claims & Premium		18,389.51	9,872.06
	- विनिमय घटबढ़ लाभ(शुद्ध) / Exchange Fluctuation Profit (Net)		-	1,244.61
	- संपत्ति की बिक्री से लाभ / Profit on Sale of Asset		455.61	-
	- विविध आय / Miscellaneous Income		11,392.45	7,575.73
5	ब्याज एवं लाभांश- सकल / Interest & Dividend - Gross		3,510,849.70	2,923,336.53
	कुल (क) TOTAL (A)		**13,354,068.78**	**13,168,408.39**
1	उपगत दावे (शुद्ध) / Claims Incurred (Net)	2	10,006,250.19	11,635,003.52
2	कमीशन / Commission	3	(677,101.89)	(574,818.88)
3	बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय Operating Expenses related to Insurance Business	4	1,855,664.81	2,051,670.95
4	अन्य - प्रीमियम की कमी / Other - Premium Deficiency		1,102,000.59	0.00
	कुल (ख) TOTAL (B)		**12,286,813.70**	**13,111,855.59**
	विविध कारोबार परिचालन से लाभ/(हानि) ग = (क-ख) Operating Profit/(Loss) from Miscellaneous C =(A-B)		1,067,255.08	56,552.80
	विनियोजन **APPROPRIATIONS**			
	शेयरधारकों के खाते में अंतरण Transfer to Shareholder's Account		106,72,55.08	5,65,52.80
	आकस्मिक प्रारक्षित निधि में अंतरण Transfer to Catastrophe Reserve		-	-
	अन्य प्रारक्षित निधियों में अंतरण Transfer to Other Reserves		-	-

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	अनुसूची / Schedule	वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
	कुल (ग) TOTAL (C)		106,72,55.08	5,65,52.80

मुख्य लेखा नीतियाँ तथा लेखों के नोट राजस्व खाते के अविभाज्य अंग बनते हैं ।

Significant Accounting Policies and Notes to Accounts form integral part of the Revenue Account.

बीमा अधिनियम 1938 की धारा 40 ग(2) की आवश्यकता अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दी गई जानकारी व स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के लेखा बहियों की हमारी जाँच से यह ज्ञात होता है कि निर्यात ऋण बीमा कारोबार के संबंध में प्रबंधन के सभी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष व्ययों को जब भी व जहाँ भी आवश्यक हुआ, व्ययों के रूप में राजस्व खाते में डाला गया है।

As required by section 40C(2) of the Insurance Act 1938, we certify that, to the best of our knowledge and according to the information and explanations given to us, and as far as it appears from our examination of the Company's books of accounts, all expenses of management, wherever incurred, whether directly or indirectly in respect of the Export Credit Insurance Business have been fully debited to the Revenue Account as expenses,

(गीता मुरलीधर)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(GEETHA MURALIDHAR)
Chairman-cum-Managing Director

(डॉ गुरुप्रसाद मोहपात्र)
निदेशक
(DR. GURUPRASAD MOHAPATRA)
Director

(डॉ. सौरभ गर्ग)
निदेशक
(DR. SAURABH GARG)
Director

(एस सी रल्हन)
निदेशक
(S C RALHAN)
Director

(एम सेंथिलनाथन)
कार्यपालक निदेशक
(M SENTHILNATHAN)
Executive Director

(सी एन ए अन्बरसन)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(C N A ANBARASAN)
Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव
(SMITA PANDIT)
Company Secretary

सम तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached

कृते आर एस वी ए एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या. 110504 डब्ल्यू
For RSVA & CO.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 110504W

(शेखर एम. कुलकर्णी)
भागीदार - एम.सं. 046285
(SHEKHAR M. KULKARNI)
Partner - M. No.046285

कृते बंशी जैन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या : 100990 डब्ल्यू
For BANSHI JAIN & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm Registration No. 100990W

(अनुज बी गोलेचा)
भागीदार - एम.सं 117617
(ANUJ B. GOLECHA)
Partner - M.No. 117617

स्थान : नई दिल्ली
Place : New Delhi
दिनांक : 18 मई 2016
Dated : 18th May, 2016

फॉर्म बी- पी एल / FORM B-PL

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Ltd.

(पूर्व में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड) / (formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.)

सीआईएन: यू74999एम एच1957जी ओ आई 010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि का लेखा

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2016

पंजीकरण संख्या 124
Registration No. 124

पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर, 2002
Date of Registration : 27th September, 2002

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	अनुसूची / Schedule	वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
1	**परिचालन लाभ/(हानि)**			
	OPERATING PROFIT/(LOSS)			
	(क) अग्नि बीमा		-	-
	(a) Fire Insurance			
	(ख) मरीन बीमा		-	-
	(b) Marine Insurance			
	(ग) विविध बीमा		106,72,55.08	5,65,52.80
	(c) Miscellaneous Insurance			
2	**निवेशों से आय**			
	INCOME FROM INVESTMENTS			
	(क) ब्याज व लाभांश- सकल		243,97,43.01	229,69,07.27
	(a) Interest & Dividends-Gross			
	(ख) निवेशों की बिक्री पर लाभ		73,07.00	1,65,19.13
	(b) Profit on Sale of Investments			
	घटाएँ: निवेशों की बिक्री पर हानि		-	(3,29.27)
	Less: Loss on Sale of Investments			
3	**अन्य आय**			
	OTHER INCOME			
	(क) फ़ैक्टरिंग आय		-	17.80
	(a) Factoring Income			
	(ख) एन ई आई ए आय		96,90.99	93,31.59
	(b) NEIA Income			
	(ग) किराया व अन्य प्राप्तियाँ		4,63.76	5,04.17
	(c) Rent & Other receipts			
	(घ) विविध आय		37,51,15.43	18,52,42.58
	(d) Miscellaneous Income			
	कुल (क) TOTAL (A)		**389,95,75.27**	**256,47,46.07**
4	**प्रावधान (कराधान के अलावा)**			
	PROVISIONS (Other than Taxation)			
	(क) निवेशों के मूल्य ह्रास के लिए		2,32.04	(3,81.00)
	(a) For diminution in the value of investments			
	(ख) फ़ैक्टरिंग के लिए प्रावधान			
	(b) Provision for Factoring			

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	अनुसूची / Schedule	वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
	- मानक आस्ति - Standard Asset		-	-
	- निम्न मानक आस्ति - Sub Standard Asset		-	-
	- संदिग्ध आस्ति - Doubtful Asset		20,50.00	-
	(ग) संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (c) Provision for Doubtful Debts		-	-
5	**अन्य व्यय** **OTHER EXPENSES**			
	(क) बीमा कारोबार के अलावा अन्य व्यय (a) Expenses other than those related to Insurance Business			
	- निवेशों के लिए किए गए व्यय - Expenses towards Investments		2,36,95.28	1,34,88.62
	- विविध व्यय - Miscellaneous Expense		-	0.03
	कुल (ख) TOTAL (B)		**2,59,77.32**	**1,31,07.65**
	कर पूर्व लाभ (क - ख) **Profit Before Tax (A - B)**		387,35,97.95	255,16,38.42
	घटाएँ / Less:			
	(क) कराधान के लिए प्रावधान (a) Provision for Taxation			
	- आस्थगित कर - Deferred Tax		(40,97,57.68)	(5,80,83.90)
	- वर्तमान कर - Current Tax		160,00,00.00	76,00,00.00
	- संपत्ति कर - Wealth Tax		-	11,85.21
	- न्यूनतम विकल्प कर ऋण पात्रता - MAT Credit Entitlement		-	-
	(ख) पूर्व अवधि समायोजन (b) Prior Period Adjustments		37.61	4,75,80.34
	(ग) कर समायोजन - पूर्व वर्ष (c) Tax Adjustments - Earlier years		(7,89,48.68)	-
	विनियोजन के लिए उपलब्ध लाभ Profit available for appropriation		276,22,66.70	180,09,56.77
	विनियोजन / APPROPRIATIONS			
	(क) वर्ष के दौरान अदा किया गया अंतरिम लाभांश (a) Interim Dividends Paid During the Year		-	-
	(ख) अंतरिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर (b) Dividend Distribution Tax on Interim Dividend		-	-
	(ग) प्रस्तावित अंतिम लाभांश (c) Proposed Final Dividend		65,00,00.00	48,00,00.00
	(घ) प्रस्तावित लाभांश पर लाभांश वितरण कर		13,23,24.71	9,82,78.42

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	अनुसूची / Schedule	वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
	(d) Dividend Distribution Tax on Proposed Dividend			
	(ड़) निगमित सामाजिक दायित्व के लिए व्यय (e) Expenses towards Corporate Social Responsibility		7,60,00.00	3,37,16.92
	(च) निगमित सामाजिक दायित्व व दीर्घकालिक विकास में अंतरण (f) Transfer to Corporate Social Responsibility & Sustainable Developement		-	4,34,83.08
	(छ) फ़ैक्टरिंग योजना के लिए रिज़र्व में अंतरण (g) Transfer to Reserve for Factoring Scheme		-	-
	(ज) सामान्य निधियों में अंतरण (h) Transfer to General Reserve		190,39,41.99	114,54,78.35
	पिछले वर्ष से आगे लाए गए लाभ/हानि शेष Balance of Profit/Loss brought forward from last year		-	-
	तुलन पत्र में आगे लाए गए शेष Balance carried forward to Balance Sheet		-	-

(गीता मुरलीधर)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(GEETHA MURALIDHAR)
Chairman-cum-Managing Director

(डॉ गुरुप्रसाद मोहपात्र)
निदेशक
(DR. GURUPRASAD MOHAPATRA)
Director

(डॉ. सौरभ गर्ग)
निदेशक
(DR. SAURABH GARG)
Director

(एस सी रल्हन)
निदेशक
(S C RALHAN)
Director

(एम सेंथिलनाथन)
कार्यपालक निदेशक
(M SENTHILNATHAN)
Executive Director

(सी एन ए अन्बरसन)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(C N A ANBARASAN)
Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव
(SMITA PANDIT)
Company Secretary

सम तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached

कृते आर एस वी ए एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या. 110504 डब्ल्यू
For RSVA & CO.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 110504W

(शेखर एम. कुलकर्णी)
भागीदार - एम.सं. 046285
(SHEKHAR M. KULKARNI)
Partner - M. No.046285

कृते बंशी जैन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या : 100990 डब्ल्यू
For BANSHI JAIN & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm Registration No. 100990W

(अनुज बी गोलेचा)
भागीदार - एम.सं 117617
(ANUJ B. GOLECHA)
Partner - M.No. 117617

स्थान : नई दिल्ली
Place : New Delhi
दिनांक : 18 मई 2016
Dated : 18th May, 2016

फॉर्म बी-बी एस/ FORM B - BS

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Ltd.

(पूर्व में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड) / (formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.)

सीआईएन: यू74999एम एच1957जी ओ आई 010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च, 2016 तक का तुलन पत्र

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2016

पंजीकरण संख्या 124 / Registration No. 124

पंजीकरण की तारीख : 27 सितंबर, 2002 / Date of Registration : 27th September,2002

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	अनुसूची / Schedule	वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
I.	**निधियों के स्त्रोत SOURCES OF FUNDS**			
	शेयर पूंजी Share Capital	5	1300,00,00.00	1200,00,00.00
	प्रारक्षित निधियाँ एवं अधिशेष Reserves and Surplus	6	1979,34,83.97	1788,95,41.98
	उचित मूल्य परिवर्तन खाता Fair Value Change Account		94,30,57.86	172,98,51.77
	ऋण Borrowings	7	-	-
	आस्थगित कर देयता Deferred Tax Liability		-	-
	कुल Total		**3373,65,41.83**	**3161,93,93.75**
II.	**निधियों का प्रयोग APPLICATION OF FUNDS**			
	निवेश Investments	8 & 8A	6713,36,50.43	5716,38,11.99
	ऋण Loans	9	-	-
	अचल संपत्ति Fixed Assets	10	195,27,64.36	220,43,36.61
	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ Deferred Tax Assets		56,45,24.36	15,47,66.68
	वर्तमान परिसंपत्तियाँ Current Assets			
	नकद व बैंक शेष / Cash and Bank Balances	11	597,28,69.68	1185,76,91.84
	अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियाँ / Advances and Other Assets	12	1336,71,01.81	909,54,75.73
	उप कुल (क) Sub Total (A)		**1933,99,71.49**	**2095,31,67.57**
	वर्तमान देयताएँ / Current Liabilities	13	4811,31,43.51	4195,50,44.92
	प्रावधान / Provisions	14	714,12,25.30	690,16,44.18
	उप कुल (ख) Sub Total (B)		**5525,43,68.81**	**4885,66,89.10**

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	अनुसूची / Schedule	वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
	शुद्ध वर्तमान परिसंपत्तियाँ (ग)= (क-ख) Net Current Assets (C)= (A-B)		(3591,43,97.32)	(2790,35,21.53)
	उचित मूल्य परिवर्तन खाता / Fair Value Change Account		-	-
	विविध व्यय / Miscellaneous Expenditure (उस सीमा तक जिसे बट्टे खाते में न डाला गया हो अथवा समायोजित न किया गया हो) (to the extent not written off or adjusted)	15	-	-
	लाभ और हानि खाते में नामे शेष Debit Balance in Profit & Loss Account		-	-
	कुल TOTAL		**3373,65,41.83**	**3161,93,93.75**
	महत्वपूर्ण लेखांकन पॉलिसियाँ SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES	16		
	लेखे के भाग के रूप में टिप्पणियाँ NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS	17		

(गीता मुरलीधर)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(GEETHA MURALIDHAR)
Chairman-cum-Managing Director

(डॉ गुरुप्रसाद मोहपात्र)
निदेशक
(DR. GURUPRASAD MOHAPATRA)
Director

(डॉ. सौरभ गर्ग)
निदेशक
(DR. SAURABH GARG)
Director

(एस सी रल्हन)
निदेशक
(S C RALHAN)
Director

(एम सेंथिलनाथन)
कार्यपालक निदेशक
(M SENTHILNATHAN)
Executive Director

(सी एन ए अन्बरसन)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(C N A ANBARASAN)
Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव
(SMITA PANDIT)
Company Secretary

सम तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached

कृते आर एस वी ए एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या. 110504 डब्ल्यू
For RSVA & CO.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 110504W

(शेखर एम. कुलकर्णी)
भागीदार - एम.सं. 046285
(SHEKHAR M. KULKARNI)
Partner - M. No.046285

कृते बंशी जैन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या : 100990 डब्ल्यू
For BANSHI JAIN & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm Registration No. 100990W

(अनुज बी गोलेचा)
भागीदार - एम.सं 117617
(ANUJ B. GOLECHA)
Partner - M.No. 117617

स्थान : नई दिल्ली
Place : New Delhi
दिनांक : 18 मई 2016
Dated : 18th May, 2016

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -1 / SCHEDULE -1

अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / PREMIUM EARNED (NET)

(₹ '000)

विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year	पिछले वर्ष / Previous Year
सीधे कारोबार से प्रीमियम / Premium from direct business - In India	1320,72,97.15	1362,39,79.11
जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम / Add : Premium on Reinsurance Accepted	-	-
घटाएँ : सौंपे गए पुनर्बीमा पर प्रीमियम / Less: Premium on Reinsurance Ceded	417,23,32.97	308,01,81.01
शुद्ध प्रीमियम / Net Premium	**903,49,64.18**	**1054,37,98.10**
असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधियों में परिवर्तन के लिए समायोजन Adjustment for change in Reserve for Unexpired Risks	75,44,16.96	(35,10,70.70)
कुल अर्जित प्रीमियम (शुद्ध) / Total Premium Earned (Net)	**978,93,81.14**	**1019,27,27.40**

अनुसूची -2 / SCHEDULE -2

उपगत दावे (शुद्ध) / CLAIMS INCURRED (NET)

(₹ '000)

विवरण / Particulars		वर्तमान वर्ष / Current Year	पिछले वर्ष / Previous Year
प्रदत्त दावे / Claims Paid			
सीधे / Direct		1122,84,07.27	589,83,11.68
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add : Reinsurance Accepted		-	-
घटाएँ : सौंपा गया पुनर्बीमा Less : Reinsurance Ceded (Recovery)		616,63,70.57	132,26,88.15
घटाएँ : / Less :			
वर्ष के दौरान वसूल किए गए / Recovered during the year	114,03,29.38		160,14,90.51
घटाएँ : पुनर्बीमाकर्ता को लौटाए गए Less : Share of Reinsurer	20,79,66.68		25,82,19.31
	93,23,62.70	93,23,62.70	134,32,71.20
शुद्ध प्रदत्त दावे / Net Claims paid (क) / (A)		412,96,74.00	323,23,52.33
जोड़ें : वर्ष के अंत तक बकाया दावे (पुनर्बीमा का शुद्ध) Add : Claims Outstanding at the end of the year (Net of Reinsurance)		4398,27,18.21	3807,98,77.36
घटाएँ : वसूली के लिए प्रावधान (पुनर्बीमा का शुद्ध) Less : Provision for Recovery (Net of Reinsurance)		13,81,12.17	11,18,47.51
(ख) / (B)		4384,46,06.04	3796,80,29.85
घटाएँ : आरंभ में बकाया दावे (पुनर्बीमा का शुद्ध) Less : Claims Outstanding at the beginning (Net of Reinsurance)		3807,98,77.36	2963,93,24.35
वसूली के लिए किए गए प्रावधान को घटाएँ (पुनर्बीमा का शुद्ध) Less Provision for Recovery (Net of Reinsurance)		11,18,47.51	7,39,45.69
(ग) / (C)		3796,80,29.85	2956,53,78.66
कुल उपगत दावे (क + ख - ग) / Total Claims Incurred (A + B - C)		**1000,62,50.19**	**1163,50,03.52**

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -3 / SCHEDULE -3

कमीशन / COMMISSION

(₹ '000)

विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year	पिछले वर्ष / Previous Year
प्रदत्त कमीशन / Commission Paid		
सीधे / Direct	2,82,76.86	2,29,28.88
कुल (क) TOTAL (A)	**2,82,76.86**	**2,29,28.88**
जोड़ें : स्वीकृत पुनर्बीमा / Add : Reinsurance Accepted	-	-
घटाएँ : सौंपे गए पुनर्बीमा पर कमीशन / Less: Commission on Reinsurance Ceded	70,53,78.75	59,77,47.76
शुद्ध कमीशन / Net Commission	**(67,71,01.89)**	**(57,48,18.88)**
नोट : लाभ/कमीशन, यदि कोई है तो स्वीकृत पुनर्बीमा या सौंपे गए पुनर्बीमा के आंकड़ों में शामिल किया जाए।		
Note: The Profit/Commission, if any are to be combined with the Reinsurance Accepted or Reinsurance Ceded figures.		
नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कारोबार के उपार्जन के लिए किए गए व्यय (सकल) का ब्रेक अप		
Break-up of the expenses (Gross) incurred to procure business to be furnished as per details indicated below:		
एजेंट / Agents	-	-
ब्रोकर / Brokers	2,72,05.66	2,10,18.40
कॉर्पोरेट एजेंसी / Corporate Agency	10,71.20	19,10.48
अन्य (कृपया विवरण दें) / Others (pl. specify)	-	-
कुल (ख) TOTAL (B)	**2,82,76.86**	**2,29,28.88**
नोटः उपरोक्त (क) व (ख) के जोड़ का मिलान होना चाहिए Note: Total (A) and (B) above should tally		

अनुसूची -4 / SCHEDULE -4

बीमा कारोबार से संबंधित परिचालन व्यय / OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS

(₹ '000)

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year	पिछले वर्ष / Previous Year
1	कर्मचारी परिलब्धियाँ व कल्याण सुविधाएं / Employees' Remuneration and Welfare Benefits	106,75,40.28	135,61,35.61
2	यात्रा, परिवहन तथा वाहन व्यय / Travel, Conveyance and Vehicle running Expenses	8,39,29.87	8,07,77.72
3	प्रशिक्षण व्यय / Training Expenses	1,15,12.59	1,27,85.23
4	किराया, दर व कर / Rent, Rates & Taxes	17,77,04.09	12,46,16.70
5	मरम्मत / Repairs & Maintenance	11,24,73.69	10,08,71.33
6	प्रिंटिंग व स्टेशनरी / Printing & Stationery	1,10,26.99	1,42,31.54
7	सूचना व्यय / Communication Expenses	2,21,55.10	2,36,03.69
8	कानूनी व व्यवसायिक प्रभार / Legal & Professional Charges	4,98,86.31	1,88,83.62
9	लेखा परीक्षकों का शुल्क, व्यय आदि / Auditors' Fees, Expenses, etc.		

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ

SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

(₹ '000)

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year	पिछले वर्ष / Previous Year
	(क) लेखा परीक्षक के रूप में / (a) As Auditor	58,32.19	48,27.51
	(ख) निम्न के संबंध में परामर्शदाता या किसी अन्य सेवा के रूप में		
	(b) As Adviser or in any other capacity, in respect of		
	(i) कराधान मामले / Taxation matters	10,97.93	9,27.75
	(ii) बीमा मामले / Insurance matters	-	-
	(iii) प्रबंधन सेवाएँ / Management services	-	-
	(ग) किसी अन्य सेवा के लिए / (c) In any other capacity	1,00,43.49	1,12,89.11
10	विज्ञापन व प्रचार / Advertisement and Publicity	6,88,37.13	7,81,68.07
11	ब्याज व बैंक प्रभार / Interest and Bank Charges	9,70.18	8,13.68
12	अन्य - विविध व्यय व अन्य व्यय / Others - Miscellaneous Expenses and Other Expenses	19,72,31.64	15,12,99.76
13	मूल्यह्रास / Depreciation	3,54,23.33	7,24,39.63
	कुल TOTAL	**185,56,64.81**	**205,16,70.95**

अनुसूची -5 / SCHEDULE -5

शेयर पूंजी / SHARE CAPITAL

(₹ '000)

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year	पिछले वर्ष / Previous Year
1	**प्राधिकृत पूंजी / Authorised Capital**		
	₹100 प्रत्येक के 50,00,00,000 इक्विटी शेयर	5000,00,00.00	5000,00,00.00
	50,00,00,000 Equity Shares of ₹100 each		
	(पिछले वर्ष ₹100 प्रत्येक के 50,00,00,000 इक्विटी शेयर)		
	(Previous Year 50,00,00,000 Equity Shares of ₹100 each)		
2	**निर्गमित पूंजी / Issued Capital**		
	₹100 प्रत्येक के 13,00,00,000 इक्विटी शेयर	1300,00,00.00	1200,00,00.00
	13,00,00,000 Equity Shares of ₹100 each		
	(पिछले वर्ष ₹100 प्रत्येक के 12,00,00,000 इक्विटी शेयर)		
	(Previous Year 12,00,00,000 Equity Shares of ₹100 each)		
3	**अभिदत्त पूंजी / Subscribed Capital**		
	₹100 प्रत्येक के 13,00,00,000 इक्विटी शेयर	1300,00,00.00	1200,00,00.00
	13,00,00,000 Equity Shares of ₹100 each		
	(पिछले वर्ष ₹100 प्रत्येक के 12,00,00,000 इक्विटी शेयर)		
	(Previous Year 12,00,00,000 Equity Shares of ₹100 each)		
4	**मांगी गई व प्रदत्त पूंजी / Called up & Paid up Capital**		
	₹100 प्रत्येक के 13,00,00,000 इक्विटी शेयर	1300,00,00.00	1200,00,00.00
	13,00,00,000 Equity Shares of ₹100 each		

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

(₹ '000)

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year	पिछले वर्ष / Previous Year
	(पिछले वर्ष ₹100 प्रत्येक के 12,00,00,000 इक्विटी शेयर)		
	(Previous Year 12,00,00,000 Equity Shares of ₹100 each)		
	जोड़ें : जब्त किए गए इक्विटी शेयर (मूल रूप से प्रदत्त राशि)	-	-
	Add : Equity Shares forfeited (Amount originally Paid-up)		
	घटाएँ : पुनः खरीदे गए इक्विटी शेयरों का सम मूल्य	-	-
	Less : Par Value of Equity Shares bought back		
	घटाएँ : आरंभिक व्यय	-	-
	Less : Preliminary Expenses		
	शेयरों के बीमांकन अथवा अभिदान पर कमीशन अथवा ब्रोकरेज सहित व्यय	-	-
	Expenses including Commission or Brokerage on Underwriting or Subscription of Shares	-	-
	कुल TOTAL	**1300,00,00.00**	**1200,00,00.00**

अनुसूची -5क / SCHEDULE -5A

शेयर धारण का नमूना (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित के अनुसार) / PATTERN OF SHAREHOLDING (As Certified by the Management)

शेयरधारक / Shareholder	वर्तमान वर्ष / Current Year		पिछले वर्ष / Previous Year	
	शेयरों की संख्या No. of Shares	धारिता का % % of holding	शेयरों की संख्या No. of Shares	धारिता का % % of holding
प्रवर्तक / Promoters				
भारतीय / Indian				
भारत के राष्ट्रपति एवं उनके नामित President of India & His Nominees	13,00,00,000	100.00	12,00,00,000	100.00
विदेशी / Foreign	-	-	-	-
अन्य / Others	-	-	-	-
कुल / Total	**13,00,00,000**	**100.00**	**12,00,00,000**	**100.00**

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -6 / SCHEDULE -6
प्रारक्षित निधियाँ व अधिशेष / RESERVES AND SURPLUS

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
1	पूंजीगत प्रारक्षित निधि / Capital Reserve	-	-
2	पूंजीगत शोधन प्रारक्षित निधि / Capital Redemption Reserve	-	-
3	शेयर प्रीमियम / Share Premium	-	-
4	सामान्य प्रारक्षित निधि - प्रारंभिक जमा / General Reserve - Opening Balance	1728,95,41.98	1614,40,63.63
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	190,39,41.99	114,54,78.35
		1919,34,83.97	1728,95,41.98
	वर्ष के दौरान कटौती / Deductions during the year	-	-
		1919,34,83.97	1728,95,41.98
5	आकस्मिक प्रारक्षित निधि / Catastrophe Reserve	-	-
6	फ़ैक्टरिंग योजना प्रारक्षित निधि / Factoring Scheme Reserve	60,00,00.00	60,00,00.00
7	अन्य प्रारक्षित निधियाँ (निर्दिष्ट किए जाने योग्य) / Other Reserves (to be specified)	-	-
8	लाभ व हानि खाता में शेष / Balance in Profit & Loss Account	-	-
	कुल TOTAL	**1979,34,83.97**	**1788,95,41.98**

अनुसूची -7 / SCHEDULE -7
उधार / BORROWINGS

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
1	डिबेंचर/बॉन्ड / Debentures/Bonds	-	-
2	बैंक (असंरक्षित - 12 महीनों से कम में वापस लौटने योग्य) Banks (unsecured - repayable in less than 12 months)	-	-
3	वित्तीय संस्थान / Financial Institutions	-	-
4	अन्य / Others	-	-
	कुल TOTAL	**-**	**-**

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -8 / SCHEDULE -8

निवेश (शेयर धारक) / INVESTMENTS (SHAREHOLDER)

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
	दीर्घावधि निवेश / LONG TERM INVESTMENTS		
1	राजकोषीय बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड		
	Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills		
	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ / Central Government Securities	702,61,79.87	612,74,16.72
	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ / State Government Securities	514,77,36.52	394,01,03.62
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities	26,69,60.13	28,65,80.80
3	अनुमोदित निवेश / Approved Investments		
	क. शेयर		
	a. Shares		
	कक. इक्विटी शेयर	303,49,01.41	321,36,62.66
	(i) Equity Shares		
	खख. अधिमानित शेयर	-	-
	(ii) Preference Shares		
	ख. म्यूचुअल फंड	-	-
	b. Mutual Funds		
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र	-	-
	c. Derivative Instruments		
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड	-	-
	d. Debentures/Bonds		
	I. आवास क्षेत्र के बॉन्ड में निवेश	366,81,18.25	301,37,55.85
	I. Investment in Housing Sector Bonds		
	II. बाजार क्षेत्र के बॉन्ड	189,28,26.05	207,82,11.33
	II. Market Sector Bonds		
	ङ. अन्य प्रतिभूतियाँ (निर्दिष्ट किए जाने योग्य)	-	-
	e. Other Securities (to be specified)		
	च. गौण मद	-	-
	f. Subsidiaries		
	छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन	-	-
	g. Investment Properties-Real Estate		
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश	518,16,62.70	487,60,49.88
	Investments in Infrastructure and Social Sector		
5	अन्य निवेश / Other Investments	16,34,22.64	16,16,79.16
	कुल Total (क) / (A)	**2638,18,07.57**	**2369,74,60.02**

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -8 / SCHEDULE -8

निवेश (शेयर धारक) / INVESTMENTS (SHAREHOLDER)

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
	अल्पावधि निवेश / **SHORT TERM INVESTMENTS**		
1	राजकोषीय बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड Government securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills		
	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ / Central Government Securities	14,59,07.47	50,00,32.50
	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ / State Government Securities	-	-
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities	-	-
3	अनुमोदित निवेश / Approved Investments		
	क. शेयर		
	a. Shares		
	कक. इक्विटी	-	-
	aa. Equity		
	खख. अधिमानित	-	-
	bb. Preference		
	ख. म्यूचुअल फंड	-	-
	b. Mutual Funds		
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र	-	-
	c. Derivative Instruments		
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड		
	d. Debentures/Bonds		
	I. आवास क्षेत्र के बॉन्ड में निवेश	57,35,02.93	26,21,80.02
	I. Investment in Housing Sector Bonds		
	II. बाजार क्षेत्र के बॉन्ड	28,69,94.65	15,41,24.27
	II. Market Sector Bonds		
	ड़. अन्य प्रतिभूतियाँ	-	43,92,80.42
	e. Other Securities		
	च. गौण मद	-	-
	f. Subsidiaries		
	छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन	-	-
	g. Investment Properties-Real Estate		
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	13,65,84.06	9,90,00.05
5	अन्य निवेश / Other Investments	-	-
	कुल Total (ख) / (B)	**114,29,89.11**	**145,46,17.26**
	कुल Total (क + ख) / (A + B)	**2752,47,96.68**	**2515,20,77.28**

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -8 अ / SCHEDULE -8 A
निवेश (पॉलिसीधारक) / INVESTMENTS (POLICYHOLDER)

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
	दीर्घावधि निवेश / LONG TERM INVESTMENTS		
1	राजकोषीय बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills		
	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ / Central Government Securities	1011,08,44.20	779,85,30.37
	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ / State Government Securities	740,77,18.41	501,46,77.33
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities	38,41,62.14	36,47,39.20
3	अनुमोदित निवेश / Approved Investments		
	क. शेयर a. Shares		
	कक. इक्विटी aa. Equity	436,72,97.14	409,01,16.11
	खख. अधिमानित bb. Preference	-	-
	ख. म्यूचुअल फंड b. Mutual Funds	-	-
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र c. Derivative Instruments	-	-
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड d. Debentures/Bonds		
	I. आवास क्षेत्र के बॉन्ड में निवेश I. Investment in Housing Sector Bonds	527,85,11.62	383,56,89.27
	II. बाजार क्षेत्र के बॉन्ड II. Market Sector Bonds	272,38,22.85	264,49,96.24
	ड़. अन्य प्रतिभूतियाँ (निर्दिष्ट किए जाने योग्य) e. Other Securities (to be specified)	-	-
	च. गौण मद f. Subsidiaries	-	-
	छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन g. Investment Properties-Real Estate	-	-
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector	745,65,39.01	620,58,81.67
5	अन्य निवेश / Other Investments	23,51,69.16	20,57,73.47
	कुल Total (क) / (A)	**3796,40,64.53**	**3016,04,03.66**

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -8 अ / SCHEDULE -8 A

निवेश (पॉलिसीधारक) / INVESTMENTS (POLICYHOLDER)

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars		वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
	अल्पावधि निवेश / Short Term Investments			
1	राजकोषीय बिलों सहित सरकारी प्रतिभूतियाँ एवं सरकार द्वारा गारंटीकृत बॉन्ड Government securities and Government Guaranteed bonds including Treasury Bills			
	केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ / Central Government Securities		20,99,64.41	63,64,05.00
	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ / State Government Securities		-	-
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ / Other Approved Securities		-	-
3	अनुमोदित निवेश / Approved Investments			
	क. शेयर a. Shares			
	कक. इक्विटी aa. Equity		-	-
	खख. अधिमानित bb. Preference		-	-
	ख. म्यूचुअल फंड b. Mutual Funds		-	-
	ग. डेरिवेटिव प्रपत्र c. Derivative Instruments		-	-
	घ. डिबेंचर/बॉन्ड d. Debentures/Bonds		-	-
	I. आवास क्षेत्र के बॉन्ड में निवेश I. Investment in Housing Sector Bonds		82,52,84.71	33,36,83.67
	II. बाजार क्षेत्र के बॉन्ड II. Market Sector Bonds		41,29,92.30	19,61,58.15
	ङ. अन्य प्रतिभूतियाँ e. Other Securities		-	55,90,84.18
	च. गौण मद f. Subsidiaries		-	-
	छ. संपत्ति निवेश-भूमि भवन g. Investment Properties-Real Estate		-	-
4	मूलभूत संरचना एवं सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investments in Infrastructure and Social Sector.		19,65,47.80	12,60,00.06
5	अन्य निवेश / Other Investments		-	-
	कुल Total	**(ख) / (B)**	**164,47,89.22**	**185,13,31.05**
	कुल Total	**(क + ख) / (A + B)**	**3960,88,53.75**	**3201,17,34.71**

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -9 / SCHEDULE -9

ऋण / LOANS

क्र सं Sr. No	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
1	**प्रतिभूतिवार वर्गीकरण / SECURITY-WISE CLASSIFICATION**		
	जमानती / Secured		
	(क) संपत्ति के बंधक रखने पर		
	(a) On mortgage of property		
	भारत में / In India	-	-
	भारत के बाहर / Outside India	-	-
	घटाएँ : अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान / Less : Provision for Doubtful Debts	-	-
	(ख) शेयरों, बॉन्डों, सरकारी प्रतिभूतियों पर	-	-
	(b) On Shares, Bonds, Government Securities		
	(ग) अन्य (गैर जमानती)		
	(c) Others (Unsecured)		
	कुल / TOTAL	**-**	**-**
2	**लेनदारवार वर्गीकरण / BORROWER-WISE CLASSIFICATION**		
	(क) केंद्र व राज्य सरकार	-	-
	(a) Central and State Governments		
	(ख) बैंक व वित्तीय संस्थान	-	-
	(b) Banks and Financial Institutions		
	(ग) अनुषंगी	-	-
	(c) Subsidiaries		
	(घ) औद्योगिक उपक्रम	-	-
	(d) Industrial Undertakings		
	(ड़) अन्य	-	-
	(e) Others		
	कुल TOTAL	**-**	**-**
3	**निष्पादनवार वर्गीकरण / PERFORMANCE-WISE CLASSIFICATION**		
	(क) मानक के रूप में वर्गीकृत ऋण		
	(a) Loans classified as standard		
	भारत में / In India	-	-
	भारत के बाहर / Outside India	-	-
	(ख) प्रावधानों को घटाकर अनर्जक ऋण		
	(b) Non-Performing Loans less Provisions		
	भारत में / In India	-	-
	भारत के बाहर / Outside India	-	-
	कुल TOTAL	**-**	**-**
4	परिपक्वता आधारित वर्गीकरण / **MATURITY-WISE CLASSIFICATION**		
	(क) अल्पावधि	-	-
	(a) Short Term		
	(ख) दीर्घावधि	-	-
	(b) Long Term		
	कुल TOTAL	**-**	**-**

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -10 / SCHEDULE -10
अचल परिसंपत्तियाँ / FIXED ASSETS

(₹ '000)

क्र.सं. / Sr. No.	विवरण / Particulars	सकल ब्लॉक / Gross Block					मूल्यह्रास / Depreciation					परिसंपत्तियों का अनर्जन / Impairment of Assets				शुद्ध ब्लॉक / Net Block	
		प्रारंभिक / Opening	समायोजन/ Adjustment	परिवर्धन / Additions	कटौतियाँ / Deductions	अंतिम / Closing	प्रारंभिक / Opening	समायोजन/ Adjustment	वर्ष के लिए / For the Year	बिक्री पर / समायोजन / On Sale / Adjustments	आज तक / To date	प्रारंभिक / Opening	अतिरिक्त अनर्जन / Additional Impairment	उत्क्रमण / Reversal	आज तक / To date	31.03.2015 तक / As at 31.03.2016	31.03.2014 तक / As at 31.03.2015
1	साख / Good Will	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	अमूर्त / Intangibles	3,90,28.63	-	52,05.92	-	4,42,34.55	3,83,70.41	-	12,18.38	-	3,95,88.79	-	-	-	-	46,45.76	6,58.22
3	भूमि पूर्ण स्वामित्व वाली / Land - Freehold	74,81,52.33	-	-	-	74,81,52.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74,81,52.33	74,81,52.33
4	पट्टे पर ली गई संपत्ति / Lease-hold Property	5,87,63.54	-	-	-	5,87,63.54	1,27,25.55	-	6,74.76	-	1,34,00.31	-	-	-	-	4,53,63.23	4,60,37.99
5	भवन / Building	43,32,67.41	-	22,90.00	-	43,55,57.41	11,45,71.57	-	75,00.00	-	12,20,71.57	-	-	-	-	31,34,85.84	31,86,95.84
6	फर्नीचर तथा फिटिंग / Furniture and Fittings	15,76,79.40	-	44,91.16	10,65.71	16,11,04.85	12,78,48.92	-	74,83.52	9,59.87	13,43,72.57	1.25	-	-	1.25	2,67,31.03	2,98,29.23
7	सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण / Information Technology Equipment	16,17,90.38	-	1,33,93.18	1,27,34.83	16,24,48.73	14,54,16.44	-	97,53.31	1,27,34.83	14,24,34.92	-	-	-	-	2,00,13.81	1,63,73.94
8	वाहन / Vehicles	7,14,43.30	-	-	1.66	7,14,41.64	6,28,11.54	-	17,37.10	1.66	6,45,46.98	-	-	-	-	68,94.66	86,31.76
9	कार्यालय उपकरण / Office Equipments	6,35,02.76	-	62,27.16	31,99.77	6,65,30.15	4,69,35.62	-	70,56.26	31,49.37	5,08,42.51	0.97	-	-	0.97	1,56,86.67	1,65,66.17
कुल / Total		173,36,27.75	-	3,16,07.42	1,70,01.97	174,82,33.20	54,86,80.05	-	3,54,23.33	1,68,45.73	56,72,57.65	2.22	-	-	2.22	118,09,73.33	118,49,45.48
प्रगतिरत कार्य / Work in Progress																77,17,91.03	101,93,91.13
कुल योग / Grand Total		173,36,27.75	-	3,16,07.42	1,70,01.97	174,82,33.20	54,86,80.05	-	3,54,23.33	1,68,45.73	56,72,57.65	2.22	-	-	2.22	195,27,64.36	220,43,36.61
पिछले वर्ष / Previous Year		171,36,74.04	-	2,51,25.05	51,71.34	173,36,27.75	47,88,40.14	2,10.47	7,24,39.63	28,10.19	54,86,80.05	2.22	-	-	2.22	220,43,36.61	201,94,35.40

वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली अनुसूचियाँ
SCHEDULES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची -11 / SCHEDULE -11

नकदी व बैंक शेष / CASH AND BANK BALANCES

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
1	नकद (चेक, ड्राफ्ट व स्टैम्प सहित)	1,45,62.46	1,19,34.05
	Cash (including cheques, drafts and stamps)		
2	बैंक शेष / Bank Balances		
	(क) जमा खाते		
	(a) Deposit Accounts		
	अल्पावधि (12 महीनों के भीतर देय):		
	Short Term (due within 12 months):		
	अनुसूचित बैंकों के पास	421,65,00.00	944,90,00.00
	With Schedule Banks		
	वित्तीय संस्थानों के पास	139,79,00.00	199,64,00.00
	With Financial Institutions		
	अन्य / Others		
	अनुसूचित बैंकों के पास	4,13,00.00	20,59,00.00
	With Schedule Banks		
	वित्तीय संस्थानों के पास	-	-
	With Financial Institution	-	-
	(ख) चालू खाता	30,25,07.22	19,43,57.79
	(b) Current Accounts		
	(ग) अन्य - भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष	1,00.00	1,00.00
	(c) Others - Balance with Reserve Bank of India		
3	मांग एवं अल्प नोटिस मुद्रा		
	Money at Call and Short Notice		
	बैंकों के पास	-	-
	With Banks		
	वित्तीय संस्थानों के पास	-	-
	With other Institutions		
4	अन्य / Others	-	-
	कुल / TOTAL	**597,28,69.68**	**1185,76,91.84**

अनुसूची -12 / SCHEDULE -12

अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियाँ / ADVANCES AND OTHER ASSETS

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
	अग्रिम / ADVANCES		
1	सीडिंग कंपनियों के पास जमा प्रारक्षित निधियाँ Reserve deposits with ceding companies	-	-
2	निवेशों के लिए आवेदन राशि Application money for Investments	-	-
3	समय पूर्व भुगतान Prepayments	2,75,98.11	4,04,77.85
4	पूंजी व्ययों के लिए अग्रिम Advance for Capital Expenses	-	-
5	प्रदत्त अग्रिम कर (कराधान के लिए शुद्ध प्रावधान) Advance Tax paid (Net of Provision for Taxation)	397,74,87.94	375,95,94.62
6	न्यूनतम वैकल्पिक कर ऋण पात्रता MAT Credit Entitlement	-	-
7	बैंकों को लेखागत दावा अदायगी On account Claim Payment to Banks	-	3,00,00.00
	घटाएँ:संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान Less: Provision for Doubtful Recovery	-	-
		-	3,00,00.00
8	कर्मचारियों को अग्रिम Advances to Employees	16,18,70.49	14,52,10.91
9	व्ययों के लिए अग्रिम Advance for Expenses	1,07,60.11	36,20.01
	कुल (क) / TOTAL (A)	**417,77,16.65**	**397,89,03.39**
	अन्य परिसंपत्तियाँ / OTHER ASSETS		
1	निवेशों पर प्रौद्भूत आय Income accrued on Investments	196,36,78.05	161,10,36.13
2	बकाया प्रीमियम Outstanding Premiums	-	-
3	एजेंटों के शेष Agents' Balances	-	-
4	विदेशी एजेंसियों के शेष Foreign Agencies Balances	-	-
5	बीमा कारोबार करने वाली (पुनर्बीमा सहित) अन्य इकाइयों से देय Due from other entities carrying on Insurance Business (including Reinsurers)	689,77,14.01	220,00,02.92

अनुसूची -12 / SCHEDULE -12

अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियाँ / ADVANCES AND OTHER ASSETS

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars		वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
6	अनुषंगी/धारक इकाइयों से देय Due from Subsidiaries/holding		-	-
7	भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा Deposit with Reserve Bank of India (बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अनुरूप) (Pursuant to Section 7 of Insurance Act, 1938)		-	9,95,25.00
8	आवास ऋण पर प्रौद्भूत ब्याज Interest accrued on Housing Loan		3,70,58.42	3,63,64.92
9	विविध देनदार / Sundry Debtors-			
	मानक परिसंपत्तियाँ / Standard Assets			-
	घटाएँ : मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Less : Provision for Standard Assets			-
	(I)			-
	निम्न मानक परिसंपत्तियाँ Sub - Standard Assets	-		-
	घटाएँ: निम्न मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Less : Provision for Sub - Standard Assets	-		-
	(II)	-	-	-
	संदिग्ध परिसंपत्तियाँ Doubtful Assets	7,04,26.80		7,04,26.80
	घटाएँ: संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान Less : Provision for Doubtful Assets	7,04,26.80		7,04,26.80
	(III)	-	-	-
	(I + II + III)		-	-
10	अन्यों से वसूली योग्य राशि Amount Recoverable from others	19,23,50.28		
	घटाएँ: संदिग्ध वसूली के लिए प्रावधान Less: Provision for Doubtful Recovery	195,11,50.00		
		17,28,38.78	17,78,38.78	105,55,90.28
11	विविध जमाएँ / Sundry Deposits	11,30,95.90		
	घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Less : Provision for Doubtful Debts	-		
		11,30,95.90	11,30,95.90	11,40,53.09
	शाखाओं के मध्य / Inter - branch	-	-	-
	कुल (ख) / TOTAL (B)		**918,93,85.16**	**511,65,72.34**
	कुल (क+ख) / TOTAL (A+B)		**1336,71,01.81**	**909,54,75.73**

अनुसूची -13 / SCHEDULE -13

वर्तमान देयता / CURRENT LIABILITIES

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
1	एजेन्टों का शेष Agents' Balances	-	-
2	अन्य बीमा कंपनियों को देय शेष Balances due to other Insurance Companies	95,51,41.74	103,11,54.48
3	सौंपे गए पुनर्बीमा पर जमा Deposits held on Reinsurance Ceded	-	-
4	अग्रिम प्राप्त प्रीमियम Premium received in advance	57,54,34.07	56,77,88.20
5	अनाबंटित प्रीमियम Unallocated Premium	189,95,63.86	180,50,55.92
6	पॉलिसीधारकों की दावा न की गई राशि Unclaimed Amount of Policyholders	1,79,00.30	1,87,04.61
7	विविध लेनदार Sundry Creditors	20,42,39.26	28,09,22.09
8	अनुषंगी/धारक कंपनी को देय Due to Subsidiaries/Holding Company	-	-
9	बकाया दावे Claims outstanding	4384,46,06.04	3796,80,29.85
10	कर्मचारियों को देय Due to Employees	39,09,77.39	22,30,34.02
11	अन्य को देय Due to Others - NEIA	4,99,47.45	4,28,28.34
	- फ़ैक्टरिंग - Factoring	-	-
	- विविध - Miscellaneous	17,53,00.83	1,73,97.21
	- सेवा कर देयता - Service Tax Liability	32.57	1,30.20
12	बैंक बही ओवरड्राफ्ट- अस्थायी Bank Book Overdraft - Temporary	-	-
	कुल / TOTAL	**4811,31,43.51**	**4195,50,44.92**

अनुसूची -14 / SCHEDULE -14

प्रावधान / PROVISIONS

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
1	असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित Reserve for Unexpired Risk	451,74,82.09	527,18,99.05
2	प्रीमियम में कमी के लिए प्रारक्षित Reserve for Premium Deficiency	110,20,00.59	-
3	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए प्रारक्षित Reserve for Corporate Social Responsibility	2,44,24.00	9,27,53.56
4	कराधान के लिए / For Taxation		
	- आय कर (अग्रिम कर को घटा कर) - Income Tax (Net of Advance Tax)	-	-
	- संपत्ति कर / - Wealth Tax	-	11,85.21
	- उपांत सुविधा कर (अग्रिम कर को घटाकर) - Fringe Benefit Tax (Net of Advance Tax)	-	-
5	प्रस्तावित लाभांशों के लिए For Proposed Dividends	650,000.00	48,00,00.00
6	लाभांश वितरण कर के लिए For Dividend distribution Tax	132,324.71	9,82,78.42
7	सेवानिवृत्ति सुविधाओं के लिए For Retirement Benefits		
	- छुट्टी का नकदीकरण एवं लंबी सेवा - Leave Encashment & Long Service	39,75,78.24	36,22,40.30
	- उपादान / - Gratuity	8,87,95.86	8,25,75.51
	- पेंशन / - Pension	22,80,53.86	51,27,12.13
8	कम कारोबार के शेयरों के लिए For Thinly Traded Shares	5,65.95	-
	कुल / TOTAL	**714,12,25.30**	**690,16,44.18**

अनुसूची -15 / SCHEDULE -15

विविध व्यय / MISCELLANEOUS EXPENDITURE

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year (₹ '000)	पिछले वर्ष / Previous Year (₹ '000)
1	शेयर/डिबेंचरों को जारी करने के लिए मंजूर छूट Discount Allowed in issue of shares/debentures	-	-
2	अन्य Others	-	-
	कुल / TOTAL	**-**	**-**

अनुसूची 16

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ

1. लेखा प्रणाली:

1.1 कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधाराएं (1),(2) तथा (5) तथा धारा 277 की उपधारा (5) के प्रावधानों के साथ पढे जाने वाले बीमा विनियमन व विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के अधीन गठित विनियम ; बीमा अधिनियम 1938 की धारा 11(1) के विनियामक प्रावधानों के अनुसरण में वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं। ये वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा दर्शाया न गया हो, भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों तथा लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करने) विनियमन 2002 के अनुपालन में प्रचलित लागत प्रथा तथा उपचयित आधार पर तैयार किए गए हैं तथा इनके निर्माण में कंपनी (लेखामानक) नियम, 2006 द्वारा निर्धारित लेखामानकों की आवश्यकताओं तथा कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों की सीमा तक लागू तथा ऋण बीमा उद्योग में प्रचलित प्रथाओं के अनुरूप अनुपालन किया गया है।

1.2 अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करते समय प्रबंधन को अनुमान व पूर्वानुमान करने होते हैं जिनका प्रभाव, रिपोर्ट की गयी परिसंपत्तियों तथा देयताओं की राशि तथा वित्तीय विवरणों की तारीख तक आकस्मिक देयताओं से संबन्धित प्रकटनों व रिपोर्ट अवधि के दौरान, रिपोर्ट किए गए राजस्व व व्ययों की राशि पर पड़ेगा। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न भी हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम तथा अनुमानों के बीच के अंतर का पता तब चलेगा जब इनका परिणाम सामने आएगा।

2. अचल संपत्ति तथा मूल्य ह्रास:

2.1 अचल सम्पत्तियों का अधिग्रहण के मूल्य में से संचित मूल्य ह्रास को कम कर अंकन किया गया है।

2.2 कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार प्रासंगिक दरों पर सीधी रेखा पद्धति आधार पर मूल्य ह्रास की गणना की गयी है। वर्ष के दौरान शामिल / निपटाई गयी परिसंपत्तियों का मूल्य ह्रास उन्हें शामिल किए जाने / निपटाने की तारीख के संदर्भ में यथानुपातिक आधार पर गणना की गयी है। परिसंपत्तियों का पूर्ण मूल्य ह्रास उनका उपयोग की गयी अवधि के दौरान हुआ है।

2.3 पट्टे पर ली गयी परिसंपत्तियों का परिशोधन पट्टे की अवधि

SCHEDULE 16

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. ACCOUNTING CONVENTION:

1.1 The financial statements are drawn up in accordance with the Regulatory provisions of section 11(1) of the Insurance Act, 1938; regulations framed under Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, read with the applicable provisions of the Companies Act, 2013. These financial statements prepared under the historical cost convention and on accrual basis, comply with the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of financial statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation 2002 and are in conformity with the requirements of Accounting Standards prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and conform to practices prevailing in the credit insurance industry unless otherwise stated.

1.2 USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosures relating to contingent liabilities as at the date of financial statements and reported amounts of revenues and expenses during the reporting period. Actual results could differ from these estimates. Difference between the actual result and estimates are recognized in periods in which the results are known / materialised.

2. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION:

2.1 Fixed Assets are stated at cost of acquisition less depreciation.

2.2 Depreciation is provided on straight-line method at the relevant rates as per Schedule II to the Companies Act, 2013. Assets added/disposed off during the year are depreciated on a pro-rata basis with reference to the date of addition/disposal. Assets are depreciated fully during the course of its useful life.

2.3 Leased Assets are amortised over the period of lease.

के दौरान किया गया है ।

2.4 हार्ड वेयर का अभिन्न अंग बनाने वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसमें पहले से लोड किया गया सॉफ्टवेयर तथा नए खरीदे गए हार्डवेयर को लोड करने के लिए खरीदा गया सॉफ्टवेयर शामिल है , को हार्डवेयर के साथ पूंजीकृत कर दिया गया है।

2.5 सॉफ्टवेयर विकास तथा अधिग्रहण मूल्य जो कंपनी लेखामानक नियम 2006 द्वारा जारी AS - 26 - अमूर्त परिसंपत्तियाँ - के मान्यताप्राप्त मानदंडों को पूरा करते हैं , को " अमूर्त " शीर्ष के अधीन पूंजीकृत किया गया है तथा 5 वर्षों की अधिकतम अवधि के अधीन परिसंपत्तियों के उपयोग किए गए समय के दौरान सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया गया है।

2.6 परियोजनाएं जो आरंभ की जा चुकी हैं को पूंजीगत कार्य प्रगति पर (CWIP) के रूप में मूल्य पर आगे लाया गया है तथा यह अग्रिमों व सीधे प्रदान करने योग्य लागत सहित ठेकेदारों को की गयी अदायगियों को प्रदर्शित करता है।

3. हानि

आगे लायी जाने वाली परिसंपत्तियों की राशियों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी प्रकार की हानि का संकेत तो नहीं है। यदि हानि के कोई आसार दिखाई देते हैं तो परिसंपत्तियों की वसूली योग्य राशि का अनुमान किया गया है । जहां कहीं भी परिसंपत्ति की आगे बढ़ाई जाने वाली राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होती है तो हानि को माना गया है ।

4. निवेश:

4.1 अल्पावधि मुद्रा बाज़ार उपकरण जैसे वाणिज्यिक पत्रों तथा जमा प्रमाण पत्रों को छूट प्राप्त मूल्य में दर्शाया गया है तथा अधिग्रहण मूल्य और ऋणमुक्ति मूल्य के बीच के अंतर को समय आधार पर विभाजित किया गया व उपचित आय के रूप में उसकी पहचान की गयी।

4.2 शेयर , बॉन्ड, तथा डिबेंचरों आदि की खरीद व बिक्री के ठेकों को संव्यवहार की तारीख को " निवेश " के रूप में स्वीकार किया गया है।

4.3 निवेश मूल्य में अधिग्रहण पर प्रीमियम, व्यय जैसे ब्रोकरेज, अंतरण स्टैम्प, अंतरण शुल्क आदि के व्यय तथा यह , उस पर प्राप्त प्रोत्साहन / शुल्क , यदि कोई हो तो, का निवल है।

4.4 लाभांश को घोषणा वर्ष में आय में शामिल किया गया है। वसूली पर आपत्ति / सुपुर्दगी के लिए लंबित शेयर्स पर लाभांश / डिबेंचरों पर ब्याज की गणना की गयी है। अन्तरिम लाभांश की गणना 31 मार्च अथवा उससे पहले के वारंटों के लिए की गयी है।

2.4 The computer software forming integral part of hardware which comprises pre-loaded software and the software procured for loading in the newly bought-out hardware is capitalized along with the hardware.

2.5 The Software development and acquisition costs which meet the recognition criteria of AS 26 Intangible Assets issued by Companies Accounting Standard Rules, 2006 are capitalised under the head "Intangibles" and Amortised on a straight-line basis over the useful life of the Asset subject to a maximum period of 5 years.

2.6 Projects under commissioning are carried forward at cost as Capital Work-in-Progress (CWIP) and represents payments made to contractors including advances and directly attributable cost.

3. IMPAIRMENTS

The carrying amounts of assets are reviewed at each balance sheet date to determine whether there is any indication of impairment. If any indications exist, the assets recoverable amount is estimated. An impairment loss is recognized wherever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount.

4. INVESTMENTS:

4.1 Short Term Money Market Instruments such as Commercial Papers and Certificate of Deposit, are shown at their discounted value and the difference between the acquisition cost and the redemption value is apportioned on time basis and recognised as accrued income.

4.2 Contracts for purchase and sale of shares, bonds, debentures, etc., are accounted for as "Investments" as on date of transaction.

4.3 The cost of investments include premium on acquisition, expenses like brokerage, transfer stamps, transfer charges, etc., and is net of incentive/fee if any, received thereon.

4.4 Dividend is accounted for as income in the year of declaration. Dividend on shares/interest on debentures under objection/pending delivery is accounted for, on realisation. Interim dividend is accounted where the warrants are dated 31st March or earlier.

4.5 निवेशों की आय पर लाभ / हानि का आंकलन, सरकार की प्रतिभूतियों, जिन्हें परिपक्वता अवधि तक रखा जाता है के अलावा उन निवेशों के मूल्य को भारित औसत बही मूल्य के आधार पर किया गया है तथा इस प्रकार के निवेशों पर लाभ / हानि की गणना क्रय क्रम मूल्यन विधि (FIFO) पर की गयी है।

4.6 सरकार की प्रतिभूतियों, ऋण प्रतिभूतियों तथा प्रतिदेय अधिमान शेयरों को परिपक्वता तक रखने योग्य माना गया है व उनकी गणना मूल्य लागत तक आँका गया है। तथापि बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण विनियमों की शर्तों के अधीन प्रतिभूतियों के अधिग्रहण के समय अदा किए गए प्रीमियम का परिशोधन परिपक्वता की अवशिष्ट अवधि के लिए किया गया है।

4.7 क) म्युचुअल फंडों में निवेशों की गणना वर्ष के अंत तक निवल आस्ति मूल्य (NAV) पर की गयी है तथा मूल्य / बही मूल्य तथा NAV के बीच के अंतर की गणना उचित मूल्य परिवर्तन खाते में की गयी है। तथापि यदि मूल्य में किसी प्रकार की हानि पायी गयी तो उसे राजस्व से प्रभारित किया गया है तथा निवेश के बही मूल्य को तदनुसार घटाया गया है। यदि पहले पाई गई हानि में किसी प्रकार का प्रत्यावर्तन पाया गया तो उसे पहले पाई गई हानि में कटौती की सीमा तक राजस्व में शामिल किया जाएगा।

ख) तुलन पत्र की तारीख तक यदि NAV उपलब्ध न हो तो निवेश को लागत मूल्य तक दर्शाया गया है ।

4.8 क) इक्विटी / इक्विटी संबन्धित साधनों के संबंध में निवेश पोर्टफोलियो को बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण विनियमों द्वारा निर्धारित अनुसार वृद्धिशील व्यापारित और अल्प व्यापारित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। NSE तथा BSE दोनों में मार्च माह के दौरान किए गए समव्यवहारों के आधार पर शेयरों को अल्प व्यापारित माना गया है।

ख) वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी / इक्विटी संबन्धित साधनों के मूल्य का अंकन IRDA के दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाएगा । इक्विटी निवेशों के मूल्यांकन नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) जोकि प्राथमिक एक्सचेंज माना गया है , पर अंतिम मूल्य कोट के आधार पर किया जाएगा । यदि किसी साधन को NSE में कोट नहीं किया गया है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) (गौण एक्सचेंज) में लगे अंतिम कोट को मूल्यांकन के लिए आधार लिया जाएगा। भारित औसत मूल्य तथा कोट किए गए मूल्य के बीच के अंतर को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में लिया गया है ।

4.5 Profit/Loss on realisation of investments is computed by taking Weighted Average Book Value as cost of investments except Government Securities which are held to maturity and profit/ loss on such investments are worked out on First In First Out basis (FIFO).

4.6 Investment in Government Securities, debt securities and redeemable preference shares are considered as held till maturity and valued at cost. However, in terms of Insurance Regulatory and Development Authority Regulations the premium paid at the time of acquisition of securities is amortised over the residual period of maturity.

4.7 a) Investments in Mutual Fund/s are valued at Net Asset Value (NAV) at the year-end and the difference between cost/book value and NAV is accounted in Fair Value Change Account. However, if there is impairment in value, the same is charged to Revenue and the book value of investment is reduced accordingly. Any reversal of impairment loss earlier recognised, shall be taken to revenue to the extent of reduction in impairment recognised earlier.

b) In case of non-availability of NAV as at the Balance Sheet date, investment is shown at cost.

4.8 a) Investment Portfolio in respect of Equity/ Equity related instruments are segregated into Actively Traded and Thinly Traded as prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority Regulations. The shares are treated as thinly traded by taking into consideration transactions in the month of March on both NSE and BSE.

b) Actively Traded Equity/Equity related instruments will be valued as per IRDA guidelines. The equity investments will be valued at the last quoted closing prices on the National Stock Exchange (NSE) which will be the primary exchange. If any of the instruments is not quoted on NSE, then the last quoted closing price on the Bombay Stock Exchange (BSE) (as secondary exchange) will be taken for valuation. The difference between weighted average cost and quoted value is accounted in Fair Value Change Account.

4.9 अल्प व्यापारित ईक्विटियों तथा असूचीबद्ध ईक्विटियों में किए गए निवेशों को लागत मूल्य में दर्शाया गया है। तथापि लागत व विश्लेषित लागत के अंतर का प्रावधान मूल्य में कमी किया गया है। यह भी कि पिछले तीन लेखा वर्षों के लिए अल्प व्यापारित / असूचीबद्ध शेयरों के लिए प्रावधान करने की तारीख के तत्काल पहले असूचीबद्ध कंपनियों के प्रकाशित लेखे उपलब्ध नहीं हैं अथवा विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है तो सम्पूर्ण मूल्य के लिए प्रावधान किया गया है ।

4.10 सूचीबद्ध ईक्विटियों / इक्विटी संबन्धित साधनों / अधिमानित शेयरों के रूप में उन कंपनियों में निवेश किया गया है जिन्हें पिछले तीन वर्षों से लगातार हानि हो रही हो तथा जहां पूंजी ह्रास हो रहा हो तो ऐसे निवेशों को मूल्य में हानि माना गया है। यदि लगातार पिछले तीन लेखा वर्षों की समाप्ति पर अथवा मूल्य में हानि के मूल्यांकन की तारीख के तत्काल पहले के लिए कंपनी के प्रकाशित लेखे उपलब्ध नहीं है तो यह माना गया कि निवेशों के मूल्य की पूर्ण हानि हुई है तथा 1/- रु प्रति कंपनी के हिसाब से नाम मात्र मूल्य पर उसे बट्टे खाते में डाला गया है।

4.11 क) निवेशों के मूल्यांकन को मूल्य में हानियुक्त मानते हुए उनकी निम्नानुसार गणना की गयी :

क) वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी शेयर्स के संबंध में :- लागत मूल्य की न्यूनतम राशि, बाजार मूल्य अथवा विश्लेषित मूल्य बशर्ते की विश्लेषित मूल्य धनात्मक है । तथापि यदि विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है तो प्रति कंपनी का नाम मात्र मूल्य 1/-रु लिया गया है ।

ख) वृद्धिशील व्यापारित इक्विटी शेयर्स के अलावा अन्य के संबंध में :- लागत मूल्य अथवा बाजार मूल्य अथवा विश्लेषित मूल्य की न्यूनतम राशि, बशर्ते कि विश्लेषित मूल्य धनात्मक हो। तथापि यदि विश्लेषित मूल्य ऋणात्मक है तो प्रति कंपनी का नाम मात्र मूल्य 1/-रु लिया गया ।

ग) अधिमानित शेयर्स के मामले में, यदि पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभांश प्राप्त नहीं हुआ हो तो :- अधिमानित शेयर्स के मूल्य ह्रास की गणना उनके अंकित मूल्य के आधार उसी अनुपात में किया जाएगा जिस अनुपात में इक्विटी शेयर्स के अंकित मूल्य के आधार पर मूल्य की गणना की गयी / इक्विटी शेयर्स के मूल्यह्रास के मूल्य की गणना की जाती । तथापि यदि इक्विटी शेयर्स को 1/- रु प्रति कंपनी के हिसाब से बट्टे खाते में डाला गया है तो अधिमानित शेयर्स को भी 1/-रु प्रति कंपनी के हिसाब से बट्टे खाते में डाला जाएगा ।

4.9 Investment in thinly traded Equity shares and unlisted equity shares are shown at cost. However, difference between cost and break-up value is provided for as diminution in value. Further, if the published accounts of an unlisted Company are not available for last three accounting years ending on or immediately preceding the date of working out provision for thinly/unlisted shares or if the break-up value is negative then the provision is made for the entire cost.

4.10 Investment in Listed Equity/Equity related instruments/Preference shares made in those Companies, which are making losses continuously for last three years and where capital is eroded, are considered to have Impairment in value. Further, if the published accounts of a Company are not available for last three accounting years ending on or immediately preceding the date of working out Impairment in value, it is presumed that the value of investments is fully impaired and is written off to a nominal value of Re 1/- per Company.

4.11 A) Valuation of investments considered to have impairment in value is done as under:

a) In respect of Actively Traded Equity Shares: - Least of Cost Price, Market Price or Break-up Value provided Break-up Value is positive. However, if the Break-up Value is negative the nominal value is taken at ₹1/- per Company.

b) In respect of Other Than Actively Traded Equity Shares: - Lower of Cost Price or Break-up Value provided Break-up Value is positive. However, if Break-up Value is negative the nominal value is taken at Rs. 1/- per Company.

c) In respect of preference shares, if the dividend is not received for the last three years: - The preference shares are written down to a value which will bear to its face value, the same proportion as value taken/which would have been taken for writing down equity shares bears to the face value of the equity shares. However, if the equity shares are written off to Re.1/- per Company, preference shares also will be written off to a nominal value of Re. 1/- per Company.

B) Once the value of investment in listed equity/ equity related instruments/preference shares is impaired in accordance with the above mentioned policy, the reversal of

ख) एक बार जब ऊपर उल्लिखित नीति के अनुसार सूचीबद्ध शेयर/ ईक्विटी संबन्धित साधनों / अधिमानित शेयर्स में निवेशों के मूल्य हानि की गणना की गयी है, इस प्रकार की हानियों के प्रत्यावर्तन को केवल तब राजस्व / लाभ व हानि खाते में शामिल किया गया जब निवेश की गयी कंपनियों की हानियाँ पूरी तरह से समाप्त हो गयी हैं व उपलब्ध नवीनतम प्रकाशित लेखों के अनुसार अथवा प्रत्यावर्तन के तत्काल पहले की तारीख को उसकी पूंजी पुनः स्थापित की गई थी ।

4.12प्रतिवर्ती पुनर्खरीद संव्यव्हारों को सुरक्षित ऋण संव्यवहार माना जाता है तथा तदनुसार वित्तीय विवरणों में उनका प्रकटन किया गया है। संव्यव्हारों के पहले व दूसरे चरण के कुल आगम के अंतर को आय माना गया है।

4.13संपार्श्विक उधार लेने और देने की बाध्यता "(CBLO), जिसे अंकित मूल्य में छूट पर जारी किया गया था को भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार मुद्रा बाज़ार के उपकरण माना गया है। CBLO के जरिये उधर देने पर अर्जित छूट को आय में दर्शाया गया है और उसका सामयिक आधार पर प्रभाजन किया गया है ।

4.14क) अप्राप्त लाभ , सूचीबद्ध एक्विटी शेयर्स के अंकित मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण उत्पन्न हानि को " अंकित मूल्य परिवर्तन खाता " शीर्ष में लिया गया है तथा उसकी उगाही पर उसे लाभ व हानि खाते में रिपोर्ट किया गया है।

ख) उगाही के लिए लंबित , " अंकित मूल्य परिवर्तन खाता " में ऋण शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

4.15"शेयरधारकों " एवं " पॉलिसीधारकों " की निधियों में निवेशों का आबंटन :- महत्वपूर्ण लेखा नीति (पैरा सं 10.2) में उल्लिखित अनुसार वित्तीय वर्ष के आरंभ में निगम के निवेशों को अनुसूची 8 व 8क में क्रमशः "शेयरधारकों की निधियाँ " व "पॉलिसीधारकों की निधियाँ " शीर्ष "शेयरधारकों" व "पॉलिसीधारकों" की निधि में आबंटित किया गया है ।

4.16आस्ति वर्गीकरण, आय की मान्यता तथा ऋणों/ अग्रिमों / डिबेंचरों से संबन्धित प्रावधान के संबंध में निगम भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई)/ भारतीय रिज़र्व बैंक के संबन्धित दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करता है।

5. प्रीमियम आय

जोखिम के पूर्वानुमान पर प्रीमियम आय की पहचान की गयी है।

such impairment losses are recognised in revenue/profit & loss account only when the accumulated losses of such investee companies are completely wiped out and capital is fully restored as per the latest available published accounts on or immediately preceding the date of working out the reversal.

4.12 REVERSE REPO Transactions are treated as secured lending transactions and accordingly disclosed in the financial statements. The difference between total consideration at the 1st and 2nd leg of the transaction is treated as income.

4.13"Collateralised Borrowing and Lending Obligation"(CBLO), which is issued at Discount to the Face Value, is treated as Money Market Instrument as per Reserve Bank of India Notification. Discount earned at the time of lending through CBLO is shown as income, which is apportioned on time basis.

4.14 a) Unrealised gain, losses arising due to changes in the fair value of listed equity shares are taken under the head "Fair Value Change Account" and on realisation reported in profit and loss account.

b) Pending realisation, the credit balance in the "Fair Value Change Account" is not available for distribution.

4.15 Allocation of Investments into Shareholders' & Policyholders' Funds": Investments of the Corporation are allocated to Shareholders' and Policyholders' funds as presented in schedule 8 and 8a in the ratio of Shareholders' Fund and Policyholders' Fund respectively as at the beginning of the financial year as stated in Significant Accounting Policy (para) No.10.2

4.16 The Corporation follows the prudential norms prescribed by Insurance Regulatory and Development Authority Of India (IRDAI)/related Reserve Bank of India (RBI) guidelines as regards asset classification, recognition of income and provisioning pertaining to loans/ advances/ debentures.

5. PREMIUM INCOME

Premium Income is recognised on assumption of risk.

6. असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधि

असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षण वर्ष के लिए निवल प्रीमियम आय के 50% तक प्रावधान किया गया है ।

7. प्रीमियम में कमी

प्रीमियम कमी तब जाती है जब अपेक्षित दावा मूल्य तथा संबन्धित व्ययों का योग असमाप्त जोखिमों के लिए रखी गई प्रारक्षित निधियों से अधिक हो तो ।

8. बकाया दावों तथा अनुमानित वसूलियों के लेखा के लिए प्रारक्षित निधियाँ :

8.1 रिपोर्ट की जानेवाली तारीख को बकाया दावों के लिए प्रारक्षित निधियों का निर्धारण को मध्यम व दीर्घ अवधि (MLT) रक्षाओं / पॉलिसियों के अधीन सभी दावा मामलों में तथा अल्पावधि पॉलिसियों / रक्षाओं के अधीन प्रक्रियाधीन दावों के मामलों में देय राशि के अनुसार किया गया है। जहां अल्पावधि रक्षाओं / पॉलिसियों के अधीन दावों पर कार्यवाही अभी शेष है प्रावधान अनुमानों के आधार पर किए जाएँगे।

8.2 यह भी कि, दावे उत्पन्न हुए परंतु रिपोर्ट नहीं किए गए (IBNR) के लिए प्रावधान, दावे उत्पन्न हुए परंतु पर्याप्त रूप से रिपोर्ट नहीं किए गए (IBNER) के लिए प्रावधानों को वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के लिए लेखांकित किया गया है।

8.3 प्रदत्त दावों के संबंध में अनुमानित वसूलियों (अंतरण विलंब वसूलियों के अलावा) का लेखाप्रत्येक मामले के मूल्यांकन के आधार पर किया गया है। तथापि प्रदत्त दावों तथा तुलन पत्र की तारीख को तीन वर्षों से अधिक प्रदत्त दावों तथा वसूली के लिए बकाया का अनुमान 100/- रु (एक सौ रु मात्र) पर किया गया भले ही इस प्रकार के मूल्यांकन पर उच्च वसूली के लिए प्रावधान किया गया हो। प्रदत्त अंतरण विलंब के लिए अदा किए गए दावे पर होने वाली अनुमानित वसूलियों का लेखा उपलब्ध जानकारी तथा पूर्व के अनुभव के आधार पर निगम की वर्तमान धारणाओं पर आधारित है।

8.4 आकस्मिक देयता के रूप में वर्गीकृत निम्नलिखित दावों के लिए किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है :

(i) निगम द्वारा नामंज़ूर दावे तथा उन मामलों में जहां दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है जिसके लिए कानूनी कार्यवाही तथा / अथवा विवेचन प्रारम्भ किया जा चुका है, उन मामलों को छोड़ कर जहां प्रतिकूल निर्णय लिया गया है ।

(ii) (ii) बैंकों द्वारा दायर दावे जहां, उनके स्वयं द्वारा पुष्टि अनुसार देयों की वसूली हेतु समझौता प्रस्ताव

6. RESERVE FOR UNEXPIRED RISKS

Reserve for unexpired risks is created at 50% of net premium income for the year.

7. PREMIUM DEFICIENCY

Premium deficiency is recognised when the sum of expected claim costs and related expenses exceed the reserve for un-expired risks.

8. RESERVE FOR OUTSTANDING CLAIMS AND ACCOUNTING OF ESTIMATED RECOVERIES :

8.1 Reserve for outstanding claims on the reporting date is recognised at the amount determined as payable in all claim cases under Medium & Long Term(MLT) covers/policies and in case of processed claims under Short Term(ST) policies/covers. In case of claims yet to be processed under ST covers/policies, a provision will be made on the basis of estimates.

8.2 Further, the Provision for Claims Incurred But Not Reported (IBNR), Provision for Claims Incurred But Not Enough Reported (IBNER) are accounted for as per actuarial valuation as at end of the year.

8.3 The estimated recoveries (other than transfer delay recoveries) in respect of claims paid are accounted for on the basis of assessment of each case. However, the recoveries in respect of claims paid and outstanding for recovery for more than three years as on the Balance Sheet date are estimated at Rs. 100/- (Rupees One Hundred only) even if higher recovery provision is estimated on such assessments. The estimated recoveries on account of transfer delay claims paid, is accounted on the basis of the Corporation's current perceptions based on the available information and past experience.

8.4 No provision is made for following claims which are treated as Contingent Liability:

(i) Claims rejected by the Corporation and not acknowledged as debts in respect of which legal action and/or Arbitration has been initiated except cases where there have been adverse ruling. Such cases have been provided under claims in the financial statements.

(ii) Claims preferred by Banks where, as confirmed by them, compromise proposals for recovery

पर बातचीत चल रही है।

उक्त (i) व (ii) से संबन्धित मामलों के संदर्भ में यदि ब्याज के लिए दावा किया गया है आकस्मिक देयता अथवा प्रावधान के उद्देश्य दोनों के लिए विचार नहीं किया गया है।

9. पुनर्बीमा :

9.1 जोखिम ग्रहण करने पर बीमा प्रीमियम का निर्धारण उसी वर्ष से की गयी है जिस वर्ष से जोखिम आरंभ हुआ है। प्रदान किए गए प्रीमियम में किए जाने वाले बाद के संशोधन का निर्धारण इस प्रकार के संशोधन के वर्ष से किया गया है। पॉलिसियों को रद्द करने के फलस्वरूप उत्पन्न पुनर्बीमा प्रीमियम के समायोजन का निर्धारण उसी वर्ष की गयी जिस वर्ष पॉलिसी रद्द की गयी।

9.2 पुनर्बीमा करवाने के फलस्वरूप प्राप्त कमीशन की गणना उस अवधि की आय में किया गया है जिस अवधि के दौरान पुनर्बीमा प्रीमियम की अदायगी की गयी।

9.3 पुनर्बीमा संधियों के अधीन प्राप्त लाभ कमीशन, जहां भी लागू हो, की लाभ निर्धारण के अंतिम वर्ष व पुनर्बीमाकर्ता द्वारा सूचित अनुसार गणना की गयी है।

9.4 पुनर्बीमा समझौते के निबंधन व शर्तों के अधीन पुनर्बीमाकर्ताओं से प्राप्त / प्राप्तियोग्य राशियों की गणना दावे की गणना के साथ ही की गई है।

10. प्रबंधन व्यय :

10.1 निगम के कारोबार से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े प्रबंधन व्यय के अतिरिक्त निगम द्वारा किए गए व्यय की गणना बीमा कारोबार से संबन्धित व्यय के रूप में की गयी है तथा अतः उसे राजस्व खाते के शीर्ष में रखा गया है। निवेशों से संबन्धित व्यय को राजस्व तथा लाभ व हानि खाते के बीच उसी अनुपात में प्रभाजित किया गया है जैसा की महत्वपूर्ण लेखानीति सं 10.2 में उल्लिखित है।

10.2 वित्त वर्ष के आरंभ में निवेश आय को लाभ व हानि खाता एवं राजस्व खाते में क्रमशः "शेयर धारक निधि " व " पॉलिसीधारक निधि " के रूप में प्रभाजित किया गया है। "शेयरधारक" निधि में शेयर पूंजी, सामान्य प्रारक्षित निधियाँ तथा पूंजी प्रारक्षित निधियाँ शामिल हैं। "पॉलिसीधारकों" की निधि में असमाप्त जोखिमों के लिए प्रारक्षित निधि , बकाया दावों आदि के लिए प्रारक्षित निधि शामिल हैं।

10.3 प्रिंटिंग व स्टेशनरी को खरीद के वर्ष में ही उपयोग में लाया गया मान लिया गया है।

of dues are under negotiation.

Interest claimed, if any, in respect of cases referred to (i) & (ii) is not considered either for the purpose of Contingent Liability or for Provision.

9. REINSURANCE :

9.1 Insurance premium on ceding of the risk is recognised in the year in which the risk commences. Any subsequent revision to premium ceded is recognised in the year of such revision. Adjustment to Reinsurance premium arising on cancellation of policies is recognised in the year in which it is cancelled.

9.2 Commission received on Reinsurance Ceded is recognized as income in the period in which Reinsurance premium is Ceded.

9.3 Profit Commission under Reinsurance Treaties, wherever applicable, is recognized in the year of final determination of the Profits and as intimated by Reinsurer.

9.4 Amounts received/receivable from the Reinsurer, under the terms of the Reinsurance arrangement, are recognized together with the recognition of the claim.

10. EXPENSES OF MANAGEMENT :

10.1 Management expenses, other than those directly related to other businesses of the Corporation, incurred by the Corporation are considered as expenses relating to the insurance business and are therefore charged to Revenue Account. Expenses relating to Investment are apportioned between Revenue and Profit & Loss Account in the same proportion as stated in Significant Accounting Policy No.10.2.

10.2 Investment Income is apportioned between Profit & Loss Account and Revenue Accounts in the ratio of Shareholders' Fund and Policyholders' Funds respectively at the beginning of the FY. Shareholders' Fund consists of Share Capital, General Reserves and Capital Reserves. Policyholders' Fund consists of Reserve for Un-expired Risk, Reserve for Outstanding Claims, etc.

10.3 Printing and Stationery items are treated as consumed in the year of purchase.

11. कर्मचारी लाभ :

11.1 निगम सभी पात्र कर्मचारियों के लिए उपदान , एक निश्चित लाभ योजना प्रदान करता है। योजना के अधीन पात्र कर्मचारियों के लिए संबन्धित कर्मचारी का वेतन तथा निगम में पूर्ण की गयी सेवा की अवधि के आधार पर सेवा निवृत्ति अथवा सेवाओं के समापन के आधार पर एक मुश्त राशि प्रदान करता है। निगम बीमा कंपनी द्वारा रखी गयी उपदान निधि में अपना अंशदान देता है। राशि का अंशदान वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निगम का उपदान निधि में अंशदान का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार के अंशदानों को राजस्व खाते में दर्शाया गया है।

11.2 परिकल्पित इकाई ऋण विधि के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन में पायी गयी कमियों तथा तुलन पत्र की तारीख तक बीमा कंपनी के निधिक शेषों के बीच के अंतरों लिए प्रावधान किए गए हैं ।

11.3 निगम की नीति के अनुसार , कुछ निबंधन व शर्तों के अधीन कर्मचारी अपने त्यागपत्र / सेवानिवृत्ति के समय अपने खाते में जमा छुट्टियों का नकदीकरण कर सकते हैं। तुलन पत्र की तारीख को कर्मचारियों के खाते में जमा शेष छुट्टी की अनुमानित उपलब्धता के आधार पर अल्पावधिक मुआवजा अनुपस्थितियों के लिए प्रावधान किया गया है। प्रावधान , दीर्घावधिक मुआवजा अनुपस्थितियों के लिए तुलन पत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है।

11.4. भविष्य निधि निश्चित लाभ योजना है। निधि में किए जाने वाले निगम का अंशदान राजस्व खाते में प्रभारित है। यदि भविष्य निधि ट्रस्ट की आधारभूत निधि की प्राप्ति संवैधानिक निर्धारित न्यूनतम से कम है तो उस कमी की भरपाई निगम को करनी होगी।

11.5. कर्मचारी निश्चित लाभ योजना के जरिये भविष्य निधि की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं जिसमें , आवरित कर्मचारियों के मूल वेतन के 10% के हिसाब से कर्मचारी अपना अंशदान करते हैं। निगम, उन पात्र कर्मचारियों जिन्होने 31.03.2010 को अथवा उससे पहले निगम में कार्य ग्रहण किया है व पेंशन का विकल्प नहीं चुना है के मामले में समान राशि का अंशदान करता है। निगम ने भविष्य निधि ट्रस्ट की स्थापना की है जिसमें भविष्य निधि के लिए प्रत्येक माह किए जाने वाले अंशदानों को जमा किया जाता है। भविष्य निधि ट्रस्ट में किए जाने वाले अंशदानों को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है। निगम आवधिक आधार पर ऐसे अंशदानों पर विनिर्दिष्ट

11. EMPLOYEE BENEFITS :

11.1 The Corporation provides for Gratuity, a Defined Benefit Plan covering all eligible employees. The plan provides a lump sum payment to eligible employees on retirement or on termination of employment based on the salary of the respective employee and the years of employment with the Corporation. The Corporation contributes to a Gratuity Fund maintained by Insurance Company. The amount of contribution is determined based upon actuarial valuations as at the year end. Such contributions are charged off to the Revenue Account.

11.2 Provision is made for the shortfall between the actuarial valuation as per Projected Unit Credit Method and the funded balance with the Insurance Company as at the Balance Sheet date.

11.3 As per Corporation's policy, employees are eligible to encash leave standing to the credit of employees at the time of resignation/retirement subject to terms and conditions. Provision for short-term compensated absences is made on the basis of an estimate of availment of the leave balance to the credit of the employees as at the Balance Sheet date. Long-term compensated absences are provided for based on actuarial valuation as at Balance Sheet date.

11.4. Provident Fund is a Defined Benefit Plan. Corporation's contribution towards the fund is charged to the Revenue Account. In case the return of the Provident Fund Trust's corpus is below the Statutory Prescribed Minimum, the Corporation will have to fund the shortfall.

11.5. Employees are eligible to receive Provident Fund benefits through a Defined Benefit Plan in which employees make monthly contributions to the plan, @ 10%, of the covered employees' basic salary. The Corporation contributes an equal amount in case of the eligible employees who have joined the Corporation on or before 31/03/2010 and have not opted for pension benefit. The Corporation has established a Provident Fund Trust to which contributions towards Provident Fund are made and contributions towards Provident Fund are charged to the Revenue Account on an accrual basis. The Corporation guarantees the specified rate of return on such contributions on a periodical

प्राप्तियों की गारंटी देता है , प्राप्तियों में हुई कमी , यदि कोई हो तो , की भरपाई निगम करेगा।

11.6 कर्मचारी निश्चित लाभ योजना के जरिये पेंशन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं जिसमें , रक्षित कर्मचारियों के मूल वेतन के 10% के हिसाब से निगम अपना अंशदान करता है । वे कर्मचारी जिन्होने 31.03.2010 को अथवा उससे पहले निगम की सेवाएँ ग्रहण की व पेंशन का विकल्प चुना है पेंशन योजना के अधीन पेंशन सुविधा प्राप्त करने के पात्र हैं । निगम ने पेंशन ट्रस्ट की स्थापना की है जिसमें प्रत्येक माह पेंशन के लिए अंशदान किया जाता है। पेंशन निधि में किए जाने वाले अंशदानों को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है। निगम दायित्वों की पूर्ति के लिए दायित्व के बीमांकिक मूल्यांकन तथा परिसंपत्तियों के अंकित मूल्य के आधार पर निवल देयता का मूल्यांकन करेगा तथा तुलन पत्र के आधार पर उसके लिए प्रावधान करेगा ।

11.7 जिन कर्मचारियों ने दिनांक 01.04.2010 को अथवा उसके पश्चात निगम की सेवाएँ ग्रहण की वे निश्चित अंशदान योजना (नयी पेंशन योजना) के सदस्य होने के लिए पात्र हैं जिसमें कर्मचारी अपने मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते (डी ए) के 10% के हिसाब से अपना मासिक अंशदान करते हैं। पात्र कर्मचारियों के मामले में निगम समान राशि का अंशदान करता है। निगम के अंशदानों को उपचयित आधार पर राजस्व खाते में प्रभारित किया गया है।

11.8 अन्य सभी दीर्घावधिक लाभों का प्रावधान बीमांकिक आधार पर किया गया है।

11.9 कर्मचारी लाभों पर बीमांकिक लाभ / हानि, तत्काल राजस्व खाते में अंकित की जाती है।

12. आय कर :

12.1 कर के लिए प्रावधान आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार चालू लेखाअवधि के लिए अभिकलित कर योग्य लाभों के आधार पर किया जाता है। न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT) कर नियमों के अनुसार अदा किया जाता है, जो भविष्य की आयकर देयता पर जमा कर के रूप में भावी लाभों में वृद्धि करेगा, जिसे , व उसकी गणना तुलन पत्र में परिसंपत्ति के रूप में माना गया है यदि निगम यह विश्वास दिलाते हुए सबूत प्रस्तुत करे कि वह भविष्य में सामान्य कर अदा करेगा तथा परिणामी परिसंपत्ति को विश्वसनीयता से आँका जा सकेगा।

12.2 आस्थगित कर की गणना तुलन पत्र की तारीख तक निर्धारित कर दरों तथा अधिनियमों तथा पर्याप्त रूप में अधिमानित क़ानूनों के आधार पर की जाती है तथा यह

basis. The Corporation will meet the shortfall in the return, if any.

11.6 Employees are eligible to receive Pension benefits through a Defined Benefit Plan to which the Corporation contributes to the plan, @ 10%, of the covered employee's basic salary. Employees who have joined the Corporation on or before 31/03/2010, and have opted to receive Pension benefit are covered under the Pension Plan. The Corporation has established a Pension Fund Trust to which contributions towards Pension are made each month. Contributions towards Pension Fund are charged to the Revenue Account on an accrual basis. The Corporation will evaluate the net liability based on an actuarial valuation of the Obligation and the Fair Value of the Assets to meet the obligation and provides for the same as on the date of Balance Sheet.

11.7 Those employees who have joined the Corporation on or after 01.04.2010 are eligible to be the members of a Defined Contribution Plan (New Pension Scheme) in which employees make monthly contributions to the plan @ 10% of the their basic salary and Dearness Allowance (DA). The Corporation contributes an equal amount in case of the eligible employees. The Corporation's contributions are charged to the Revenue Account on an accrual basis

11.8 All other Long Term Benefits are provided for on Actuarial Basis.

11.9 The Actuarial gains/losses on the employee benefits are immediately recognized in the Revenue Account.

12. INCOME TAX :

12.1 Provision for Tax is made on the basis of taxable profits computed for the current accounting period in accordance with the Income Tax Act, 1961. MAT paid in accordance with the Tax Laws, which gives rise to future economic benefits in form of tax credit against future Income Tax liability, is recognised as an asset in the balance sheet if there is convincing evidence that the Corporation will pay normal tax in future years and the resulting asset can be measured reliably.

12.2 Deferred Tax is calculated at the tax rates and laws that have been enacted or substantially enacted

गणना उनकी उत्पत्ति की अवधि के आधार पर अलग अलग समय में की जाती है व इसे बाद की अवधियों के लिए एक अथवा अधिक बार उलटाया भी जा सकता है। जहां, आगे ले जायी जाने वाली कारोबार हानियाँ अथवा मूल्यह्रास हैं, आस्थगित कर परिसंपत्तियों की गणना की जाएगी बशर्ते कि इस प्रकार की परिसंपत्तियों की वसूली सुनिश्चित हो । अन्य आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल उस सीमा तक स्वीकार किया गया है जहां भविष्य में उनकी वसूली पर्याप्त रूप से सुनिश्चित हो।

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ व आकस्मिक परिसंपत्तियाँ :

13.1 प्रावधान को तभी स्वीकृति दी जाती है जब किसी उद्यम का वर्तमान दायित्व किसी भूतपूर्व घटना के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ हो तथा इस प्रकार के दायित्व के निपटान के लिए स्रोतों का बहिर्गमन संभव हो व जिसके लिए उचित अनुमान किए जा सकते हैं। प्रावधानों करते समय उनके वर्तमान मूल्य से किसी प्रकार की रियायत नहीं किए जाते बल्कि तुलन पत्र की तारीख को दायित्व के निपटान के लिए आवश्यक प्रबंधन अनुमान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को इनकी समीक्षा की गयी है तथा वर्तमान प्रबंधन अनुमानों को परिलक्षित करने के लिए समायोजित किए गए हैं।

13.2 आकस्मिक देयताओं का प्रकटन तब किया जाता है जब निगम की संभावित देयता अथवा वर्तमान दायित्व होते है तथा यह संभव हो कि दायित्वों के निपटान के लिए नकदी की आवश्यकता न हो।

13.3 वित्तीय विवरणों में आकस्मिक परिसंपत्तियों की न तो आँका गया है न ही उनका प्रकटन किया गया है।

14. फ़ैक्टरिंग :

14.1 ब्याज सहित फ़ैक्टरिंग सेवा शुल्क की गणना जब भी वे उत्पन्न होते हैं तब की गयी है।

14.2 फैक्टर किए गए ऋणों को चालू परिसंपत्ति शीर्ष में विविध देनदार के रूप में दर्शाया गया है। इस प्रकार के देनदारों को आई आर डी ए द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अर्जक तथा अनर्जक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अर्जक देनदारों को मानक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अनर्जक देनदारों को आई आर डी ए द्वारा निर्धारी मानदंडों के आधार पर निम्न मानक, संदिग्ध तथा हानि परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है

14.3 फैक्टर किए गए ऋणों तथा वसूली पर ग्राहकों को देय राशि के मूल्य के अदत्त शेषों को चालू देयताओं में शामिल किया गया है तथा वे फ़ैक्टरिंग मार्जिन खाते में परिलक्षित हैं।

14.4 निपटान / मुद्रगत परिसंपत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन

as of the Balance Sheet date and is recognized on timing difference that originate in one period and are capable of reversal in one or more subsequent periods. Where there is unabsorbed carry forward business losses or depreciation, deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realisation of such assets. Other deferred tax assets are recognised only to the extent that there is a reasonable certainty of realisation in future.

13. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES & CONTINGENT ASSETS :

13.1 A provision is recognised when an enterprise has a present obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. Provisions are not discounted to its present value and are determined based on management estimate required to settle the obligation at the balance sheet date. These are reviewed at each balance sheet date and adjusted to reflect the current management estimates.

13.2 Contingent Liabilities are disclosed when the Corporation has a possible obligation or a present obligation and it is probable that a cash outflow will not be required to settle the obligation.

13.3 Contingent assets are neither recognised nor disclosed in the financial statements.

14. FACTORING :

14.1 Factoring Service Charges including interest are accounted as and when accrued.

14.2 Debts Factored are included under the head Current Assets as Sundry Debtors. Such debtors are classified as performing and non-performing assets, based on the guidelines issued by the IRDAI. Performing debtors are classified as Standard assets, Non-Performing debtors are classified into sub-standard, doubtful and loss assets, based on the classification criteria stipulated by IRDAI

14.3 The unpaid balances of the price of debts factored and due to the clients on collection are included under Current Liabilities and are reflected in the form of Factoring Margin Account.

14.4 Gain and loss arising on account of differences

पर विदेशी मुद्रा दरों में अंतर के कारण होने वाले लाभ तथा हानि ग्राहकों पर प्रभारित की जाती है।

14.5 समय समय पर अधिसूचित आई आर डी ए आई मानदंडों के अनुसार फ़ैक्टरिंग ऋणों के लिए प्रावधान किए गए। इस प्रकार के प्रावधानों में मानक परिसंपत्तियों पर 0.40% की दर से किए गए प्रावधान शामिल हैं। विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार अनर्जक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान किए गए हैं जो कि आई आर डी ए आई द्वारा निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधानों के अधीन है :-

मानक परिसंपत्तियाँ :

i. 10% के सामान्य प्रावधान

ii. असुरक्षित आरम्भिक (जहां प्रतिभूति का वसूलीयोग्य मूल्य आरम्भिक 10% से अधिक न हो) के लिए 10% के अतिरिक्त प्रावधान

संदिग्ध परिसंपत्ति :

-सुरक्षित अंश :

i. एक वर्ष तक - 20%

ii. एक वर्ष से तीन वर्षों तक - 30%

iii. तीन वर्षों से अधिक - 100%

-असुरक्षित अंश 100%

हानि परिसंपत्ति : 100%

15. एन ई आई ए ट्रस्ट खाता

एन ई आई ए ट्रस्ट से प्राप्त प्रशासनिक प्रभारों को पूरी रक्षा अवधि के दौरान समान रूप से आबंटित किया गया है।

16. विदेशी मुद्रा संव्यवहार :

16.1 आरंभिक मान्यता - विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को संव्यवहार की तारीख को रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा के बीच के विनिमय दर के अनुसार गणना कर रिपोर्टिंग मुद्रा रिकॉर्ड किया गया है

16.2 परिवर्तन - विदेशी मुद्रा मुद्रागत मदों को समापन दर का उपयोग करते हुए रिपोर्ट किया गया है। गैर मुद्रागत उपकरणों जिनकी गणना पारंपरिक लागत अंकन के आधार पर विदेशी मुद्रा में की गयी है को संव्यवहार की तारीख को विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट किया गया है।

16.3 विनिमय अंतर - मुद्रागत मदों के निपटान अथवा परिवर्तन से उत्पन्न विनिमय अंतर को उनके उत्पन्न होने की अवधि में आय अथवा व्यय के रूप में माना गया है व राजस्व उन्हें खाते में प्रभारित किया गया है ।

in foreign exchange rates on settlement/translation of monetary assets and liabilities are charged to clients

14.5 Provision for factoring debts is made as per IRDA norms notified from time to time. Such provision includes provision at the rate of 0.40% on standard assets. Provisions are made for NPAs as per the guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as prescribed below by the IRDA :

Sub-standard Assets:

i. A general provision of 10%

ii. Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio (where realisable value of security is not more than 10 % ab-initio)

Doubtful Assets:

-Secured portion:

i. Upto one year – 20%

ii. One to three years – 30%

iii. More than three years – 100%

-Unsecured portion 100%

Loss Assets: 100%

15. NEIA TRUST ACCOUNT

The administrative charges received from NEIA Trust is being allocated equally throughout the cover period.

16. FOREX TRANSACTIONS:

16.1 Initial Recognition – Foreign currency transactions are recorded in the reporting currency, by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency approximately at the date of the transaction.

16.2 Conversion – Foreign currency monetary items are reported using the closing rate. Non-monetary items, which are carried in terms of historical cost denominated in a foreign currency, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

16.3 Exchange Differences – Exchange differences arising on the settlement or conversion of monetary items, are recognized as income or as expenses in the period in which they arise and are charged to revenue account.

अनुसूची 17

लेखों से संलग्न तथा उनका भाग बनाने वाली टिप्पणियाँ :

1. वित्तीय विवरण तैयार करना

इसके साथ संलग्न वित्तीय विवरण भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई) (वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) विनियमन 2002; कंपनी अधिनियम 2013 तथा बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं।

2. स्वीकृत राशियों की वसूली क्षमता

प्रबंधन की राय में कारोबार की सामान्य स्थिति में , चालू परिसंपत्तियों , ऋणों तथा अग्रिमों के अधीन मदों का वसूली पर मूल्य कम से कम तुलन पत्र में उल्लिखित राशि के बराबर होता है तथा सभी ज्ञात देयताओं तथा संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान किया गया है।

3. अचल परिसंपत्तियाँ

अचल परिसंपत्तियों में, रु 650.76 हज़ार (पिछले वर्ष रु 650.76 हज़ार) के वे "भवन" शामिल हैं जहां स्टैम्प ड्यूटी की अदायगी की जा चुकी है परंतु पंजीकरण की औपचारिकता लंबित है। आगे, इसमें रु 57743.90 हज़ार (पिछले वर्ष रु 5,76,51.60 हज़ार) की वे संपत्तियाँ शामिल हैं जहां स्टैम्प लगे करार खो गए हैं / वर्तमान में कंपनी के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि, इन सम्पत्तियों के संबंध में कंपनी के पास को - ऑपरेटिव संस्थानों के शेयर प्रमाण पत्र उपलब्ध हैं।

4. अनर्जन

दिनांक 31.03.2016 तक अनर्जन हानि रु 2.22 हज़ार (पिछले वर्ष रु 2.22 हज़ार) रही। प्रबंधन की राय में अनर्जन हानि के लिए आगे किसी भी प्रकार के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

5. अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियाँ :

5.1 अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियों में निम्नलिखित शामिल है

कंपनी के खिलाफ दायर मामलों तथा निर्णय हेतु प्रतीक्षित मामलों में न्यायालय के आदेशों के अनुकरण में न्यायालयों में कुल रु 8351.15 हज़ार (पिछले वर्ष रु 72,86.23

SCHEDULE 17

NOTES ANNEXED TO AND FORMING PART OF ACCOUNTS :

1. PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

The accompanying financial statements have been prepared as per the provisions of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) (Preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation, 2002; Companies Act, 2013 and the Insurance Act, 1938.

2. REALISABILITY OF STATED AMOUNTS

In the opinion of the Management, the items under the Current Assets, Loans and Advances have value on realization in the ordinary course of business, at least equal to the amount at which they are stated in the balance sheet and provision for all known liabilities and doubtful assets have been made.

3. FIXED ASSETS

"Buildings" under Fixed Assets include certain properties costing ₹6,50.76 thousands (previous year ₹6,50.76 thousands) where stamp duty has been paid but registration formalities are pending. Further, it includes, properties costing ₹5,77,43.90 thousands (previous year ₹5,76,51.06 thousands) where stamped agreements are lost / presently not available with the Company. However, the Company is in the possession of the share certificates of the co-operative institution in respect of these properties.

4. IMPAIRMENT

The balance of impairment loss as on 31/03/2016 is ₹2.22 thousands (previous year ₹2.22 thousands). In the opinion of the management, no further provision for impairment loss is considered necessary.

5. ADVANCES AND OTHER ASSETS :

5.1 Advances and other assets include

An amount of ₹83,51.15 thousands (previous year ₹72,86.23 thousands) is deposited with the Courts

हज़ार) जमा किए गए हैं। उसे विविध जमाओं के अधीन दर्शाया गया है।

5.2 कर्मचारियों के आवास ऋण पर ब्याज की गणना उपचित आधार पर की गयी है। यदि किसी समायोजन की आवश्यकता पड़े तो अंतिम निपटान के समय किया जाएगा।

6. चालू देयताएं :

6.1 चालू देयताओं में, रु 150,00.00 हज़ार (पिछले वर्ष रु 97,00.00 हज़ार) का प्रावधान किया गया है जो कि प्रशासनिक मंत्रालय के साथ हस्ताक्षर किए जाने वाले वार्षिक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) के अधीन 31 मार्च 2016 तक कंपनी के अनंतिम रेटिंग के आधार पर कर्मचारियों को देय उत्पादकता आधारित एकमुश्त राशि प्रोत्साहन (पी एल एल आई) के लिए है, प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अंतिम रेटिंग की जानकारी लंबित है।

6.2 कंपनी ने, प्रचलित उद्योग प्रथाओं के आधार पर अपने कर्मचारियों के लिए देय वेतन संशोधन हेतु रु 14,84,38.26 हज़ार का प्रावधान किया है जिसमें दिनांक 01.08.2012 से 31.03.2014 तक की अवधि के लिए रु 3,99,87.00 हज़ार के विभेदक प्रावधान शामिल है तथा कर्मचारियों को उसकी अदायगी वाणिज्य मंत्रालय , भारत सरकार से अनुमोदन के पश्चात की जाएगी। कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली लेखा प्रथाओं के अनुसार अधिमानित तथा बकाया दावों के लिए निगम की देयता हेतु प्रावधान, वर्ष के अंत तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस प्रकार के व्यक्तिगत दावों के लिए किए गए देयताओं के मूल्यांकन के आधार पर किया गया। प्रबंधन की राय में ,वर्ष के दौरान रिपोर्ट न किए गए तथा पर्याप्त रूप से रिपोर्ट न किए गए (आई बी एन आर व आई बी एन ई आर) दावों तथा नियुक्त बीमांकक द्वारा बकाया दावों के लिए किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर गणना किए गए अतिरिक्त प्रावधान के प्रभाव पर विचार किया गया है। तदनुसार रिपोर्ट न किए गए तथा पर्याप्त रूप से रिपोर्ट न किए गए (आई बी एन आर व आई बी एन ई आर) रु 3135,00,00.00 हज़ार (पिछले वर्ष रु 2900,00,00.00 हज़ार) की अनुमानित देयता के रूप में पहचान की गयी है।

6.3 कंपनी द्वारा अपनाई जाने वाली लेखा प्रथाओं के अनुसार अधिमानित तथा बकाया दावों के लिए निगम की देयता हेतु प्रावधान, वर्ष के अंत तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस प्रकार के व्यक्तिगत दावों के लिए किए गए देयताओं के मूल्यांकन के आधार पर किया गया। प्रबंधन की राय में ,वर्ष के दौरान रिपोर्ट न किए गए तथा पर्याप्त रूप से रिपोर्ट न किए गए (आई बी एन आर व आई बी एन ई आर) दावों तथा नियुक्त बीमांकक द्वारा बकाया

in pursuance of Court Orders for claim suits filed against the Company and in respect of which final decisions are awaited. The same is disclosed under Sundry Deposits.

5.2 Interest on housing loans to employees is accounted for on accrual basis. Adjustments required, if any, are carried out at the time of final settlement.

6. CURRENT LIABILITIES :

6.1 Current Liabilities include ₹1,50,00.00 thousands (previous year ₹97,00.00 thousands) towards Productivity Linked Lump sum Incentive (PLLI) payable to the employees which has been accounted for based on the provisional rating of the Company as on 31st March, 2016 under the annual Memorandum of Understanding (MoU) signed with the Administrative Ministry, pending final rating to be conveyed by the Administrative Ministry.

6.2 The Company has made a provision of ₹14,84,38.26 thousands towards wage revision due to its employees based on the proposal submitted to Ministry of Commerce, Government of India which includes differential provision of ₹3,99,87.00 thousands attributable to the period 01.08.2012 to 31.03.2015 and the same will be payable to the employees upon approval from Ministry of Commerce, Government of India.

6.3 As per the Accounting practice followed by the Company, liability towards claims preferred and outstanding is provided for based on the assessment of individual claims. Liabilities towards such claims has been recognized based on information available up to the year end. In the opinion of management the impact if any, of the above has been considered during the year while assessing the overall provision of unreported and not enough reported (IBNR & IBNER) claims and additional provision for outstanding claims which is arrived at based on actuarial valuation by the Appointed Actuary. Accordingly, an amount of ₹3135,00,00.00 thousands (previous year

दावों के लिए किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर गणना किए गए अतिरिक्त प्रावधान के प्रभाव पर विचार किया गया है। तदनुसार रिपोर्ट न किए गए तथा पर्याप्त रूप से रिपोर्ट न किए गए दावों (आई बी एन आर व आई बी एन ई आर) रु 3135,00,00.00 हज़ार (पिछले वर्ष रु 2900,00,00.00 हज़ार) की अनुमानित देयता के रूप में पहचान की गयी है।

7 पुनर्बीमा

कंपनी ने, भारतीय साधारण बीमा कंपनी के लिए आई आर डी ए आई के दिशानिर्देशों के अधीन आवश्यक अनुसार कंपनी के समस्त कारोबार (अल्पावधि व साथ ही साथ मध्यम व दीर्घावधि) के 5% (पिछले वर्ष 5%) का अनिवार्य अर्पण सौंपा गया। पॉलिसी के अधीन 25% (पिछले वर्ष 20%) जैसे सा बी नि - आर ई (6%), स्विस आर ई (8%) , एशिया कैपिटल पुनर्बीमा समूह (4%), स्कोर आर ई (4%), क्यू आर ई (0.5%), हैनोवर आर ए (0.50%), अमलिन ए जी (0.50%) तथा ई सी आई बी के अधीन 13% (पिछले वर्ष 15%) जैसे स्विस आर ई (6%), एशिया कैपिटल पुनर्बीमा समूह (2%), स्कोर आर ई (4%), पार्टनर आर ई (1.50%), अम्लिन ए जी (1.00%) तथा ई सी आई बी के लिए (पिछले वर्ष 13 %)- स्विस आर ई के साथ (8%), सा बी नि (6%), एशिया कैपिटल पुनर्बीमा समूह (4%), स्कोर आर ई (4%),क्यू आर ई (0.50%), एमलिन ए जी (1.0%) तथा पार्टनर आर ई (1.50%) कारोबार को कोटा शेयर अध्यर्पण किया गया है। कंपनी ने उक्त पुनर्बीमाकर्ता के पास अल्पावधि रक्षाओं के लिए हानि की अधिकता (एक्स ओ एल) अध्यर्पण संधि की है।

वित्त वर्ष	कोटा शेयर		एक्स ओ एल (अल्पावधि)
	अनिवार्य	संधि (अल्पावधि)	
2007-08 (केवल अल्पावधि)	15%	20%	एक्स ओ एल उपलब्ध नहीं
2008-09	10%	10%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2009-10	10%	15%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2010-11	10%	Nil	एक्स ओ एलउपलब्ध नहीं
2011-12	10%	13%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2012-13	10%	12%	एक्स ओ एल उपलब्ध

₹2900,00,00.00 thousands) has been recognized as estimated liability towards unreported and not enough reported claims (IBNR & IBNER).

7 REINSURANCE

The Company has ceded obligatory cession of 5% (previous year 5%) of the entire business of the Company (Short Term as well as Medium and Long Term business) as required under the IRDAI guidelines to General Insurance Company of India. Quota share cession under policy is 25% (previous year 20%) - with GIC Re (6%), Swiss Re (8%), Asia Capital Reinsurance Group (4%), SCOR Re (4%),Q Re (0.5%), Partner Re (1.50%), Amlin AG (1.00%) and under ECIB is 25 % (Previous year 13%)- with Swiss Re (8%), GIC Re (6%), Asia Capital Reinsurance Group (4%), SCOR Re (4%),Q Re (0.50%), Amlin AG (1.0%) and Partner Re(1.50%) .The Company has Excess of Loss (XOL) Treaty cession for Short Terms (ST) covers with the above reinsurer. The re-insurance programme for the earlier years was as under:

Financial Year	Quota Share		XOL (ST)
	Obligatory	Treaty (ST)	
2007-08 (only ST)	15%	20%	No XOL available
2008-09	10%	10%	XOL available
2009-10	10%	15%	XOL available
2010-11	10%	Nil	No XOL available
2011-12	10%	13%	XOL available
2012-13	10%	12%	XOL available
2013-14	5%	15%	XOL available
2014-15 (Policy)	5%	20%	XOL available
2014-15 (ECIB)	5%	13%	XOL available

वित्त वर्ष	कोटा शेयर		एक्स ओ एल (अल्पावधि)
	अनिवार्य	संधि (अल्पावधि)	
2013-14	5%	15%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2014-15 (पॉलिसी)	5%	20%	एक्स ओ एल उपलब्ध
2014-15 (ईसीआईबी)	5%	13%	एक्स ओ एल उपलब्ध

8. वैकल्पिक जोखिम अंतरण समझौते (ए आर टी)

कंपनी ने , कोटा शेयर आधार पर भारत सरकार द्वारा स्थापित एन ई आई ए ट्रस्ट के पास मध्यम तथा दीर्घावधि (एम एल टी) के अधीन उच्च मूल्य वाले जोखिमों के लिए जोखिम हिस्सेदारी की व्यवस्था की है। वित्त वर्ष 2015-16 के लिए कुल परिशोधित प्रीमियम कुछ नहीं (पिछले वर्ष 14,78.70 हज़ार) रहा। कंपनी ने 14 मध्यम व दीर्घ अवधि रक्षाएं जारी की हैं। कंपनी ने वर्ष 2015-16 के लिए 5 एम एल टी रक्षाओं के लिए शुल्क की अदायगी कर एन ई आई ए ट्रस्ट से गारंटी प्राप्त की है। चालू वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने रु 1,11,83.20 हज़ार (पिछले वर्ष रु 107,56.05 हज़ार) एन ई आई ए ट्रस्ट को अदा किए।

9. फ़ैक्टरिंग

कंपनी ने आई आर डी ए आई मानदंडों का पालन करते हुए फ़ैक्टरिंग देयों के निम्न मानक परिसंपत्तियों के लिए रु कुछ नहीं (पिछले वर्ष रु कुछ नहीं) तथा तथा संदिग्ध परिसंपत्तियों के लिए रु 7,04,26.80 हज़ार (पिछले वर्ष रु 7,04,26.80) प्रावधान किया है।

10. एन ई आई ए ट्रस्ट

कंपनी को एन ई आई ए ट्रस्ट से प्राप्त कुल रु 96,90.99 हज़ार (पिछले वर्ष रु 93,31.59 हज़ार) के प्रशासनिक शुल्क भी अन्य आय में शामिल है। अग्रिम के रूप में प्राप्त रु 4,99,47.45 हज़ार (पिछले वर्ष रु 4,28,28.34 हज़ार) के प्रशासनिक व्यय को चालू देयताएं - अन्य - एन ई आई ए ट्रस्ट में शामिल किया गया है।

11. प्रीमियम आय

जोखिम ग्रहण करने पर प्रीमियम आय की गणना की गयी है। कंपनी ने, मार्च 2016 के अंत तक , किए गए पोतलदानों/ प्रदान किए गए अग्रिमों पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर रु 58,01,49.52 हज़ार तथा मार्च 2015 के लिए यही आंकड़े रु 56,68,20.00 हज़ार के प्रीमियम का अनुमान किया है। आई आर डी ए आई के पत्र सं FNA/

8. ALTERNATE RISK TRANSFER AGREEMENTS (ART)

The Company had risk sharing arrangement for some high value exposures under Medium and Long Term (MLT) covers with NEIA Trust set up by Government of India. The total premium amortised for the FY 2015-16 is NIL (previous year ₹ 14,78.70 thousands). The Company has obtained guarantee from NEIA Trust for 14 MLT covers (previous year 5 MLT covers) on payment of a fee for the FY 2015-16. During the current FY, the Company paid guarantee fees of ₹ 1,11,83.20 thousands (previous year ₹ 1,07,56.05 thousands) to NEIA Trust.

9. FACTORING

The Company has made provision of ₹NIL (previous year ₹.NIL) on account of sub-standard assets, whereas in relation to doubtful assets of the Corporation in the past has made a provision of ₹.7,04,26.80 thousands in line with IRDAI norms.

10. NEIA TRUST

The administrative charges received by the Company from NEIA Trust of ₹96,90.99 thousands (previous year ₹93,31.59 thousands) are included in Other Income. Administrative charges received in advance of ₹4,99,47.45 thousands (previous year ₹4,28,28.34 thousands), are included in Current Liabilities – Others – NEIA Trust.

11. PREMIUM INCOME

Premium income is recognised on assumption of risk. The Company has estimated the premium income, based on available information relating to shipments made / advances granted in the month of March 2016 at ₹ 58,01,49.52 thousands and the corresponding figure for March 2015 at ₹56,68,20.00 thousands. IRDAI vide its letter no. FNA/GEC/LR/001/2013-14/12 dated 30th January, 2014, has concurred with the method of Premium accounting consistently followed by the Company since inception.

12. (a) The Company has rejected the claim of a Policy Holder against which the Policy Holder (PH) has filed a suit against the Company for performance of the contract and as on 31/03/2016 the matter is sub-judice. Premium

GEC/LR/001/2013-14/12 दिनांक 30 जनवरी 2014 के जरिये निगम द्वारा आरंभ से अब तक नियमित रूप से अपनाई जाने वाले प्रीमियम लेखांकन की पद्धति पर अपनी सहमति जताई ।

12 (क) कंपनी ने पॉलिसी धारक के दावे को नामंज़ूर कर दिया है जिसके विरुद्ध पॉलिसीधारक (पॉ धा) ने संविदा के निष्पादन के लिए कंपनी के खिलाफ दावा दायर कर दिया तथा दिनांक 31.03.2016 तक यह मामला न्यायालय में विचारधीन है। अनुसूची 13 - चालू देयताओं में पॉलिसी धारक से प्रीमियम की अप्राप्ति के कारण असमायोजित प्रीमियम में रु 2,32,44.55 हज़ार शामिल है। कंपनी द्वारा जारी पॉलिसी दिनांक 31 अगस्त 2009 को समाप्त हो गयी। पॉलिसी की शर्तों के अनुसार पॉलिसी धारक ने कंपनी को रु 2,40,00.00 हज़ार के न्यूनतम प्रीमियम की अदायगी का वचन दिया था तथा यदि शेष का उपयोग नहीं होता है तो उसे वापस लौटा दिया जाएगा। जैसा कि पॉलिसी दस्तावेज़ों में प्रीमियम की वापसी अथवा समायोजन का विकल्प है व जैसा कि मामला विचारधीन है , इस लिए सम्पूर्ण रु 2,32,44.55 हज़ार (रु 30,00.00 हज़ार से अधिक की न्यूनतम प्रीमियम की राशि सहित) की राशि को विविध लेनदारों शीर्ष - अनुसूची 13 के अधीन दर्शाया गया है।

12 (ख) आगे अनुसूची 13 - चालू देयताएं ' के अधीन विभिन्न बैंकों से प्राप्त रु 3,42,64.07 हज़ार की राशि शामिल है जो कि निर्यातक - उधारकर्ता को बैंकों द्वारा प्रदान की गयी गारंटियों के लिए जारी रक्षा के विस्तार हेतु विभिन्न बैंकों से प्राप्त प्रीमियम के लिए है। कंपनी ने उक्त राशि को स्वीकार नहीं किया है तथा रक्षा प्रदान करने में अपनी असमर्थता को दर्शाते हुए बैंकों को सूचित कर दिया है। कंपनी ने कथित राशि को बैंकों को वापस लौटा दिया है जिन्होंने इस वापसी को स्वीकार नहीं किया है। तदनुसार, कंपनी ने उक्त राशि को "विविध देनदार" शीर्ष के अधीन दर्शाया है।

13. लंदन,यूनाइटेड किंग्डम (यू के) में प्रतिनिधि कार्यालय :

13.1 कंपनी ने, आई आर डी ए के पत्र सं IRDA/A/NL/ECGC-LO-UK/12-13 दिनांक 4 मार्च 2013 के जरिये दी गयी अनुमति के अनुसार संपर्क कार्य के लिए सितंबर 2013

Received in advance under Schedule 13 – Current Liabilities includes an amount of ₹2,32,44.55 thousands of premium not adjusted due to non-receipt of declaration from the PH. The Policy issued by the Company has expired on August 31, 2009. As per the terms of the policy, the PH committed ₹2,40,00.00 thousands as the minimum premium to the Company and the balance is to be refunded to the PH in case the same is not utilized. As the policy documentation gives the option of refund or adjusting the premium and the issue being sub-judice, the entire amount of ₹2,32,44.55 thousands (including amount of ₹30,00.00 thousands being over and above the minimum premium) is shown under the head Sundry Creditors – Schedule 13.

12 (b) Further, 'Sundry Creditors' under 'Schedule 13 - Current Liabilities' includes an amount of ₹3,42,64.07 thousands on account of premium received from various banks, towards extension of cover to be given by the Company to various banks on account of guarantees provided by the banks to an exporter - borrower. The Company has not accepted the said amount and has communicated to the banks about its inability to extend the cover. The Company has refunded the said premium amount to the bankers who have not accepted the refund. Accordingly, the Company has reflected the said amount under the head 'Sundry Creditors'.

13. REPRESENTATIVE OFFICE AT LONDON, UNITED KINGDOM (UK) :

13.1 The Company has opened a Representative Office at London, UK in September 2013 for liasioning work as per permission granted vide IRDAI Letter No. IRDA/NL/ECGC-LO-UK/12-13 dated 4th March, 2013.

13.2 The operations of representative office at London are an integral part of the Company and transactions effected by the said office are recorded at Head office as upto the date of discontinuation of representative office w.e.f. 16th July 2015.

13.3 Foreign exchange transactions relating to remittances of funds from HO are recorded at

को लंदन, यू के में प्रतिनिधि कार्यालय आरंभ किया

13.2 लंदन के प्रतिनिधि कार्यालय के परिचालन कंपनी के अभिन्न अंग हैं तथा इस कार्यालय द्वारा किए गए संव्यवहार दिनांक 16 जुलाई 2015 तक जब इस कार्यालय को बंद कर दिया गया था, तक प्रधान कार्यालय में रिकॉर्ड किए गए।

13.3 प्र का से प्रेषित विदेशी विनिमय समव्यवहारों से संबन्धित निधियाँ तथा वास्तविक व्ययों को संव्यवहार की तारीख को प्रचलित विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है। परिणामी विदेशी विनिमय लाभ / हानि को माह के अंत में प्र का की बहियों में दर्ज किया जाता है।

14. विविध लेनदारों, विविध देनदारों तथा जमाओं, अन्य देयताओं, ऋणों, अग्रिमों तथा वसूली योग्य राशि सहित अन्य परिसंपत्तियाँ, बीमाकृत के व्यक्तिगत बही शेषों सहित विविध जमा, न्यूनतम प्रीमियम राशि, जमा प्रीमियम खाता, पुनर्बीमा खाते विविध जमाओं अन्य परिसंपत्तियों के अधीन शेष पुष्टीकरण तथा परिणामी समायोजन, यदि कोई हो तो के अधीन होंगे।

15. 31 मार्च 2014 को समाप्त पूर्ववर्ती वित्त वर्ष तक कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 441क के अधीन किए गए रु 32,88.65 हज़ार का उपकार प्रावधान " विविध देनदार" शीर्ष के अधीन दर्शाया गया हैं।

16. निगम द्वारा अपनाई गयी मानक प्रथा के अनुसार, निदेशक मण्डल सहित निगम के विभिन्न अधिकारियों द्वारा, अधिमानित दावों में विभिन्न चूकों को माफ करने के विवेकाधीन अधिकारों का उपयोग करते हुए दावों का निपटान किया जाता है। इन सभी निपटान किए गए दावों को कंपनी के कारोबार की सामान्य स्थिति में निपटान माना गया है।

17. कंपनी ने, डेटा फ्लो के संबंध में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया आरंभ की है ताकि व्यावसायिक अनुप्रयोग हेतु मूल्यवान डेटा उपलब्ध हो।

18. अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के वेतन व भत्ते निम्नानुसार हैं :

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (₹ '000)

विवरण	अवधि	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
सुश्री गीता मुरलीधर	1/4/2015 to 31/03/2016	22,44.08	8,59.02

actuals on the date of transaction and expenses incurred at London Branch office in GBP are converted at the exchange rates prevailing at the end of the month. The resultant foreign exchange gain/loss is booked at the end of each month in HO books.

14. Balances under Sundry Debtors, Sundry Creditors and Deposits, Other Liabilities, Loans, Advances and Other Assets including Amount Recoverable, Sundry Deposits including personal ledger balances of insured, minimum premium account, deposit premium accounts, reinsurance accounts are subject to confirmation and consequential adjustments, if any.

15. Cess provision made under Section 441A of the Companies Act, 1956, upto financial year ended on 31st March 2014 amounting Rs. 32,88.65 thousands has been reflected under the head 'Sundry Creditors'.

16. As per Standard practice followed by the Company, claims are settled by the various officials of the Company including the Board of Directors by using the discretionary powers to condone various lapses in the claims preferred. All these claims settled are considered to have been settled in the normal course of business of the Company.

17. The Company is in the process of streamlining the Information Technology System regarding the flow of data so that precise data is available for business applications.

18. The salary and allowances of Chaiman-cum-Managing Director is as under:

Chairman-cum-Managing Director (₹ '000)

Particulars	Period	Current Year	Previous Year
Ms. Geetha Muralidhar	1/4/2015 to 31/03/2016	22,44.08	8,59.02

19. Prior Period Adjustments include:

Debits: (₹ '000)

Particulars	Current Year	Previous Year
Premium	-	4,18.06
Others	2.73	29.63
Depreciation	-	2,10.47
Salary Allowances	41.43	-

(₹ '000)

19. पूर्व अवधि के समायोजन में शामिल:

नामे : (₹ '000)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
प्रीमियम	-	4,18.06
अन्य	2.73	29.63
मूल्यहास	-	2,10.47
वेतन तथा भत्ते	41.43	-
बिजली	1.11	-
सामान्य प्रभार	-	1.07
अतिरिक्त वसूली की वापसी	-	73,84.34
किराया	4.90	1,85.49
मरम्मत व रखरखाव	3.13	6,85.30
वेतन संशोधन	-	3,96,32.00
कुल	**53.30**	**48,546.36**

जमा : (₹ '000)

विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
मूल्यहास	-	1,11.02
अन्य	-	-
किराया जमा	15.69	8,55.00
कुल	15.69	9,66.02

पूर्व अवधि समायोजन में कुल नामे / जमा	**37.61**	**4,75,80.34**

20. विदेशी विनिमय में अर्जन व व्यय:

(₹ '000)

अर्जन	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
वसूल किए गए दावे	15,33.19	12,21,20.48

(₹ '000)

अर्जन	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
सदस्यता शुल्क व अन्य व्यय	83,15.49	47,13.35
यात्रा व्यय	36,55.51	33,40.77
हैसियत जांच शुल्क	1,61,66.15	1,82,16.40
पुस्तकें व पत्रिकाएँ	4,20.97	3,15.63
पुनर्बीमा	142,14,70.99	104,69,50.81
लंदन, यू के में प्रतिनिधि कार्यालय	29,75.62	51,90.47
अन्य	1,30,44.62	12,13.60
कुल	146,60,49.35	107,99,41.03

21. कंपनी एकल खंड " निर्यात ऋण बीमा " में परिचालान करती

(₹ '000)

Particulars	Current Year	Previous Year
Electricity	1.11	-
General Charges	-	1.07
Refund of excess recovery	-	73,84.34
Rent	4.90	1,85.49
Repair and Maintenance	3.13	6,85.30
Wage Revision	-	3,96,32.00
Total	**53.30**	**4,85,46.36**

Credits: (₹ '000)

Particulars	Current Year	Previous Year
Depreciation	-	1,11.02
Rent Deposit	-	8,55.00
Electricity Deposit	15.69	-
Total	**15.69**	**9,66.02**

Net Debit / (Credit) in prior Period Adjustments	37.61	4,75,80.34

20. Earnings and Expenditure in Foreign Exchange:

(₹ '000)

Earnings	Current Year	Previous Year
Claims Recovered	15,33.19	12,21,20.48

(₹ '000)

Expenditure	Current Year	Previous Year
Membership Fees and other expenses	83,15.49	47,13.35
Travelling expenses	36,55.51	33,40.77
Status Enquiry Fees	1,61,66.15	1,82,16.40
Books and periodicals	4,20.97	3,15.63
Re-insurance	142,14,70.99	104,69,50.81
Representative Office at London, UK	29,75.62	51,90.47
Others	1,30,44.62	12,13.60
Total	**146,60,49.35**	**107,99,41.03**

21. The Company operates in single segment 'Export Credit Insurance'. Hence no segmental reporting is provided. Though the Company has initiated activities to start factoring of export bills, no bills have been factored and correspondingly no revenue accrued during the year (previous year NIL).

है। अतः कोई भी खंडवार रिपोर्ट प्रदान नहीं किए गए हैं। वर्ष के दौरान कंपनी ने निर्यात बिलों की फ़ैक्टरिंग आरंभ करने के लिए कार्यवाही आरंभ कर दी है, परंतु अब तक कोई बिल फैक्टर नहीं किए गए हैं तथा वर्ष के दौरान कोई राजस्व उपार्जित नहीं हुआ है (पिछले वर्ष कुछ नहीं)।

22. लेखा मानक सं 18 के अनुकरण में संबन्धित पक्ष प्रकटन

(i). मुख्य प्रबंधन कार्मिक:

क) (क) सुश्री गीता मुरलीधर , (अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक)

ख) (ख) श्री एम सेंथिलनाथन (कार्यपालक निदेशक दिनांक 30.12.2015 से)

(ii) कंपनी से संबन्धित पार्टियां:

क) एन ई आई ए ट्रस्ट

ख) श्री अरविंद मेहता (दिनांक 30.11.2015 तक निदेशक)

(iii) मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को अदा की गयी परिलब्धियाँ:

(₹ '000)

नाम	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
सुश्री गीता मुरलीधर (अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक)	वेतन तथा भत्ते	22,44.08	8,59.02
श्री एम सेंथिलनाथन (कार्यपालक निदेशक)	वेतन तथा भत्ते	5,29.34	-

(iv) वर्ष के दौरान संबन्धित पार्टियों के साथ संव्यवहार :

(क) एन ई आई ए ट्रस्ट (₹ '000)

क्र सं.	समव्यवहारों की प्रकृति	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशासनिक प्रभार	96,90.99	60,26.52
2	अग्रिम रूप में प्राप्त प्रशासनिक प्रभार	4,99,47.45	4,28,28.34
3	प्रोत्साहन पैकेज के अधीन अदा किए गए दावों पर की गयी वसूली	1,06,77.24	-1,48,42.18
4	एन ई आई ए ट्रस्ट को अदा किया गया पुनर्बीमा प्रीमियम	-	14,78.70
5	वर्ष के अंत तक बकाया शेष - नामे शेष	1,72,58.92	3,01,97.29
6	नियोक्ता के हिस्से का अंशदान	-	-
7	प्रदत्त गारंटी शुल्क	1,11,83.20	1,07,56.05

(ख) श्री अरविंद मेहता (निदेशक) (₹ '000)

22. Related Party Disclosures pursuant to Accounting Standard No. 18:

(i) Key Management Personnel:

a) Ms. Geetha Muralidhar (Chairman-cum-Managing Director)

b) Mr. M. Senthilnathan (Executive Director w.e.f. 30/12/2015).

(ii) Company's related parties:

a) NEIA Trust

b) Mr. Arvind Mehta (Director up to 30/11/2015).

(iii) Remuneration paid to Key Management Personnel:

(₹ '000)

Name	Particulars	Current Year	Previous Year
Ms. Geetha Muralidhar (Chairman-cum-Managing Director)	Salary and Allowances	22,44.08	8,59.02
Mr. M. Senthilnathan (Executive Director)	Salary and Allowances	5,29.34	-

(iv) Transactions during the year with related parties:

(a) NEIA Trust (₹ '000)

Sr. No.	Nature of Transactions	Current Year	Previous Year
1	Administrative Charges received for the Year	96,90.99	93,31.59
2	Administrative Charges received in advance (Balance as on date)	4,99,47.45	4,28,28.34
3	Prepaid Expenses paid to NEIA (Balance as on date)	1,06,77.24	1,48,42.18
4	Reinsurance premium ceded to NEIA Trust	-	14,78.70
5	Outstanding Dues as at year end – Debit Balance	1,72,58.92	3,01,97.29
6	Contribution of Employer's share	-	-
7	Guarantee Fees paid	1,11,83.20	1,07,56.05

(b) Shri Arvind Mehta (Director) (₹ '000)

Sr. No.	Nature of Transactions	Current Year	Previous Year
1	Lease Rent	3,93.60	5,90.40

क्र सं.	समव्यवहारों की प्रकृति	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	किराया पट्टा	3,93.60	5,90.40

23. आस्थगित कर लेखांकन :

वर्ष के दौरान कंपनी ने लेखा मानक 22 के अनुकरण में आस्थगित कर की गणना की। इसका परिणाम वर्ष के दौरान कुल रु 40,97,57.68 हज़ार (पिछले वर्ष रु 5,80,83.90 हज़ार का जमा) के निवल आस्थगित कर के जमा के रूप में हुआ। वर्ष के अंत तक 56,45,24.36 हज़ार (पिछले वर्ष 15,47,66.68 हज़ार) की निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति रही। आस्थगित कर परिसंपत्ति तथा आस्थगित कर देयताओं का विश्लेषित विवरण निम्नानुसार हैं :

(₹ '000)

विवरण	01/04/2015 से प्रारंभ	वर्ष के दौरान प्रभारित / जमा	31/03/2016 तक
देयता पर कर भाग			
मूल्यह्रास	3,04,04.65	17,40.13	3,21,44.78
कुल	3,04,04.65	17,40.13	3,21,44.78
आस्तियों पर लागू कर			
छुट्टी के नकदीकरण हेतु प्रावधान	12,29,20.05	1,46,73.83	13,75,93.88
संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	27,171.03	22,24.42	2,93,95.45
उपदान हेतु प्रावधान	2,80,67.42	26,63.05	3,07,30.47
पी एल एल आई	32,97.03	18,94.17	51,91.20
लंबी सेवा देयता	2,05.43	(2,05.43)	-
कंपनी अधिनियम की धारा 441 ए के अधीन उपकार	11,17.81	20.33	11,38.14
प्रीमियम में कमी हेतु प्रावधान	-	38,13,80.36	38,13,80.36
वेतन के संशोधन (भविष्य निधि व छुट्टी का नकदीकरण)	23,92.56	88,47.08	1,12,39.64
कुल	**18,51,71.33**	**41,14,97.81**	**59,66,69.14**
आस्थगित कर परिसंपत्ति/ (देयता)	**15,47,66.68**	**40,97,57.68**	**56,45,24.36**

23. DEFERRED TAX ACCOUNTING :

During the year the Company has accounted for the Deferred Tax in accordance with the Accounting Standard 22. This has resulted in a Net Deferred Tax credit during the year amounting to ₹40,97,57.68 thousands (previous year credit ₹ 5,80,83.90 thousands). The Net Deferred Tax Asset at the end of the year amounts to ₹56,45,24.36 thousands (previous year Deferred Tax Asset ₹15,47,66.68 thousands). The breakup of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liabilities is as under:

(₹ '000)

Particulars	Opening at 01/04/2015	Charge/Credit during the year	Closing at 31/03/2016
Tax Element on Liability			
Depreciation	3,04,04.65	17,40.13	3,21,44.78
Total	**3,04,04.65**	**17,40.13**	**3,21,44.78**
Assets			
Provision for Leave Encashment	12,29,20.05	1,46,73.83	13,75,93.88
Provision for Doubtful Debts	27,171.03	22,24.42	2,93,95.45
Provision for Gratuity	2,80,67.42	26,63.05	3,07,30.47
PLLI	32,97.03	18,94.17	51,91.20
Long Service Liability	2,05.43	(2,05.43)	-
Cess u/s. 441A of Companies Act	11,17.81	20.33	11,38.14
Provision for Premium Deficiency	-	38,13,80.36	38,13,80.36
Wage Revision (PF & Leave Encashment)	23,92.56	88,47.08	1,12,39.64
Total	**18,51,71.33**	**41,14,97.81**	**59,66,69.14**
Deferred Tax Asset / (Liability)	**15,47,66.68**	**40,97,57.68**	**56,45,24.36**

24. प्रतिशेयर अर्जन की निम्नानुसार गणना की गई :

	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
क)	गणक लाभ व हानि खाते के अनुसार निवल लाभ (₹ '000)	276,22,66.70	180,09,56.77
ख)	हर: वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या	124726775.96	114675798.27
ग)	प्रति शेयर अर्जन: मौलिक (₹)	22.15	15.70
घ)	शेयरों का नाम मात्र मूल्य (₹)	100.00	100.00

कंपनी के पास भविष्य में इक्विटी शेयरों को कम करने की कोई योजना नहीं है। तदनुसार कंपनी के आधारभूत तथा शेयरों को कम करने के उपरांत हुए प्रतिशेयर अर्जन एक समान हैं।

25. (क) आकस्मिक देयताएं (₹ '000)

क्र सं	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1.	आंशिक रूप से प्रदत्त निवेश	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	पॉलिसियों के अधीन दावों को छोड़ कर अन्य जिन्हें निगम द्वारा ऋण के रूप नहीं माना गया है	31,66,32.00	14,37,59.00
3.	कंपनी के खिलाफ पॉलिसी तथा ई सी आई बी दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है व जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है	1027,99,15.00	1083,31,96.00
4.	कंपनी द्वारा तथा कंपनी की ओर से दी गयी गारंटियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5.	पूंजीगत प्रतिबद्धता	17,24,60.36	231,44,49.25
6.	आय कर	481,75,10.42	171,10,06.69

(ख) लंबित मुकदमों का प्रभाव

कंपनी ने राज्य अथवा राष्ट्रिय उपभोगता शिकायत निवारण फोरम , जैसा भी मामला हो, के समक्ष 108 मामलों में अपील की है जो की संबन्धित न्यून फोरम द्वारा कंपनी के विरुद्ध रु 102,80,89.00 हज़ार की राशि के निर्णय के विरुद्ध है। कंपनी के वित्तीय

24. Earnings Per Share is calculated as under:

	Particulars	Current Year	Previous Year
a)	Numerator : Net Profit as per Profit & Loss A/c (₹ '000)	276,22,66.70	180,09,56.77
b)	Denominator: Weighted Average Number of Shares Outstanding during the year	124726775.96	114675798.27
c)	Earnings per share: Basic (₹)	22.15	15.70
d)	Nominal Value of Shares (₹)	100.00	100.00

The Company does not have any outstanding dilutive potential equity shares. Consequently, the basic and diluted earnings per share of the Company remain the same.

25. (a) CONTINGENT LIABILITIES (₹ '000)

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
1.	Partly paid up investments	Nil	Nil
2.	Claims, other than against policies, not acknowledged as debts by the Company	31,66,32.00	14,37,59.00
3.	Policies and ECIB claims against the Company not acknowledged as debt and not provided for	1027,99,15.00	1083,31,96.00
4.	Guarantees given by or on behalf of the Company	Nil	Nil
5.	Capital Commitments	17,24,60.36	231,44,49.25
6.	Income Tax	481,75,10.42	171,10,06.69

(b) Impact of Pending Litigations

There are 108 cases in which the company has filed appeals before the State or National Consumer grievance Redressal Forum as the case may be against the Awards amounting to ₹102,80,89.00 thousands granted against the company by respective lower forum. The impact on account of these pending litigations

विवरणों पर इन लंबित मुकदमों का प्रभाव न्यून फोरमों द्वारा कंपनी के खिलाफ लिए गए निर्णय की राशि पर आधारित होंगे।

26. आई आर डी ए आई आवश्यकताओं के अनुसार दिनांक 31.03.2016 तक रु 110,20,00.59 (पिछले वर्ष कुछ नहीं) तक की प्रीमियम कमी की पहचान की गयी

(₹ '000)

विवरण		चालू वर्ष	पिछले वर्ष
खंडवार		विविध	
संगत प्रीमियम	1	451,74,82.09	527,18,99.05
अपेक्षित दावा लागत तथा संगत व्यय	2	497,00,00.00	441,00,00.00
अपेक्षित रखरखाव व्यय	3	64,94,82.68	71,80,84.83
प्रीमियम में कमी		110,20,00.59	कुछ नहीं

27 .कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए प्रारक्षित निधि

कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 तथा धारा 198 के अनुसार वर्ष 2015-16 के लिए सी एस आर प्रावधान को अभिकलित किया है। आरंभिक प्रारक्षणों, किए गए भुगतानों तथा अंतिम आरक्षणों के विवरण निम्नानुसार हैं :

विवरण		राशि ₹ '000
सी एस आर गतिविधियों के लिए आरंभिक प्रारक्षण	(क)	9,27,53.56
जोड़ें :वर्ष के दौरान सी एस आर के लिए प्रावधान	(ख)	7,60,00.00
कुल उपलब्ध राशि	(ग=क+ख)	16,87,53.56
वर्ष के दौरान कुल व्यय	(घ)	7,60,00.00
अग्रिमों तथा विनियोजित भुगतानों का आरंभिक शेष	(ङ)	6,83,29.56
सी एस आर गतिविधियों के अधीन व्यय न की गयी कुल राशि/शेष (इ)	(इ)	2,44,24.00

28. भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तैयारी) अधिनियम 2002 के अधीन आवश्यक प्रकटन इसके साथ अनुबंध 1 क व 1 ख के अनुसार संलग्न किए गए हैं।

29. अनुसूचित बैंकों के पास दीर्घावधि जमाओं (अनुसूची 11) में रु 40,00.00 हज़ार (पिछले वर्ष रु 50,00.00 हज़ार के जमा) शामिल हैं जिसे नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के पास

on the financial statements of the company shall be to the extent of the amount of the awards of the lower forums.

26. Premium Deficiency has been identified as on 31/03/2016 of ₹110,20,00.59 (previous year ₹ NIL) as per IRDAI requirements.

(₹ '000)

Particulars		Current Year	Previous Year
Segment		Miscellaneous	
Relevant Premium	1	451,74,82.09	527,18,99.05
Expected Claim Cost and related Expenses	2	497,00,00.00	441,00,00.00
Expected Maintenance cost	3	64,94,82.68	71,80,84.83
Premium Deficiency		110,20,00.59	NIL

27. RESERVE FOR CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:

The Company has computed CSR provision for the year 2015-16 as per section 135 and section 198 of the Companies Act, 2013. The details of opening reserve, payments made and closing reserve is as follows:

Particulars		Amount ₹ '000
Opening Reserve for CSR activities	(A)	9,27,53.56
Add: Provision for CSR activities during the year	(B)	7,60,00.00
Total available amount	(C= A + B)	16,87,53.56
Total Expenditure during the year	**(D)**	**7,60,00.00**
Opening Balance of Advances and payments appropriated	(E)	6,83,29.56
Total unspent amount / balance under CSR activities	(F=C-D-E)	2,44,24.00

28. Disclosures as required under the Insurance Regulatory and Development Authority of India (preparation of Financial Statements and Auditors' Report of Insurance Companies) Regulation, 2002 are enclosed herewith as per Annexure-1A & 1B.

29. Long Term Deposits with Scheduled banks (Schedule 11) include deposits of ₹4,00,00.00 thousands (previous year deposits of ₹50,00.00 thousands) which have been pledged with National Stock Exchange of India and Bombay Stock Exchange as a cash margin.

Short Term Deposits with Scheduled banks

नकद मार्जिन के रूप में गिरवी रखा गया है।

अनुसूचित बैंकों (अनुसूची 11) में अल्पावधि जमाओं में कॉर्पोरेशन बैंक के पास गिरवी रखे गए रु 50,00.00 हजार (पिछले वर्ष रु 90,00,00 हज़ार) शामिल हैं।

30. केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों (अनुसूची 8) में शामिल निवेशों में :

i. निगम द्वारा अनुषंगी बाज़ार समव्यवहारों के लिए मार्जिन के रूप में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को रु 4,99,25 हज़ार (पिछले वर्ष रु 4,99,25 हज़ार के 7.16% वाले भारत सरकार के 2023 के बॉन्ड) के अंकित मूल्य के 7.16 % वाले भारत सरकार के 2023 के बॉन्ड प्रभारित किए गए ।

ii. निगम द्वारा समपार्श्विक उधारों तथा उधार देने दायित्वों को पूरा करने के लिए मार्जिन के रूप में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को रु 93,17.00 हज़ार (पिछले वर्ष रु रु 93,17.00 हज़ार के 8.24% वाले भारत सरकार के 2027 के बॉन्ड) के अंकित मूल्य के 8.24% वाले भारत सरकार के 2027 के बॉन्ड प्रभारित किए गए ।

31. कर्मचारी लाभ :

31.1 कंपनी में 31.03.2010 तक अथवा उसके पहले भर्ती सभी कर्मचारियों को परिभाषित लाभ पेंशन योजना में शामिल किया गया है। जो कर्मचारी दिनांक 01.04.2010 को अथवा उसके पश्चात निगम में भर्ती हुए हैं उन्हें परिभाषित अंशदान योजना के अधीन नयी पेंशन योजना (एन पी एस) में शामिल किया गया है।

31.2 कंपनी प्रत्येक कर्मचारी के लिए पेंशन निधि प्रशासक को कर्मचारी के मूल वेतन व महंगाई भत्ते के 10% की अदायगी करती है।

31.3 परिभाषित लाभ पेंशन योजना के पात्र कर्मचारी के मामले में कंपनी अंशदान को पेंशन निधि ट्रस्ट को प्रेषित कर देती है। जो कर्मचारी परिभाषित लाभ पेंशन योजना अथवा परिभाषित अंशदान पेंशन योजना में शामिल नहीं हैं कंपनी अपना हिस्सा भविष्य निधि ट्रस्ट को प्रेषित करती है।

31.4 आई सी ए आई द्वारा जारी ए स 15 (2005 में संशोधित) के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश नोट के अनुसार कर्मचारियों द्वारा स्थापित भविष्य निधि , जिसमें होने वाली ब्याज में कमी की भरपाई नियोक्ता द्वारा किया जाता है, को परिभाषित लाभ योजना माना जाये।

(Schedule 11) include deposits of ₹50,00.00 thousands (previous year ₹90,00.00 thousands) which have been pledged with National Stock Exchange of India and Bombay Stock Exchange as a cash margin.

30. Investment in Central Government Securities (Schedule 8) includes :

i. 7.16% 2023 Government of India bonds having book value of ₹4,99,25 thousands (previous year ₹4,99,25 thousands 7.16% 2023 Government of India bonds) charged to Clearing Corporation of India Limited towards margin for secondary market transactions entered into by the Corporation.

ii. 8.24% 2027 Government of India bonds having book value of ₹93,17 thousands (previous year ₹93,17 thousands 8.24% 2027 Government of India bonds) charged to Clearing Corporation of India Limited towards margin for collateral borrowing and lending obligations by the Corporation.

31. EMPLOYEE BENEFITS :

31.1 The Defined Benefit Pension Scheme has been extended to include all employees who have joined the Company on or before 31/03/2010. The employees who have joined the Company on or after 01/04/2010 are covered by New Pension Scheme (NPS) under Defined Contribution Scheme.

31.2 The Company pays 10% of basic salary & dearness allowance/ personal allowance to a Pension Fund administrator for each employee.

31.3 In case of employees who are eligible for Defined Benefit Pension Scheme, the Company remits the contribution to the Pension Fund Trust. For those employees, who are not covered under Defined Benefit Pension Scheme or Defined Contribution Pension Scheme, the Company remits the Company's share to the Provident Fund Trust.

31.4 The Guidance note on implementing AS 15 (Revised 2005), issued by ICAI, states that provident funds set-up by employers, which require interest shortfall to be met by the employer, need to be treated as a defined benefit plan.

31.5 भविष्य निधि तथा उसके अर्जनों की आधारभूत निधि , भविष्य निधि पर देय ब्याज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, अतः उसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है व लेखे में प्रावधान हेतु कोई प्रकटन नहीं किया गया है।

31.6 निगम के कर्मचारी कंपनी की छुट्टी संबंधी नीति के अनुसार छुट्टी ग्रहण करने के लिए पात्र हैं।, बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार तुलन पत्र की अंतिम तारीख तक, निर्धारित दायित्व के वर्तमान मूल्य तक लेखा वर्ष की अंतिम तारीख तक जमा छुट्टी के कारण देयता की पहचान की गयी है।

Sr. No.	श्रेणी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	**तुलन पत्र में शामिल**		
	निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	39,75,78.24	36,22,40.30
	वर्ष के आरंभ में देयता	36,22,40.30	28,27,93.60
	तुलन पत्र में दर्शाई गयी अतिरिक्त देयता	3,53,37.94	7,94,46.70

31.7 उपदान तथा अधिवर्षिता (पेंशन), जो वित्त पोषित कर्मचारी लाभ योजनाएं हैं के लिए अवधि के दौरान कर्मचारी लाभ के विवरण निम्नानुसार हैं :

पेंशन (₹ '000)

क्र सं	श्रेणी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	**लाभ दायित्वों में परिवर्तन**		
	वर्ष के आरंभ में परियोजित लाभ दायित्व	273,16,27.25	214,08,34.24
	ब्याज लागत	21,57,98.55	19,84,55.33
	वर्तमान सेवा लागत	9,58,06.58	7,88,66.67
	अंतरित देयता	-	-
	प्रदत्त लाभ	(19,43,86.00)	(12,69,23.06)
	बीमांकिक (लाभ)/हानि	14,27,61.72	44,03,94.07
	वर्ष के अंत तक परियोजित लाभ देयताएं	299,16,08.10	273,16,27.25
2	**योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन**		
	वर्ष के आरंभ में अंकित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	221,89,15.12	190,41,50.08
	योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित अर्जन	17,52,94.29	16,56,61.06

31.5 As the corpus of the Provident Fund and earnings thereon are sufficient to meet the requirement of the Interest payable on the Provident Fund, no provision for the same and no specific disclosure on account of provision is made in the account.

31.6 The employees of the company are entitled to leave as per the leave policy of the company. The liability on account of accumulated leave as on last day of the accounting year is recognised at present value of the defined obligation at the balance sheet date based on the actuarial valuation.

(₹ '000)

Sr. No.	Category	Current Year	Previous Year
1	**Recognized in the Balance Sheet**		
	Present Value of the Defined Benefit Obligation	39,75,78.24	36,22,40.30
	Liability at the beginning of the year	36,22,40.30	28,27,93.60
	Additional Liability recognised in the Balance Sheet	3,53,37.94	7,94,46.70

31.7 The details of employee benefits under "defined employee benefit plans" for the period on account of gratuity and superannuation which are funded are as under.

Pension (₹ '000)

Sr. No.	Category	Current Year	Previous Year
1	**Change in Benefit Obligations**		
	Projected benefit obligations at the beginning of the year	273,16,27.25	214,08,34.24
	Interest Cost	21,57,98.55	19,84,55.33
	Current Service Cost	9,58,06.58	7,88,66.67
	Liability Transferred		
	Benefits paid	(19,43,86.00)	(12,69,23.06)
	Actuarial (Gain) / Loss	14,27,61.72	44,03,94.07
	Projected Benefit Obligations at the end of the year	299,16,08.10	273,16,27.25
2	**Change in Plan Assets**		
	Plan Assets at the beginning of the year at fair value	221,89,15.12	190,41,50.08
	Expected return on Plan Assets	17,52,94.29	16,56,61.06

(₹ '000)

क्र सं	श्रेणी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
	अंशदान	53,25,23.20	25,71,47.51
	अंतरित परिसंपत्तियाँ	-	-
	प्रदत्त लाभ	(19,43,86.00)	(12,69,23.06)
	बीमांकिक (लाभ)/ हानि	3,12,07.63	1,88,79.53
	वर्ष के अंत तक अंकित मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	276,35,54.24	221,89,15.12
3	**परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य**		
	वर्ष के अंत तक वर्तमान मूल्य में योजना परिसंपत्तियाँ	299,16,08.10	273,16,27.25
	वर्ष के अंत तक योजना आस्तियों का उचित मूल्य	276,35,54.24	221,89,15.12
	तुलन पत्र में दर्शाई गयी देयता	22,80,53.86	51,27,12.13
4	**वर्ष के लिए लागत**		
	चालू सेवा लागत	9,58,06.58	7,88,66.67
	ब्याज लागत	4,05,04.26 (17,52,94.29)	3,27,94.27 (16,56,61.06)
	योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित अर्जन	11,15,54.09	42,15,14.54
	बीमांकिक (लाभ)/हानि	24,78,64.93	53,31,75.48

उपदान

(₹ '000)

क्र सं	श्रेणी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
1	**लाभ दायित्वों में परिवर्तन**		
	वर्ष के आरंभ में परियोजित लाभ दायित्व	37,79,15.71	30,02,27.16
	ब्याज लागत	3,00,44.30	2,81,01.26
	चालू सेवा लागत	86,50.56	63,82.10
	पिछली सेवा लागत - निहित लाभ		
	प्रदत्त लाभ	(2,85,33.75)	(2,14,85.98)
	बीमांकिक (लाभ)/हानि	(89,68.06)	6,46,91.17
	वर्ष के अंत तक परियोजित लाभ दायित्व	37,91,08.76	37,79,15.71
2	**योजना परिसंपत्तियों में परिवर्तन**		

(₹ '000)

Sr. No.	Category	Current Year	Previous Year
	Contributions	53,25,23.20	25,71,47.51
	Assets Transferred in	-	-
	Benefits paid	(19,43,86.00)	(12,69,23.06)
	Actuarial Gain / (Loss)	3,12,07.63	1,88,79.53
	Plan Assets at the end of the year, at fair value	276,35,54.24	221,89,15.12
3	**Recognized in the Balance Sheet**		
	Present Value of the Defined Benefit Obligation	299,16,08.10	273,16,27.25
	Plan Assets at the end of the year at fair value	276,35,54.24	221,89,15.12
	Liability recognised in the Balance Sheet	22,80,53.86	51,27,12.13
4	**Cost for the year**		
	Current Service Cost	9,58,06.58	7,88,66.67
	Interest Cost (Includes Expected return on Plan Assets)	4,05,04.26 (17,52,94.29)	3,27,94.27 (16,56,61.06)
	Actuarial (Gain) / Loss	11,15,54.09	42,15,14.54
	Expense recognised in the Revenue account	24,78,64.93	53,31,75.48

Gratuity

(₹ '000)

Sr. No.	Category	Current Year	Previous Year
1	**Change in Benefit Obligations**		
	Projected Benefit Obligations at the beginning of the year	37,79,15.71	30,02,27.16
	Interest Cost	3,00,44.30	2,81,01.26
	Current Service Cost	86,50.56	63,82.10
	Past Service Cost - Vested Benefit	-	-
	Benefits paid	(2,85,33.75)	(2,14,85.98)
	Actuarial (Gain) / Loss	(89,68.06)	6,46,91.17
	Projected Benefit Obligations at the end of the year	37,91,08.76	37,79,15.71
2	**Change in Plan Assets**		

क्र सं	श्रेणी	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	29,53,40.19	28,63,73.46
	योजना आस्तियों पर अपेक्षित अर्जन	2,34,79.55	2,49,14.49
	अंशदान	15.39	52,57.04
	प्रदत्त लाभ	(2,85,33.75)	(2,14,85.98)
	बीमांकिक लाभ / (हानि)	11.52	2,81.18
	वर्ष के अंत तक योजना आस्तियां , उनका उचित मूल्य	29,03,12.90	29,53,40.19
3	**तुलन पत्र में दर्शाये अनुसार**		
	निर्धारित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	37,91,08.76	37,79,15.71
	वर्ष के अंत तक योजना आस्तियों का उचित मूल्य	**29,03,12.90**	**29,53,40.19**
	तुलन पत्र में दर्शाई गयी देयता	**8,87,95.86**	**8,25,75.52**
4	**वर्ष के लिए लागत**		
	चालू सेवा लागत	86,50.56	63,82.10
	ब्याज लागत (योजना आस्तियों पर अपेक्षित अर्जनों सहित)	65,64.75 (2,34,79.55)	31,86.77 (2,49,14.49)
	योजना परिसंपत्तियों पर अपेक्षित अर्जन	2,49,14.49	(2,45,33.11)
	बीमांकिक (लाभ) / हानि	(89,79.58)	6,44,09.99
	पिछली सेवा लागत - निहित लाभ	-	-
	राजस्व खाते में दर्शाया गया व्यय	**62,35.73**	**7,39,78.86**

क्र सं	श्रेणी	पेंशन	उपदान
5	**अनुमान**		
	भुनाने पर ब्याज दर	8.00% (7.90%)	7.96% (7.95%)
	योजना परिसंपत्तियों पर अर्जन का अनुमानित दर	8.00% (7.90%)	7.96% (7.95%)
	वेतन संवर्धन	7.00% (7.00%)	7.00% (7.00%)
6.	**मूल्यांकन की पद्धति**	**परियोजित इकाई जमा विधि**	

Sr. No.	Category	Current Year	Previous Year
	Plan Assets at the beginning of the year at fair value	29,53,40.19	28,63,73.46
	Expected return on Plan Assets	2,34,79.55	2,49,14.49
	Contributions	15.39	52,57.04
	Benefits paid	(2,85,33.75)	(2,14,85.98)
	Actuarial Gain / (Loss)	11.52	2,81.18
	Plan Assets at the end of the year, at fair value	29,03,12.90	29,53,40.19
3	**Recognized in the Balance Sheet**		
	Present Value of the Defined Benefit Obligation	37,91,08.76	37,79,15.71
	Plan Assets at the end of the year at fair value	29,03,12.90	29,53,40.19
	Liability recognised in the Balance Sheet	8,87,95.86	8,25,75.52
4	**Cost for the year**		
	Current Service Cost	86,50.56	63,82.10
	Interest Cost (Includes Expected return on Plan Assets)	65,64.75 (2,34,79.55)	31,86.77 (2,49,14.49)
	Actuarial (Gain) / Loss	(89,79.58)	6,44,09.99
	Past Service Cost Vested Benifit	-	-
	Expense recognised in the Revenue account	62,35.73	7,39,78.86

Sr. No.	Category	Pension	Gratuity
5	**Assumptions**		
	Interest rate for Discounting	8.00% (7.90%)	7.96% (7.95%)
	Estimated rate of return on Plan Assets	8.00% (7.90%)	7.96% (7.95%)
	Salary Escalation	7.00% (7.00%)	7.00% (7.00%)
6.	**Method of Valuation**	**Projected Unit Credit Method**	

	योजना परिसंपत्तियों पर अनुमानित दर के निर्धारण के लिए उपयोग में लाये गए आधार	योजना परिसंपत्तियों पर अर्जन के अनुमानित दर की गणना परिसंपत्तियों की चालू पोर्टफोलियो , निवेश नीति तथा बाज़ार परिदृश्य के आधार पर की गयी है ताकि पूंजी की सुरक्षा की जाये तथा स्वीकारने योग्य जोखिम मानदंडों के भीतर अधिक से अधिक अर्जन अर्जित किए जा सकें; योजना परिसंपत्तियाँ पूर्ण रूप से विविधिकृत हैं।

32. परिचालन पट्टे

कंपनी पास विविध स्थानों में कार्यालय परिसर तथा आवास फ्लैटों के परिचालन पट्टे हैं जिन्हें आवधिक आधार पर नवीकृत किया जाता है तथा एक माह से छः माह तक का नोटिस देकर उसे रद्द किया जाता है। किराया वृद्धि शर्ते संविदा दर संविधा पर अलग होती हैं।

परिचालन पट्टों के लिए रु 15,09,05.30 हज़ार (पिछले वर्ष 11,03,04.27 हज़ार) के किराया व्ययों को राजस्व खाते में शामिल किया गया है

33. कंपनी का कोई व्युत्पन्न अनुबंध तथा वायदा अनुबंध जोखिम नहीं हैं। कंपनी का कोई विदेशी मुद्रा जोखिम नहीं हैं (बिना बचाव व्यवस्था के)

34. एम एस एम ई डी अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार ;

i. बकाया राशि रु कुछ नहीं (पिछले वर्ष रु कुछ नहीं)

ii. सम्पूर्ण वर्ष के दौरान किए गए विलंबित भुगतान रु कुछ नहीं (पिछले वर्ष रु कुछ नहीं)

iii. देय ब्याज जहां मूलधन देयों का निपटान देय तारीख के पश्चात किया गया ।

35. कंपनी द्वारा नियमित रूप से अपनाई जाने वाली प्रथा के अनुसार पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रदत्त दावों पर की गयी वसूलियों के व्ययों (अनुसूची 2) निवल व्यय जैसे वसूली कमीशन, बैंक प्रभार, सेवा कर आदि रु 114,03,29.38 (पिछले वर्ष 160,14,90.51 हज़ार रु) रहे।

36. आई आर डी ए आई परिपत्र सं 067/IRDA/F&A/CIR/MAR-08 दिनांक 28.03.2008 के जरिये निर्धारित विनियामक आवश्यकता के अनुकरण में अतिरिक्त प्रकटन निम्नानुसार है :

(₹ '000)

	विवरण	चालू वर्ष	पिछले वर्ष
(i)	आउटसोर्सिंग व्यय	2,99,51.12	2,77,17.45
(ii)	कारोबार विकास	1,35,39.59	1,63,21.62
(iii)	बाज़ार समर्थन	5,52,97.54	6,18,46.45

	Basis used to determine the expected rate of return on Plan Assets.	The expected rate of return on plan assets is based on the current portfolio of the assets, investment strategy and the market scenario, in order to protect capital and optimize returns within acceptable risk parameters; the Plan Assets are well diversified.

32. OPERATING LEASES

The Company has operating leases for office premises and residential flats at various locations that are renewable on a periodic basis and are cancellable by giving a notice period ranging from one month to six months. Rent escalation clauses vary from contract to contract.

Rent expenses included in Revenue Account towards operating leases are ₹15,09,05.30 thousands (previous year ₹11,03,04.27 thousands)

33. The Company does not have any exposure in derivative contracts and forward contracts. The Company has no exposure in foreign currency (un-hedged).

34. As per the provisions of the MSMED Act, 2006:

i. Amount Outstanding ₹ NIL (previous year ₹ NIL)

ii. Delayed Payments made through-out the year ₹ NIL (previous year ₹ NIL)

iii. Interest payable where principal dues are settled after due date ₹ NIL (previous year ₹ NIL).

35. The recoveries of claims paid in earlier years (Schedule 2) are accounted net of expenses at ₹ 114,03,29.38 thousands (previous year ₹160,14,90.51 thousands) such as recovery commission, bank charges, service tax etc. incurred on such recoveries as per the practice consistently followed by the Company.

36. Pursuant to the regulatory requirement vide IRDAI circular no. 067/IRDA/F&A/CIR/MAR-08 dt. 28/03/2008 the additional disclosure is given as under:

(₹ '000)

	Particulars	Current Year	Previous Year
(i)	Outsourcing Expenses	2,99,51.12	2,77,17.45
(II)	Business Development	1,35,39.59	1,63,21.62
(iii)	Marketing Support	5,52,97.54	6,18,46.45

37. गैर जीवन बीमा कंपनियों के लिए अनुपात

अनुपातों के संबंध में जानकारी अनुबंध - 2 में संलग्न है।

38. निम्न दर्शाये अनुसार धारित तथा पुनर्बीमित जोखिम (अतिरिक्त हानि तथा आपात पुनर्बीमा को छोड़ कर)

(₹ '000)

	अप्रैल 2015 से मार्च 2016 की अवधि के लिए प्रीमियम विवरण				
	प्रीमियम				
वित्त वर्ष	प्रीमियम	प्रतिधारण	%	पुनर्बीमा को सौंपना	%
2015-16	1320,72,97.15	903,49,64.18	68.41%	417,23,32.97	31.59%
2014-15	1362,39,79.11	1054,37,98.10	77.39%	308,01,81.01	22.61%

39. आई आर डी ए आई परिपत्र सं IRDA/F&I/CIR/CMP/174/11/2010 दिनांक 04.11.2010 तथा परिपत्र सं IRDA/F&A/CIR/114?05/2015 दिनांक 28.05.2015 के अनुसार पॉलिसीधारकों की अदावित राशि का अवधिवार विश्लेषण अनुबंध 3क व 3ख में दर्शाया गया है।

40. आई आर डी ए आई परिपत्र सं 005/IRDA/F&A/CIR/MAY-09 दिनांक 07.05.2009 के जरिये निर्धारित विनियामक आवश्यकता के अनुरूप अतिरिक्त प्रकटन निम्नानुसार हैं :

(₹ '000)

क्र सं	प्राधिकारी	गैर अनुपालन / उल्लंघन	दिया गया दंड	अदा किया गया दंड	दंड से माफी / कमी
1.	भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	सेवाकर प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3.	आयकर प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4.	अन्य कर प्राधिकारी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5.	प्रवर्तन निदेशालय / निर्णायक प्राधिकरण / न्यायाधिकरण अथवा फेमा के अधीन कोई भी प्राधिकरण	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6.	कंपनी रजिस्ट्रार / एन सी एल टी / सी एल बी / कॉर्पोरेट मामले विभाग अथवा कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन कोई अन्य प्राधिकरण	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
7.	दावा निपटान सहित परंतु प्रतिपूर्ति को छोड़ कर किसी भी मामले के लिए किसी न्यायालय / न्यायाधिकरण दवारा घोषित दंड	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
8.	भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड	लागू नहीं, कंपनी सूचीबद्ध इकाई नहीं है			
9.	भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

37. RATIOS FOR NON – LIFE COMPANIES

Information in respect of ratios is as per Annexure – 2 attached.

38. Extent of risk retained and reinsured is set out below (excluding excess of loss and catastrophe reinsurance)

(₹ '000)

	Premium Statistics for the Period April 2015 to March 2016				
	Premium				
FY	Premium	Retention	%	Reinsurance Ceding	%
2015-16	1320,72,97.15	903,49,64.18	68.41%	417,23,32.97	31.59%
2014-15	1362,39,79.11	1054,37,98.10	77.39%	308,01,81.01	22.61%

39. Statement showing Age-wise Analysis of un-claimed amount of the policy-holders as per IRDAI Circular no. IRDA/F&I/CIR/CMP/174/11/2010 dated 04/11/2010 and Circular no. IRDA/F&A/CIR/114?05/2015 dated 28/05/2015 is given in Annexure 3A & 3B.

40. Pursuant to the regulatory requirement vide IRDAI circular no. 005/IRDA/F&A/CIR/MAY-09 dt. 7/05/2009 the additional disclosure is given as under:

(₹ '000)

Sr. No	Authority	Non-Compliance/ Violation	Penalty Awarded	Penalty Paid	Penalty Waived/ Reduced
1.	Insurance Regulatory and Development Authority of India	NIL	NIL	NIL	NIL
2.	Service Tax Authorities	NIL	NIL	NIL	NIL
3.	Income Tax Authorities	NIL	NIL	NIL	NIL
4.	Any other Tax Authorities	NIL	NIL	NIL	NIL
5.	Enforcement Directorate/ Adjudicating Authority/ Tribunal or any Authority under FEMA	NIL	NIL	NIL	NIL
6.	Registrar of Companies/ NCLT/CLB/ Department of Corporate Affairs or any Authority under Companies Act, 1956	NIL	NIL	NIL	NIL
7.	Penalty Awarded by any Court/ Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation	NIL	NIL	NIL	NIL
8.	Securities and Exchange Board of India	Not Applicable as the Company is not a Listed Entity			
9.	Competition Commission of India	NIL	NIL	NIL	NIL

क्र सं	प्राधिकारी	गैर अनुपालन / उल्लंघन	दिया गया दंड	अदा किया गया दंड	दंड से माफी / कमी
10.	कोई अन्य केन्द्रीय / राज्य / स्थानीय सरकार / सांविधिक प्राधिकरण	कुछ नहीं (पिछले वर्ष स्टैम्प ड्यूटी की विलंब अदायगी)	कुछ नहीं (रु. 4,46.71)	कुछ नहीं (रु. 4,46.71)	कुछ नहीं

प्रबंधन द्वारा प्रमाणित अनुसार

41. आय तथा व्यय का आबंटन

निवेश व्ययों को, पॉलिसीधारक निधियों तथा शेयरधारक निधियों के आरंभ शेषों के आधार पर राजस्व खाते तथा लाभ व हानि खाते में नियमित रूप से अपनाई गयी प्रथा के अनुसार आरंभिक शेषों के आधार पर आबंटन किया गया। यह आई आर डी ए के मास्टर परिपत्र सं आई आर डी ए / एफ एंड आई / परि/ एफ एंड ए /231/10/2012 दिनांक 5 अक्तूबर 2012 तथा वित्त वर्ष 2013-14 से प्रभावी शुद्धिपत्र सं आर डी ए / एफ एंड आई / परि/ एफ ए / 126/07/2013 दिनांक 3 जुलाई 2013 के जरिये आई आर डी ए द्वारा निर्धारित प्रकटन मानदंड के अनुरूप है।

42. अनुबंध 4 में उल्लिखित मामलों को पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित / वर्गीकृत किया गया

अनुसूची 1 से 17 पर हस्ताक्षरकर्ता

Sr. No	Authority	Non-Compliance/ Violation	Penalty Awarded	Penalty Paid	Penalty Waived/ Reduced
10.	Any other Central/State/ Local Government / Statutory Authority	NIL (previous year late filing of stamp duty)	NIL (Rs. 4,46.71)	NIL (Rs. 4,46.71)	NIL

**As certified by the management*

41. ALLOCATION OF INCOME AND EXPENSES

Investment expenses are allocated pro-rata between the Revenue Account and Profit & Loss Account on the basis of opening balances of Policyholders' Fund and Shareholders' Fund which practice has been followed consistently. This is in line with the disclosure norm set by IRDAI by its master circular No IRDA/F&I/CIR/F&A/231/10/2012 dated 5th October, 2012 and corrigendum IRDA/F&A/CIR/FA/126/07/2013 issued dated 3rd July, 2013 effective from FY 2013-14.

42. The figures for the previous period/year have been re-grouped/re- classified wherever necessary to make them comparable with the current period's figures.

Signatories to Schedule 1 to 17

(गीता मुरलीधर)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(GEETHA MURALIDHAR)
Chairman-cum-Managing Director

(डॉ गुरूप्रसाद महापात्र)
निदेशक
(DR. GURUPRASAD MOHAPATRA)
Director

(डॉ. सौरभ गर्ग)
निदेशक
(DR. SAURABH GARG)
Director

(एस सी रल्हन)
निदेशक
(S. C. RALHAN)
Director

(एम सेंथिलनाथन)
कार्यपालक निदेशक
(M. SENTHILNATHAN)
Executive Director

(सी एन ए अन्बरसन)
मुख्य वित्त अधिकारी
(C. N. A. ANBARASAN)
Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव
(SMITA PANDIT)
Company Secretary

सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के अनुसार :
As per our Report of even date:

कृते आर एस वी ए एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फार्म पंजीकरण सं. 110504W
For RSVA & Co.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 110504W

(शेखर एम कुलकर्णी)
भागीदार - M. No. 046285
(SHEKHAR M. KULKARNI)
Partner - M. No. 046285

कृते बंशी जैन एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
फार्म पंजीकरण सं.. 100990W
For BANSHI JAIN & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm Registration No. 100990W

(अनुज बी गोलेचा)
भागीदार - M. No. 117617
(ANUJ B. GOLECHA)
Partner - M. No. 117617

स्थान: नई दिल्ली
Place: New Delhi
दिनांक : 18 मई, 2016
Dated : 18th May, 2016

वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले प्रकटन

DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 17 का अनुलग्नक 1 (क) / Annexure - 1 (a) to Schedule 17

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष CURRENT YEAR (₹ '000)	पिछले वर्ष PREVIOUS YEAR (₹ '000)
1	निगम की परिसंपत्तियों की परिलब्धियों के विवरण निम्नानुसार हैं The details of encumbrances to the assets of the Corporation are as under		
	क) भारत में a) In India	Nil	9,95,25.00
	ख) भारत के बाहर b) Outside India	Nil	Nil
2	बकाया दायित्व (प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार) Commitments Outstanding (as per the data provided by the management)		
	क) ऋणों व निवेशों के लिए की गई व बकाया प्रतिबद्धता a) Commitments made and outstanding for Loans and Investments	Nil	Nil
	ख) अचल परिसंपत्तियों के लिए की गई प्रतिबद्धता (अग्रिमों सहित) b) Commitments made for Fixed Assets (Net of Advances)	17,24,60.36	231,44,49.25
3	दावेदारों को अदा किए गए दावे, पुनर्बीमा को घटाकर Claims, less Reinsurance, paid to Claimants		
	क) भारत में a) In India	506,20,36.70	457,56,23.53
	ख) भारत के बाहर b) Outside India	Nil	Nil
4	जहां दावे की अवधि चार वर्ष से अधिक है, किसी भी प्रकार की दावों की देयता नहीं है There are no claim liabilities where claim payment period exceeds four years	Nil	Nil
5	छः माह से अधिक के बकाया दावे (सकल - भारतीय) Claims outstanding for more than six months (Gross - Indian)		
	दावों की संख्या Number of Claims	117	29
	राशि Amount	833,69,18.60	317,67,57.08
	छः माह से कम के बकाया दावे (सकल - भारतीय) Claims outstanding for less than six months (Gross - Indian)		
	दावों की संख्या Number of Claims	339	287
	राशि Amount	782,91,98.72	1287,70,92.68
	कुल बकाया दावों की संख्या (सकल - भारतीय) Total Number of Claims outstanding (Gross - Indian)	**456**	**316**
	राशि Amount	1616,61,17.32	1605,38,49.76

वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले प्रकटन

DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 17 का अनुलग्नक 1 (क) / Annexure - 1 (a) to Schedule 17

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष CURRENT YEAR (₹ '000)	पिछले वर्ष PREVIOUS YEAR (₹ '000)
6	कारोबार से प्राप्त प्रीमियम, पुनर्बीमा को घटाकर Premiums, less Reinsurance, written from business		
	भारत में In India	903,49,64.18	1054,37,98.10
	भारत के बाहर Outside India	Nil	Nil
7	घोषित लेखागत नीति के अनुसार प्रीमियम को आय के रूप में स्वीकार किया गया है। शुद्ध प्रीमियम आय के 50% पर असमाप्त जोखिम के लिए प्रारक्षित निधि निर्मित की गई है Premium is recognised as Income as per the declared accounting policy. A Reserve for Un-expired Risks is created at 50% of Net Premium.	451,74,82.09	527,18,99.05
8	निवेशों के संबंध में निविदा के विवरण, Details of contracts in relation to investments for,		
	क) खरीद जहाँ सुपुर्दगी लंबित है a) Purchase where deliveries are pending	Nil	Nil
	ख) बिक्री जहाँ भुगतान देय हो b) Sales where payments are due	Nil	Nil
9	ऋण बीमा कारोबार संबंधी सम्पूर्ण परिचालन व्यय The entire operating expenses pertain to credit insurance business.		
10	घोषित लेखा नीति के अनुसार निवेशों का मूल्यांकन किया गया है Investments are valued in accordance with the declared accounting policy.		
11	सीमांत पारिश्रमिक की गणना : सरकारी कंपनी होने के कारण निगम को कंपनी अधिनियम की धारा 620 के अंतर्गत जी एस आर235, दिनांक 31 जनवरी, 1978 के जरिए इससे छूट प्रदान की गई है Computation of Managerial Remuneration: The Corporation is exempted vide notification: GSR 463, u/s 462 of the companies Act, 2013, being a Government Company.		
12	निवेशों के मूल्य ह्रास के लिए ऋण प्रतिभूति परिशोधन के आधार पर प्रावधान Basis of amortisation of Debt securities Provision for diminution in the value of the Investments	5,65.95	Nil
13	क) सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों में हुए परिवर्तन के कारण अप्राप्त लाभ व हानि को उचित मूल्य परिवर्तन खाते में डाला गया है a) Unrealised gains and losses due to changes in fair value of listed Equity Shares under Fair Value Change A/c	94,30,57.86	172,98,51.77
	ख) उचित मूल्य परिवर्तन खाते में लंबित प्राप्तियाँ ऋण शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं हैं b) Pending realisation,credit balance in Fair Value Change A/c not available for distribution.	94,30,57.86	172,98,51.77
14	निगम ने "रीयल स्टेट निवेश संपत्ति" में किसी भी प्रकार का निवेश नहीं किया है The Corporation does not have investment in 'Real Estate Investment Property.'		

वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले प्रकटन

DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 17 का अनुलग्नक 1 (क) / Annexure - 1 (a) to Schedule 17

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष CURRENT YEAR (₹ '000)	पिछले वर्ष PREVIOUS YEAR (₹ '000)
15	क तुलन पत्र की तारीख तक अदा किए गए व छः महीने से अधिक के लिए लंबित दावे निम्नानुसार हैं		
	A Claims settled and remaining unpaid for a period more than six months as on balance sheet date are as under		
	दावों की संख्या Number of claims	Nil	Nil
	राशि Amount	Nil	Nil
	ख वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाली सभी महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ अलग से प्रकट की गई हैं		
	B All Significant Accounting Policies forming part of the financial statements are disclosed separately.		
	ग 1 वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार किए गए जमा निम्नानुसार हैं		
	C 1 Deposits made in accordance with statutory requirements are as under		
	क) भारत में - बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अधीन (अंकित मूल्य ₹1000.00 लाख) a) In India- under Section 7 of the Insurance Act, 1938 (Face Value ₹1000.00 lacs)	Nil	Nil
	ख) भारत के बाहर b) Outside India	Nil	Nil
	2 निवेशों का अर्जक निवेश व अनर्जक निवेशों में वर्गीकरण निम्नानुसार है Segregation of Investments into performing and non-performing investments is as under		
	अर्जक (मानक) निवेश Performing(Standard) Investments	6713,36,50.43	5716,38,11.99
	अनर्जक निवेश Non-Performing Investments	5,00,00.00	Nil
	कुल अंकित मूल्य(अंतिम मूल्य) Total Book Value(Closing Value)	6718,36,50.43	5716,38,11.99
	3 क्षेत्रवार कारोबार का प्रतिशत जैसा कि निगम केवल निर्यातकों को सेवाएँ प्रदान करता है, अलग से क्षेत्रों की पहचान नहीं की गई है Percentage of business sectorwise As the Corporation caters to exporters only, no such sectors are specifically identifiable.		
	4 5 वर्ष के वित्तीय विवरण की समीक्षा संलग्न है । A summary of financial statements for 5 years is enclosed.	As per Annexure 2b	As per Annexure 2b

वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले प्रकटन

DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 17 का अनुलग्नक 1 (क) / Annexure - 1 (a) to Schedule 17

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष CURRENT YEAR (₹ '000)	पिछले वर्ष PREVIOUS YEAR (₹ '000)	वृद्धि % / Growth %
5	विभिन्न वित्तीय अनुपात (प्रबंधन के समेकन के अनुसार) (प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विशिष्ट अनुपात न होने पर कुछ महत्वपूर्ण अनुपातों का उल्लेख किया गया है) (वर्ष के अंत तक अथवा जब तक उल्लेख नहीं किया गया हो) Various Financial Ratios (as compiled by the management) (in the absence of specific ratios prescribed by the authority, some of the important ratios are given.) (Year-end unless otherwise stated)			
	सकल प्रीमियम Gross Premium	1320,72,97.15	1362,39,79.11	-3.06
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	903,49,64.18	1054,37,98.10	-14.31
	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात (%) (शुद्ध प्रीमियम/सकल प्रीमियम) Net Retention Ratio (%) (Net Premium/Gross Premium)	68.41	77.39	-11.61
	शेयर पूंजी पर कर पूर्व लाभ (%) Profit Before Tax to Share Capital (%)	29.80	21.26	40.13
	शुद्ध संपत्ति पर कर पूर्व लाभ (%) Profit Before Tax to Networth (%)	11.81	8.54	38.29
	शुद्ध संपत्ति पर कर पश्चात लाभ (%) Profit After Tax to Networth (%)	8.42	6.03	39.64
	सकल प्रीमियम की तुलना में प्रबंधन व्यय (%) Expenses of Management to Gross Premium (%)	14.46	15.32	-5.61
	कुल रोजगार पर पी बी डी आई टी PBDIT to Total Employment	66,00.63	43,89.45	50.37
	शुद्ध प्रीमियम पर तकनीकी प्रारक्षण Technical Reserves to Net Premium			
	असमाप्त जोखिम प्रारक्षण Unexpired Risks Reserve	451,74,82.09	527,18,99.05	-14.31%
	बकाया दावे Outstanding Claims	4384,46,06.04	3796,80,29.85	15.48%
	कुल तकनीकी प्रारक्षण Total Technical Reserves	4836,20,88.13	4323,99,28.90	11.85%
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	903,49,64.18	1054,37,98.10	-14.31%
	अनुपात Ratio	5.35	4.10	30.52

वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले प्रकटन
DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 17 का अनुबंध 1 (ख) / Annexure - 1 (b) to Schedule 17

(₹ '000)

क्र.सं. Sr. No	विवरण / Particulars	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12
	परिचालन परिणाम OPERATING RESULTS					
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium	**1320,72,97.15**	1362,39,79.11	1303,72,59.69	1157,25,49.45	1004,83,31.67
2	शुद्ध अर्जित प्रीमियम Net Earned Premium	**903,49,64.18**	1054,37,98.10	984,16,56.70	830,52,62.96	761,55,98.94
3	निवेशों से आय (शुद्ध) Income from Investments (Net)	**352,13,64.65**	294,39,41.80	262,79,35.49	218,88,80.99	190,94,19.43
4	अन्य आय (शुल्क और प्राप्तियाँ) Other Income(Fee & Other Receipts)	**4,33,22.99**	3,17,39.19	4,31,57.70	5,69,11.48	5,00,01.83
5	कुल आय Total Income	**1259,96,51.82**	**1351,94,79.09**	**1251,27,49.89**	**1055,10,55.43**	**957,50,20.20**
6	कमीशन (शुद्ध) (ब्रोकरेज सहित) Commission (Net) (Including Brokerage)	**(67,71,01.89)**	(57,48,18.88)	(57,92,41.35)	(55,04,44.34)	(57,92,01.69)
7	परिचालन व्यय Operating Expenses	**185,56,64.81**	205,16,70.95	156,58,04.34	138,24,89.30	126,69,46.07
8	शुद्ध उपगत दावे Net Incurred Claim	**1000,62,50.19**	1163,50,03.52	746,06,72.89	812,80,35.03	679,61,20.57
9	असमाप्त जोखिम प्रारक्षित निधि में परिवर्तन Change in Unexpired Risk Reserve	**75,44,16.96**	(35,10,70.70)	(76,81,96.87)	12,37,76.55	(42,16,82.55)
10	परिचालन लाभ / (हानि) Operating Profit / (Loss)	**106,72,55.08**	**5,65,52.80**	**329,73,17.14**	**171,47,51.99**	**166,94,72.70**
	गैर परिचालन परिणाम NON OPERATING RESULTS					
11	शेयरधारकों के खाते के अंतर्गत कुल आय Total Income under Shareholders' account	**280,63,42.87**	249,50,85.62	213,99,69.73	178,66,72.52	160,77,66.18
12	कर पूर्व लाभ / (हानि) Profit / (Loss) Before Tax	**387,35,97.95**	255,16,38.42	543,72,86.87	350,14,24.51	327,72,38.88
13	कर के लिए प्रावधान Provision for Tax	**111,13,31.25**	75,06,81.65	179,11,64.87	107,35,44.68	102,51,40.04
14	कर पश्चात लाभ / (हानि) Profit / (Loss) After Tax	**276,22,66.70**	**180,09,56.77**	**364,61,22.00**	**242,78,79.83**	**225,20,98.84**

वित्तीय विवरणों के भाग बनने वाले प्रकटन
DISCLOSURES FORMING PART OF FINANCIAL STATEMENTS

अनुसूची 17 का अनुबंध 1 (ख) / Annexure - 1 (b) to Schedule 17

(₹ '000)

क्र.सं. Sr. No	विवरण / Particulars	2014-15	2013-14	2012-13	2011-12	2010-11
	विविध MISCELLANEOUS					
15	पॉलिसीधारक खाता * Policyholders' Account *					
	कुल निधियाँ Total Funds	**5150,48,47.08**	4390,03,38.53	3720,35,37.59	3148,97,12.60	2642,76,82.58
	कुल निवेश # Total Investments #	**4294,57,16.76**	3853,64,62.72	3215,80,11.35	2773,75,77.59	2311,81,71.87
	निवेश पर प्रतिफल Yield on Investments	**8.40**	8.65	8.92	8.85	8.69
16	शेयरधारक का खाता * Shareholders' Account *					
	कुल निधियाँ Total Funds	**3579,15,03.91**	3449,31,23.13	2923,13,50.96	2576,43,10.31	2251,24,70.34
	कुल निवेश # Total Investments #	**2984,36,33.68**	3027,86,49.28	2526,70,08.92	2269,43,81.67	1969,32,57.51
	निवेश पर प्रतिफल Yield on Investments	**8.40**	8.65	8.92	8.85	8.69
17	प्रदत्त इक्विटी पूंजी Paid-up Equity Capital	**1300,00,00.00**	1200,00,00.00	1100,00,00.00	1000,00,00.00	900,00,00.00
18	निवल मालियत Net Worth	**3279,34,83.97**	**2988,95,41.98**	**2774,40,63.63**	**2417,74,97.64**	**2167,74,62.74**
19	कुल परिसंपत्तियाँ Total Assets	**8899,09,10.64**	8047,60,82.85	6814,33,59.59	5842,62,11.10	4965,14,32.60
20	कुल निवेशों पर प्रतिफल Yield on Total Investments	**8.40**	8.65	8.92	8.85	8.69
21	प्रति शेयर आय (₹) Earnings Per Share (₹)	**22.15**	15.70	35.10	25.86	25.02
22	प्रतिशेयर आंकित मूल्य (₹) Book Value Per Share (₹)	**259.51**	**263.49**	**257.16**	**243.70**	**240.86**
23	कुल लाभांश Total Dividend	**65,00,00.00**	48,00,00.00	88,00,00.00	60,00,00.00	54,00,00.00
24	प्रति शेयर लाभांश (₹) Dividend Per Share (₹)	**5.00**	**4.00**	**8.00**	**6.00**	**6.00**

* ऊपर दर्शाई गई कुल निधियों व कुल निवेश वर्ष के अंत के हैं । पॉलिसी धारक व शेयर धारक शीर्षों के अधीन वर्ष के आरंभ में उपलब्ध कुल के अनुपात में, निधियों व निवेशों को पॉलिसीधारकों व शेयरधारकों के खातों में विभक्त किया गया है ।

\# अनुसूची 11-नकद ब बैंक शेषों के अंतर्गत निवेशों में सावधि जमाएँ शामिल हैं ।

* Total funds & total Investments shown above are as of year end. Funds & Investments has been divided into Policyholders'(PH) & Shareholders'(SH) Accounts in the ratio of total funds available at the start of year under PH & SH Account.

\# Investments includes Fixed Deposits under Sch 11 - Cash & Bank Balances.

31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि के लिए विश्लेषणात्मक अनुपात
Analytical Ratios for the period ended on 31st March, 2016

अनुसूची 17 का अनुबंध 2 / Annexure 2 to Schedule 17

(₹ '000)

क्र.सं. Sr. No	विवरण / Particulars	31 मार्च, 2016 31st March, 2016	31 मार्च, 2015 31st March, 2015
1	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर Gross Direct Premium Growth Rate		
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium	**1320,72,97.15**	1362,39,79.11
	वृद्धि Growth	**-3.06%**	4.50%
2	निवल मालियत के अनुपात में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (गुना) Gross Direct Premium to Net Worth Ratio (Times)		
	कुल सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Total Gross Direct Premium	**1320,72,97.15**	1362,39,79.11
	निवल मालियत (समापन) Net Worth (Closing)	**3279,34,83.97**	2988,95,41.98
	अनुपात (गुना) Ratio (Times)	**0.40**	0.46
3	निवल मालियत की वृद्धि दर Growth Rate of Net Worth		
	निवल मालियत (प्रारंभिक) Net Worth (Opening)	**2988,95,41.98**	2774,40,63.63
	निवल मालियत (समापन) Net Worth (Closing)	**3279,34,83.97**	2988,95,41.98
	निवल मालियत की वृद्धि दर Growth rate of Net Worth	**9.72%**	7.73%
4	शुद्ध प्रतिधारण अनुपात (%) Net Retention Ratio (%)		
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	**903,49,64.18**	1054,37,98.10
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium	**1320,72,97.15**	1362,39,79.11
	निवल प्रतिधारण अनुपात Net Retention Ratio	**68.41%**	77.39%
5	शुद्ध कमीशन अनुपात(%) Net Commission Ratio (%)		
	शुद्ध कमीशन Net Commission	**(67,71,01.89)**	(57,48,18.88)
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	**903,49,64.18**	1054,37,98.10
	अनुपात Ratio	**-7.49%**	-5.45%

31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि के लिए विश्लेषणात्मक अनुपात
Analytical Ratios for the period ended on 31st March, 2016

अनुसूची 17 का अनुबंध 2 / Annexure 2 to Schedule 17

(₹ '000)

क्र.सं. Sr. No	विवरण / Particulars	31 मार्च, 2016 31st March, 2016	31 मार्च, 2015 31st March, 2015
6	प्रबंधन व्यय की तुलना में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात Expenses of Management to Gross Direct Premium Ratio		
	प्रबंधन व्यय Expenses of Management	**190,99,18.99**	208,77,07.48
	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium	**1320,72,97.15**	1362,39,79.11
	अनुपात Ratio	**14.46%**	15.32%
7	प्रबंधन व्यय की तुलना में शुद्ध प्राप्त प्रीमियम अनुपात Expenses of Management to Net Written Premium Ratio		
	प्रबंधन व्यय Expenses of Management	**190,99,18.99**	208,77,07.48
	शुद्ध प्राप्त प्रीमियम Net Written Premium	**903,49,64.18**	1054,37,98.10
	अनुपात Ratio	**21.14%**	19.80%
8	शुद्ध अर्जित प्रीमियम की तुलना में शुद्ध उपगत दावे Net Incurred Claims to Net Earned Premium		
	शुद्ध उपगत दावे Net Incurred Claims	**1000,62,50.19**	1163,50,03.52
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम Net Earned Premium	**978,93,81.14**	1019,27,27.40
	अनुपात Ratio	**102.22%**	114.15%
9	सम्मिलित अनुपात Combined ratio		
	शुद्ध उपगत दावे Net Incurred Claims	**1000,62,50.19**	1163,50,03.52
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम Net Earned Premium	**978,93,81.14**	1019,27,27.40
	अनुपात (क) Ratio (a)	**102.22%**	114.15%
	प्रबंधन व्यय Expenses of management	**120,45,40.24**	148,99,59.72
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम Net Written Premium	**903,49,64.18**	1054,37,98.10
	अनुपात (ख) Ratio (b)	**13.33%**	14.13%
	सम्मिलित अनुपात (क + ख) Combined Ratio (a + b)	**115.55%**	128.28%

31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि के लिए विश्लेषणात्मक अनुपात
Analytical Ratios for the period ended on 31st March, 2016

अनुसूची 17 का अनुबंध 2 / Annexure 2 to Schedule 17

(₹ '000)

क्र.सं. Sr. No	विवरण / Particulars	31 मार्च, 2016 31st March, 2016	31 मार्च, 2015 31st March, 2015
10	तकनीकी आरक्षित निधियों की तुलना में शुद्ध प्रीमियम अनुपात (गुना) Technical Reserves to Net Premium Ratio (Times)		
	बकाया दावों के लिए आरक्षित निधि Reserve for Outstanding Claims	**4384,46,06.04**	3796,80,29.85
	असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित निधि Reserve For Un-expired Risks	**451,74,82.09**	527,18,99.05
	प्रीमियम में कमी के लिए आरक्षित निधि Reserve for Premium Deficiency	**-**	-
	कुल Total	**4946,40,88.72**	4323,99,28.90
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	**903,49,64.18**	1054,37,98.10
	अनुपात (गुना) Ratio (Times)	**5.47**	4.10
11	बीमांकन शेष अनुपात Underwriting Balance Ratio		
	बीमांकन लाभ Underwriting Profit	**(249,74,32.56)**	(291,91,28.19)
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	**978,93,81.14**	1019,27,27.40
	अनुपात Ratio	**-25.51%**	-28.64%
12	परिचालन लाभ अनुपात (%) Operating Profit Ratio		
	बीमांकन लाभ Underwriting Profit	**(249,74,32.56)**	(291,91,28.19)
	निवेश आय Investment Income	**352,13,64.65**	294,39,41.80
	राजस्व खाते में अन्य आय Other Income in Revenue account	**4,33,22.99**	3,17,39.19
	परिचालन लाभ Operating Profit	**106,72,55.08**	5,65,52.80
	शुद्ध अर्जित प्रीमियम Net Earned Premium	**978,93,81.14**	1019,27,27.40
	अनुपात Ratio	**10.90%**	0.55%

31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि के लिए विश्लेषणात्मक अनुपात
Analytical Ratios for the period ended on 31st March, 2016

अनुसूची 17 का अनुबंध 2 / Annexure 2 to Schedule 17

(₹ '000)

क्र.सं. Sr. No	विवरण / Particulars	31 मार्च, 2016 31st March, 2016	31 मार्च, 2015 31st March, 2015
13	देयता की तुलना में चल परिसंपत्तियां : (बीमाकृत की चल परिसंपत्तियाँ भागित पॉलिसीधारकों की देयताएँ) (गुना) Liquid Assets to Liabilities Ratio: (Liquid Assets of the insurer divided by the Policy holders' Liabilities) (Times)		
	चल परिसंपत्तियाँ Liquid Assets	**876,05,48.01**	1516,35,40.15
	पॉलिसी धारकों की देयताएँ Policy Holder Liabilities	**4946,40,88.72**	4323,99,28.90
	अनुपात (गुना) Ratio (Times)	**0.18**	0.35
14	शुद्ध अर्जन अनुपात Net earnings ratio		
	कर पश्चात लाभ Profit After Tax	**276,22,66.70**	180,09,56.77
	शुद्ध प्रीमियम Net Premium	**903,49,64.18**	1054,37,98.10
	अनुपात Ratio	**30.57%**	17.08%
15	शुद्ध मालियत पर प्राप्ति (%) Return on Net worth (%)		
	कर पश्चात लाभ Profit After Tax	**276,22,66.70**	180,09,56.77
	निवल मालियत Net Worth	**3279,34,83.97**	2988,95,41.98
	अनुपात Ratio	**8.42%**	6.03%
16	आवश्यक शोधन क्षमता मार्जिन की तुलना में उपलब्ध शोधन क्षमता (गुना) Available Solvency to Required Solvency margin Ratio (Times)		
	उपलब्ध शोधन क्षमता Available Solvency Margin	**2937,54,66.44**	2672,46,63.00
	आवश्यक शोधन क्षमता Required Solvency Margin	**300,18,75.06**	404,08,04.00
	अनुपात (गुना) Ratio (Times)	**9.79**	6.61

31 मार्च, 2016 को समाप्त अवधि के लिए विश्लेषणात्मक अनुपात
Analytical Ratios for the period ended on 31st March, 2016

अनुसूची 17 का अनुबंध 2 / Annexure 2 to Schedule 17

(₹ '000)

क्र.सं. Sr. No	विवरण / Particulars	31 मार्च, 2016 31st March, 2016	31 मार्च, 2015 31st March, 2015
17	अनर्जक खाता अनुपात NPA Ratio		
	निवेश Investment	**0.06%**	0%
	फ़ैक्टरिंग Factoring	**100%***	100%*

* अप्रैल 2010 से कोई नया व्यवसाय नहीं किया गया.

* *No fresh business done since April 2010.

(गीता मुरलीधर)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(GEETHA MURALIDHAR)
Chairman-cum-Managing Director

(डॉ गुरुप्रसाद मोहपात्र)
निदेशक
(DR. GURUPRASAD MOHAPATRA)
Director

(डॉ. सौरभ गर्ग)
निदेशक
(DR. SAURABH GARG)
Director

(एस सी रल्हन)
निदेशक
(S C RALHAN)
Director

(एम सेंथिलनाथन)
कार्यपालक निदेशक
(M SENTHILNATHAN)
Executive Director

(सी एन ए अन्बरसन)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(C N A ANBARASAN)
Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव
(SMITA PANDIT)
Company Secretary

सम तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached

कृते आर एस वी ए एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या. 110504 डब्ल्यू
For RSVA & CO.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 110504W

(शेखर एम. कुलकर्णी)
भागीदार - एम.सं. 046285
(SHEKHAR M. KULKARNI)
Partner - M. No.046285

कृते बंशी जैन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या : 100990 डब्ल्यू
For BANSHI JAIN & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm Registration No. 100990W

(अनुज बी गोलेचा)
भागीदार - एम.सं 117617
(ANUJ B. GOLECHA)
Partner - M.No. 117617

स्थान : नई दिल्ली
Place : New Delhi
दिनांक : 18 मई, 2016
Dated : 18th May, 2016

31.03.2016 तक पॉलिसीधारकों द्वारा न की गई राशि
Unclaimed Amount of Policyholders as on 31.03.2016

अनुसूची 17 का अनुबंध 3 / Annexure 3 to Schedule 17

(₹ '000)

क्र. सं. / Sr. No.	विवरण / Particulars	कुल राशि / Total Amount	1-6 माह 1-6 months	7-12 माह 7-12 months	13-18 माह 13-18 months	19-24 माह 19-24 months	25-30 माह 25-30 months	31-36 माह 31-36 months	36 माह से अधिक Beyond 36 Months
1	दावों का निपटान किया गया परंतु बीमा/पॉलिसीधारकों की ओर से मुकदमेबाजी को छोड़कर किन्हीं कारणों की वजह से दावों का भुगतान पॉलिसीधारकों/बीमाधारकों को नहीं किया गया । Claims settled but not paid to the policyholders / insureds due to any reasons except under litigation from the insured / policyholders	7.34	-	-	-	-	-	-	7.34
2	परिपक्वता पर या अन्य के लिए बीमा/पॉलिसीधारकों को देय राशि Sum due to the insured / policyholders on maturity or otherwise	1,03.75	-	-	-	-	-	-	1,03.75
3	प्रीमियम/कर अथवा कोई अन्य अतिरिक्त वसूली शुल्क जो पॉलिसी की शर्तों अथवा कानून अथवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार पॉलिसीधारकों को वापस लौटना है, परंतु अभी तक लौटाया नहीं गया है Any excess collection of the premium / tax or any other charges which is refundable to the policyholders either as terms of conditions of the policy or as per law or as may be directed by the Authority but not refunded so far	1,38,93.37	9,23.75	11,71.42	5,06.16	17,84.69	3,38.47	32,13.77	59,55.11
4	चेक जारी किए गए परंतु पॉलिसीधारक/बीमाधारकों द्वारा भुनाए नहीं गए हैं । Cheques issued but not encashed by the policyholder/ insured	38,95.84	92.21	4,94.34	1,746.88	48.89	36.63	39.52	14,37.37
	कुल / Total	**1,79,00.30**	**10,15.96**	**16,65.76**	**22,53.04**	**18,33.58**	**3,75.10**	**32,53.29**	**75,03.57**

नोट उपरोक्त मद संख्या 4 के अधीन चेक जारी किए गए हैं परंतु उन्हें भुनाया नहीं गया है, जिसमें केवल वैधता समाप्त जारी चेकों की राशि शामिल है। अन्य जारी किए गए लेकिन गैर समाशोधित चेकों के संबंध में, प्रबंधन की राय है कि पॉलिसीधारक चेक की वैधता तक किसी भी समय चेक भुनाने के लिए कानूनी रूप से पात्र है। तदनुसार ऐसे चेक की राशि को दावा न की गई राशि के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

Note : Cheques issued but not encashed under point no 4 above includes only the amount on account of cheques issued whose validity has expired. In respect of other cheques issued but not cleared, the management is of the opinion that the policyholder is legally entiltled to encash the cheque anytime till the validity of cheque. Accordingly the amount of such cheques need not be classified as unclaimed.

31 मार्च 2016 तक दावा न की गई राशि एवं उस पर निवेश आय का विवरण

Datails of Unclaimed Amounts and Investment thereon as on 31.03.2016

अनुसूची 17 का अनुबंध 3 (B) / Annexure 3 (B) to Schedule 17

(₹ '000)

विवरण / Particulars	31 Mar-16	31 Mar-15
आरंभिक शेष Opening Balance	1,87,04.61	1,81,57.88
जोड़ें: वर्ष के दौरान अंतरित दावा न की गई राशि Add: Amount transferred to Unclaimed Amount during the year	48,69.30	27,09.31
जोड़ें: दावा न की गई राशि के चेक जारी किए गए परंतु पॉलिसीधारकों द्वारा भुनाए नहीं गए हैं। (केवल गतावधि चेक शामिल किए जाने हैं) Add: Cheques issued out of the unclaimed amount but not encashed by the policyholders (To be included only when the cheques are stale)	50.96	-
जोड़ें : निवेश आय Add: Investment Income	3,33.76	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान प्रदत्त राशि Less: Amount paid during the year	**60,58.34**	**21,62.58**
दावा न की राशि का अंतिम शेष Closing Balance of Unclaimed Amount	**1,79,00.30**	**1,87,04.61**
नोट - निवेश आय की 3,33.76 हजार रु की राशि को साधारण प्रभारों में दर्शाया गया है । Note - The amount of Investment Income of Rs. 3,33.76 thousands is disclosed in General Charges		

निम्नलिखित मामलों में पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है :
Figures relating to previous years have been regrouped / reclassified in the following cases

अनुसूची 17 का अनुबंध 4 / Annexure 4 to Schedule 17

(₹ '000)

क्र.सं. / Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year राशि / Amount		विवरण Particulars	पिछले वर्ष / Previous Year राशि / Amount		कारण / Reason
1.	किराया दर व कर Rent, Rates & Taxes	अनु.4 / Sch.4	12,46,16.70	1. किराया दर व कर / Rent, Rates & Taxes	अनु.4 / Sch.4	10,89,87.18	आई आर डी ए आई के दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुपालन में To align with requirement of IRDA guidelines
				2. सेवा कर / Service Tax	अनु.4 / Sch.4	60,02.51	
2.	लेखा परीक्षकों का शुल्क, व्यय आदि Auditors' Fees, Expenses, etc						आई आर डी ए आई के दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुपालन में To align with requirement of IRDA guidelines.
	(क) लेखा परीक्षक के रूप में (a) As Auditor	अनु.4 / Sch. 4	48,27.51	1. लेखा परीक्षकों का शुल्क, व्यय आदि- सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क Auditors' Fees, Expenses, etc- Statutory Audit Fee	अनु.4 / Sch.4	61,49.86	
	(ख) निगम के संबंध में परामर्श द्वारा या अन्य के रूप में (b) As adviser or in any other capacity, in respect of						
	(i) कराधान मामले / Taxation Matters	अनु.4 / Sch. 4	9,27.75	2. कर लेखा परीक्षा शुल्क / Tax Audit Fee	अनु.4 / Sch.4	9,10.57	
	(ii) बीमा मामले / Insurance Matters						
	(iii) प्रबंधन सेवाएँ / Management Service						
	(ग) किसी अन्य सेवा के लिए In any other capacity	अनु.4 / Sch. 4	1,12,89.11	1. अन्य / Others	अनु.4 / Sch.4	4,50.68	
				2. समवर्ती लेखा परीक्षा शुल्क Concurrent Audit Fee	अनु.4 / Sch.4	27,07.03	
				3. परामर्श शुल्क / Consultancy Charges	अनु.4 / Sch.4	65,93.28	
3.	विज्ञापन एवं प्रचार Advertisement and Publicity	अनु.4 / Sch. 4	7,81,68.07	1. विज्ञापन एवं प्रचार Advertisement and Publicity	अनु.4/ Sch. 4	5,09,44.92	आई आर डी ए आई के दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुपालन में To align with requirement of IRDA guidelines.
				2. कारोबार संवर्धन व्यय Business Promotion Expenses	अनु.4/ Sch. 4	1,33,28.35	

निम्नलिखित मामलों में पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है :
Figures relating to previous years have been regrouped / reclassified in the following cases

अनुसूची 17 का अनुबंध 4 / Annexure 4 to Schedule 17

(₹ '000)

क्र.सं. / Sr. No.	विवरण Particulars	वर्तमान वर्ष / Current Year		विवरण Particulars	पिछले वर्ष / Previous Year		कारण / Reason
		राशि / Amount			राशि / Amount		
4.	अन्य विविध व्यय एवं अन्य व्यय Others - Miscellaneous Expenses and Other Expenses	अनु.4 / Sch. 4	15,12,99.76	1. विविध व्यय Miscellaneous Expenses	अनु.4/ Sch. 4	2,45,88.48	
				2. हैसियत जांच व्यय Status Enquiry Expenses	अनु.4/ Sch. 4	4,29,51.68	
				3. बर्न यूनियन व्यय Berne Union Expenses	अनु.4/ Sch. 4	7,68.32	
				4. सदस्यता एवं अन्य शुल्क Membership and other fees	अनु.4/ Sch. 4	1,74,14.49	
				5. बिजली प्रभार Electricity Charges	अनु.4/ Sch. 4	2,76,02.16	
				6. गारंटी शुल्क- एन ई आई ए Guarantee Fee - NEIA	अनु.4/ Sch. 4	16,43.80	आई आर डी ए आई के दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुपालन में To align with requirement of IRDAI guidelines.
				7. बीमा प्रीमियम Insurance Premium	अनु.4/ Sch. 4	25,32.22	
				8. बट्टे खाते में डालने एवं संपत्ति(शुद्ध) की बिक्री से हानि Loss on Sale of Asset (Net) & Assets written off	अनु.4/ Sch. 4	23,58.63	
				9. विनिमय घटबढ़ हानि / लाभ (शुद्ध) Exchange Fluctuation Loss/ Profit (Net)	अनु.4/ Sch. 4	-	
				10. अचल सम्पत्तियों की अनर्जक हानि Impairment Loss of Fixed Assets	अनु.4/ Sch. 4	-	
				11. निवेशों के लिए परिचालन व्यय Operating Expenses towards Investments	अनु.4/ Sch. 4	1,56,15.68	
5.	कर के प्रावधान के अंतर्गत संपत्ति कर Wealth Tax under Provision for Tax	लाभ व हानि / P&L	11,85.21	1. संपत्ति कर Wealth Tax	अनु.4/ Sch. 4	76,32.91	कर मदों के प्रबंधन के अनुपालन में To align with the treatment of Tax items.
6.	'बकाया दावे' मद मे से घटाए गए Deducted from Line item 'Claim Outstanding'	अनु.13 / Sch. 13	11,18,47.51	1. अधिमानित/अदा किए गए दावों की वसूली के लिए प्रावधान Provision for Recovery of Claims Preferred/ Paid	अनु.12/ Sch. 12	7,39,45.69	आई आर डी ए आई के दिशानिर्देशों की आवश्यकता के अनुपालन में To align with requirement of IRDAI guidelines.

ईसीजीसी लिमिटेड / ECGC Ltd.

(पूर्व में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड)

(formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd.)

सी आई एन: यू74999एम एच1957जी ओ आई010918 / CIN: U74999MH1957GOI010918

31 मार्च, 2016 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियाँ व भुगतान लेखा/ (नकद प्रवाह) विवरण
Receipts & Payments Account / (Cash Flow Statement) for the year ended 31st March, 2016

(₹ ‘000)

क्र सं Sr. No.		विवरण / Particulars	2015-16	2014-15
क A		**परिचालन क्रियाकलापों से नकद प्रवाह CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
	1	अग्रिम प्राप्तियों सहित पॉलिसीधारकों से प्राप्त प्रीमियम Premium received from Policyholder including Advance Receipts	1328,69,60.80	1373,35,70.43
	2	अन्य प्राप्तियाँ/वसूलियाँ/शुल्क Other Receipts / Recoveries / Fees	117,28,83.35	163,56,35.18
	3	पुनर्बीमाकर्ताओं के भुगतान- कमीशन व दावों को घटा कर Payments to Reinsurers Net of Commission and Claims	(227,97,44.13)	(105,97,69.50)
	4	दावों की अदायगी Payments of Claims	(1119,84,10.33)	(593,12,02.56)
	5	कमीशन व ब्रोकरेज की अदायगी Payments of Commission & Brokerage	(2,82,76.86)	(2,29,28.88)
	6	अन्य परिचालन व्ययों की अदायगी Payments of Other Operating Expenses	(171,93,26.90)	(137,37,54.31)
	7	जमा, अग्रिम व स्टाफ ऋण Deposits, Advances & Staff Loan	8,84,27.06	(3,47,53.07)
	8	अदा किया गया आयकर (निवल) Income Tax Paid (Net)	(82,88,38.89)	(141,50,82.20)
	9	अदा किया गया सेवा कर (निवल) Service Tax Paid	(,46,29.80)	(1,81,49.13)
	10	अन्य अदायगियाँ/ संग्रहण(शुद्ध) Other Payments/Collection (Net)	25,44,47.73	(5,28,85.93)
	11	**असाधारण मदों के पूर्व नकद प्रवाह Cash Flow before extra ordinary items**	**(125,65,07.98)**	**546,06,80.03**
	12	**असाधारण परिचालन के पूर्व नकद प्रवाह Cash Flow from extra ordinary operations**	-	-
	13	**परिचालन क्रियाकलापों से शुद्ध नकद प्रवाह Net Cash Flow from Operating Activities**	**(125,65,07.98)**	**546,06,80.03**

(₹ '000)

क्र सं Sr. No.		विवरण / Particulars	2015-16	2014-15
ख B		**निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह** **CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
	1	अचल संपत्तियों की खरीद (कार्यशील पूंजी सहित) Purchase of Fixed Assets (Including working capital)	(15,97,08.92)	(25,99,92.21)
	2	अचल संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आय Proceeds from Sale of Fixed Assets	30,43,10.22	24,30.05
	3	निवेश की खरीद Purchase of Investments	(5115,79,29.50)	(1789,61,77.58)
	4	निवेशों की बिक्री Sale of Investments	7032,35,02.59	3503,49,12.16
	5	प्राप्त किराया/ब्याज/ लाभांश Rent / Interest / Dividends Received	559,79,50.79	506,62,96.61
	6	मुद्रा बाजार के संसाधनों एवं नकद म्यूचुअल फंडों में निवेश Investments in Money Market Instruments and in Liquid Mutual Funds	(2934,89,56.60)	(2725,11,65.98)
	7	निवेशों से संबंधित व्यय Expenses related to Investments	(1,05,72.32)	(106,53.28)
	8	**निवेश क्रियाकलापों से शुद्ध नकद प्रवाह (ख)** **Net Cash Flow from Investing Activities (B)**	**(445,14,03.75)**	**(531,43,50.23)**
ग C		**वित्तीय क्रियाकलापों से नकद प्रवाह** **CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**		
	1	शेयर पूंजी जारी करने से आय Proceeds from issuance of Share Capital	100,00,00.00	100,00,00.00
	2	ब्याज/प्रदत्त लाभांश Interest / Dividend paid	(48,00,00.00)	(880,000.00)
	3	लाभांश वितरण कर Dividend Distribution Tax	(9,82,78.42)	(14,95,56.00)
	4	**वित्तीय क्रियाकलापों से शुद्ध नकद प्रवाह (ग)** **Net Cash Flow from Financing Activities (C)**	**42,17,21.58**	**(2,95,56.00)**
घ D		**नकद और नकद समकक्ष पर विदेशी विनिमय दरों का प्रभाव, शुद्ध (घ)** **The impact of foreign exchange rates on cash and cash equivalents, net (d)**	**(1,32.01)**	**12,44.61**
		शुद्ध नकद प्रवाह (क+ख+ग+घ) **Net cash flow (A + B + C + D)**	**(528,63,22.15)**	**11,80,18.42**
ङ. E		**नकद व नकद समकक्ष में शुद्ध वृद्धि** **Net increase in cash and cash equivalents**		
	1	-- वर्ष के आरंभ में - Beginning of the year	986,12,91.84	974,32,73.42

क्र सं Sr. No.	विवरण / Particulars	2015-16	2014-15
2	-- वर्ष के अंत में - At the end of the year	457,49,69.69	986,12,91.84
	नकदी व नकद समकक्ष में परिवर्तन **Changes in cash and cash equivalents**	**(528,63,22.15)**	**11,80,18.42**

(गीता मुरलीधर)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(GEETHA MURALIDHAR)
Chairman-cum-Managing Director

(डॉ गुरुप्रसाद मोहपात्र)
निदेशक
(DR. GURUPRASAD MOHAPATRA)
Director

(डॉ. सौरभ गर्ग)
निदेशक
(DR. SAURABH GARG)
Director

(एस सी रल्हन)
निदेशक
(S C RALHAN)
Director

(एम सेंथिलनाथन)
कार्यपालक निदेशक
(M SENTHILNATHAN)
Executive Director

(सी एन ए अन्बरसन)
मुख्य वित्तीय अधिकारी
(C N A ANBARASAN)
Chief Financial Officer

(स्मिता पंडित)
कंपनी सचिव
(SMITA PANDIT)
Company Secretary

सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
Even the date of our report

कृते आर एस वी ए एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या. 110504 डब्ल्यू
For RSVA & CO.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 110504W

(शेखर एम. कुलकर्णी)
भागीदार - एम.सं. 046285
(SHEKHAR M. KULKARNI)
Partner - M. No.046285

कृते बंशी जैन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
फ़र्म पंजीकरण संख्या : 100990 डब्ल्यू
For BANSHI JAIN & ASSOCIATES
Chartered Accountants
Firm Registration No. 100990W

(अनुज बी गोलेचा)
भागीदार - एम.सं 117617
(ANUJ B. GOLECHA)
Partner - M.No. 117617

स्थान : नई दिल्ली
Place : New Delhi
दिनांक : 18 मई 2016
Dated : 18th May, 2016

वित्तीय विवरणों पर प्रमाण पत्र

Certificate on Financial Statements
वित्तीय विवरणों पर प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि निदेशक मण्डल के समक्ष अपनाने व अनुमोदन हेतु प्रस्तुत 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के वित्तीय विवरणों में गलत अथवा भ्रामक विवरण अथवा आंकड़े शामिल नहीं हैं तथा न ही किसी ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ा अथवा छिपाया गया है जिससे इसमें शामिल विवरण अथवा आंकड़े भ्रामक साबित हो सकते हैं।

(सी एन ए अन्बरसन)
प्रमुख वित्त अधिकारी

(गीता मुरलीधर)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 मई 2016

This is to certify that the financial statements of the company for the year ended 31st March, 2016 placed before the Board of Directors for adoption and approval do not contain any false or misleading statements or figures and do not omit any material fact which may make the statements or figures contained therein misleading.

(C N A ANBARASAN)
Chief Financial Officer

(GEETHA MURALIDHAR)
Chairman-cum-Managing Director

Place : New Delhi
Date : 18th May, 2016

प्रबंधन रिपोर्ट

Management Report

बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा बीमा कंपनियों की लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) विनियमन 2002 की अनुसूची ‘ ख’ के भाग IV की आवश्यकता अनुसार।

1. हम पुष्टि करते हैं कि बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया पंजीकरण वर्ष के दौरान वैध है। उसे वर्ष 2015-16 के लिए नवीकृत किया गया है।
2. हम पुष्टि करते हैं कि सांविधिक प्राधिकारियों को अदा किए जाने योग्य सभी देयों की अदायगी की जा चुकी है / प्रावधान किया जा चुका है।
3. हम पुष्टि करते हैं कि शेयरधारण स्वरूप तथा शेयरों का अंतरण, सांविधिक व विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप है।
4. हम पुष्टि करते हैं कि भारत में जारी पॉलिसीयों के धारकों की निधियों का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भारत के बाहर निवेश नहीं किया गया है।
5. हम पुष्टि करते हैं कि शोधन क्षमता को बनाए रखा गया है।
6. हम प्रमाणित करते हैं कि तुलन पत्र की तारीख को सभी परिसंपत्तियों के मूल्य की समीक्षा की गयी है तथा हमारे सर्वोत्तम जानकारी व विश्वास से तुलन पत्र में विविध शीर्षों - “ ऋणों”, “निवेशों”, “विविध देनदारों”, “ नकद” तथा “ चालू परिसंपत्तियों “ के अधीन विनिर्दिष्ट अनेक मदों के अधीन दर्शाई गयी परिसंपत्तियों की औसत राशि वसूली योग्य अथवा बाज़ार मूल्य से अधिक नहीं है।
7. वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के दिनांक 20.04.2009 के पत्र के जरिये निगम की विस्तारित अधिकतम देयता ` 100000,00,00 हज़ार की तुलना में कंपनी का समग्र जोखिम `79553,83,00 हजार है । कंपनी की जोखिम अनावरण की सीमा, साधारण बीमा कंपनियों के लिए इस संबंध में आई आर डी ए आई द्वारा अनुबद्ध संबन्धित सीमाओं के भीतर है।
8. हमारी कोई विदेशी परिचालन नहीं हैं। संपर्क कार्य के लिए लंदन, यू के में हमारा प्रतिनिधि कार्यालय खोला गया था, जिसे दिनांक 16 जुलाई 2015 से बंद कर दिया गया है।
9. पिछले पाँच वर्षों के दौरान अवधि वार बकाया दावे निम्नानुसार है :

MANAGEMENT REPORT AS REQUIRED IN PART IV OF SCHEDULE ‘B’ OF INSURANCE REGULATORY & DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA (PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS AND AUDITOR’S REPORT INSURANCE COMPANIES) REGULATION 2002.

1. We confirm that the registration granted by the Insurance Regulatory & Development Authority is valid during the year. The same was renewed for the year 2015-16.
2. We confirm that all dues payable to the statutory authorities have been duly paid / provided for.
3. We confirm that the shareholding pattern and transfer of shares are in accordance with statutory and regulatory requirements.
4. We confirm that the funds of the holders of policies issued in India have not been directly or indirectly invested outside India.
5. We confirm that required solvency margins have been maintained.
6. We certify that the value of all the assets have been reviewed on the date of the Balance Sheet and in the best of our belief the assets set forth in Balance Sheet are shown in the aggregate amounts not exceeding their realisable or market value under several headings – “Loans’, ‘Investments’, ‘Sundry Debtors’, ‘Cash’, and the several items specified under ‘Current Assets’.
7. The overall exposure of the Company is ` 79553,83,00 thousands against the enhanced Maximum Liability of ₹ 100000,00,00 thousands by Ministry of Commerce & Industry vide letter dated 20.04.2009. Risk exposure of the Company is well within the relevant limits stipulated by IRDAI in this regard for general insurance companies.
8. We do not have any overseas operations. We had a Representative office in London, UK and it was closed w.e.f. 16th July, 2015.
9. Ageing of claims outstanding during the preceding five years is as per details below:

वित्त वर्ष 31.03.2016 तक, वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान लंबित दावे निम्नानुसार हैं

(₹ '000)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि
30 दिन	50	180,12,92.63	95	37,66,14.72	145	217,79,07.35
30 दिन से 6 माह	89	560,05,67.61	105	55,84,43.64	194	615,90,11.25
6 माहसे 1 वर्ष	63	573,63,62.36	27	30,29,66.74	90	603,93,29.10
1 वर्ष से 5 वर्ष	27	178,98,69.62	-	-	27	178,98,69.62
5 वर्ष व उससे अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	**229**	**1492,80,92.22**	**227**	**123,80,25.10**	**456**	**1616,61,17.32**

वित्त वर्ष 31.03.2015 , वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान लंबित दावे निम्नानुसार हैं

(₹ '000)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि
30 दिन	52	357,06,15.68	72	28,42,63.63	124	385,48,79.31
30 दिन से 6 माह	82	853,41,71.27	81	48,80,42.10	163	902,22,13.37
6 माहसे 1 वर्ष	21	239,93,95.10	5	3,63,80.25	26	243,57,75.35
1 वर्ष से 5 वर्ष	3	74,09,81.73	-	-	3	74,09,81.73
5 वर्ष व उससे अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	**158**	**1524,51,63.78**	**158**	**80,86,85.98**	**316**	**1605,38,49.76**

वित्त वर्ष 2013 -14 दिनांक 31.03.2014 तक लंबित दावे

(₹ '000)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि
30 दिन	103	375,94,79.24	77	49,55,05.46	180	425,49,84.70
30 दिन से 6 माह	82	468,07,31.51	100	44,67,88.32	182	512,75,19.83
6 माहसे 1 वर्ष	7	72,36,90.23	12	6,43,09.17	19	78,79,99.40
1 वर्ष से 5 वर्ष	-	-	2	3,97,34.57	2	3,97,34.57
5 वर्ष व उससे अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	**192**	**916,39,00.98**	**191**	**104,63,37.52**	**383**	**1021,02,38.50**

वित्त वर्ष 2012 -13, दिनांक 31.03.2013 तक लंबित दावे

(₹ '000)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि
30 दिन	60	481,23,31.70	108	75,82,88.94	168	557,06,20.64
30 दिन से 6 माह	67	460,70,29.67	68	32,23,25.20	135	492,93,54.87
6 माहसे 1 वर्ष	7	31,86,74.55	10	152,18,20.48	17	184,04,95.03
1 वर्ष से 5 वर्ष	-	-	-	-	-	-
5 वर्ष व उससे अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	**134**	**973,80,35.92**	**186**	**260,24,34.62**	**320**	**1234,04,70.54**

Claims Pending as on 31/03/2016, Financial Year 2015-16

(₹ '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	50	180,12,92.63	95	37,66,14.72	145	217,79,07.35
30 Days to 6 Months	89	560,05,67.61	105	55,84,43.64	194	615,90,11.25
6 Months to 1 Year	63	573,63,62.36	27	30,29,66.74	90	603,93,29.10
1 year to 5 years	27	178,98,69.62	-	-	27	178,98,69.62
5 years & above	-	-	-	-	-	-
Total	**229**	**1492,80,92.22**	**227**	**123,80,25.10**	**456**	**1616,61,17.32**

Claims Pending as on 31/03/2015, Financial Year 2014-15

(₹ '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	52	357,06,15.68	72	28,42,63.63	124	385,48,79.31
30 Days to 6 Months	82	853,41,71.27	81	48,80,42.10	163	902,22,13.37
6 Months to 1 Year	21	239,93,95.10	5	3,63,80.25	26	243,57,75.35
1 year to 5 years	3	74,09,81.73	-	-	3	74,09,81.73
5 years & above	-	-	-	-	-	-
Total	**158**	**1524,51,63.78**	**158**	**80,86,85.98**	**316**	**1605,38,49.76**

Claims Pending as on 31/03/2014, Financial Year 2013-14

(₹ '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	103	375,94,79.24	77	49,55,05.46	180	425,49,84.70
30 Days to 6 Months	82	468,07,31.51	100	44,67,88.32	182	512,75,19.83
6 Months to 1 Year	7	72,36,90.23	12	6,43,09.17	19	78,79,99.40
1 year to 5 years	-	-	2	3,97,34.57	2	3,97,34.57
5 years & above	-	-	-	-	-	-
Total	**192**	**916,39,00.98**	**191**	**104,63,37.52**	**383**	**1021,02,38.50**

Claims Pending as on 31/03/2013, Financial Year 2012-13

(₹ '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	60	481,23,31.70	108	75,82,88.94	168	557,06,20.64
30 Days to 6 Months	67	460,70,29.67	68	32,23,25.20	135	492,93,54.87
6 Months to 1 Year	7	31,86,74.55	10	152,18,20.48	17	184,04,95.03
1 year to 5 years	-	-	-	-	-	-
5 years & above	-	-	-	-	-	-
Total	**134**	**973,80,35.92**	**186**	**260,24,34.62**	**320**	**1234,04,70.54**

वित्त वर्ष 2011 -12 दिनांक 31.03.2012 तक लंबित दावे

(₹ '000)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि
30 दिन	110	388,73,88.25	76	34,71,20.02	186	423,45,08.27
30 दिन से 6 माह	62	270,40,92.04	65	84,05,95.53	127	354,46,87.57
6 माहसे 1 वर्ष	6	80,19,37.09	7	4,32,12.69	13	84,51,49.78
1 वर्ष से 5 वर्ष	-	-	-	-	-	-
5 वर्ष व उससे अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	**178**	**739,34,17.38**	**148**	**123,09,28.24**	**326**	**862,43,45.62**

10. पिछले पाँच वर्षों के दौरान औसत दावा निपटान समय की प्रवृत्ति दर्शाते हुए दावों का अवधिवार विवरण :

वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान दावा निपटान का अवधिवार विवरण

(₹ '000)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि
30 दिन	13	12,41,53.59	131	25,93,28.47	144	38,34,82.06
30 दिन से 6 माह	74	100,81,44.12	271	71,54,77.82	345	172,36,21.94
6 माहसे 1 वर्ष	40	616,63,66.62	36	29,83,56.45	76	646,47,23.07
1 वर्ष से 5 वर्ष	14	265,65,80.20	-	-	14	265,65,80.20
5 वर्ष व उससे अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	**141**	**995,52,44.53**	**438**	**127,31,62.74**	**579**	**1122,84,07.27**

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान दावा निपटान का अवधिवार विवरण

(₹ '000)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि
30 दिन	23	18,85,19.57	93	14,34,72.69	116	33,19,92.26
30 दिन से 6 माह	110	171,00,79.24	268	103,92,55.39	378	274,93,34.63
6 माहसे 1 वर्ष	36	224,82,02.90	12	8,71,16.99	48	233,53,19.89
1 वर्ष से 5 वर्ष	3	48,16,64.90	-		3	48,16,64.90
5 वर्ष व उससे अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	**172**	**462,84,66.61**	**373**	**126,98,45.07**	**545**	**589,83,11.68**

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान दावा निपटान का अवधिवार विवरण

(₹ '000)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि
30 दिन	52	24,31,30.17	157	23,90,01.39	209	48,21,31.56
30 दिन से 6 माह	104	480,51,56.02	211	77,23,78.49	315	557,75,34.51
6 माहसे 1 वर्ष	19	134,71,64.92	13	8,15,34.63	32	142,86,99.55
1 वर्ष से 5 वर्ष	-	-	2	148,65,43.11	2	148,65,43.11
5 वर्ष व उससे अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	**175**	**639,54,51.11**	**383**	**257,94,57.62**	**558**	**897,49,08.73**

Claims Pending as on 31/03/2012, Financial Year 2011-12

(₹ '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	110	388,73,88.25	76	34,71,20.02	186	423,45,08.27
30 Days to 6 Months	62	270,40,92.04	65	84,05,95.53	127	354,46,87.57
6 Months to 1 Year	6	80,19,37.09	7	4,32,12.69	13	84,51,49.78
1 year to 5 years	-	-	-	-	-	-
5 years & above	-	-	-	-	-	-
Total	**178**	**739,34,17.38**	**148**	**123,09,28.24**	**326**	**862,43,45.62**

10. Ageing of claims indicating the trend in average claims settlement time during the preceding five years is as per details below :

Ageing of Claim settlement during Financial Year 2015-16

(₹ '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	13	12,41,53.59	131	25,93,28.47	144	38,34,82.06
30 Days to 6 Months	74	100,81,44.12	271	71,54,77.82	345	172,36,21.94
6 Months to 1 Year	40	616,63,66.62	36	29,83,56.45	76	646,47,23.07
1 year to 5 years	14	265,65,80.20	-	-	14	265,65,80.20
5 years & above	-	-	-	-	-	-
Total	**141**	**995,52,44.53**	**438**	**127,31,62.74**	**579**	**1122,84,07.27**

Ageing of Claim settlement during Financial Year 2014-15

(₹ '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	23	18,85,19.57	93	14,34,72.69	116	33,19,92.26
30 Days to 6 Months	110	171,00,79.24	268	103,92,55.39	378	274,93,34.63
6 Months to 1 Year	36	224,82,02.90	12	8,71,16.99	48	233,53,19.89
1 year to 5 years	3	48,16,64.90	-		3	48,16,64.90
5 years & above	-	-	-	-	-	-
Total	**172**	**462,84,66.61**	**373**	**126,98,45.07**	**545**	**589,83,11.68**

Ageing of Claim settlement during Financial Year 2013-14

(₹ '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	52	24,31,30.17	157	23,90,01.39	209	48,21,31.56
30 Days to 6 Months	104	480,51,56.02	211	77,23,78.49	315	557,75,34.51
6 Months to 1 Year	19	134,71,64.92	13	8,15,34.63	32	142,86,99.55
1 year to 5 years	-	-	2	148,65,43.11	2	148,65,43.11
5 years & above	-	-	-	-	-	-
Total	**175**	**639,54,51.11**	**383**	**257,94,57.62**	**558**	**897,49,08.73**

वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान दावा निपटान का अवधिवार विवरण

(₹ '000)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि
30 दिन	47	29,53,84.00	219	29,42,66.70	266	58,96,50.70
30 दिन से 6 माह	135	251,78,10.54	246	74,36,73.77	381	326,14,84.31
6 माहसे 1 वर्ष	15	153,48,84.96	12	9,90,21.58	27	163,39,06.54
1 वर्ष से 5 वर्ष	-	-	-	-	-	-
5 वर्ष व उससे अधिक	-	-	-	-	-	-
कुल	**197**	**434,80,79.50**	**477**	**113,69,62.05**	**674**	**548,50,41.55**

वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान दावा निपटान का अवधिवार

(₹ '000)

अवधि	ई सी आई बी		पॉलिसी		कुल	
	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि	सं	शामिल राशि
30 दिन	64	36,01,56.99	297	38,45,50.06	361	74,47,07.05
30 दिन से 6 माह	151	434,93,81.69	194	48,41,09.18	345	483,34,90.87
6 माहसे 1 वर्ष	22	155,04,33.52	1	5,06.23	23	155,09,39.75
1 वर्ष से 5 वर्ष	-	-	8	3,98.72	8	3,98.72
5 वर्ष व उससे अधिक	-	-	1	7,86.31	1	7,86.31
कुल	**237**	**625,99,72.20**	**501**	**87,03,50.50**	**738**	**713,03,22.70**

11. हम प्रमाणित करते हैं कि निवेशों का मूल्यांकन भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

12. सभी निवेश आस्तियों की आवधिक समीक्षा की गई तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार कोई भी अनर्जक परिसंपत्ति नहीं है।

13. हम एतदद्वारा पुष्टि करते हैं कि :

    क) वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू लेखा मानक, सिद्धांतों तथा नीतियों का अनुपालन किया गया है।

    ख) प्रबंधन ने लेखा नीतियों को अपनाया है तथा उन्हें नियमित रूप से लागू किया है, वित्त वर्ष के अंत तक कंपनी मामलों तथा वर्ष के लिए कंपनी के परिचालन लाभ तथा निवल लाभ की सही व निष्पक्ष स्थिति दर्शाने हेतु आई आर डी ए आई विनियमों तथा किए गए निर्णयों तथा उचित तथा दूरदर्शी अनुमानों के अनुसार किए गए संशोधनों के अलावा कोई अन्य संशोधन नहीं किए गए हैं।

    ग) प्रबंधन ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखे व अन्य अनियमितताओं को रोकने व उनकी पहचान हेतु बीमा अधिनियम 1938 (1938 के 4) तथा कंपनी अधिनियम 2013 के लागू प्रावधानों के

Ageing of Claim settlement during Financial Year 2012-13

(₹ '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	47	29,53,84.00	219	29,42,66.70	266	58,96,50.70
30 Days to 6 Months	135	251,78,10.54	246	74,36,73.77	381	326,14,84.31
6 Months to 1 Year	15	153,48,84.96	12	9,90,21.58	27	163,39,06.54
1 year to 5 years	-	-	-	-	-	-
5 years & above	-	-	-	-	-	-
Total	**197**	**434,80,79.50**	**477**	**113,69,62.05**	**674**	**548,50,41.55**

Ageing of Claim settlement during Financial Year 2011-12

(₹ '000)

Period	ECIB		Policy		Total	
	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved	No.	Amount Involved
30 Days	64	36,01,56.99	297	38,45,50.06	361	74,47,07.05
30 Days to 6 Months	151	434,93,81.69	194	48,41,09.18	345	483,34,90.87
6 Months to 1 Year	22	155,04,33.52	1	5,06.23	23	155,09,39.75
1 year to 5 years	-	-	8	3,98.72	8	3,98.72
5 years & above	-	-	1	7,86.31	1	7,86.31
Total	**237**	**625,99,72.20**	**501**	**87,03,50.50**	**738**	**713,03,22.70**

11. We certify that the Investments have been valued according to the guidelines issued by Insurance Regulatory and Development Authority of India.

12. All Investment assets are reviewed periodically and we confirm that there are no non-performing assets as per Reserve Bank of India Prudential Norms.

13. We hereby confirm:

    a. That in preparation of financial statements, the applicable accounting standards, principles and policies has been followed.

    b. That the management has adopted accounting policies and applied them consistently, apart from changes made as per IRDAI Regulations, and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of the financial year and of the operating profit and net profit of the Company for the year.

    c. That the management has taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the applicable provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) and Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the Company and

अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड रखने के लिए उचित व पर्याप्त सावधानी बरती है ।

घ) प्रबंधन ने लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए है।

ङ) प्रबंधन ने सुनिश्चित किया है कि आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली वर्तमान व परिचालित कारोबार के आकार तथा प्रकृति के अनुरूप है ।

14. कारोबार के सामान्य तौर पर किए जाने वाले संव्यवहारों के अलावा किसी भी व्यक्तिगत फ़र्म, कंपनियाँ तथा संगठनों जिसमें कंपनी के निदेशकों का हित निहित है, को किसी प्रकार की अदायगी नहीं की गयी है।

कृते ईसीजीसी लिमिटेड (पूर्व में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड)

for preventing and detecting fraud and other irregularities.

d. That the management has prepared the financial statements on a going concern basis.

e. That the management has ensured that the internal audit system commensurate with the size and nature of business exists and is operating effectively.

14. There are no payments made to individual firms, companies and organizations in which Directors of the Company are interested except the transactions carried out in the ordinary course of business.

For ECGC Ltd. (formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Limited)

(गीता मुरलीधर)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(GEETHA MURALIDHAR)
Chairman cum Managing Director

(डॉ गुरुप्रसाद मोहपात्रा)
निदेशक
(DR. GURUPRASAD MOHAPATRA)
Director

(डॉ सौरभ गर्ग)
निदेशक
(DR. SAURABH GARG)
Director

(एस सी रल्हन)
निदेशक
(S C RALHAN)
Director

(एम सेंथिलनाथन)
कार्यपालक निदेशक
(M SENTHILNATHAN)
Executive Director

स्थान : नई दिल्ली
Place : New Delhi
दिनांक : 18th मई, 2016
Date : 18th May, 2016

लेखापरीक्षकों की टिप्पणियाँ
Auditors' Comment

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

आर एस वी ए एंड कं
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
ब्लॉक नं 1,3 री मंज़िल
खैतान चेंबर्स
143-145 मोदी स्ट्रीट
फोर्ट, मुंबई - 400001

बंशी जैन एंड एसोशियटेस
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
405, इंपीरियल प्लाज़ा
डॉ के बी हेड्गेवार मार्ग
अमरसन्स के सामने
ऑफ लिंकिंग रोड
बांद्रा (पश्चिम)
मुंबई - 400050

प्रति,
ईसीजीसी लिमिटेड के सदस्य,
(पूर्व में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड),

1. वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट :

हमने , ईसीजीसी लिमिटेड (पूर्व में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड) (कंपनी) के इसके साथ संलग्न , दिनांक 31 मार्च 2016 तक के, उसमें उल्लिखित तारीख को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों , जिसमें तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ व हानि खाता, नकद प्रवाह विवरण (प्राप्तियाँ तथा भुगतान खाता) आदि शामिल हैं, तथा उल्लेखनीय लेखा नीतियों तथा अन्य व्याख्यात्मक जानकारी, जिसमें भारत स्थित अट्ठावन शाखाओं , जिसमें सत्तावन शाखाओं की लेखा परीक्षा नियुक्त शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गयी है , तथा प्रधान कार्यालय में दर्ज किए गए लंदन प्रतिनिधि कार्यालय के वित्तीय संव्यवहारों की लेखा परीक्षा की है।

तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ व हानि खाता, नकद प्रवाह विवरण (प्राप्तियाँ तथा भुगतान खाता) को बीमा अधिनियम, 1938, भारतीय बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई) (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरणों तथा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को तैयार करना) विनियमन 2002 , कंपनी अधिनियम 2013 (" अधिनियम तथा विनियमन), अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित लेखा मानक तथा भारत में सामान्य तौर पर मान्य अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया गया है।

2. वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का दायित्व :

बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999, भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए आई) (बीमा कंपनियों

Independent Auditors' Report

RSVA & Co.,
Chartered Accountants
Block 1, 3rd Floor,
Khaitan Chambers,
143-145 Modi Street,
Fort, Mumbai - 400 001

Banshi Jain & Associates
Chartered Accountants
405, Imperial Plaza,
Dr.K. B. Hedgewar Marg,
Opp. Amarsons,
Off Linking Road,
Bandra (West),
Mumbai – 400 050

To,
The Members of ECGC Limited,
(Formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Limited),

1. Report on the Financial Statements:

We have audited the accompanying financial statements of ECGC Limited (Formerly Export Credit Guarantee Corporation of India Limited) ("the Company"), which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2016, the Revenue Account, the Profit and Loss Account, the Cash Flow Statement (Receipts and Payments Account) for the year then ended and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information which includes the returns of fifty eight branches situated in India out of which fifty seven branches are audited by the appointed branch auditors and the financial transactions in respect of London representative office is recorded at Head Office.

The Balance Sheet, the Revenue Account, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement (Receipts and Payments Account) have been drawn up in accordance with provisions contained in the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999, the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDAI) (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, the Companies Act, 2013 ("the Act and Regulation"), Accounting Standards notified under the Act and other accounting principles generally accepted in India.

2. Management's Responsibility for the Financial Statements:

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the

के वित्तीय विवरणों तथा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को तैयार करना) विनियमन 2002 , कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े जाने वाले , अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा मानकों सहित,भारत में सामान्य तौर पर मान्य अन्य लेखा सिद्घांतों के अनुसरण में तैयार इन वित्तीय विवरणों, जो कि कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, तथा नकद प्रवाह (प्राप्तियाँ तथा वसूलिया) की सही व निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करता है, की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए कंपनी का निदेशक मण्डल जिम्मेदार है। इस ज़िम्मेदारी में, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में , कंपनी की परिसंपतियों की सुरक्षा , तथा धोखों तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पहचानने , उचित लेखा नीतियों के चयन तथा प्रयोग करने, उचित तथा विवेक पूर्ण निर्णय तथा अनुमान करने, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूप रेखा बनाने , उन्हें कार्यान्वित करने तथा उनके रखरखाव करने के लिए ताकि वित्तीय विवरणों की तैयारी व प्रस्तुतीकरण के लिए प्रासंगिक तथा सही व निष्पक्ष चित्र प्रस्तुत करने वाले व धोखे अथवा चूक के फलस्वरूप महत्वपूर्ण गलत विवरण से मुक्त लेखा रिकॉर्डो की सटीकता व पूर्णता को सुनिश्चित किया जा सके , पर्याप्त लेखा रिकॉर्डो का रखरखाव भी शामिल है।

3. लेखा परीक्षकों की ज़िम्मेदारी :

हमारी ज़िम्मेदारी, हमारी लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करना है।

हमने अधिनियमों तथा विनियमों के प्रावधानों, लेखा तथा लेखा परीक्षा मानकों तथा अधिनियमों व विनियमों के प्रावधानों व उनके अधीन बने नियमों के अधीन लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने योग्य मामलों का ध्यान रखा है।

हमने , अधिनियम की धारा 143(10)के अधीन विनिर्दिष्ट अनुसार लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के अधीन अनिवार्य है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें तथा यह आश्वासन कि वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण गलत विवरणों से मुक्त हैं , प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना बना कर लेखा परीक्षा पूरी करें।

लेखा परीक्षा में, राशियों से संबन्धित लेखा परीक्षा सबूत प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं का निष्पादन तथा वित्तीय विवरणों का प्रकटन शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं , धोखे अथवा गलती से वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरणों के जोखिम मूल्यांकन सहित , लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं। जोखिम मूल्यांकन करते समय लेखा परीक्षक, कंपनी के सही व निष्पक्ष वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु आवश्यक संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को ध्यान में रखता है ताकि परिस्थितियों के अनुकूल लेखा परीक्षक प्रक्रियाओं की रूप रेखा तैयार किया जा सके जिसका उद्देश्य कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियांतरन प्रणाली तथा इस प्रकार के नियंत्रणों की परिचालन

Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows (Receipts and Payments Account) of the Company in accordance with the provisions contained in the Insurance Act, 1938, the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, the Companies Act, 2013, the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of these Acts for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

3. Auditors' Responsibility:

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of the Acts and Regulations, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Acts and the Rules made thereunder.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

प्रभावपूर्णता पर अपनी राय प्रकट करना नहीं है ।

लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों को तैयार करने में उपयोग की गयी लेखा नीतियों की उचितता का मूल्यांकन तथा कंपनी के निदेशकों द्वारा किए गए लेखा अनुमानों की तर्कसंगतता व साथ ही साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रकटन का मूल्यांकन शामिल है।

हमें विश्वास है कि वित्तीय विवरणों पर हमारी लेखा परीक्षा राय के आधार लिए हमने पर्याप्त तथा उचित लेखा परीक्षा सबूत प्राप्त कर लिया है।

4. राय

हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्कृष्ट जानकारी में तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार अधिनियमों तथा विनियमों, लेखा नीतियों के साथ पढे जाने वाले अधिनियम के अधीन अधिसूचित लेखा मानकों तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धांतों की अनुरूपता में सही व निष्पक्ष राय प्रदान करने वाली टिप्पणियों की आवश्यकताओं के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं :

i. तुलन पत्र के मामले में कंपनी के दिनांक 31 मार्च 2016 तक के विवरण ;

ii. राजस्व खाता मामले में उस तारीख को समाप्त वित्त वर्ष के लिए अधिशेष

iii. लाभ व हानि खाता मामले में उस तारीख को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लाभ तथा

iv. नकद प्रवाह विवरण (प्राप्तियाँ व भुगतान खाता) के मामले में उस तारीख को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ तथा भुगतान

5. मामले का विश्लेषण

हम आपका ध्यान निम्न की ओर आकर्षित करना चाहेंगे :

क. अनुसूची 17 के नोट सं 3, रु 650.76 हज़ार (पिछले वर्ष रु 650.76 हज़ार) तक के मूल्य की परिसम्पत्तियों के संबंध में जहां उचित प्राधिकारियों के साथ पंजीकरण औपचारिकताएँ पूरी नहीं की गई हैं तथा रु 57,743.90 हज़ार (पिछले वर्ष रु 57,651 हज़ार) मूल्य की परिसंपत्तियों जहां करार की प्रतियाँ खो गई हैं / वर्तमान में निगम के पास उपलब्ध नहीं हैं, हालांकि कंपनी के पास वर्तमान शेयर प्रमाणपत्र उपलब्ध हैं जिससे यह साबित होता है कि कंपनी के पास संबन्धित परिसंपत्तियों का वैधानिक स्वामित्व है, से संबन्धित है।

ख. 31 मार्च 2016 तक दावे उत्पन्न हुए परंतु रिपोर्ट नहीं किए गए (आई बी एन आर) तथा दावे उत्पन्न हुए परंतु पर्याप्त रिपोर्ट नहीं किए गए (आई बी

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors and experts as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

4. Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Acts and Regulation, Accounting Standards notified under the Act, read with the accounting policies and notes thereon give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

i. in the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2016;

ii. in the case of Revenue account, of the Surplus for the financial year ended on that date;

iii. in the case of Profit and Loss Account, of the Profit for the financial year ended on that date; and

iv. in the case of Cash Flow Statement (Receipts and Payments Account), of the receipts and payments during the financial year ended on that date.

5. Emphasis of Matter

We draw attention to the following:

a. Note no. 3 to Schedule 17 regarding properties costing Rs. 650.76 thousands (previous year

एन ई आर) के संबंध में देयताओं का बीमांकिक मूल्यांकन को कंपनी के नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रमाणित किया गया है तथा हमें उस पर विश्वास है। नियुक्त बीमांकक ने यह भी प्रमाणित किया है कि आई आर डी ए तथा आई आर डी ए आई की सहमति से भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों तथा मानदंडों के अनुसरण में इस प्रकार के मूल्यांकनों के लिए अनुमानों पर विचार किया है।

ग. अनुसूची 17 के नोट सं 14, विविध देनदारों तथा विविध लेनदारों व जमाओं , अन्य देयताओं, ऋणों, अग्रीमों तथा वसूली योग्य राशि सहित अन्य आस्तियों तथा बीमाकृत के व्यक्तिगत बही शेषों, न्यूनतम प्रीमियम खाता, जमा प्रीमियम खाता तथा पुनर्बीमा खातों सहित विविध जमाओं से संबन्धित है।

घ. अनुसूची 17 के नोट सं 6.2, वेतन संशोधन से संबन्धित है, कंपनी ने अनुमान के आधार पर वेतन संशोधन के कारण कर्मचारियों को देय भुगतान के कारण उत्पन्न वृद्धिशील देयता के रूप में रु 14,84,38.26 हज़ार का प्रावधान किया है जिसमें से रु 3,99,87.00 हज़ार दिनांक 01.08.2012 से 31.03.2015 तक की अवधि से संबन्धित है। तुलन पत्र की तारीख को तारीख को इस प्रावधान पर वाणिज्य मंत्रालय की अनुमति नहीं थी।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं है।

6. अन्य मामले

हमने, कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल सत्तावन शाखाओं, जिनकी वित्तीय विवरणों / जानकारी, 31 मार्च 2016 तक के कुल रु . 2177,06,83.95 की कुल परिसंपत्तियों तथा उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए रु 903,49,64.18 के कुल राजस्व (निवल प्रीमियम) में परिलक्षित होती है व जिन्हें वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है , के वित्तीय विवरण/ वित्तीय जानकारी की लेखा परीक्षा नहीं की है । छप्पन शाखाओं के वित्तीय विवरण / जानकारी की लेखा परीक्षा शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा की गयी है जिनकी रिपोर्टों को प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किया गया है तथा हमारी राय में इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों तथा प्रकटनों के संबंध में यह पूर्ण रूप से शाखाओं के लेखा परीक्षकों के की रिपोर्ट पर आधारित है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में किसी भी प्रकार का

Rs. 650.76 thousands) where registration formalities with appropriate authorities have not been completed and properties costing Rs.57,743.90 thousands (previous year Rs. 57,651.06 thousands), where agreements are lost/presently not available with the Company, though the Company is in possession of original share certificates which vests the Company with legal ownership of the properties;

b. The actuarial valuation of liabilities in respect of claims Incurred But Not Reported (IBNR) and those Incurred But Not Enough Reported (IBNER) as at March 31, 2016 has been duly certified by the Appointed Actuary of the Company and relied upon by us. The Appointed Actuary has also certified that the assumptions considered by her for such valuation are in accordance with the guidelines and norms prescribed by the IRDAI and the Institute of Actuaries of India in concurrence with the IRDAI;

c. Note no. 14 to Schedule 17 regarding pending reconciliation of and consequential adjustment of certain balances under Sundry Debtors, Sundry Creditors and deposits, Other liabilities, Loans, Advances and other Assets including amount recoverable and Sundry Deposits including personal ledger balances of insured, minimum premium account, deposit premium account and reinsurance accounts;

d. Note 6.2 to Schedule 17 regarding wage revision, the Company has made a provision of Rs. 14,84,38.26 thousands towards incremental liability on account of payments to employees due to wage revision on estimate basis out of which Rs. 3,99,87.00 thousands pertains to the period 01.08.2012 to 31.03.2015. This provision is not supported by approval of Ministry of Commerce as on date of Balance Sheet.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

6. Other Matter

We did not audit the financial statements/ information of fifty seven branches included in the financial statements of the Company whose financial

संशोधन नहीं है।

7 अन्य कानूनी तथा विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

7.1 अधिनियम की धारा 143(3) की आवश्यकता के अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमने , हमारी सर्वोत्तम जानकरी व विश्वास के अनुसार , हमारे लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक पूरी जानकारी व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं ।

ख. हमारी राय में, बहियों की हमारी जांच से पाया गया है कि कंपनी द्वारा कानूनी रूप से आवश्यक उचित लेखा बहियों का रखरखाव किया गया है तथा हमारी द्वारा जिन शाखाओं का दौरा नहीं किया गया था उन शाखाओं से हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य के लिए पर्याप्त विवरण प्राप्त किए गए हैं।

ग. शाखा के लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143 (8) के अधीन लेखापरीक्षित कंपनी के सत्तावन शाखा कार्यालयों के लेखों पर रिपोर्ट हमें भेजी गयी है तथा हमारे द्वारा यह रिपोर्ट बनाते समय उसका उचित ध्यान रखा गया है।

घ. इस रिपोर्ट में शामिल तुलन पत्र, राजस्व खाता, लाभ व हानि खाता तथा नकद प्रवाह विवरण (प्राप्तियाँ व भुगतान खाता) शाखाओं से प्राप्त लेखा बहियों तथा प्राप्तियों के अनुरूप हैं जिन शाखाओं का हमारे द्वारा दौरा नहीं किया गया है।

ङ. हमारी राय में उक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियमों 2014 के नियम 7 के साथ पढे जाने वाले अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्धिष्ट लेखा मानकों के अनुपालन में हैं।

च. हमारी राय में उक्त मद सं 5 के (क) से (ङ) में विवारित मुद्दों का कंपनी के कार्यप्रणाली पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो चिंता का विषय हो।

छ. दिनांक 31.03.2016 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रत्यावेदनों के आधार पर , निदेशक मण्डल द्वारा 31 मार्च 2016 तक ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है , कि अधिनियम की धारा 164(2) की शर्तों में किसी भी निदेशक की निदेशक के रूप में नियुक्ति को अयोग्य सिद्ध किया गया हो।

ज. हमारी राय में कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त तथ्यात्मक तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली लागू की है तथा दिनांक 31.03.2016 को इस संबंध में कंपनी द्वारा स्थापित मानदंडों के आधार

statements / financial information reflect total assets of Rs. 2177,06,83.95 thousands as at 31st March, 2016 and total revenues (Net Premium) of Rs. 903,49,64.18 thousands for the year ended on that date, as considered in the financial statements. The financial statements/ information of fifty seven branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us by the Management and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these branches is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of these matters.

7. Report on other Legal and Regulatory Requirements:

7.1 As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:

(a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.

(b) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the branches not visited by us.

(c) the reports on the accounts of the fifty seven branch offices of the Company audited under Section 143 (8) of the Act by branch auditors have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report.

(d) the balance sheet, the statement of profit and loss and the cash flow statement (Receipts and Payments Account) dealt with by this Report are in agreement with the books of account and returns received from the branches not visited by us.

(e) in our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

(f) in our opinion matters covered in point 5 (a) to (e) will not have adverse effect on the functioning of the Company as a Going

पर इस प्रकार के नियंत्रण प्रभावपूर्ण ढंग से परिचालन में थे।

झ. कंपनी (लेखा परीक्षा तथा लेखापरीक्षकों) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसरण में , लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने योग्य अन्य मामलों के संबंध में , हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी राय में :

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों (वित्तीय विवरणों की अनुसूची 17 के मद सं 25 (ख) का संदर्भ लें) में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव को प्रकट किया है;

ii. हमारी राय तथा जानकारी एवं हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी द्वारा किए गए दीर्घावधिक करारों (ठेकों) के कारण कोई भावी महत्वपूर्ण हानियों की संभावना नहीं है।

iii. हमारी राय तथा जानकारी एवं हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने इससे पूर्व सभी लाभांशों को घोषित कर उसकी अदायगी की है तथा अतः कंपनी को निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा निधि में किसी प्रकार की राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

7.2 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अधीन रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अधीन निर्देश

क्रसं	निर्देश	उत्तर
1	कंपनी के पास पूर्ण स्वामित्व तथा पट्टे के लिए क्रमशः स्पष्ट हक / पट्टा विलेख उपलब्ध हैं/ यदि नहीं तो कृपया उस क्षेत्र का उल्लेख करें जिसके लिए पूर्ण हक तथा पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं हैं।	हाँ, कंपनी के पास पूर्ण स्वामित्व तथा पट्टे के लिए स्पष्ट हक / पट्टा विलेख उपलब्ध हैं।
2	क्या उधार / ऋण / ब्याज आदि की छूट / बट्टे पर डाले जाने के कोई मामले हैं? यदि हाँ तो उनके कारण तथा शामिल राशि को दर्शाएँ।	जैसा कि विभागों / शाखाओं द्वारा सूचित किए अनुसार कंपनी द्वारा इस प्रकार के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं की गयी है।

Concern.

(g) on the basis of the written representations received from the directors as on 31st March, 2016 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31st March, 2016 from being appointed as a director in terms of Section 164(2) of the Act.

(h) in our opinion, the company has, in all material respects, an adequate internal financial control system over financial reporting and such controls were operating effectively as at March 31, 2016, based on the criteria established by the company for the purpose.

(i) with respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

i. The Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements – Refer point no. 25 of schedule 17 to the financial statements;

ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.

iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

7.2 Report u/s 143(5) of Companies Act, 2013.

DIRECTIONS UNDER SECTION 143 (5) OF THE COMPANIES ACT, 2013

Sr. No.	Directions	Answer
1	Whether the Company has clear title/lease deeds for free-hold and leasehold respectively? If not please state the area of freehold and lease hold land for which title/lease deeds are not available?	Yes, the Company has clear title/lease deeds for freehold and leasehold Land.

3	क्या तीसरी पार्टी के पास मौजूद माल तथा सरकार अथवा अन्य प्राधिकारियों से उपहार के रूप में प्राप्त लिए कोई सही रिकॉर्ड रहा गया है?	विभागों / शाखाओं द्वारा दी गयी सूचना अनुसार कंपनी के पास इस प्रकार की कोई संपत्ति नहीं है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अधीन उप निर्देश

क्र सं	उप निर्देश	उत्तर
1	भौतिक / डीमेट रूप में उपलब्ध सी जी एस / एस जी एस / बॉंड्स / डिबेंचर्स आदि के संबंध में स्वामित्वों की संख्या तथा इनमें से उन मामलों की संख्या जो कंपनी के लेखा बहियों में दर्शाई राशि से मेल नहीं खाता हो, का सत्यापन किया जाये तथा यदि कोई विसंगति पायी जाये तो उसे रिपोर्ट किया जाये।	सी जी एस / एस जी एस / बॉंड्स / डिबेंचर्स में सभी निवेश आर बी आई एस जी एल खाते में किए गए हैं तथा उनका रिकोर्डो के साथ सत्यापन किया गया है तथा किसी प्रकार की विसंगति नहीं पायी गयी है। सी जी एस की दो प्रतिभूतियों को माध्यमिक बाज़ार परिचालन तथा सी बी एल ओ परिचलनों के लिए सी सी आई एल के पास रखा गया है, जिसके लिए हमने आवश्यक प्रमाणपत्र भी प्राप्त किए हैं। सी जी एस की एक प्रतिभूति को बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अधीन जमा के रूप में केनरा बैंक में रखा गया है। बॉन्डों / डिबेंचरों को हमारे संरक्षक एस एच सी आई एल के पास डीमेट रूप में रखा गया है। सभी प्रतिभूतियों को अंतर्निहित अभिलेखों के साथ सत्यापित किया गया है तथा किसी प्रकार की विसंगति नहीं पायी गयी है।
2	क्या आरंभिक हानि सूचना / अन्तरिम / अंतिम सर्वे रिपोर्ट आदि के आधार पर बकाया दावों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। यदि नहीं तो कुल राशि दर्शाएँ	हाँ, निगम द्वारा निर्धारित नीति / परिपत्रों के अनुसार सभी बकाया दावों के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं।

2	Whether there are any cases of waiver/ write off of debts/ loans/interest etc., if yes, the reasons there for and the amount involved.	As informed by the Departments/Branches, no such cases are reported by the Company.
3	Whether proper records are maintained for inventories lying with third parties and assets received as gift/grant(s) from Govt. or other authorities?	As informed by the Departments/Branches, the Company has no such assets

SUB DIRECTIONS UNDER SECTION 143 (5) OF THE COMPANIES ACT, 2013

Sl. No.	SUB-DIRECTONS	ANSWER
1	Number of titles of ownership in respect of CGS/SGS/Bonds/ Debentures etc. available in physical/ DEMAT form and out of these number of cases which are not in agreement with the respective amounts shown in the Company's books of accounts may be verified and discrepancy found may be suitably reported.	All the investments in CGS/ SGS are held with RBISGL Account and have been verified with records and no discrepancies have been found. Two Securities of CGS have been kept with CCIL for secondary market operations and CBLO operations, for which we have obtained the necessary certificates. Bonds / Debentures are held in DEMAT account with the custodians SHCIL. All securities have been verified with the underlying records and no discrepancies have been found.
2	Whether adequate provisions have been made for outstanding claims, on the basis of amounts estimated in preliminary loss advices/interim/final survey reports etc. If not, state the total amount.	Yes, adequate provisions have been made for all outstanding claims as per policy/circulars laid down by the company.

3	क्या कर्मचारी देयताओं जैसे पेंशन निधि, छुट्टियों का नकदीकरण, उपदान, आदि के लिए प्रावधान करने का आश्वासन दिया गया है तथा तथा आई बी एन आर व आई बी एन ई आर दावों के लिए किए गए प्रावधान बीमांकक के मूल्यांकन अनुसार हैं। क्या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा बीमांकक को सही व पूर्ण आंकड़े प्रदान किए गए हैं तथा बीमांकिक द्वारा , छूट दर, मुद्रास्फीति दर आदि के अनुमानों के लिए अपनाए गए मानदंड उचित हैं?	(क) कर्मचारियों के मामले में i. बीमांकिक द्वारा कर्मचारियों से संबन्धित सभी आवश्यक मामलों के आंकड़े मा सं वि विभाग से सत्यापित करवाने के उपरांत उसे सौंपे गए। ii. पेंशन निधि, छुट्टी का नकदीकरण, उपदान आदि के लिए प्रावधान का आई सी ए आई द्वारा जारी ए एस - 15 मानक के आधार पर बीमांकिक के परामर्श पर अभिकलित व प्रमाणित किया गया है। (ख) आई बी एन आर व आई बी एन ई आर के मामले में i. बीमांकन विभाग के सत्यापन के पश्चात नियुक्त बीमांकिक द्वारा मांगे गए सभी आवश्यक आंकड़े उन्हें प्रदान किए गए। ii. नियुक्त बीमांकक द्वारा आई बी एन आर व आई बी एन ई आर दावे प्रारक्षणों को अभिकलित व प्रमाणित किया गया। iii. नियुक्त बीमांकक प्रमाणित करता है कि आई बी एन आर दावा प्रारक्षण अनुमान अभिकलन तकनीक, भारतीय बीमांकिक संस्थान द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा भारतीय बीमा विनियमन व विकास प्राधिकरण के संगत विनियमों के अनुरूप है।
4	क्या कंपनी ने सौंपे गए कारोबार के पुनर्बीमा के संबंध में पुनर्बीमाकर्ताओं को समय पर प्राथमिक हानि सूचना तथा दावा हानि की सूचना दी गयी? यदि नहीं तो इस प्रकार के कितने मामले हैं तथा इसमें शामिल राशि को दर्शाएँ। इसी प्रकार, आवक कारोबार पुनर्बीमा के संबंध में यह भी सुनिश्चित किया गया कि कंपनी के लेखा बहियों में पर्याप्त प्रावधानों करते समय लेखों को अंतिम रूप देने की तारीख तक प्राप्त पूरी जानकारी / सभी सूचनाओं का पूरा ध्यान रखा गया है।	क. हाँ। कंपनी ने पुनर्बीमाकर्ताओं को समय पर हानि सूचना तथा दावा हानि सूचना प्रस्तुत किया है। ख. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी द्वारा किसी प्रकार का आवक पुनर्बीमा स्वीकार नहीं किया गया है।

3	Whether there is an assurance that provision for employees liabilities such as pension fund, leave encashment, gratuity etc. and provision for IBNR and IBNER claims are as per actuarial valuation. Whether accurate and complete data was provided by the PSU to the Actuary and the benchmark used by Actuary for assumptions such as discount rate, inflation rate etc. were appropriate.	a) In case of Employees i. All the requisite data in relation to employees after verification and validation of the same by HRD are provided to Independent Actuary. ii. Provision for pension fund, Leave encashment, gratuity etc. are computed and certified by Independent Actuary based on AS -15 issued by ICAI. b) In case of IBNR and IBNER i. All the requisite data after verification and validation of the same by Actuarial department are provided to Appointed Actuary as sought by her. ii. Provision for IBNR and IBNER Claims Reserve estimate are computed and certified by Appointed Actuary. iii. Appointed Actuary certifies that IBNR claim reserve estimate computation techniques conforms to the guidance issued by the Institute of Actuaries of India and relevant regulations of the Insurance Regulatory and Development Authority of India.
4	Whether the Company has given preliminary loss advices and claim loss advices in time to the reinsurers in respect of reinsurance ceded business? If not, the number of such cases and amount involved may be specified. Similarly in respect of reinsurance inward business, it has also to be ensured that all information/ advices received upto the date of finalization have been considered for adequate provisions in the books of the Company.	a) Yes, the Company has given preliminary loss advices and claim loss advices in time to the reinsurers in respect of reinsurance ceded business. b) During the period under audit no inward reinsurance is accepted by the Company.

7.3 Matters required to be dealt with as prescribed by the Schedule C, Regulation 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of financial statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 to the extent not reported elsewhere:

a. the accounting policies adopted by the Company are appropriate and are in compliance with the applicable Accounting Standards specified

7.3 उन मामलों जिनकी अन्यत्र रिपोर्टिंग नहीं हुई है, पर, बीमा विनियम व विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) विनियमन, 2002 की अनुसूची ग, विनियम 3 में निर्धारित अनुसार कार्यवाही आवश्यक है ;

क. निगम द्वारा अपनाई गयी लेखा नीतियाँ उचित हैं तथा इस संबंध में कंपनी (लेखा)नियम 2014 के साथ पढे जाने वाले अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लागू लेखा मानकों तथा आई आर डी ए आई द्वारा निर्धारित विनियमों आदेशों / निर्देशों के जरिये निर्धारित लेखा मानकों के अनुपालन में है;

ख. हमने , वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न, शाखा स्तर पर की गयी इस प्रकार की समीक्षा के संबंध में शाखा के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित प्रबंधन रिपोर्ट की समीक्षा की है तथा वित्तीय विवरणों में कोई स्पष्ट गलतियाँ अथवा महत्वपूर्ण विसंगतियाँ नहीं पायी गईं।

ग. निगम के प्रबंधन द्वारा दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार निगम द्वारा बीमा अधिनियम 1938 की धारा 3 की उप धारा 4, में निर्दिष्ट पंजीकरण के निबंधन व शर्तों पूरा अनुपालन किया गया है।

घ. हमने (सिवाय उन शाखाओं के जहां लेखा परीक्षा , संबन्धित शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गयी है तथा शाखा प्रबन्धकों द्वारा अलेखा परीक्षित शाखाओं के मामले) वास्तविक निरीक्षण, अथवा प्रमाण पत्रों की प्रस्तुति अथवा अन्य दस्तावेजी सबूत , सिवाय उन प्रतिभूतियों के जो बैंक के कब्जे में हैं व जिसके लिए पुष्टीकरण प्राप्त हो चुका है से संबन्धित नकद शेषों तथा प्रतिभूतियों का सत्यापन किया है ;

ङ. हमें प्रदान की गयी सर्वोत्तम जानकारी तथा स्पष्टीकरण तथा निगम द्वारा किए गए प्रतिवेदन के अनुसार , निगम किसी न्यास का न्यासी नहीं है; तथा

च. निगम ने पिछले तुलन पत्र के अनुसार मदों की प्रकृति के आधार पर शेयरधारकों की निधियों तथा पॉलिसीधारकों की निधियों में अलग अलग वर्गीकृत किया है तथा तदनुसार आय को राजस्व खाते तथा लाभ व हानि खाते में वर्गीकृत किया गया है। यद्यपि निगम द्वारा बीमा अधिनियम 1938 की धारा 11(1ख) की शर्तों में शेयरधाकों तथा पॉलिसीधारकों से संबन्धित कोई अलग खाता नहीं रखा गया है तथा शाखाओं में इस प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं है, अतः उपलब्ध रिकॉर्डों से

under Section 133 of the Act, read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014 and with the accounting principles prescribed by the Regulations and orders/directions prescribed by IRDA in this regard;

b. we have reviewed the management report attached to the financial statements, based on the reports of branch auditors regarding such review at branch level, and there is no apparent mistakes or material inconsistencies with the financial statements;

c. As per the explanation given by the management the Company has complied with the terms and conditions of registration as laid down in sub section 4 of section 3 of the Insurance Act, 1938;

d. We have verified the cash balances (except of the branches where audits were conducted by the concerned branch auditors and the cash balances were verified by the concerned auditors and in case of unaudited branches by the branch managers) and securities relating to the loans and investments made by the company by actual inspection or by production of certificates or the other documentary evidences except securities held by the bank for which confirmations have been received;

e. To the best of the information and explanation given to us and as per the representation made by the Company , the Company is not a trustee of any trust; and

f. The Company has bifurcated shareholders' funds and policyholders' funds based on the nature of items as per the last Balance Sheet and accordingly the income has been segregated in Revenue Account and Profit and Loss Account. Since no separate accounts relating to shareholders and policyholders have been maintained in terms of Section 11(1B) of the Insurance Act, 1938 and since such information is not available at the branches, the application of the funds is therefore not verifiable from the available records. Based on the verification of the books of the account and based on the information

निधियों के अनुप्रयोग का सत्यापन नहीं किया गया है। लेखा बहियों के सत्यापन तथा जानकारी व हमें दिये गए स्पष्टीकरण तथा उपलब्ध रिकॉर्डों की समीक्षा के आधार पर हमें ऐसे कोई मामला नहीं मिला है जहां पॉलिसीधारकों की निधियों की संपत्ति का, पॉलिसीधारकों की निधियों के अनुप्रयोग तथा निवेश के संबंध में बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया हो।

कृते आर एस वी ए एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटंट्स
फर्म पंजीकरण
सं 110504डब्ल्यू

कृते बंशी जैन एंड असोशियटेस
चार्टर्ड एकाउंटंट्स
फर्म पंजीकरण
सं . 100990 डब्ल्यू

एस एम कुलकर्णी
भागीदार
सदस्यता
सं 046285

अनुज बी गोलेचा
भागीदार
सदस्यता
सं 117617

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 18 मई, 2016

and explanation given to us and on a review of the available records, we have not come across with the cases where any part of the assets of the policyholders' funds have been directly or indirectly applied in contravention of the provisions of the Insurance Act, 1938 relating to the application and investments of the policyholders funds.

For RSVA & Co.,
Chartered Accountants
Firm Registration
No. 110504W

For Banshi Jain & Associates
Chartered Accountants
Firm Registration
No. 100990W

S.M. Kulkarni
Partner
Membership
No. 046285

Anuj B. Golecha
Partner
Membership
No. 117617

Place : New Delhi
Date : 18th May, 2016

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ
Comments of CAG

31 मार्च 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए ईसीजीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन भारतीय नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

31 मार्च 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए, बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणों तथा बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तैयारी) विनियम 2002 के साथ पढे जाने वाले बीमा अधिनियम 1938 तथा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार ईसीजीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन का दायित्व हैं। अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारतीय नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित , अधिनियम की धरण 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह, उनके द्वारा दी गयी लेखा परीक्षा रिपोर्ट दिनांक 18 मई 2016 द्वारा किया गया है।

मैंने, भारतीय नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा (6) (क) के अधीन दिनांक 31 मार्च 2016 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए ईसीजीसी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। अनुपूरक लेखा परीक्षा मुख्य रूप से, सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्यपत्रों को देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गयी है तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों की पूछताछ तथा कुछ लेखा रिकोर्डों की चयनात्मक जांच के आधार पर की गयी है। मेरे लेखा परीक्षा के आधार पर मेरे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है जिसके आधार पर कोई टिप्पणी की जा सके अथवा सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर कोई परिशिष्ठ संलग्न किया जाये।

कृते भारतीय नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक की ओर से

(रूप राशि)
प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा परीक्षा तथा पदेन सदस्य
लेखा परीक्षा बोर्ड- I, मुंबई

स्थान : मुंबई

दिनांक : 21 जुलाई 2016

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF ECGC LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2016

The Presentation of financial statements of ECGC Limited for the year ended 31 March 2016 in accordance with the financial Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 06 May 2016.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) of the Act of the financial statements of ECGC Limited for the year ended 31 March 2016. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report.

For and on the behalf of the
Comproller and Auditor General of India

(Roop Rashi)
Principal Director of Commercial Audit and
ex-officio Member, Audit Board-I, Mumbai

Place : Mumbai

Date : 21 July 2016

सेवा तंत्र

Service Network

पता / Address	टेली / Tel.	ई मेल / E-mail
पंजीकृत कार्यालय **REGISTERED OFFICE** एक्स्प्रेस टावर्स , 10 वीं मंज़िल, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021 Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021	(022) 66590500 / 0510	webmaster@ecgc.in
राष्ट्रीय विपणन प्रभाग **MARKETING & PR DEPT** निर्मल, 5वीं मंज़िल, 241/242, बक्बे रेकलमेशन नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021 Nirmal, 5th Floor, 241/242, Backbay Reclamation, Nariman Point, Mumbai - 400 021	(022) 66590700 - 709	marketing@ecgc.in
परियोजना निर्यात शाखा **PROJECT EXPORT BRANCH** दी मेट्रोपॉलिटन, 7 वीं मंज़िल, प्लॉट नं सी 26/27, "ई" ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू) मुंबई 400 051 The Metropolitan, 7th Floor, Plot No. C-26/27, "E" Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051	(022) 6144 8110 / 8181	projectexport@ecgc.in
बड़े निर्यातक शाखा, मुंबई **LARGE EXPORTERS BRANCH, MUMBAI** दलामल हाउस, 2 री मंज़िल जमनालाल बजाज मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021 Dalamal House, 2nd Floor, J.B. Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021	(022) 6613 8800-12	leb.mumbai@ecgc.in
बैंक कारोबार शाखा मुंबई **BANK BUSINESS BRANCH, MUMBAI** दलामल हाउस, 3 री मंज़िल जमनालाल बजाज मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021 Dalamal House, 3rd Floor, J.B. Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021	(022) 6613 8600-24	bbb.mumbai@ecgc.in
पश्चिम क्षेत्र / WESTERN REGION		
बांद्रा ल व म नि **BANDRA SME BRANCH** दी मेट्रोपॉलिटन, 7 वीं मंज़िल, प्लॉट नं सी 26/27, "ई" ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू) मुंबई 400 051 The Metropolitan, 7th Floor, Plot No.C-26/27, ``E`` Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051	(022) 6144 8110 / 8181	bandra.mumbai@ecgc.in
बांद्रा बैंक कारोबार शाखा **BANDRA BANK BUSINESS BRANCH** दी मेट्रोपॉलिटन, 7 वीं मंज़िल, प्लॉट नं सी 26/27, " ई" ब्लॉक, , बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू) मुंबई 400 051 The Metropolitan, 7th Floor, Plot No.C-26/27, ``E`` Block, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051	(022) 6144 8181 / 8110	bbb.bandra@ecgc.in
अंधेरी शाखा **ANDHERI BRANCH** 401, टाउन सेंटर, मित्तल इंडस्ट्रियल इस्टेट के आगे, मरोल, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व) मुंबई 400 059 401, Town Centre, Next to Mittal Indl. Estate, Marol, Andheri - Kurla Road, Andheri (East), Mumbai - 400 059	(022) 28593856 / 7614	andheri.mumbai@ecgc.in
चर्चगेट शाखा **CHURCHGATE BRANCH** दलामल हाउस, 2री मंज़िल जमनालाल बजाज मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई- 400 021 2nd Floor, Dalamal House, Jamnalal Bajaj Marg, Nariman Point, Mumbai - 400 021	(022) 22822214 / 2265 / 22832027	churchgate.mumbai@ecgc.in

पता / Address	टेली / Tel.	ई मेल / E-mail
ठाणे शाखा **THANE BRANCH** कुसुमांजलि, पहली मंज़िल, गोखले रोड, नौपाडा, ठाणे - 400 602 Kusumanjali, 1st Floor, Gokhale Road, Naupada, Thane - 400 602	(022) 2534 7807/6623/6607	thane@ecgc.in
अहमदाबाद निर्यातक शाखा **AHMEDABAD EXPORTER BRANCH** नगीनदास चैंबर्स, पहली मंज़िल, उसमानपुरा, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380 014 Nagindas Chambers, 1st Floor, Usmanpura, Ashram Road, Ahmedabad - 380 014	(079) 2754 4499 / 2925 / 0054	ahmedabad@ecgc.in
अहमदाबाद बैंक कारोबार शाखा **AHMEDABAD BANK BUSINESS BRANCH** नगीनदास चैंबर्स, पहली मंज़िल, उसमानपुरा, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380 014 Nagindas Chambers, 1st Floor, Usmanpura, Ashram Road, Ahmedabad - 380 014	(079) 2754 4499 / 2925 / 0054	bbb.ahmedabad@ecgc.in
पुणे शाखा **PUNE BRANCH** वास्तु चैंबर्स, पहली मंज़िल, 1202 /39 शिरोले रोड, शिवाजी नगर, पुणे - 411 004 Vastu Chambers, 1st Floor, 1202/39, Shirole Road, Shivaji Nagar, Pune - 411 004	(020) 25531998 / 25512871	pune@ecgc.in
इंदौर शाखा **INDORE BRANCH** 408, 4थी मंज़िल, सिटी सेंटर, 570 एम जी रोड , इंदौर - 452 001 408, 4th Floor, Citi Centre, 570, M. G. Road, Indore - 452 001	(0731) 2544 215 / 2532 129	indore@ecgc.in
राजकोट शाखा **RAJKOT BRANCH** निर्मल, 2 री मंज़िल, रामकृष्ण नगर कॉर्नर, स्वामी विवेकानंद मार्ग, म्युनिसिपल कमिश्नर के बंगले के सामने,राजकोट- 360 001 Nirmal - 2nd Floor, Ramkrishna Nagar Corner, Swami Vivekanand Marg, Opp. Municipal Commissioner's Bungalow, Rajkot - 360 001	(0281) 2465162	rajkot@ecgc.in
वडोदरा शाखा **VADODARA BRANCH** 504, कॉन्कोर्ड, 6 थी मंज़िल, आर सी दत्त मार्ग, अलकापुरी, वडोदरा - 390 007 504, Concord, 6th Floor, R.C. Dutt Road, Alkapuri, Vadodara - 390 007	(0265) 2354 728 / 2341615	vadodara@ecgc.in
नागपूर शाखा **NAGPUR BRANCH** प्लॉट नं 317 (66) 2 री मंज़िल, एम जी हाउस के पास, आर एन टैगोर मार्ग, सिविल लाइंस , नागपूर - 440 001 Plot No.317 (66), 2nd Floor, Ravindra Nath Tagore Marg, Opp. Gupta House, Beside M.G. House, Civil Lines, Nagpur - 440 001	(0712) 6558503/ 2550504	nagpur@ecgc.in
सूरत शाखा **SURAT BRANCH** 503, 21 सेंचुरी बिजनेस सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास, रिंग रोड , सूरत - 395 002 503, 21st Century Biz. Centre, Next to World Trade Centre, Ring Road, Surat - 395 002	(0261) 6530488 / 2364074	surat@ecgc.in

पता / Address	टेली / Tel.	ई मेल / E-mail
पूर्वी क्षेत्र / EASTERN REGION		
पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय / EASTERN REGIONAL OFFICE ए सी मार्केट कॉम्प्लेक्स, 9 वीं मंज़िल, 1 शेक्सपियर सरानी, कोलकाता - 700 071 AC Market Complex, 9th Floor, 1, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071	(033) 22820963 - 66	ero@ecgc.in
कोलकाता निर्यातक शाखा **KOLKATA EXPORTERS BRANCH** ए सी मार्केट कॉम्प्लेक्स, 9 वीं मंज़िल, 1 शेक्सपियर सरानी, कोलकाता - 700 071 AC Market Complex, 9th Floor, 1, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071	(033) 22820963 - 66	kolkata@ecgc.in
कोलकाता बैंक कारोबार शाखा **KOLKATA BANK BUSINESS BRANCH** ए सी मार्केट कॉम्प्लेक्स, 9 वीं मंज़िल, 1 शेक्सपियर सरानी, कोलकाता - 700 071 AC Market Complex, 9th Floor, 1, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071	(033) 22820963 - 66	bbb.kolkata@ecgc.in
वाराणसी शाखा **VARANASI BRANCH** पी सी एफ प्लाज़ा, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, 3 री मंज़िल, यूनिट नं 1, नादेसर वाराणसी - 221 002 PCF Plaza, Commercial Complex, 3rd Floor, Unit No.1, Nadesar, Varanasi - 221 002	(0542) 2507864 / 2502534	varanasi@ecgc.in
भुवनेश्वर शाखा **BHUBANESHWAR BRANCH** प्लॉट नं 611 3 री मंज़िल, शहीद नगर, भूबनेश्वर - 751 007 Plot No. 611, 3rd Floor, Sahid Nagar, Bhubaneshwar - 751 007	(0674) 2547772	bhubaneshwar@ecgc.in
गुवाहाटी उप कार्यालय **GUWAHATI SUB-OFFICE** शर्मा बिल्डिंग, एच पी ब्रह्मचारी रोड, नेपाली मंदिर के पास, पी ओ रहबारी , गुवाहाटी 781 008 Sharma Building, H.P. Bramachari Road, Near Nepali Mandir, P.O. Rehabari, Guwahati - 781 008	(0361) 2635983	guwahati@ecgc.in
दक्षिण क्षेत्र - I / SOUTHERN REGION - I		
दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय - I / SOUTHERN REGIONAL OFFICE- I स्पेन्सर टावर्स , 7 वीं मंज़िल, 770-ए, अन्ना सालै, चेन्नई - 600 002 Spencer Towers, 7th Floor, 770-A, Anna Salai, Chennai - 600 002	(044) 2849 1026-31	sro-I@ecgc.in
चेन्नई निर्यातक शाखा **CHENNAI EXPORTERS BRANCH** स्पेन्सर टावर्स , 7 वीं मंज़िल, 770-ए, अन्ना सालै, चेन्नई - 600 002 Spencer Towers, 7th Floor, 770-A, Anna Salai, Chennai - 600 002	(044) 2849 1026-31	chennai@ecgc.in
चेन्नई बैंक कारोबार शाखा **CHENNAI BANK BUSINESS BRANCH** 3 री मंज़िल, ओवरसीज़ टावर्स, 756 एल माउंट रोड, अन्ना सालै, चेन्नई - 600 002 3rd Floor,Overseas Towers, 756-L, Mount Road, Chennai - 600 002	(044) 4228 4488 - 99	bbb.chennai@ecgc.in
चेन्नई दक्षिण शाखा **CHENNAI South BRANCH** 15, पहली मंजिल, सरयू पार्क, 2री मेन रोड, न्यू कॉलोनी, क्रोंपेट, चेन्नई, 600 044 15, First Floor, Sarayu park, 2nd Main Road, New Colony, Chrompet, Chennai - 600 044	(044) 22414540 / 22415540	chennaisouth@ecgc.in

पता / Address	टेली / Tel.	ई मेल / E-mail
पेरियामेट शाखा **PERIAMET BRANCH** लेदर सेंटर, 3 री मंज़िल, 43/53 राजा मुथईय्या रोड, पेरियामेट, चेन्नई 600 003 Leather Centre, 2nd Floor, 43/53, Raja Muthiah Road, Periamet, Chennai - 600 003	(044) 6521 0006 / 2561 5721	periamet.chennai@ecgc.in
कोयंबटूर शाखा **COIMBATORE BRANCH** चेरन प्लाज़ा, 2 री मंज़िल, 1090 त्रिची रोड , कोयंबटूर - 641 018 Cheran Plaza, 2nd Floor, 1090 Trichy Road, Coimbatore - 641 018	(0422) 2304 775 / 776	coimbatore@ecgc.in
मदुरै शाखा **MADURAI BRANCH** 1 ली मंज़िल, नं 12, कामराज नगर, दूसरी गली, ओ सी पी एम स्कूल रोड, चिन्ना चिक्कीकुलम, मदुरै - 625 002 1st Floor, No. 12, Kamraj Nagar, Second Street, Chinna Chokkikulam, OCPM School Road, Madurai - 625 002	(0452) 2520340 / 2525521	madurai@ecgc.in
सेलम शाखा **SALEM BRANCH** 'शांति प्लाज़ा,' 3 री मंज़िल, 1/5 वृंदावन रोड, फायर लैण्ड्स, पुन्नास्वामी गौंडर, तिरुमना मंडपम, फायर लैण्ड्स, सेलम - 636 004 Shanthi Plaza, 3rd Floor, 1/5, Brindavan Road, Opp.Ponnusamy Gounder Thirumana - Mandapam, Fair Lands, Salem - 636 004	(0427) 2442 275 / 2330 274	salem@ecgc.in
तिरुपुर निर्यातक शाखा **TIRUPUR EXPORTERS BRANCH** 137/2 सी जी कॉम्प्लेक्स, पहली मंज़िल, कुमारन रोड, तिरुपुर - 641 601 137/2, C.G. Complex, 1st Floor, Kumaran Road, Tirupur - 641 601	(0421) 2232998 / 4354	ebb.tirupur@ecgc.in
तिरुपुर बैंक कारोबार शाखा **TIRUPUR BANK BUSINESS BRANCH** 137/2 सी जी कॉम्प्लेक्स, पहली मंज़िल, कुमारन रोड, तिरुपुर - 641 601 137/2, C.G. Complex, 2nd Floor, Kumaran Road, Tirupur - 641 601	(0421) 2232998 / 3444	bbb.tirupur@ecgc.in
तूतीकोरिन शाखा **TUTICORIN BRANCH** 208/4 ए, पहली मंज़िल, वी ई रोड, टूटिकोरिन 628 00 208/4A, 1st Floor, V E Road, Tuticorin - 628 003	(046)12324351 / 52	tuticorin@ecgc.in
करूर शाखा **KARUR BRANCH** 3 री मंज़िल, के वी आर कॉम्प्लेक्स, 80 फीट रोड, संगुथपुरम, करूर - 639 002 3rd Floor, KVR Complex, 80 Feet Road, Sengunthapuram, Karur - 639 002	(04324) 233911 / 231725	karur@ecgc.in
दक्षिण क्षेत्र - II / SOUTHERN REGION - II		
दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय - II **SOUTHERN REGIONAL OFFICE - II** रहेजा टावर्स , 11 वीं मंज़िल, ईस्ट विंग, 26 एम जी रोड, बेंगलूर - 560 001 Raheja Towers, 11th Flr., West Wing, 26, M.G. Road, Bengaluru - 560 001	(080) 25591139	sro-II@ecgc.in

पता / Address	टेली / Tel.	ई मेल / E-mail
बेंगलूर निर्यातक शाखा **BANGALORE EXPORTERS BRANCH** वायूदूत चैम्बर्स , 4 थी मंज़िल,15-16 एम जी रोड, बेंगलूर - 560 001 Vayudooth Chambers, 4th Floor,15-16, M G Road, Bengaluru - 560 001	(080) 25589775 / 25591729	bangalore@ecgc.in
बेंगलूर बैंक कारोबार शाखा **BANGALORE BANK BUSINESS BRANCH** रहेजा टावर्स , 11 वीं मंज़िल, ईस्ट विंग, 26 एम जी रोड, बेंगलूर - 560 001 Raheja Towers, 11th Flr., East Wing, 26, M.G. Road, Bengaluru - 560 001	(080) 25585375/8	bbb.bangalore@ecgc.in
कोची शाखा **KOCHI BRANCH** एच डी एफ सी हाउस, 2 री मंज़िल, रविपुरम जंक्शन, एम जी रोड, एर्णाकुलम, कोची - 682 015 H.D.F.C. House, 2nd Floor, Ravi Puram Junction, M.G. Road, Ernakulam, Kochi - 682 015	(0484) 2359437 / 457	kochi@ecgc.in
कोल्लम शाखा **KOLLAM BRANCH** सेवेन्थ डे चर्च के पास, रेसिडेंसी रोड, कड़पककड़ा कोलम - 691 008 Near Seventh Day Church, Residency Road Kadappakada, Kollam - 691 008	0474-2746715, 2747715, 2748715	kollam@ecgc.in
हैदराबाद निर्यातक शाखा **HYDERABAD EXPORTERS BRANCH** हाका भवन , 2 री मंज़िल, पब्लिक गार्डेन्स के सामने, हैदराबाद 500 004 HACA Bhawan, 2nd Floor, Opp. Public Gardens, Hyderabad - 500 004	0474-2746715, 2747715, 2748715	kollam@ecgc.in
हैदराबाद बैंक कारोबार शाखा **HYDERABAD BANK BUSINESS BRANCH** 6वीं मंज़िल, एल बी भवन, 6-3-550, मेडीनोवा के सामने, एर्रा मंज़िल,सोमाजीगुदा, हैदराबाद, 500 082 6th Floor, L.B. Bhawan, 6-3-550, Opposite Medinova, Erramanzil, Somejiguda, Hyderabad - 500 082	(040) 23296385 / 23296383	bbb.hyderabad@ecgc.in
विशाखापटनम शाखा **VISHAKHAPATNAM BRANCH** शंकर प्लाज़ा, पहली मंज़िल, द्वारकानगर, शंकर मठम के सामने, शंकर मठम रोड, विशाखापटनम - 530 016 Shankar Plaza, 1st Floor, Dwarkanagar, Opp Shankar Matham, Shankar Matham Road, Vishakhapattnam - 530 016	(0891) 2748653	visakhapatnam@ecgc.in
मैंगलौर शाखा **MANGALORE BRANCH** पहली मंज़िल, एक्सेल टावर्स , बंट्स हॉस्टल सर्कल, मेंगलूर - 575003 First Floor, Essel Towers, Bunts Hostel Circle, Mangalore - 575 003	(0824) 2444288 / 89	mangalore@ecgc.in
उत्तरी क्षेत्र / NORTHERN REGION		
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय **NORTHERN REGIONAL OFFICE** मोहनदेव , 6 वीं मंज़िल, टोल्सटोय मार्ग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110 001 Mohan Dev, 6th Floor, Tolstoy Marg, Connaught Place, New Delhi - 110 001	(011) 41529912 / 13	nro@ecgc.in

पता / Address	टेली / Tel.	ई मेल / E-mail
दिल्ली ल व म नि शाखा **DELHI SME BRANCH** एन बी सी सी प्लेस,साउथ टावर , 4थी मंज़िल, प्रगति विहार, भीष्मपितामह मार्ग, नई दिल्ली - 110 003 NBCC Place, South Tower, 4th Floor, Pragati Vihar, Bhishma Pitamah Marg, New Delhi - 110 003	(011) 49284000 / 49284016-4030	metro.newdelhi@ecgc.in
दिल्ली बड़े निर्यातक शाखा **DELHI LARGE EXPORTERS BRANCH** एन बी सी सी प्लेस,साउथ टावर , 4थी मंज़िल, प्रगति विहार, भीष्मपितामह मार्ग, नई दिल्ली - 110 003 NBCC Place, South Tower, 4th Floor, Pragati Vihar, Bhishma Pitamah Marg, New Delhi - 110 003	(011) 4928 4011	leb.newdelhi@ecgc.in
दिल्ली बैंक कारोबार शाखा **DELHI BANK BUSINESS BRANCH** 3री मंज़िल, हंसालय बिल्डिंग, 15 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली - 110 001 3rd Floor, Hansalaya Building, 15, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001	(011) 45333666	bbb.newdelhi@ecgc.in
पश्चिमी दिल्ली शाखा **WEST DELHI BRANCH** 305 - 306, के एल जे टावर (उत्तर), 3री मंजिल, नेताजी सुभाष प्लेस,पीतमपुरा, नई दिल्ली - 110 034 305 - 306, KLJ Tower (North), 3rd Floor, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi - 110 034	(011) 45638142-44	west.delhi@ecgc.in
गुड़गांव शाखा **GURGAON BRANCH** 3 री मंज़िल, उद्योग मीनार, वाणिज्य निकुंज, उद्योग विहार, फेज 5 गुड़गव्न - 122 016 Third Floor, `Udyog Minar', Vanijya Nikunj, Udyog Vihar, Phase 5, Gurgaon - 122 016	(0124) 430 0603 / 04 05/ 4219660	gurgaon@ecgc.in
लुधियाना शाखा **LUDHIANA BRANCH** 92 सूर्यकिरण कॉम्प्लेक्स, 2 री मंज़िल, डी मॉल रोड, पी ओ बॉक्स नं 251, लुधियाना - 141 001 92, Suryakiran Complex, 2nd Floor, The Mall Road, P.O. Box No. 281, Ludhiana - 141 001	(0161) 2441082 / 2403 349	ludhiana@ecgc.in
जालंधर शाखा **JALANDHAR BRANCH** 36 जी टी रोड, गोविंद निवास, 2 री मंज़िल, जालंधर - 144 001 36, G T Road, Gobind Niwas, 2nd Floor, Jalandhar - 144 001	(0181) 2226 025 / 2233235	jalandhar@ecgc.in
कानपुर शाखा **KANPUR BRANCH** 14/147 स्काय लार्क , 3 री मंज़िल, चुन्नीगंज, पी ओ बॉक्स नं 116 कानपुर - 205 001 14/147, Sky Lark, 3rd Floor, Chunniganj, P.O. No. 116, Kanpur - 208 001	(0512) 2535855 2533280 3026390 3314874	kanpur@ecgc.in

पता / Address	टेली / Tel.	ई मेल / E-mail
मुरादाबाद शाखा **MORADABAD BRANCH** पंडित शंकर दत्त शर्मा मार्ग, सिविल लाइंस, मुरादाबाद - 244 001 Pundit Shankar Dutt Sharma Marg, Civil Lines, Moradabad - 244 001	(0591) 2415476 / 2435395	moradabad@ecgc.in
जयपुर शाखा **JAIPUR BRANCH** 2 री मंज़िल, आनंद भवन, संसारचंद रोड, जयपुर - 302 001 2nd Floor, Anand Bhawan, Sansar Chandra Road, Jaipur - 302 001	(0141) 2367292	jaipur@ecgc.in
आगरा शाखा **AGRA BRANCH** दीपक वासन प्लाज़ा, 2 री मंज़िल, 17/2/4 संजय प्लेस, आगरा - 282 002 Deepak Wasan Plaza, 2nd Floor, 17/2/4 Sanjay Place, Agra - 282 002	(0562) 2524985 / 2521676	agra@ecgc.in
पानीपत शाखा **PANIPAT BRANCH** मलिक प्लाज़ा, पहली मंज़िल, संजय चौक के पास, जी टी रोड, पानीपत -132 103 Malik Plaza, 1st Floor, Near Sanjay Chowk, G.T. Road, Panipat - 132 103	(0180) 2634 933/ 2634937	panipat@ecgc.in
जोधपुर शाखा **JODHPUR BRANCH** 178, ' नारायणम ' 2 री मंज़िल, अपर चोपसनी रोड, बॉम्बे मोटर सर्कल के पास, जोधपुर- 342 003 178, ``Narayanam``, 2nd Floor, Upper Chopasani Road, Near Bombay Motor Circle, Jodhpur - 342 003	(0291) 5100531 / 5100534	jodhpur@ecgc.in
चंडीगढ़ शाखा **CHANDIGARH BRANCH** पी एच डी चैम्बर्स हाउस, पहली मंज़िल, सेक्टर 31-ए, चंडीगढ़ - 160 031 PHD Chambers House, 1st Floor, Sector 31 A, Chandigarh - 160 031	(0172) 5003628/29	chandigarh@ecgc.in
नोएडा शाखा **NOIDA BRANCH** पी-3 कृष्ण अपरा प्लाज़ा, 3 री मंज़िल, रूम नं 312, सेक्टर 18, नोएडा - 201 301 P-3 Krishna Apra Plaza, 3rd Floor, Room No. 312, Sector 18, Noida - 201 301	(0120) 4249186 / 9182	noida@ecgc.in
श्रीनगर शाखा **SRINAGAR BRANCH** जे के एस एफ सी बिल्डिंग, 2 री मंज़िल, दुर्गा नाग, डलगेट, श्रीनगर - 190 001 JKSFC Bldg., 2nd Floor, Durga Nag, Dalgate, Srinagar - 190 001	(0194) 2500260	srinagar@ecgc.in
फरीदाबाद शाखा **FARIDABAD BRANCH** एस सी ओ - 149 2 री मंज़िल, सेक्टर 21-सी फ़रीदाबाद, हरियाणा - 121 001 SCO-149, 2nd Floor, Sector-21-C, Faridabad, Haryana - 121 001	0129-4315115	faridabad@ecgc.in